गुरुवार, 29 जुलाई 1982

7 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 14, गुरुवार, 29 जुलाई, 1982/7 श्रावण, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 286, 287, 290 और 292 से 294.		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		19—202
तारांकित प्रश्न संख्या : 285, 288, 289, 291 और 295 से 304.		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3119, 3121 से 3229, 3231 से 3251, 3253 से 3272 और 3274 से 3351.		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		203—204
राज्य सभा से सन्देश		204—206
रबड़ (सशोधन) विधेयक, 1982 :		
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में		206
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :		206—229
पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियां		
श्री मनीराम बागड़ी	206-212	
श्री आर० वेंकटरामन	212-215	
श्री चन्द्रपाल शैलानी	216-219	
श्री रामविलास पासवान	219-223	
श्री हरिकेश बहादुर	223-227	
श्री रामावतार शास्त्री	227-229	

*किसी नाम पर अंकित जिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले		229—231
(एक) विभिन्न हवाई अड्डों के साथ सम्पर्क कराने वाले हाटलाइन टेलीफोन लाइनों को बन्द करने का कथित निर्णय		
	श्री के० लकप्पा	229—231
(दो) उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला		
	श्री अर्जुन सेठी	231
(तीन) विमान पत्तन वीसा व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता		
	श्रीमती जयन्ती पटनायक	231-232
(चार) जाली वीसा बनाने का घोटाला		
	श्री बापूसाहिब परुलेकर	232
(पांच) पश्चिम बंगाल को खाद्यानों की सप्लाई		
	श्री सुधीर गिरि	232-233
(छः) हज तीर्थयात्रियों के समुद्री जहाज के किराये में कथित वृद्धि		
	श्री अशफाक हुसैन	233-234
(सात) मध्य प्रदेश में एशियाई खेल, 1982 को दूरदर्शन पर प्रदर्शित करने की मांग		
	श्री सत्यनारायण जटिया	234
(आठ) तमिलनाडु में कन्नाकी (मंगला देवी) मन्दिर के बेहतर रख-रखाव की मांग		
	डा० ए० कलानिधि	234-235
(नौ) मथुरा के आसपास स्थित शहरों के लिए भूमिगत कुकिंग गैस पाइप-लाइन		
	श्री दिगम्बर सिंह	235
(दस) बिहार में पूर्णिया में पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई		
	श्रीमती माधुरी सिंह	235
विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक :		236—258
विचार करने का प्रस्ताव		
	श्री ईरा अनबारासु	236-240
	श्री कृष्ण कुमार गोयल	241-244
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन	244-245

विषय		पृष्ठ
	श्री विजय कुमार यादव	245-247
	श्री जैवियर अराकल	247-249
	श्री ए० के० राय	249-253
	श्री के० टी० कोसलराम	253-256
	श्री पी० वेंकट सुब्बया	256-258
खण्ड 2 और 1		
पास करने का प्रस्ताव		
	श्री पी० वेंकट सुब्बया	259-260
	श्री सुन्दर सिंह	260-262
चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव		262—282
	श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ	262-263
	श्री सुधीर गिरि	263-268
	श्री संतोष मोहन देव	268-272
	श्री राजेश कुमार सिंह	272-274
	श्री ईरा अनबारासु	274-276
	श्री जगन्नाथ पाटिल	276-279
	श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	279-281
	श्री एस० मुरुगैयन	281-282

लोक सभा

गुरुवार, 29 जुलाई, 1982/7 श्रावण, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 388 में लिखा है कि दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और कल जुमा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सूचित कर दिया गया है। इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलकत्ता बंदरगाह के बर्थों से जहाजों को बार-बार हटाया जाना

*286. **प्रो० रूप चन्द्र पाल**† :

श्री रेणु पद दास : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बंदरगाह न्यास के सम्बन्धित विभागों द्वारा बार-बार तथा अनियत ढंग से जहाजों को एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक हटाये जाने से नौवहन कम्पनियों को बड़ी भारी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो बर्थों से जहाजों के बार बार हटाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस प्रथा को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है, जिससे कि जहाज-कंपनियों की कठिनाइयां दूर हो सकें ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) कलकत्ता पत्तन अधिकारियों ने बताया है कि जहाजों को एक घाट से दूसरे घाट पर ले जाने के पीछे कुछ अपरेशनल कारण थे, जैसे ट्रांजिटशैडों में माल रखने के लिए जगह का अभाव, बाद में जहाज के लिए अधिक उपयुक्त घाट मिल जाना, जहाज के डैरिक में खराबी आ जाना, जहाज को हैवी लिफ्ट बर्थ से हटाकर जनरल कार्गो बर्थ पर ले जाने या कंटेनर बर्थ से ब्रेक बल्क बर्थ पर ले जाने की जरूरत, ज्वारीय सीमा आदि-आदि।

जहाजों को एक घाट से दूसरे घाट पर भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करना सम्भव नहीं है। पत्तन अधिकारी इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि जहाजों को एक घाट से पर से दूसरे घाट कम से कम भेजा जाए।

प्रो० रूप चन्द पाल : माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बर्थों को बिना किसी निर्धारित समय के और बार-बार बदलने के कारण भारतीय नौवहन लाइनों और निर्यात माल विशेषकर पटसन के माल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और जिससे नौवहन कम्पनियों तथा पोतवणिकों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है ? क्या यह भी सच है कि बर्थों के बार-बार के ऐसे बदलने का अन्ततोगत्वा पटसन उद्योग में और अधिक घाटा होगा जो कि पहले से चल रहा है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे पटसन उद्योग के बारे में पता नहीं है। किन्तु इसे मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि कभी-कभी एक बर्थ से दूसरे बर्थ को अन्तरण करना बहुत ही आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, कलकत्ता बन्दरगाह को जो जहाज जाते हैं उनमें से अधिकांश जहाजों में आयातित नौभार आता है। उस नौभार का उतारने के लिये उन्हें आयातित नौभार के लिये निर्धारित बर्थ पर जाना पड़ता है। आयातित नौभार उतारने के बाद उन्हें उस बर्थ तक जाना पड़ता है जहां निर्यात नौवहन रखा होता है क्योंकि वे निर्यात नौभार ले जाते हैं। कलकत्ता बन्दरगाह पर वे खाली नहीं आते हैं। इसलिये, जब कभी भी निर्यात नौभार वहां होता है, तो उन्हें उस बर्थ तक जाना पड़ता है। इसलिये एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक इन जहाजों का अन्तरण अपरिहार्य होता है। इसके अतिरिक्त हमारे जहाज बहु उद्देशीय जहाज तथा मिले-जुले जहाज हैं। वे कन्टेनर, बल्क नौभार और सामान्य नौभार ले जाते हैं। जब उन्हें कन्टेनर ले जाने होते हैं तो उन्हें पहले कन्टेनर बर्थ तक जाना पड़ता है जहां उनकी सम्भलाई की सुविधा है। कन्टेनरों को उतारने के बाद उन्हें दूसरे बर्थ पर जाना पड़ता है जहां बल्कि नौभार की उतराई की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद सामान्य नौभार को उतारने के लिये उन्हें तीसरी बर्थ तक जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में एक जहाज का एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक जाना आवश्यक हो जाता है। हम लोग पूर्ण रूपेण इसको त्याग नहीं सकते। किन्तु मैं माननीयसदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जहाजों का अन्त-रण यथा सम्भव कम हो जाये।

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय कम्पनियों की अपेक्षा विदेशी कम्पनियों को वरीयता दी जाती है ? इसके अतिरिक्त कुछ समाचार पत्रों में कलकत्ता बंदरगाह के संबंधित विभागों द्वारा बर्थों का नियतन करने के मामले में धांधली करने का आरोप भी लगाया गया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह कहना ठीक नहीं है कि भारतीय कम्पनियों की तुलना में विदेशी कंपनियों को वरीयता दी जाती है। माननीय सदस्य की जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण हो तो वह मुझे लिख सकते हैं। मैं अवश्य ही उसे देखूंगा।

श्री रेणु पद दास : माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु प्रो० रूप चन्द पाल संतुष्ट हैं।

श्री रेणु पद दास : जहाजों का एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक बार-बार अन्तरित किये जाने के कारण माननीय मंत्री जी ने अन्तरण शैडों में स्थान की कमी, बाद में जहाज के लिये और अधिक

उपयुक्त बर्थ का उपलब्ध हो जाना, जहाज के डेरिन का छेद हो जाने के कारण खराब हो जाना आदि जैसे प्रचालन संबंधी आवश्यकता बताया है। मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी का विचार है, ऐसा होता नहीं है। कलकत्ता पत्तन न्यास पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये जहाजों के लिये बर्थों को तैयार रखने की योजना पहले से क्यों नहीं बना पाता है ? ऐसा करने के बजाये वे जहाजों को एक बर्थ से दूसरी बर्थ तक बार-बार अन्तरित करते हैं जिससे पोतवणिकों और लदान करने वाले एजेंटों को हानि होती है और कष्ट होता है। क्या माननीय मंत्री महोदय कलकत्ता पत्तन न्यास से जहाजों को एक बर्थ से दूसरे बर्थ को अन्तरित करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का अनुरोध करेंगे जिससे कि पोतवणिकों और लदानकर्ता एजेन्टों को जो कठिनाई होती है वह या तो कम से कम हो जाये अथवा बिल्कुल ही समाप्त हो जाये ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात को स्वीकार कर चुका हूं कि यह सच है कि एक बर्थ से दूसरे बर्थ को अन्तरण किया जाता है। मैं इस बात को भी स्वीकार कर चुका हूं कि यह आवश्यक है और इसे बिल्कुल ही समाप्त कर देना सम्भव नहीं है। हम लोग इस बात की चेष्टा करेंगे कि अन्तरण यथा संभव कम हो जाये। हम लोग इसके बारे में प्रयत्नशील हैं। हम लोग पत्तन प्राधिकारियों को यह अनुदेश जारी कर रहे हैं कि जहाजों को एक बर्थ से दूसरे बर्थ को अन्तरण करने के मामले में, जब एक जहाज को कोई बर्थ पहले से निर्धारित कर दिया जाये, तब उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष की अनुमति के बिना उसे दूसरे बर्थ को अन्तरित न किया जाये। इसलिये हम इसे यथा सम्भव कम करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री रेणु पद दास : क्या प्रचालन की दृष्टि से मद्रास और बम्बई जैसे बन्दरगाहों में भी जहाजों को एक बर्थ से दूसरे बर्थ को अन्तरित किया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अन्य बन्दरगाहों के बारे में तो मुझे पता नहीं है किन्तु बम्बई में अन्तरण कभी-कभी आवश्यक हो जाता है। अन्य बंदरगाहों में भी ऐसा होगा, किन्तु मेरे पास ब्यौरा नहीं है।

रेलवे भूमि संसाधन विकास निदेशालय बनाया जाना

*287. **श्री मोहन लाल पटेल**† :

श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेलवे को रेलवे भूमि संसाधन विकास निदेशालय बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने 30 जून, 1982 को क्षेत्रीय रेलवे के मुख्य अभियन्ताओं की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में अन्य क्या सुझाव दिये गये; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, मुख्य जनरल इंजीनियरों की एक बैठक 30-6-1982 को आयोजित की गयी थी ।

(ग) अन्य सुझाव निम्नलिखित से सम्बन्धित थे : -

(i) स्टेशनों के बीच रेलवे की भूमि पर वनरोपण के लिए राज्य सरकार के वन विभागों को शामिल करना, (ii) चरणबद्ध योजना के आधार पर रेलों द्वारा स्वयं स्टेशन सीमाओं में वृक्षारोपण, (iii) शहरी क्षेत्रों में संसाधनों के विकास के लिए रेलवे भूमि/वायु क्षेत्र के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना ।

(घ) रेलवे बोर्ड ने रेलों से वर्तमान पदों का समायोजन करके नया निदेशालय स्थापित करने का निर्णय पहले ही कर लिया है । यह निदेशालय उपर्युक्त (ग) में दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई करेगा ।

श्री मोहन लाल पटेल : महोदय, भारत में 7 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर भूमि में वन हैं । विश्व की जनसंख्या के 15 64 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं जबकि यहां संसार के वनों में कुल 1.85 प्रतिशत वन हैं ।

समाचार पत्रों में रेल मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार रेलवे के पास वृक्षारोपण के लिये एक लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है ।

वन अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों में से इस समय कुल 10 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक वृक्ष जीवित रहते हैं । इस संबंध में, यदि कुछ भू-क्षेत्र गैर सरकारी व्यक्तियों को पट्टे पर दे दिया जाये तो वृक्षों की प्रतिशतता भी पहले से कहीं अधिक हो जायेगी और हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय मंत्री जी कुछ भूमि पट्टे पर गैर सरकारी व्यक्तियों को देने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह सच है कि रेल मंत्री ने इसका उल्लेख किया है कि 1.22 लाख हेक्टेयर भूमि रेलवे के पास उपलब्ध है । किन्तु इस भूमि में से 88,000 हेक्टेयर भूमि में वनरोपण का विचार रेलवे का है और शेष भूमि के बारे में रेलवे विभाग वायु स्थल सहित इस भूमि का सर्वोत्तम सदुपयोग करने के बारे में विचार कर रहा है कि इससे हमें अधिक से अधिक क्या आय हो सकती है इत्यादि-इत्यादि किन्तु गैर सरकारी व्यक्तियों को लायसेंस देने के लिये ऐसा करना विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है ।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं यहां यह बता देना ठीक समझता हूं कि गैर सरकारी पट्टाधारियों को भूमि देना संभव नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों के वन विभागों और

भारत सरकार के वन विभाग के परामर्श से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर रेलवे की भूमि पर वनरोपण कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है और हम आशा करते हैं कि हम लोग स्वयं 10 लाख से अधिक वृक्ष लगा सकेंगे और इसलिये किसी गैर सरकारी पार्टी को पट्टे पर भूमि देना संभव नहीं है : शेष 44,000 एकड़ भूमि का उपयोग अधिक अन्न उपजाओं के लिये किया जा रहा है और इसलिये इसे भी नहीं दिया जा सकता जब तक कि ··

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री मोहन लाल पटेल : गत रेलवे बजट के समय माननीय मंत्री जी ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि वृक्षारोपण यथा संभव शीघ्र किया जाएगा और उसके लिये पर्याप्त निधि और शेष सभी मशीनरी का प्रबन्ध शीघ्र किया जायेगा । मैं यह जानना चाहूंगा कि अब तक क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, वृक्षारोपण के लिये यथा प्रस्तावित भारतीय रेलवे की 88,000 हेक्टेयर भूमि में हमारा विचार इसमें 10 करोड़ वृक्ष लगाने का है जैसा कि मंत्री जी द्वारा सूचित किया गया है, इसे दो भागों में बांटा जायेगा । एक भाग स्वयं रेलवे के पास रहेगा और दूसरा भाग राज्य सरकारों के वन विभाग को दिया जायेगा और रेलवे वाले भाग में 1 करोड़ वृक्ष लगाये जायेंगे और राज्यों द्वारा 9 करोड़ वृक्ष लगाये जायेंगे तथा अभी तक इस बारे में बात-चीत चल रही है और इसे अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है ।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस घोषणा पर कृतज्ञ हूं कि भूमि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दी जायेगी । मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं । तथापि, हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में अनेक स्थानों में रेलवे की भूमि अवैध रूप से गैर सरकारी व्यक्तियों के कब्जे में है । पहले, रेलवे मार्ग के दोनों ओर एक 'पेंसिल मार्क' होता था । आजकल रेल मार्ग के दोनों ओर 'पेंसिल मार्क' या कोई कांटेदार तार नहीं हैं । क्या रेल यंत्र सदन को यह आश्वासन देंगे कि 'पेंसिल मार्किंग' की जाएगी ? प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा रेलवे की भूमि पर किए गए कब्जों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : 48910 अवैध कब्जे हैं । सरकार इन कब्जों को खाली कराना चाहती है । कुछ मामलों में इन कब्जों को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है । परन्तु अब भी अवैध कब्जे हो रहे हैं और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन लोगों का पुनर्वास करें । अपने तरफ से हम सभी प्रयास कर रहे हैं ।

जहां तक उपलब्ध भूमि पर तार लगाने का प्रश्न है, यह संभव नहीं है । हम स्टेशनों पर तार लगा सकते हैं परन्तु रेलवे की सारी उपलब्ध भूमि पर नहीं क्योंकि रेलवे के पास 3.22 लाख हेक्टेयर भूमि है । अतः यह संभव नहीं है ।

श्री बी० वी० देसाई : प्रश्न का उत्तर देते समय रेल मंत्री ने बताया था कि राज्य सरकारों के सहयोग से दो स्टेशनों के बीच वनरोपण का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है । मैं मंत्री

महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या कोई बैठक बुलाई गई है ? यह मामला किस स्तर पर चल रहा है। वनरोपण कार्यों के लिए राज्य सरकारों और रेलवे के पास धन की कमी है। संसाधन जुटाने के लिए उन्होंने क्या किया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : वनरोपण प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र है। अतः रेलवे ने इस कार्यक्रम को इस वर्ष बड़े पैमाने पर शुरू किया है। 1932-83 में चुने गए तथा सीमित स्टेशनों पर 39 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। कुछ स्टेशनों पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दो स्टेशनों के बीच की भूमि पर राज्य सरकारें वनरोपण करें। इस कार्य के लिए हम एक प्रथक निदेशालय बना रहे हैं। इस समय हमारे निदेशक सिविल इंजीनियर रेल मार्गों, पुलों, भवनों आदि की देखभाल करते हैं हमने एक प्रथक निदेशालय बनाने का निर्णय किया है ताकि वे राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाए रख सकें। धन की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है। हमने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राज्य सरकारें 9 करोड़ और हम एक करोड़ पेड़ लगाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : पेड़ लगाने के पश्चात् कार्य बन्द नहीं किया जाना चाहिए। आपको यह भी देखना है कि वे बढ़कर पेड़ बनते हैं या नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : यह जनता के सहयोग और सिंचाई पर निर्भर करता है ?

चौधरी मुलतान सिंह : क्या सरकार अपनी इस नीति को बदल रही है कि रेल की जितनी पटरियां हैं उनके आसपास जितनी जमीन है वह वन विभाग को दे दी जाए, क्योंकि आज तक वहां पर एक भी पेड़ नहीं लग पाया है ? एग्रीकलचर कमेटी में भी यह तय पाया है कि वन विभाग को भारत की सारी रेल की पटरियों वाली भूमि दे दी जानी चाहिये। पी० डब्ल्यू० डी० को आपने दे रखा है इसको। क्या वन विभाग को दे देने से पेड़ ही पेड़ नहीं लग जाएंगे और काफी प्रोवलम हल हो जायगी। दूसरे अरावली की शाखायें देश में इतनी फैली हुई हैं जो करोड़ों एकड़ में हैं जिन पर एक भी पेड़ नहीं है क्या कारण है कि हिमालय और विन्ध्याचल रेंजेज पर तो पेड़ हैं, लेकिन अरावली रेंजेज पर पेड़ नहीं हैं, उन पर भी पेड़ लगाने की ओर विशेष ध्यान दें कि वहां कौन से पेड़ हो सकते हैं उनके बीज हवाई जहाज से गिराये जायें जिससे पेड़ लग सकें।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं सदस्य को पूर्व ही बता चुका हूं कि सरकार की क्या नीति है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं जानना चाहता हूं कि पट्टे पर रेलवे की कोई भूमि नहीं दी जायगी, ऐसा आपने कहा है, और आगे के लिये पट्टे पर देना बन्द कर दिया गया है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पौधे लगे हुए हैं और जगह भी खाली है जहां लोगों ने दुकानें बना ली हैं। मेरे देखने में ऐसा आया है कि जनता पार्टी के रिजीम में बहुत से लोगों को कालका से शिमला तक जमीनें अलाट की गई हैं, क्या उस अलाटमेंट को कैंसिल कर दिया जायगा, और जिन्होंने वहां पर पक्के मकान बना लिये हैं उनको निकाल दिया जायगा ?

और क्या सरकार सोचेगी कि जो जमीन जिस पर पेड़ नहीं लगे हैं, मकान बन सकते हैं वहां मकान बनाने के लिये जमीन आप देंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह तो बताया गया है कि केवल वही जमीन जहां दरख्त लगाये जा सकते हैं वह जमीन पेड़ लगाने के उपयोग में लायी जायगी । जहां पक्की जमीन है रेलवे के पास जहां स्वयं रेलवे बिल्डिंग खड़ी कर सकती है अपने क्वार्टर बनाने के लिये वहां उसका उपयोग किया जायगा । इसके अलावा सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पर जैसे बम्बई में ऐसी जमीन है जहां स्काई स्क्रेपर्स बनाये जा सकते हैं जिसके लिये लोगों को कम्पनियों और इंस्टीट्यूशन्स से पैसा ऐडवांस में मिलेगा, तो इस प्रकार से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के द्वारा बड़े बड़े मकान बनाये जाने की योजना है। इस तरह से डबल यूज है एक अफोरेस्टेशन होगा और दूसरे लैंड यूटिलाइजेशन का जिससे रेलवे की आमदनी को बढ़ाया जा सके ।

भारतीय नौवहन में संकट की स्थिति

*290. **श्री के० कुन्हम्बु** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नौवहन कंपनियों के साथ प्रतियोगिता के कारण भारतीय नौवहन को संकट का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस संकट पर काबू पाने के लिए इस उद्योग को सहायता हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारतीय नौवहन कंपनियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है । इसका एक कारण यह भी है कि विदेशी नौवहन कंपनियां अधिकाधिक प्रतियोगिता कर रही हैं ।

(ख) भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए अधिक माल प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । नौवहन उद्योग को वर्तमान मन्दे की स्थिति से उभारने के लिए सरकार वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ।

श्री के० कुन्हम्बु : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नौवहन उद्योग में संकट पर काबू पाने के लिए भारतीय नौवहन कम्पनियों का कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उनके सुझाव क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, यह सच है कि सरकार को इंडियन नेशनल शिपिंग ओनर एसोसिएशन का ज्ञापन मिला है और अपने ज्ञापन में उन्होंने बहुत से अनुरोध किए हैं । उस ज्ञापन में 19 मांगें हैं । मुझे उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिला है । परन्तु जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने एस० डी० एफ० सी० से ऋण लेने के सिद्धान्त, ब्याज, एस० ए० एफ० ए० वी० एन० एस० के

ऋण को पुनः निर्धारित करने और जो ऋण उन्होंने विदेशों से लिया उसकी अदायगी के लिए अग्रिम ऋण देने की मांग की गई है।

सरकार सभी मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार कर रही है।

श्री के० कुन्हम्बु : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय भारतीय नौवहन का समुद्र पार व्यापार में कितना शेयर है और क्या शेयर में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय नौवहन लाइनों का शेयर कम ही रहा है। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1977-78 में भारतीय शेयर 38.76 प्रतिशत और 1980-81 में 32.3 प्रतिशत था। इसका मतलब शेयर कम हो रहा है। हम इससे बहुत चिंतित हैं। अतः इस दिशा में हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जहां तक सरकारी नौभार और सरकार द्वारा नियंत्रित नौभार का संबंध है हम बार-बार लिख रहे हैं कि सभी सरकारी और सरकार द्वारा नियंत्रित नौभार का निर्यात के लिए 'सी० एण्ड एफ०' और आयात के लिए पोत पर्यन्त निशुल्क आधार पर ठेका दिया जाना चाहिए। परन्तु इस समय गैर सरकारी नौभार पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अतः हमें विदेशी नौवहन लाइनों का कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। यह इसलिये है क्योंकि विदेशी नौवहन लाइनों के लिए हमारी बन्दरगाहें 'वे साइड' हैं और भारतीय नौवहन लाइनों के लिए ये बेस-बन्दरगाह हैं। अतः विदेशी नौवहन लाइनें हमारा मुकाबला करने की स्थिति में हैं और माल भाड़े की दर में कटौती की पेशकश कर सकती हैं। इस मुकाबले का हम सामना कर रहे हैं। हम विभिन्न कदम उठा रहे हैं तथा उनकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने बताया है कि विदेशों के साथ कड़ा मुकाबला है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय भी एक कठोर तथा सक्षम व्यक्ति हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने नौवहन उद्योग का आधुनिकीकरण शुरू किया है, इस कार्य के लिए कितनी धन राशि दी गई है और क्या इस धन राशि का उचित उपयोग किया गया है और कौन सी नौवहन लाइनों को धन की आवश्यकता है। यदि उनके पास इस समय सूचना नहीं है तो वे मुझे सूचना भेज सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य नौवहन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी चाहते हैं। "नौवहन उद्योग के आधुनिकीकरण" का मतलब मेरी समझ में नहीं आया है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय टन भार में वृद्धि करने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। हम छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक राष्ट्रीय टन भार में 25 लाख टन (शुद्ध) और 34 लाख टन (सकल) वृद्धि और करना चाहते हैं। इसमें से 55 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के लिए तथा 45 प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। जैसे ही हमें जहाज प्राप्त करने या टन भार बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त होगा—यह प्रस्ताव एस० एफ० डी० सी० के माध्यम से प्राप्त होता है - उनकी सिफारिश पर हम वित्त मंत्रालय के

परामर्श से तदनुसार आदेश जारी कर देंगे। अब तक हम बहुत सी पद्धति और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में समर्थ होते। मेरे पास ब्यौरा नहीं हैं। परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना में टनभार बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं, हमें आशा है कि हम वह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अन्य किसी बात का उत्तर नहीं दिया गया है तो वह आपको भेज दिया जाएगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आधुनिकीकरण से मेरा मतलब है कि यदि हमारे जहाज आधुनिक हैं तो वे अन्य देशों का मुकाबला कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : किसी जहाज की कोई निश्चित अवधि होती है। यदि कोई जहाज 20 वर्ष पुराना है तो उस पर अधिक खर्च होगा और उससे लाभ भी नहीं कमाया जा सकता। इससे 'स्क्रेप' किया जाना है। इस पर भी ध्यान दिया जाना है। तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार छठी पचवर्षीय योजना में 9 लाख टन के टन भार को 'स्क्रेप' किया जाएगा और इसके स्थान पर नए पोत रखे जाएंगे। हमारे पास यह कार्यक्रम है और हम इसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

श्री नीरेन घोष : मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशी शिपिंग लाइनों के साथ कड़े मुकाबले को ध्यान में रखकर क्या इंडियन शिपिंग लाइनों ने यह कहा है कि वे विदेशी नौवहन लाइनों के बराबर माल भाड़ा देने को तैयार हैं क्योंकि वे उनका मुकाबला करना चाहते हैं और विदेशी नौवहन लाइनों ने कहा है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और यदि ऐसा हुआ तो वे इसका बदला लेंगे और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं।

दूसरी बात यह है कि आयात-निर्यात व्यापार में बहुत सी विदेशी कम्पनियां शर्त लगाती हैं कि नौभार का 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत नौभार उनकी नौवहन कम्पनियां वहन करेंगीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इससे सहमत क्यों होते हैं? हम ऐसे ठेका क्यों लेते हैं? जब उन्हें 50 प्रतिशत मिल सकता है, तो भारतीय नौवहन को भी 50 प्रतिशत अवश्य मिलना चाहिए। यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में इसे अनिवार्य बनाने के लिए आप उस समय क्या उपाय करेंगे, जब आप विदेशों से करार करेंगे?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। जहां तक सरकारी नियन्त्रण से सम्बन्धित नौभार का संबंध है, सरकार की नीति यह है कि इसे निर्यात के लिए सी० आई० एफ० और आयात के लिए एफ० ओ० बी० पर आधारित होनी चाहिए।

कभी-कभी जब खरीदार बाजार (वायर्स मार्केट) होता है, तो ऐसा करना कठिन हो जाता है। मैं आपको लौह-अयस्क का, जो हम दक्षिण कोरिया, जापान तथा कुछ अन्य देशों को निर्यात करते हैं, एक उदाहरण देता हूं। क्योंकि यह वायर्स मार्केट है, वे इस बात के लिए जोर डालते हैं कि हमारे देश से निर्यात किये जाने वाले लौह-अयस्क की सारी मात्रा केवल एफ० ओ० बी० आधार पर ही निर्यात की जाएगी। वे इस-

लौह-अयस्क को अपने ही जहाजों में ले जाना चाहते हैं । अन्यथा वे कहते हैं कि वे इसके इच्छुक नहीं हैं ।

केवल ऐसे मामलों में, जब राष्ट्र-हित में इस नीति से कुछ हटना पड़े, तब ही सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रम तत्सम्बन्धी छूट के लिये नौवहन और परिवहन मन्त्रालय से अनुरोध करते हैं तथा हम गुणदोष के आधार पर उन पर विचार करते हैं और कुछ मामलों में सहमत हो जाते हैं ।

श्री के० लकप्पा : पिछले दिनों यह खबर थी कि भारतीय जहाजरानी निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि पत्तनों के सुधार के लिये किन-किन सुझावों और उपायों पर विचार किया गया है तथा चूंकि भारतीय पत्तन अत्यधिक नौभार उतारने-चढ़ाने के उपयुक्त नहीं हैं, अतः भारतीय जलपोतों आदि के लिए पत्तनों का सुधार करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने की नीति के अनुसार नए जहाजों की खरीद करके इनकी कमी दूर करने के लिए क्या विचार किया गया है । पत्तनों का अभी तक आधुनिकीकरण नहीं किया गया है । इसके परिणामस्वरूप जहाजरानी कम्पनियों से वास्तविक कड़ी प्रतिस्पर्धा है ।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से मन्त्रालय क्या ठोस उपाय करने के बारे में विचार कर रहा है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पत्तनों का आधुनिकीकरण करने के बारे में योजना में हमारा एक पृथक कार्यक्रम है और इस प्रयोजन के लिये हम लगभग 600 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेंगे । कुछ ऐसे पत्तन हैं जिन्हें हम "हैन्डलिंग-कन्टेनर्स" के लिये विकसित करना चाहते हैं । उदाहरणार्थ मद्रास में हमने काम शुरू कर दिया है और हमने भारी धन खर्च किया है । हम इससे 'कन्टेनर-पोर्ट' के रूप में विकसित करना चाहते हैं । इसी प्रकार हम हल्दिया का भी 'कन्टेनर-पोर्ट' के रूप में विकास करना चाहते हैं ।

पश्चिमी समुद्र-तट पर हम बम्बई और कोचीन का 'कन्टेनर पोर्ट्स' के रूप में विकास करना चाहते हैं ।

इस दिशा में हम कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं ।

अन्य पत्तनों पर भी, माल उतारने-चढ़ाने की वहां चाहे जो स्थिति हो, उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

हिमाचल प्रदेश में रेल लाइनों का सर्वेक्षण

*292. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी रेलवे लाइनें हैं जिनके निर्माण के लिए सरकार गत चार वर्षों से सर्वेक्षण करा रही है; और

(ख) ऐसी कौन सी रेल लाइनें हैं जिन पर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नंगल डैम से तलवाड़ा, कालका से परवानू और जगाधरी-पाउंटा-राजबन ।

(ख) नंगल डैम से तलवाड़ा और कालका से परवानू लाइनों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी देर के बाद रेलवे लाइनों की हमारी मांग पूरी हुई है । क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में, जब वह नालागढ़ रियासत के रूप में था, रोपड़ से नालागढ़ तक 1926 में बड़ी रेलवे लाइन की पटरी बिछाई गई थी, लेकिन बाद में उसको उखाड़ दिया गया ? इसी तरह से शिमला से रामपुर बशहर तक रेलवे लाइन पहुंचाने का कार्यक्रम था । अंग्रेजों ने उसका सरवे कराया था और उसके पिल्लर अभी भी वहां मौजूद हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आनन्दपुर साहब से कुल्लू-मनाली तक और पठानकोट से चम्बा तक रेलवे लाइनों का सरवे भी अंग्रेजों ने कराया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन उखाड़ी हुई रेलवे लाइनों को फिर से बिछाने पर विचार करेगी और पुराने सरवे को कान्टीन्यू करेगी, ताकि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सके ।

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा बतायी गई रेलवे लाइनों के पुनर्निर्माण की कोई योजना मंत्रालय के पास नहीं है । जो मैंने नंगल तलवाड़ा और कालका परमाणु की लाइनों के बारे में बताया इनके बारे में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर काफी जोर लगा रहे थे । हाल में प्लानिंग कमीशन ने नंगल तलवाड़ा की लाइन को क्लीअर किया है, तभी 25 लाख रुपये का अजेंसी सर्टीफिकेट उसके निर्माण के लिए दिया गया । कालका परमाणु लाइन भी आउट आफ टर्न ली गई है । उसके लिए भी अजेन्सी सर्टिफिकेट दिया गया है ।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : मंत्री जी ने यह कहा कि जगाधरी पोंटा रेलवे लाइन बिछाई जायगी । तो क्या इस रेलवे लाइन का सर्वे मुकम्मिल कर दिया गया या नहीं और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि शिमला से आगे रेलवे लाइन का सर्वे कराने का कोई विचार है या नहीं ?

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : उपाध्यक्ष महोदय, नंगल तलवाड़ा और कालका परमाणु का काम अभी हाथ में है । हाल ही में प्लानिंग कमीशन से जो हमें ज्यादा रकम मिली है उसमें हम ज्यादा डिमांड्स लेकर फिर से हाउस के सामने आ रहे हैं । उसमें जो केवल 25 लाख रुपया रखा गया था, उसमें 1 करोड़ का इजाफा किया गया है । इसके अलावा जगाधरी पोंटा राजवन का भी सर्वे किया जा रहा है । ये दो लाइनें जो मैंने बताईं नंगल तलवाड़ा और कालका परमाणु, इनके अलावा फिलहाल हिमाचल प्रदेश में और कोई निर्माण चालू नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाअपेयी : न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि हिमाचल प्रदेश में जो सेब और आलू पैदा होता है उसे समय पर मैदान में लाने की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइनों का जाल बिछाने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहूंगा कि पठानकोट से चम्बा तक सर्वे कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सर्वे आरम्भ कराने में तो कोई कठिनाई नहीं है लेकिन सर्वे कम्पलीट हो जाने के पश्चात् उसका काम प्रारम्भ करने में फाइनेंस की कठिनाई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक समय था, जब शिमला भारत की ग्रीष्म काल की राजधानी हुआ करती थी। दुर्भाग्यवश, रेल मंत्री जी की कालका से शिमला तक की लाइन को मीटर-गेज लाइन में बदलने की कोई योजना नहीं है, वहां अभी तक छोटी लाइन बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश में फलों का अत्यधिक उत्पादन होता है, जो परिवहन की कमी के कारण सड़ जाते हैं। एक बात और भी है कि भविष्य में यह सीमा-व्यापार करने संबंधी स्थिति में होगा। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश में लाइनों को बढ़ाने का, विशेष रूप से कालका और शिमला के बीच की लाइन को मीटर गेज में बदलने का कोई प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वही मांग है, जो श्री बाजपेयी कर रहे थे। आप उनका अनुसरण करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप यह चाहते हैं कि प्रत्येक मामले में मेरे और उनके मतभेद रहें ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यदि धनराशि संबंधी अड़चनें दूर हो जाती हैं और इस प्रयोजन के लिए हमें और अधिक धन मिल जाता है·····

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : योजना मंत्री आपके पीछे ही बैठे हुए हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम इस बारे में उनसे बात कर लेंगे।

श्री आर० एन० राकेश : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के पूर्व 1932 में भगवान बद्री केदारनाथ तक कोटद्वार से रेल लाइन बिछाने का सर्वे हुआ था। वह सर्वे रिपोर्ट अभी तक मंत्रालय में सुरक्षित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस सर्वे रिपोर्ट पर विचार करके कोटद्वार से भगवान बद्री केदारनाथ तक रेलवे लाइन बिछाने पर मंत्री महोदय विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो उनके इस कार्य में क्या दिक्कतें हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : सदन को पहले बताया जा चुका है कि इस तरीके से लाइनों को लेने के लिए आर्थिक सौम्यता और प्लानिंग कमीशन की तरफ से इशारा नहीं है, इसलिए इनको नहीं ले सकते।

(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्रीमती प्रमिला दंडवते अनुपस्थित ।

श्री आर० एन० राकेश :*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या है यह ? मैं अगले प्रश्न के बारे में कह रहा हूं। नहीं इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । हां, तो अब प्रो० मधु दंडवते ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, उन्होंने उन्हें अनुपस्थित कर दिया है ...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं यह कह रहा था कि उन्होंने श्रीमती दंडवते को इसलिए अनुपस्थित कर दिया, ताकि वे दो प्रश्न पूछ सकें ।

उपायक्ष महोदय : यह उनका आन्तरिक मामला है । मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न संख्या 293 ।

महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने इसे एक साथ क्लब नहीं किया था । आपने ऐसा कर दिया है ।

रेल पटरियों के नवीकरण की योजना

*213 **प्रो० मधु दंडवते** :†

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या रेल मंत्री यह बताने कों कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की रेल पटरियों के नवीकरण की वर्तमान योजना निलम्बित कर दी गई है;

(ख) क्या रेल पटरियां बदलने का शेष काम प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि रेल पटरियों का नवीकरण नहीं किया जाता तो रेल लाइनें टूट जायेंगीं; और

(घ) यदि हां, तो रेल लाइनों के टूटने की संभावना से बचने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) यह सही है कि रेलपथ के नवीकरण के कार्य का जायजा सही तरीके से नहीं लगा है और बकाया काम जमा हो रहा है । रेलपथ नवीकरण के कार्य की प्रगति में तेजी लाने तथा उसके लिए धन का अधिक आबंटन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

रहा है। पुरानी, घिसी-पिटी रेल लाइनों के टूटने का अधिक खतरा रहता है। रेल पटरियों को टूटने से बचाने के लिए मौके पर निरीक्षण करने, रेल पटरियों की पराश्रव्य जांच करने तथा सिरों को बांधने और झलाई आदि करने के तरीके अपनाये जा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय ने गुण-परक उत्तर दिया है, लेकिन मैं इसका विस्तृत उत्तर चाहता हुं।

मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रारम्भिक नवीकरण कुल कितने किलोमीटर लम्बे रेल-पथ का किया जाना है। मेरा तात्पर्य है कि प्रारम्भिक नवीकरण का कितना काम बकाया है, कुल कितनी कमी है तथा प्रारम्भिक नवीकरण का काम करने के लिए कुल कितनी धन राशि अपेक्षित होगी तथा गत वित्तीय वर्ष में योजना आयोग ने इसके लिए कुल कितनी धन राशि स्वीकृत की है, तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि में से वास्तविक रूप से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्री मल्लिकार्जुन : योजना आयोग ने योजना अवधि हेतु 10,000 किलोमीटर लम्बे रेल-पथ का प्रारम्भिक नवीकरण तथा 4000 किलोमीटर लम्बे रेल-पथ का सैकण्डरी नवीकरण करने के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। गत वित्तीय वर्ष में अर्थात् वर्ष 1981-82 में 150 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी, तथा इन तीन वर्षों के दौरान अब तक 350.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं तथा जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना था हम नहीं पहुंच पाये हैं, उसका कारण लागत में वृद्धि हो जाना आदि जैसी कई बातें हैं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हमें ठीक-ठीक कितनी धनराशि की आवश्यकता है, तो मैं बताता हूं कि हमें योजना अवधि में योजना-लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 900 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। यह धनराशि 10,000 किलोमीटर लम्बे रेल-पथ के प्रारम्भिक नवीकरण के लिए तथा 4000 किलोमीटर लम्बे रेल-पथ के सैकण्डरी नवीकरण के लिए अपेक्षित है। लेकिन वित्तीय सम्बन्धी अड़चनों के कारण, लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव न होगा। अब तक हम 6000 किलोमीटर लम्बे रेल-पथ के प्रारम्भिक नवीकरण और 1500 किलोमीटर लम्बे रेल-पथ के सैकण्डरी नवीकरण के बारे में ही अनुमान लगा पाये हैं। इसका अर्थ है कि प्रगति की वर्तमान दर से योजना अवधि में कुल 7,500 किलोमीटर लम्बे रेल-पथ का काम पूरा हो जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, रेल-पथ के प्रारम्भिक नवीकरण के मामले में वित्त एक अड़-चन रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक नवीकरण के लिए जितनी धनराशि स्वीकृत हुई है, उसको भी पूरा-पूरा खर्च नहीं किया गया है। और क्या यह सच है कि रेल की पटरियों जैसा कुछ सामान प्रारम्भिक नवीकरण के लिए उपलब्ध नहीं है, अर्थात यदि देश में ही निर्मित रेल की पटरियां उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या सरकार इसका विदेशों से आयात करने का विचार रखती है और क्या सरकार यह आयात कर भी चुकी है तथा योजना अवधि से सम्बन्धित सम्पूर्ण रेल-पथ के बकाया काम को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार को और आयात करने की आवश्यकता होगी तथा क्या सरकार आयात करने के बारे में विचार कर रही है और यदि हां, तो किस देश से—ये सब बातें मैं जानना चाहता हूं।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि भिलाई स्टील प्लांट से रेल की पटरियों की कम सप्लाई हो रही है तथा इसलिए योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से नवीकरण के लिए अपेक्षित सामान का हमें आयात करना पड़ता है। यदि 10,000 किलोमीटर लम्बे रेल-पथ के नवीकरण के लिए अपेक्षित 900 करोड़ रुपये की धन-राशि की व्यवस्था हो जाती है, तो हम देश में ही निर्मित रेल पटरियों से अथवा उनका आयात करके काम को पूरा कर लेंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या मैं रेल मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि योजना आयोग ने जितनी राशि निर्धारित की थी उसके कम कर देने के बाद रेल विभाग पूरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उतनी राशि भी व्यय करने की स्थिति में नहीं था।

रेल मार्ग के नवीकरण करने के बारे में मेरे माननीय मित्र के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केवल धन संबंधी रुकावट है। किन्तु, रेलवे के कार्य निष्पादन पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि रेल मार्गों के नवीकरण के लिए जब भी धन का नियतन किया गया, तभी अनेक कारणवश रेलवे उसे व्यय न कर सकी। वे क्या कारण हैं जिसके कारण रेल विभाग धन को व्यय नहीं कर सका विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि आप स्वयं ही कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, रेल पथों के नवीकरण के लिए जब कभी भी धन का नियतन किया गया, जैसा कि मेरे साथी द्वारा स्पष्ट किया गया है, हम व्यय कर रहे हैं। हम 500 करोड़ रुपये में से 350 करोड़ रुपया व्यय कर चुके हैं। शेष 150 करोड़ रुपया अगले दो वर्षों के दौरान व्यय कर दिया जायेगा। इस धन को किसी और काम में नहीं लगाया जा रहा है इसके विपरीत रेल मार्ग के नवीकरण के लिए हम अपनी निधियों से और अधिक धन की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि यह काम बहुत ही आवश्यक है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अजमेर से खंडवा की जो रेल लाइन है, वह बहुत पुरानी हो चुकी है और उस पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो क्या आप छठी पंचवर्षीय योजना में अजमेर से खंडवा तक का जो रेलवे ट्रैक है, उसको बदलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, अजमेर-खंडवा का ही प्रश्न नहीं है, जहां-जहां भी ट्रैक के रिन्युअल की आवश्यकता है, उन सभी जगहों को लिया जा रहा है। खास तौर पर राहू के आस-पास का जो ट्रैक था, उसको हाल ही में बदला गया है।

श्री के० माया तेवर : महोदय, मैं इसकी मांग भूतपूर्व रेल मंत्री, प्रो० दंडवते के समय से करता आ रहा हूं किन्तु वह खामोश रहे; इससे पूर्व मैंने यह मांग उनके पूर्वाधिकारी से की थी और वह भी खामोश रहे। इसके बाद मैंने यह मांग वर्त्तमान रेल मंत्री से की और वह भी खामोश रहे। केवल ईश्वर ही जानता है कि इसका क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न पूछिये ।

श्री के० माया तेवर : महोदय, तमिलनाडु में, मद्रास से कैप केमोरिन तक दो प्रकार की रेल लाइनें हैं—एक मुख्य लाइन है और दूसरी कोर्ड लाइन मुख्य लाइन चिदाम्बरम और थन्जाम्वुर होती हुई कुड्डा लोर से तिरुचिरापल्ली तक जाती है । कोई लाइन तिरुनेलवेली होती हुई मद्रास से मदुरा तक जाती है । जहां तक कोर्ड लाइन का प्रश्न है, पन्डयन एक्सप्रैस सहित सभी गाड़ियां ठीक गति से चलती हैं । किन्तु, मुख्य लाइन पर, गाड़ियों की रफ्तार कम है । वे दौड़ नहीं रही हैं, वे या तो टहल रही हैं अथवा चल रही हैं । गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिये कभी-कभी गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप रेल लाइनों का नवीकरण चाहते हैं ?

श्री के० माया तेवर : राज्य सरकार के मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष यह बात रखने के लिये मुझे कहा है । मैंने गाड़ियों की, जो टहल रही हैं अथवा धीमी रफ्तार से चल रही हैं, रफ्तार बढ़ाने के बारे में रेल प्राधिकारियों और रेल मंत्रालय को लिखा । मुख्य लाइन पर रेल लाइनों की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाने के बाद मैंने लिखा था । मंत्रालय ने मुझे उत्तर दिया था कि रेलमार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और कई दशकों से इसका नवीकरण नहीं किया गया है । इसलिये, मैं मंत्री जी से पूछता हूं—हमें आशा है कि रेल मंत्री हमारे प्रश्नों पर ध्यान देंगे । कम से कम रेल लाइनों का नवीकरण करने के उपेक्षित पालू पर उत्तर देंगे । महोदय, रेल पथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त है । मद्रास से तिरुचिरापल्ली तक की मुख्य लाइन पर गाड़ियां कभी ठीक तरह से नहीं चलतीं—मैं तो कहूंगा कि मेरे कथनानुसार वे बिल्कुल भी गति से नहीं चल रही हैं । क्या रेल मंत्री इस मामले की ओर ध्यान देंगे और क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि तमिलनाडू में क्षतिग्रस्त रेल मार्ग की मरम्मत हो जाये ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 61,240 कि० मी० की रेल लाइनों में से केवल 2,000 कि० मी० की रेल लाइनें खराब होने के कारण गति पर रोक लगाई गई हैं । जिस लाइन के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, उसकी ओर हम लोग अवश्य ही ध्यान देंगे और यदि रेलमार्ग की मरम्मत अथवा नवीकरण तुरन्त अपेक्षित होगा तो हम उसे भी निश्चित रूप से सम्पन्न करेंगे ।

श्री बापू साहेब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के संदर्भ में पूछना चाहूंगा । मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच है कि 1970-71 के वर्ष में रेल लाइनों में 520 बार टूट-फूट हुई जबकि 1980-81 के अन्त तक उनकी संख्या बढ़कर 4,517 हो गई और इस वर्ष जनवरी के अन्त तक रेल लाइनों में टूट-फूट लगभग 1,850 बार हुई और क्या इस समय 11,000 कि० मी० से अधिक रेल मार्ग की बदलने की आवश्यकता है और इस प्रकार की टूट-फूट रेल मंत्रालय के लिये गम्भीर चिन्ता का कारण बनी हुई है ? यदि हां, तो इस प्रकार की टूट-फूट का तेजी से बढ़ने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि 11,000 कि० मी० नहीं बल्कि 13,000 कि० मी० रेलमार्ग का नवीकरण करने की आवश्यकता है । जहां तक रेल मार्ग

के नवीकरण का प्रश्न है, 11,000 कि० मी० रेल मार्ग का नवीकरण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जायगा। हम लोग सारणी के अनुसार, हमें जो संाधन आवंटित किये गये हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। हमने और अधिक निधि की मांग की है। हम लोग और अधिक निधि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग रेल मार्ग का नवीकरण करने की ओर ध्यान दे रहे हैं। जहां अतिरिक्त नवीकरण अपेक्षित होता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। केवल 2,000 कि० मी० मार्ग ऐसा है जहां गति पर प्रतिबंध लगाया गया है।

श्री सत्यनारायण जटिया : रेल पटरियों के फ्रेक्चर से जो रेल दुर्घटनायें होती हैं वे इस बात को लक्ष्य करती हैं कि इस काम पर जितनी तवज्जह दी जानी चाहिये, वह नहीं दी जा रही है। नागदा-उज्जैन के बीच दोहरीकरण के काम का जो लक्ष्य था, वह पिछड़ गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि उसके दोहरीकरण के काम को पूरा करने के लिये कितना समय और लगेगा ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रेलों में जो फ्रेक्चर होते हैं, उन रेलवे ट्रैक्स को सुधारने के लिये कितना प्रावधान करते हैं और कितना व्यय करते हैं ? कितना-कितना प्रावधान हर वर्ष करते जाते हैं और कितना इस साल किया हुआ है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कितनी रकम व्यय की जा रही है वे आंकड़े बतलाये गये हैं। जहां तक नागदा-उज्जैन के बीच में डबल-लाइन डालने का काम है, वह बीच में बन्द किया गया था लेकिन अब उसको फिर से चालू कर दिया गया है।

श्री कमल नाथ झा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं — इस शताब्दी की जो सबसे बड़ी रेल दुर्घटनायें हुई हैं उनमें नार्थ-ईस्टर्न रेल्वे की मानसी-सहरसा के बीच की दुर्घटना सबसे बड़ी थी। वह उस क्षेत्र की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है जहां इस प्रकार की घटनायें बराबर होती रहती हैं। मानसी-सहरसा दुर्घटना में कितने लोग मरे, उनकी सरकारी फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि हजारों लोग उसमें मर गये। अभी हमारे तमिलनाडु के मित्र कह रहे थे कि रेलें दौड़ती नहीं हैं चलती हैं। इस पुराने और अन-प्रोटेक्टेड ट्रैक पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद भी रेलवे अधिकारियों की तरफ से इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये, ट्रैक को बदलने के लिये, ट्रैक के प्रोटेक्शन के लिये मेरी जानकारी में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर कोई कार्यवाही की गई है तो माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायें।

श्री मल्लिकार्जुन : मानसी-बदला घाट के बीच जो दुर्घटना हुई वह ट्रैक की खराबी की वजह से हुई हो, ऐसी सूचना नहीं मिली है। रेल फ्रैक्चर को कम करने के लिये ट्रैक को बदलने का जहां तक सुझाव है, हम वह यत्न कर रहे हैं और इसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

दक्षिण भारत में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

*294. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में कोई केन्द्रीय हिन्दी संस्थान है;

(ख) यदि नहीं तो, क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत में एक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केरल में ऐसा संस्थान आरम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का पहले से ही हैदराबाद में अपना केन्द्र है।

(ख) दक्षिण भारत में एक और संस्थान स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : महोदय, माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि दक्षिण भारत के कुछ भाग के लोग हिन्दी विरोधी आन्दोलन से प्रभावित हो जाते हैं। केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का समर्थन किया। केरल में हिन्दी के अनेक स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टरेट किये हुए व्यक्ति हैं जो इस समय बेरोजगार हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अधिक लोगों के हित में तथा और अधिक सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए केरल में एक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य की चिंता से पूरी तरह से सहमत हूं। इस विशेष प्रश्न में हमारा संबंध हिन्दी के प्रचार और प्रसार से है। अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में हिन्दी की स्थिति भिन्न है। केरल में, सारे हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में परीक्षा के लिए हिन्दी एक अनिवार्य विषय है अर्थात् पांचवीं कक्षा से ऊपर हिन्दी पढ़ना और हिन्दी सीखना लोकप्रिय है। तीनों विश्वविद्यालयों अर्थात कालीकट विश्वविद्यालय, कोचीन विश्वविद्यालय और केरल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कालेजों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर और शोध स्तर तक भी पूर्णतः सम्पन्न हिन्दी विभाग स्थापित हैं। समग्र रूप से केरल हिन्दी के प्रचार कार्य में पर्याप्त रुचि रख रहा है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह ठीक नहीं है क्योंकि केरल विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग नहीं है। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, इस भाषा का पढ़ाना आरम्भ कर दिया गया है। किन्तु केरल विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग नहीं है। माननीय मंत्री जी, इस बात से स्वयं सहमत हैं कि केरल के अनेक लोग हिन्दी सीख चुके हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि केरल में हिन्दी पढ़े-लिखे लोगों की सेवाओं का सरकार किस प्रकार उपयोग कर रही है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस संबंध में भारत सरकार का कोई प्रस्ताव है। यदि सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, तो मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, हिन्दी के प्रचार में, केरल की भूमिका पर्याप्त उत्साहवर्धक है। अब, केरल के संदर्भ में, जहां तक दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि केरल में ऐसी 9 स्वयंसेवी संगठन हैं जो हिन्दी के प्रचार में लगे हुए हैं और जिन्हें हम वित्तीय सहायता देते हैं। जहां तक सम्पूर्ण दक्षिण भारत का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि उसके लिये दक्षिण भारती हिन्दी प्रचार समिति है और जिसके माध्यम से हिन्दी के प्रचार को बढ़ावा दिया जाता है।

श्री ई० बालानन्दन : महोदय, माननीय मंत्री कह रहे थे कि केरल विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग है। क्या माननीय मंत्री जी बता सकते है कि केरल में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान क्यों नहीं खोला जा सकता ? क्योंकि इससे न केवल हिन्दी का प्रचार करने में सहायता मिलेगी बल्कि इससे उस भाग में हिन्दी को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। आप केरल में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान क्यों नहीं खोलते ?

श्री पी० के० थुंगन : हिन्दी के प्रचार कार्य में लगे हुए पहले से ही अनेक संस्थान और संगठन हैं। इसलिये ऐसा कोई दूसरा संस्थान खोलने का इस समय कोई विचार नहीं है।

श्री ई० बालानन्दन : हम एक केन्द्रीय संस्थान चाहते हैं।

— —

प्रश्नों के लिखित उत्तर

परीक्षा और उम्मीदवारों के अन्तिम चयन के बीच समय का अन्तराल

*285. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं और उम्मीदवारों के अन्तिम चयन के बीच समय का अधिक अन्तराल होने से कदाचार होते हैं;

(ख) रेलवे सेवा आयोग द्वारा सफल घोषित किये जाने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के बाद अब तक कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये और एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद अब तक कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि सफल उम्मीदवार शीघ्र से शीघ्र नियुक्त किये जायें ?

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी नहीं। लिखित परीक्षा आयोजित करने और उम्मीदवारों के अन्तिम चयन के बीच समय अन्तराल बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने के कारण होता है, कभी-कभी तो कुछ रेल सेवा आयोगों के मामले में यह संख्या 2 से 3 लाख तक हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन,

तदुपरान्त मौखिक परीक्षाओं के आयोजन और अंकों को अन्तिम रूप से तालिकाबद्ध करने में समय लगता है ।

(ख) पिछले लगभग दो वर्षों से सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित है :—

छः महीनों के बाद नियुक्तियों की संख्या 909.

एक वर्ष से अधिक समय के बाद नियुक्तियों की संख्या 410.

(ग) आम तौर पर सफल उम्मीदवारों को चयन के छः महीनों के भीतर ही नियुक्त कर दिया जाता है । तथापि, जहां प्रवरण के एक या दो वर्ष बाद रिक्त होने वाले प्रत्याशित पदों के लिए भर्ती की जाती है वहां रिक्तियां होने पर नियुक्तियां की जाती हैं ।

राष्ट्रीय खेल-कूद निकायों द्वारा एशियाई खेलों के लिए निर्णायक और कर्मचारी उपलब्ध कराया जाना

*288. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीय खेल-कूद निकायों के आगामी एशियाई खेलों में विभिन्न खेल-कूदों के संचालन के लिये जज और कर्मचारी अब तक उपलब्ध नहीं कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निकायों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध उनकी मान्यता वापस लेने, अनुदान सहायता बन्द कर देने और उनके प्रवेश पर रोक लगाने जैसी क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस मामले में क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति ने जो खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेवार है, इस मंत्रालय को सूचित किया है कि नौवें एशियाई खेलों के दौरान विभिन्न खेलों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल निकायों ने उन्हें तकनीकी अधिकारी देने के सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बर्मा में बन्दी बनाए गए भारतीयों की रिहाई

*289. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एच० एन० मन्जे गौडा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बर्मा में बन्दी 120 भारतीयों की शीघ्र रिहाई के लिए बर्मा सरकार से निरन्तर बातचीत जारी रखी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बातचीत किस चरण में चल रही है;

(ग) उनकी रिहाई के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) ये भारतीय किस प्रकार सीमा पार करके बर्मा पहुंचे थे; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ङ) बर्मा में नजरबन्द भारतीय किसी खास वर्ग के नहीं हैं कि जिनके बारे में बर्मा सरकार से बातचीत की जाय। समय-समय पर बर्मी प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करते रहते हैं जिन्हें वे भारतीय समझते हैं और यह मानते हैं कि उन्होंने बर्मा के विनियमों का उल्लंघन किया है। इनमें से अधिकांश मामले बर्मा में अनियमित प्रवेश के कारण होते हैं जिसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच लम्बी भू-सीमा है। इन बंदियों को उनकी नजरबन्दी की अवधि के अनुसार रिहा कर दिया जाता है। बर्मा के प्राधिकारियों से 6 जुलाई, 1982 को प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार इस समय 58 भारतीय बर्मी जेलों में नजरबन्द हैं। रंगून स्थित हमारा मिशन इन भारतीय राष्ट्रिकों के, जिन्हें भारतीय मूल के व्यक्तियों से अलग करके देखना होता है, कल्याण, उनकी रिहाई और आवश्यक होने पर उनकी स्वदेश वापसी के सम्बन्ध में बर्मी प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

ग्वाडार, ट्रिनकोमली और सट मार्टिन में अमेरिकी अड्डे

*291. **श्री भीकू राम जैन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्वाडार (पाकिस्तान), ट्रिनकोमली (श्रीलंका) और सेंट मार्टिन द्वीप (बंगलादेश) में अमरीकी अड्डे बनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले को सम्बन्धित पड़ोसी देशों के साथ उठाया है;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से कोई पत्राचार हुआ है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क), (ख), (ग) और (घ) सरकार ने अखबारों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि अमरीका पाकिस्तान के ग्वाडार, श्रीलंका के ट्रिनकोमली और बंगलादेश के सेंट मार्टिन द्वीप समूह में अड्डे स्थापित कर रहा है। सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगलादेश की सरकारों ने इन खबरों का जो खण्डन किया है, वह भी देखा है।

भारत सरकार हिन्द महासागर क्षेत्र में किसी विदेशी अड्डे की स्थापना के विरुद्ध है क्योंकि यह हमारी सुरक्षा और पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय की एम० ए० की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना

*295. **श्री भीखा भाई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अंकों की निम्न प्रतिशतता के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के कला तथा विज्ञान विषयों में एम० ए० कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रखा गया;

(ख) क्या सरकार की यह नीति है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० ए० की कक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को प्रवेश में रियायत न दी जाए, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान नीति क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1980-81 के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० ए० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 5% की रियायत दी गई थी। एम० एस० सी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये इन श्रेणियों के छात्रों को अंकों के पूर्ण योग में अथवा लिए गये विषय में अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में 5% की रियायत दी गई थी। पात्रता की इन शर्तों को पूरा न करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों की प्रवेश नहीं दिया गया।

(ख) और (ग) सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, 20% स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित किये जाते हैं तथा उन्हें किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अपेक्षित अंकों की प्रतिशतता में 5% की रियायत भी दी जाती है। सरकार ने यह सुझाव दिया है कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित 20% स्थान बिना भरे रह जाते हैं तो विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा अंकों में और रियायत देने के प्रस्ताव पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सकता है, ताकि आरक्षित स्थानों को इन श्रेणियों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सके।

उड़ीसा सरकार द्वारा परादीप बंदरगाह के लिए मांगी गयी सहायता

*296. **श्री के० लकप्पा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को परादीप बंदरगाह के आर्थिक परिचालन में हस्तक्षेप करने तथा सहायता देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा मांगी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र ने इस बारे में कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार ने परादीप पत्तन पर माल के यातायात की वृद्धि करने के उपायों के बारे में भारत सरकार से लिखा पढ़ी की है। इसमें मुख्य रूप से खनिज लोहे का निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

(ग) और (घ) परादीप पत्तन पर खनिज लोहे के यातायात में कमी होने के बारे में केन्द्रीय सरकार भी चिन्तित है और संबंधित संगठनों से इस संबंध में कई बार विचार-विमर्श किया गया है। खनिज और धातु व्यापार निगम ने, जो खनिज लोहे का निर्यात करता है, बताया है कि परादीप से निर्यात किया अधिकांश खनिज लोहा ढेलों के रूप में होता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 'फाईन' लोहे को तरजीह दी जाती है। विश्व भर को खनिज लोहे के निर्यात का मार्केट भी मन्दा है। परादीप पत्तन पर 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० से बड़े जहाज आ जा नहीं सकते। खनिज और धातु व्यापार निगम से इस पत्तन से नये क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाओं को पता लगाने के लिये अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय से परादीप पत्तन द्वारा उर्वरक के आयात में वृद्धि करने के लिये अनुरोध किया गया है जिससे यहां पर यातायात में वृद्धि की जा सके।

राज्यों में महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में संशोधन

*297. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने यह मांग की है कि उनके वेतन में संशोधन हो जाने तक, जोकि पांच वर्ष पहले हो जाना चाहिये था, उन्हें अन्तरिम राहत दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो सब के लिये एक समान सिफारिशें करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार को वेतन में संशोधन किये जाने तक अंतरिम सहायता के लिये किसी मांग की जानकारी नहीं है और न ही यह मान लेना सही है कि वेतन में संशोधन पिछले पांच वर्षों से विलम्बित पड़ा हुआ है। तथापि, सरकार को अध्यापक संगठनों से कुछ ज्ञापन प्राप्त हुये हैं जिनमें उनके वेतन-मानों में और संशोधन की मांग की गई है। विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमान 1.1.1973 से, जिस तारीख से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मान संशोधित किये गये थे, संशोधित किये गये हैं। अतः अध्यापकों के वेतन-मानों में और किसी

संशोधन पर तभी विचार किया जायेगा जब कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के बारे में ऐसा कोई निर्णय लिया जायेगा।

औषधि से निष्प्रभावित रहने वाले मलेरिया रोगाणु

*298. **श्री नीरेन घोष :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया के ऐसे रोगाणुओं का पता चला है जिन पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता;

(ख) इसके कारण भारत में कितने लोग मलेरिया से पीड़ित हैं;

(ग) ये रोगाणु मूलत: कहां से और कैसे भारत में आए तथा फैले;

(घ) क्या कोई प्रभावकारी वैकल्पिक औषधि खोज ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत उस औषधि का उत्पादन कर रहा है;

(च) सरकार मच्छरों की रोकथाम के लिये क्या उपाय कर रही है; और

(छ) क्या मलेरिया के उन्मूलन के लिये कोई आपात उपाय किये जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मलेरिया विषाणु-जनित रोग नहीं है। वैसे, कुछेक मामलों में एक खास किस्म के मलेरिया परजीवी अर्थात् पी० काल्सीपेरम में क्लोरोक्विन को हजम करने की शक्ति पायी गई है। 1981 के दौरान लगभग 5,74,814 रोगी दर्ज किये गये।

(ग) सबसे पहले यह रोग थाइलैण्ड में हुआ बतलाया जाता है। उसके बाद यह कुछेक दक्षिण-पूर्वी देशों में फैला जिसमें इंडोनेशिया, बंगलादेश, वर्मा आदि भी शामिल हैं। भारत में यह पहले पहल 1973 में असम के कार्बी-एंगलोंग जिले में हुआ बतलाया जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) भारत इनमें से कुछेक औषधियां बना रहा है।

(च) और (छ) सरकार वेक्टर के नियंत्रण के लिये उपाय कर रही है जैसे कीटनाशी औषधियों का छिड़काव और लार्वा-नाशक उपाय।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए धन राशि का उपयोग

*299. **श्री चिंगवांग कोयक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव के लिये उपलब्ध की गई धनराशि का पूरा उपयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है;

(ख) क्या देश में राष्ट्रीर राजमार्गों का उचित रख-रखाव न होने के कारण ईंधन लागत और वाहन चालन लागत बढ़ी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के वेहतर रख-रखाव के लिये धन राशि के उपयोग की सही समय पर पुनरीक्षा करने की प्रणाली तैयार करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिये जितनी भी धनराशि उपलब्ध है, वह संपूर्ण रूप से इसी कार्य पर खर्च की जा रही है। इन राजमार्गों को समस्त आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद यातायात के लायक ठीक रखा जाता है। ईंधन की खपत और परिचालन खर्च कई कारणों पर निर्भर करता है जैसे गाड़ी का डिजाइन और हालत, यातालात की मात्रा और प्रकृति, सड़कों की हिजाइन और ढाल आदि। इन कारणों में सड़कों का अनुरक्षण भी एक कारण है। राजमार्गों के फर्श को अच्छा रखने से ईंधन की खपत होती है। सरकार सड़कों के अनुरक्षण की नियमित रूप से समीक्षा करती रही है। इस कारण अनुरक्षण के लिये भी निधि में लगातार वृद्धि की गयी है।

इंडियन रेलवेज फार्मासिस्ट्स एसोसिएशन. पांडू का सम्मेलन

*300. **श्री अजय विश्वास : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 18 अप्रैल, 1982 को पांडू. गौहाटी में आयोजित इंडियन रेलवेज फार्मासिस्ट्स एसोसिएशन के सम्मेलन में स्वीकृत किया गया कोई संकल्प प्राप्त हुआ है;

(ख) उपरोक्त संकल्प में किन मांगों को उठाया गया है;

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भारतीय रेलवे फार्मासिस्ट एसोसिएशन रेलों पर कार्यरत एक गैर-मान्यताप्राप्त अनुभागीय संगठन है तथा 18-4-1982 को पांडु में आयोजित सम्मेलन में उनके द्वारा पारीत संकल्पों की एक प्रति रेल मंत्रालय को प्राप्त हुई थी। एसोशिएशन द्वारा प्रस्तुत की गयी मांगें फार्मासिस्टों को तकनीकी कर्मचारियों के रूप में मान्यता, वेतनमानों में संशोधन, पदोन्नति के अवसरों का प्रावधान आदि जैसे मामलों से संबंधित हैं।

जैसा कि संसद में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार को कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों द्वारा रखी गयी मांगों पर एक समाकलित दृष्टिकोण रखना पड़ता है और मामले पर उचित कार्रवाई करनी होती है। इस नीति की पृष्ठभूमि में भारतीय रेलवे फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा रखी गयी मांगों की गुण-दोष के आधार पर जांच की गई है और उन पर समुचित कार्रवाई की गयी है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में दुर्घटनायें

*301. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 1 जनवरी, 1982 से अब तक कुल कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सभी दुर्घटनाएं कुछ बदमाशों द्वारा की गई तोड़-फोड़ के कारण हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो मत्रालय ने वहां यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 50 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई । इनमें से केवल दो दुर्घटनाओं के संबंध में ऐसी शंका है कि ये तोड़-फोड़ का परिणाम हो सकती हैं । पुलिस द्वारा इनकी जांच की जा रही है ।

(ग) निम्नलिखित तोड़-फोड़ विरोधी उपाय किये गये हैं :—

(i) रेल पथ की इंजीनियरी गैंगमैनों, ग्राम सुरक्षा पार्टियों और होम गार्डों द्वारा रेल पथ पर गश्त लगाना । भेद्य खंडों पर रात के समय रेलवे सुरक्षा विशेष आपात-कालीन बल के जवानों को तैनात किया जाना ।

(ii) भेद्य खंडों पर फिश प्लेट बोल्टों को चपटा कर दिया जाता है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम का कार्यान्वयन

*302. **श्री जैनुल बशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हाल ही में संशोधित किये गये अधिनियम के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981, 10 फरवरी, 1982 से लागू हुआ । इसके परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के कोर्ट, कार्यकारी परिषद तथा शैक्षिक परिषद को संविधियों में शामिल उपबन्धों के अनुसार, जो संशोधित अधिनियम का भाग है, पुनर्गठित किया जाना है । इन निकायों को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में अभी तक निम्नलिखित प्रगति की गई है :—

(i) **कोर्ट** : अध्यापकों के प्रतिनिधियों का चुनाव पूरा हो गया है। गैर-अध्यापन कर्मचारियों और छात्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव शीघ्र होने वाला है। पुराने छात्रों के संघ तथा अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन से अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए कहा गया है। संसद सदस्यों का चुनाव चालू सत्र के दौरान किये जाने की सम्भावना है। विजिटर द्वारा नामांकन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। पात्र दाताओं की सूची का संकलन किया जा रहा है, ताकि उनके प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था की जा सके। बाद में शेष सदस्यों को चुनने के लिए कोर्ट की एक बैठक, जिसमें पदेन सदस्य तथा उपर्युक्त चुने हुए और नामजद सदस्य शामिल होंगे, बुलाई जाएगी।

(ii) **कार्यकारी परिषद** : प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चररों के प्रतिनिधियों का चुनाव हो चुका है और इसके परिणाम घोषित कर दिये गये हैं। विजिटर के नामजद व्यक्तियों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया गया है। मुख्य रेक्टर को अपने-अपने प्रतिनिधि नामजद करने के लिए अनुरोध किया गया है। कोर्ट का गठन करने के बाद ही कोर्ट के प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। कार्यकारी परिषद के सभी अन्य सदस्य पदेन हैं तथा उनको औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाना है।

(iii) **शैक्षिक परिषद** : शैक्षिक परिषद में छात्रों के चयन के लिए कदम उठाये गये हैं। चुनाव आयोजित करने के लिए चुनाव अधिकारी पहले से ही नियुक्त किया जा चुका है।

पत्राचार पाठ्य पुस्तकों में सुधार करना

*303. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय समझी जाने वाली उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जो पत्राचार कार्यक्रम चला रही हैं;

(ख) पत्राचार पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को नया रूप देने विशेषकर उनके शैक्षिक सत्र अनवरत रूप से चलाये रखने तथा उचित समन्वयन बनाए रखने के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार और सप्लाई करने तथा सम्पर्क कार्यक्रमों की व्यवस्था करने से संबधित पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4360/82]

जहाज निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए नौवहन विकास निधि समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र

*304. **श्री एन० डेनिस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जहाज निर्माण गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता के अनुरोध के नौवहन विकास निधि समिति को कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) कितने मामलों में वित्तीय सहायता (एक) प्रदान की गयी, और (दो) प्रदान नहीं की गयी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जहाज निर्माण के आवेदनों का विवरण जिन पर नौवहन विकास निधि समिति द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए पिछले तीन वर्षों में विचार किया गया।

अवधि	विचार किए गए आवेदनों की संख्या	नौवहन विकास निधि समिति द्वारा वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
(i) 1979-80	6	4	2
(ii) 1980-81	14	13	1
(iii) 1981-82	19	17	2

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को किताबों और बर्दियों की नि:शुल्क सप्लाई

3119. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को किताबें और बर्दियां नि:शुल्क दी जाती है;

(ख) क्या इसके सम्बन्ध में कोई भेदभाव है;

(ग) क्या इन स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दैनिक वेतन में एकरूपता है; और

(घ) क्या यह सच है कि पानी वालों और सफाई वालों, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी समझे जाते हैं; उनको 6 रु० प्रतिदिन दिया जाता है जबकि इन स्कूलों के अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 11 रु० प्रतिदिन दिया जाता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों को 190-6-232 रु० के निर्धारित वेतनमान में वेतन तथा सामान्य भत्ते अदा किए जाते हैं। अंश-कालिक पानी वालों को 174 रु० प्रति माह नियत वेतन दिया जाता है। सफाई कर्मचारियों को निम्न प्रकार वेतन दिया जाता है :—

(i) 60 रु० प्रति माह (नियत), जिन स्कूलों में दाखिल बच्चों की कुल संख्या 250 से कम है।

(ii) 84 रु० प्रति माह (नियत), जिन स्कूलों में दाखिल बच्चों की संख्या 251 से 500 के बीच है।

(iii) 108 रु० प्रति माह (नियत), जिन स्कूलों में दाखिल बच्चों की संख्या 500 से अधिक है।

नागरकोयल-तिरुनेलवेलि लाइन पर ठेका श्रमिक प्रणाली

3121. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, नागरकोयल-तिरुनेलवेलि लाइन पर रेलवे द्वारा, छंटनी हुए वर्तमान नैमित्तिक श्रमिकों की उपेक्षा करते हुए ठेका श्रमिक प्रणाली शुरू करने के विरोध में तिरुनेलवेलि त्रिवेन्द्रम रेलवे एम्पलाइज यूनियन (सी० आई० टी० यू०) नागरकोयल की ओर से 3 मई, 1982 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यह अभिवेदन किया गया है कि जिन श्रमिकों ने नागरकोइल-तिरुनेलवेलि लाइन पर वर्षों तक कार्य किया था उनको यह कहते हुए छंटनी कर दी गयी है कि कार्य पूरा हो गया है। कुछ श्रमिकों ने, जिनकी छंटनी कर दी गयी है, केरल उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और जबकि मामला खंडपीठ के विचाराधीन पड़ा है, प्रबन्धकों की ओर से सभी बकाया कार्यों, विशेषकर गिट्टी डालने के काम और लिंकिंग कार्य को एक निजी ठेकेदार को दे दिया गया है।

(ग), (घ) और (ङ) नागरकोइल-तिरुनेलवेलि लाइन पर शेष कार्य अपेक्षाकृत रूप से बहुत छोटे-छोटे हैं जिनके लिए कोई नियमित श्रमिक बल अपेक्षित नहीं है। गिट्टी डालने के काम के लिए एक बड़े श्रमिक बल को बनाकर रखना भी औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि यह कार्य छोटी-मोटी किस्म का होता है। अतएव, एक प्रोगात्मक उपाय के रूप में, गिट्टी डालने का काम एक ठेका एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है। एक अन्य खंड पर 6 कि० मी० रेलपथ को जोड़े जाने (लिंकिंग) के कार्य को हाल ही में ठेके पर दिया गया है जो कि विभागीय लिंकिंग की अपेक्षा अधिक सस्ता और तीव्र पाया गया है।

किसान व्यवहारिक सारक्षता योजना

3122. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां किसान व्यवहारिक साक्षरता योजनाएं अब तक शुरू की जा चुकी हैं;

(ख) क्या ऐसी कोई योजना उड़ीसा में भी शुरू कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अधीन उस राज्य में कुल कितने किसान व्यवहारिक साक्षरता केन्द्र खोले गये हैं; और

(घ) उड़ीसा में इस योजना के चालू हो जाने से कितने अनपढ़ किसानों को लाभ मिल रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) किसान कार्यात्मक साक्षरता योजना को उस योजना में मिला दिया गया है, जो अब ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना योजना के नाम से विख्यात है और इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया गगा है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उड़ीसा में 30 जून, 1982 को ग्रामीण कार्यात्मक सारक्षता योजना के अन्तर्गत दाखिल किसानों और कार्यकर रहे केन्द्रों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

		ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता यीजना के अन्तर्गत
केन्द्रों की संख्या	—	3,302
दाखिल किसान	—	99,000

यह दाखिला केवल किसानों के लिए नहीं है अपितु इसमें 15-35 आयु वर्ग के सभी निरक्षर प्रौढ़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन के लिए 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 18,000 प्रौढ़ निरक्षर अन्य योजनाओं में सम्मिलित हैं।

कुष्ठ रोगी और उनके इलाज के लिए सरकारी अस्पताल

3123. **श्री चिन्ता मणि जैना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुष्ठ रोगियों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए कितने सरकारी अस्पताल हैं;

(ग) उनके इलाज के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह और न फैल सके;

(ङ) देश में विद्यमान कुष्ठ उपचार गृहों की संख्या क्या है और वे कहां स्थित है; और

(च) क्या सरकार छठी योजनावधि के दौरान ऐसे और गृह खोलने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 1971 के अनुमानों के आधार पर देश में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या अनुबंध I में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4361/82]

(ख) कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए प्रत्येक राज्य में जितने सरकारी अस्पताल हैं, उनकी संख्या अनुबंध II में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4361/82]

(ग) कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें, एस० ई० टी० केन्द्र तथा नगरीय कुष्ठ केन्द्र खोलकर उनके माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर चलाए जा रहे बाह्य क्लिनिकों में कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा रोगियों के उपचार हेतु पलगों की संख्या बढ़ाकर 32,700 कर दी गई है।

(घ) यह सूचना अनुबंध III में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4361/82]

(ङ) देश में कुष्ठ गृहों और स्वयं बसाई गई कालोनियां कितनी और कहां-कहां हैं, इसका ब्यौरा अनुबंध IV में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4361/82]

(च) जी, नहीं ।

सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन लाभ

3124. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री सेवा-निवृत्त अध्यापकों को पेन्शन लाभ के बारे में । अप्रैल 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6461 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न में पूछी गई जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रश्न में पूछे गये ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और जानकारी किस निश्चित तारीख तक एकत्र एवं उपलब्ध करा दी जायेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि यह मामला दिल्ली नगर निगम की सेवा से, 1-4-1971 से अर्थात् दिल्ली नगर निगम में पेंशन के लाभ लागू होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों को पेंशन का लाभ लागू प्रदान करने से संबंधित है पहले उन अध्यापकों की सेवाएं जिला बोर्ड से दिल्ली नगर निगम को स्थानांतरित कर दी गई थी और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखें 1965 से 1970 की अवधि के बीच पड़ती हैं, अर्थात् दिल्ली नगर निगम में पेंशन नियम लागू होने से पहले 1958 में निगम की स्थापना के समय वहां पेंशन योजना नहीं थी । दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना 1-9-1971 से लागू की गई । इसलिए जो व्यक्ति इस योजना के लागू होने की तारीख से पहले म्यूनिसिपल सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए थे उनके मामले पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए शामिल नहीं किए जा सकते ।

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, गंगापुर नगर से अभ्यावेदन

3125. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, गंगापुर शहर कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) से दिनांक 8 मई, 1982 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं, और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में श्री दीप नारायण पाठक, ड्राइवर ग्रेड 'बी' जो ग्रेड 'ए' में पदोन्नत हो गये थे, की वरिष्ठता के मामले का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) इस मामले पर पश्चिम रेलवे के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

71 अप/72 डाउन तेज यात्री गाड़ी को जयनगर तक बढ़ाना

3126. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल मंत्री** 71 अप/72 डाउन तेज यात्री गाड़ी को जयनगर तक बढ़ाने के बारे में 29 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मई, 1982 से शुरू की गयी जयनगर वाराणसी कोच को वाराणसी पर लगभग 12 घंटे रुकना पड़ा था जिसके कारण इस डिब्बे में यात्रा न करके बरौनी से वाराणसी पहुंचने हेतु तीन गुना से भी अधिक समय लगा था;

(ख) यदि हां, तो जयनगर से वाराणसी के लिए कोई भी यात्री उस कोच से न तो यात्रा करता है न ही कर सकता है; और

(ग) क्या 71 अप/72 डाउन तेज यात्री गाड़ियों को अस्थायी आधार पर जयनगर तक बढ़ाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जयनगर-वाराणसी की दिशा में बरौनी में मेल लेने का समय 12 घंटे तक वापसी की दिशा में 10 घंटे 10 मिनट है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

सुरक्षित नौवहन के लिए प्रकाश स्तम्भ तथा सुविधायें

3127. **श्री के मालन्ना** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की उस लम्बी तटवर्ती पट्टी संबंधी ब्यौरा क्या है जिस पर प्रतिकूल मौसम के समय सुरक्षित नौवहन में सहायता करने हेतु अत्याधुनिक प्रकाश स्तम्भी, दृश्य, ध्वनि तथा इलैक्ट्रोनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत इस मामले में एक उन्नत देश है और प्रकाश-स्तम्भ प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने अत्याधुनिक श्रव्य तथा दृश्य संकेत प्रणाली प्रदान करने में भारत की विशेषता को मान्यता दी है; और

(ग) यदि हां, तो कुछ देशों ने भी भारत से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारत के लगभग 6900 कि० मी० के संपूर्ण समुद्री तट पर जिसमें लक्षद्वीप द्वीपसमूह और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शामिल है, आधुनिक द्वीपगृह मौजूद हैं, जिनमें से कुछ दृश्य, ध्वनि और इलैक्ट्रोनिक साधनों से सुसज्जित हैं ।

(ख) जी, हां । दि इण्टर नैशनल एसोसिएशन आफ लाईट हाउस अथार्टीज ने यह स्वीकार किया है कि भारत के पास नौचालन के आधुनिकतम और नये साधन हैं । इस स्वीकारोक्ति की पुष्टि के रूप में, भारत को दि इण्टर नैशनल एसोसिएशन आफ लाईट हाउस अथार्टीज की कार्यकारी समिति का सदस्य चुना गया है जो एक प्रतिष्ठित संस्था है ।

(ग) जी, हां । तंजानिया और सिंगापुर की सरकारों ने अपने यहां नौचालन के साधनों की स्थापना करने/उनमें सुधार करने के लिए भारत से मार्गदर्शन करने को कहा था ।

उप औषध नियंत्रक/सहायक औषध नियंत्रक के रिक्त पद

3128. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध संगठन ने लगभग तीन वर्षों से उप-औषध नियंत्रक (भारत) के 50 प्रतिशत पद और सहायक औषध नियंत्रक (भारत) के कुछ पदों को नहीं भरा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और यह पद किन तिथियों से रिक्त पड़े हैं और उनके नहीं भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे ऊंचे संवर्ग में भारी संख्या में रिक्त पदों के होने से यह संगठन नकली और घटिया स्तर की औषधियों की समस्या हल करने में असमर्थ हो गया है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इनको कब भरा जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बैन एम० जोशी) :

(क) से (घ) उप औषध नियंत्रक और सहायक औषध नियंत्रक के रिक्त पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

उप औषध नियंत्रक :

तीन पद रिक्त हैं, पहला 31 दिसम्बर, 1979 से, दूसरा 30 दिसम्बर, 1980 से और तीसरा 25 जुलाई, 1981 से । उप औषध नियंत्रक का एक पद संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापित किया था क्योंकि यह जन जातीय उम्मीदवार के लिए आरक्षित था । वे इस पद पर

नियुक्ति के लिए किसी भी उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश नहीं कर सके। जैसे कि आयोग ने सलाह दी है कि यह पद छः महीने के बाद पुनः विज्ञापित किया जाएगा।

उप औषध नियंत्रक के एक पद के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अभी विचार किया जा रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है कि वे जून, 1981 में संशोधित किए गये भर्ती नियमों के अनुसार एक पद को पदोन्नति से भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाएं।

सहायक औसध नियंत्रक

(दो पद रिक्त हैं)

(1) एक पद पदाधिकारी की अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण 25.8.79 से रिक्त पड़ा है।

(2) दूसरा पद पहली मार्च, 1980 से रिक्त है।

विभागीय पदोन्नति समिति ने जिस उम्मीदवार की सिफारिश की थी, उसने घरेलू परिस्थितियों के कारण तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। शीघ्र ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पुनः बुलाई जाएगी।

इन रिक्त पदों के कार्य की देख-रेख के लिए आन्तरिक व्यवस्था कर दी गई है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की कैंटीन एम्पलाइज यूनियन की ओर से ज्ञापन

3129. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की केंटीन एम्पलाइज यूनियन की ओर से दिनांक 13 अप्रैल, 1982 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में यूनियन द्वारा उठाये गये मुद्दों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना कैंटीन कर्मचारी यूनियन से निम्नलिखित मांगों के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है : -

(1) सभी रेलवे कैंटीन स्टाफ कर्मचारियों को बोनस, पेंशन, उपदान, क्वार्टर, मकान किराया भत्ता आदि सहित सभी लाभों तथा सुविधाओं सहित नियमित रेल कर्मचारी के रूप में माना जाय तथा उनकी सेवा अवधि को उनकी कैंटीन में नियुक्ति की तारीख से माना जाये; और

(2) अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 14(2) और रेल कर्मचारियों की बर्खास्तगी, निलम्बन और पेनल स्थानान्तरण को वापस लिया जाये ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) कैंटीन के कर्मचारी अपनी-अपनी प्रबन्ध समितियों के कर्मचारी हैं और उन्हें रेल कर्मचारी नहीं माना जा सकता है । प्रसंगवश गैर-सांविधिक कैंटीनों के कुछ कर्मचारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी है जिसमें उन्होंने उन्हें वही लाभ दिये जाने का अनुरोध किया है जो सभी सांविधिक कैंटीनों तथा दिल्ली स्थित ।। गैर-सांविधिक कैंटीनों के कर्मचारियों को दिये गये हैं और यह मामला न्यायाधीन है ।

(2) अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सामान्य रूप से लागू होते हैं तथा ये रेल कर्मचारियों और ऐसे किसी भी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं जो इन अधिनियमों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है तथा उनपर उनमें उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है और रेल मंत्रालय द्वारा एकतरफा कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

विशिष्ट त्रुटियों और भूलों के लिए अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार दिये जाने वाले विभिन्न दंडों को वापिस नहीं लिया जा सकता । अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत जिस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है उसे संगत प्रक्रिया के अनुसार दंड देने वाले प्राधिकारी से अगले उच्च अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार है ।

जहां तक स्थानान्तरण का सम्बन्ध है, यह दंड नहीं होता बल्कि इसे प्रशासनिक हित में किया जाता है । यहां भी उचित मामलों में कर्मचारियों को अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं ।

प्रकाश गृह

3130. **श्रीमती संयोगिता राणे : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकाश गृहों में आधुनिक दृश्य तथा इलेक्ट्रोनिक सहायक उपकरण लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। सिर्फ चुने हुए दीपघरों में आधुनिक दृश्य तथा इलेक्ट्रोनिक सहायक उपकरण लगाये गए हैं।

(ख) जहाजों के नौचालन के लाभ के लिए निम्नलिखित 13 दीपघरों में से प्रत्येक में प्रकाश और इलेक्ट्रोनिक रेडियो बीकन ट्रांसमीटर लगाये गये हैं :

स्थान	राज्य
ओखा और ड्यूऐड	गुजरात
खंडेरी द्वीपसमूह और बेंगुरला रौक	महाराष्ट्र
पांडिचेरी	पांडिचेरी संघ प्रशासन
सूरत कल	कर्नाटक
पेरियर रिवर	केरल
अंतरवेदी और डौलफिन्स नोज	आंध्र प्रदेश
फाल्स प्वाइंट	उड़ीसा
सागर द्वीपसमूह	पश्चिम बंगाल
मिनिकाय	लक्षद्वीप का संघ प्रशासन
कीटिंग प्वाइंट	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

निम्नलिखित 6 दीपघरों में भी रडार ट्रांसपोडर बीकन लगाये गये हैं जो जहाजों को रेंजिंग के बारे में बिलकुल ठीक सूचना देते हैं :—

स्थान	राज्य
ओखा, मांडवी, वुरल, कच्चीगढ़ और द्वारका	गुजरात
कोचीन	केरल

इनके अलावा जहाजों को नौचालन के बारे में ठीक-ठाक मार्गदर्शन करने के लिए 12 इलैक्ट्रानिक ट्रांसमीटर स्टेशन नीचे लिखे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं :—

स्थान	राज्य
मांडवी, कुरंग, धुवाओ, नलिया, सावरकुंडला, बिलीमोरा, वेरावल और छंगधरा	गुजरात
बालासीर और पटपड़	उड़ीसा
विषणुपुर और डायमंड हारबर	पश्चिम बंगाल

धनबाद डिवीजन में रेल कर्मचारियों के निलम्बन के मामले

3131. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन के सम्बन्ध में जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक की अवधि से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों के निलम्बन और उनके विरुद्ध मामले दर्ज करने के कितने मामले हैं;

(ख) कर्मचारियों को कितने बड़े और छोटे दण्डात्मक आरोप पत्र जारी किये गये और अपराध/दुर्व्यवहार का सारांश क्या है;

(ग) दिये गये दंड का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार दंडित कर्मचारियों की कुल कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(ङ) इस अवधि में कुशलता में तथा सुरक्षित कार्यकरण में कितना सुधार हुआ ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एशियाड के लिए कार्मिकों के चयन का आधार

3132. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम् एशियाई खेलों के आयोजन के लिये कुल कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और उनके लिये कितने अस्थायी कार्यालय बनाये गये हैं;

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों के चयन का क्या आधार है और उनकी क्या सेवा शर्तें हैं;

(ग) उपरोक्त नियुक्त किये गये व्यक्तियों, यथा क्लर्क, अधिकारी, गाइड, इन्टरप्रेटर आदि के प्रमुख संवर्ग क्या है;

(घ) उनके वेतन, परिलब्धियों या मानदेयों की दरें क्या हैं; और

(ङ) सरकारी, अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों के कितने व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है और कितने सीधे भर्ती किये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विशेष आयोजन समिति, ने जिसे भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन द्वारा नवें एशियाई खेलों को आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है, अब तक विभिन्न वर्गों के 276 अधिकारियों को नियुक्त किया है ।

(ख) विशेष आयोजन समिति द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति आधार पर किया गया अधिकारियों का चयन उनके सेवा रिकार्ड पर आधारित है। ये चयन, विशेष आयोजन समिति की एक समिति द्वारा किए जाते हैं। खुले बाजार से नियुक्त अधिकारियों का चयन का आधार उनकी अर्हताएं तथा अनुभव हैं। इन लोगों का चयन भी इसी समिति द्वारा किया जाता है।

विशेष आयोजन समिति में अप्रतिनियुक्ति के आधार पर लिए गए एक अधिकारी को यह छूट है कि वह :

(i) विशेष आयोजन समिति में अधिकारी जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसका वेतन मान स्वीकार कर लें;

(ii) अपने मूल विभाग के मूल वेतन पर 25 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति (कार्यभार) भत्ता/विशेष वेतन प्राप्त करें बशर्ते कि वह राशि 300/- रु० प्रति मास से अधिक न हो।

सीधे तौर पर नियुक्त लोग अपने-अपने वेतनमान पाने के पात्र हैं, जो भारत सरकार के ऐसे ही पदों के वेतनमानों के समकक्ष हैं।

(ग) और (घ) विशेष आयोजन समिति के सचिवालय में नियुक्त 276 अधिकारियों के रैंक, संख्या तथा वेतनमान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) 276 अधिकारियों में से, 222 अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया गया है, 48 अधिकारियों को खुले बाजार से नियुक्त किया गया है, और 6 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया है।

विवरण

क्र० सं०	रैंक	नियुक्त लोगों की सं०	वेतनमान
1	2	3	4
1.	अपर महासचिव	2	(1.2500-2750 के वेतनमान में, 2,2000/- रु०
2.	सलाहकार	5	के निश्चित वेतन में, और 2, 1/- रु० प्रति मास मानदेय पर)
3.	अपर सलाहकार	1	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण के आधार पर।

1	2	3	4
4.	निदेशक	13	2000—2250/- रु०
5.	विशेष कार्याधिकारी (मुद्रण)	1	1800—2000/- रु०
6.	उप-सचिव	4	1500—2000/- रु०
7.	संयुक्त निदेशक/अवर सचिव	14	1500—1800/- रु०/1200 —1600/- रु०
8.	उप-निदेशक	2	1100—1500/- रु०
9.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1200—1600/- रु०
10.	सम्पादक हिन्दी	1	1100—1600/- रु0
11.	सहायक सम्पादक (हिन्दी)	1	700 – 1300/- रु०
12	सहायक प्रैस अधिकारी	1	700—1300/- रु०
13.	लेखा अधिकारी	2	840—1200/- रु०
14.	सहायक निदेशक	13	650—1200/- रु०
15.	परिवहन अधिकारी	1	650—1200/- रु०
16.	निजी सचिव	10	650 —1200/- रु०
17.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	4	500—900/- रु०
18.	सहायक	44	425—800/- रु०
19	आशुलिपिक ग्रेड-ग	45	425—800/- रु०
20.	प्रूफ रीडर	2	425—800/- रु०
21.	ड्राफ्टसमेन	3	425—800/- रु०
22.	टेबुलेशन सहायक	3	425—800/- रु०
23.	अपर श्रेणी लिपिक	18	330—560/- रु०
24.	कनिष्ठ लेखापाल	1	330—560/- रु०
25.	आशुलिपिक ग्रेड-घ	16	330—560/- रु०
26.	अवर श्रेणी लिपिक	40	260 400/- रु०
27.	टेलेक्स ओपरेटर	1	260—400/- रु०
28.	वाहन चालक (ड्राईवर)	8	260—400/- रु०/260—350/- रु०
29.	गस्टेटनर आपरेटर	2	260—350/- रु०
30.	दफ्तरी	2	200—250/- रु०
31.	फराश/चौकीदार	6	196—232/- रु०
32.	संदेश वाहक	6	196—232/- रु०
33.	सफाई कर्मचारी	3	196—232/- रु०
	कुल	276	

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, अनिवार्य जमा योजना (सी० डी० एस०) समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना

3133. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, अनिवार्य जमा योजना (सी. डी. एस.), समयोपरि भत्ते का भुगतान न करने के बारे में 15 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7960 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० युंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जैसा कि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है, केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चौकीदार) की सेवा पुस्तिका इधर-उधर हो गई थी। एक दूसरी सेवा पुस्तिका तैयार करने के लिए उपाय किये गये हैं। दिल्ली नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मचारिवों को मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है। उन्हें अनिवार्य जमा योजना की किस्तों का भी भुगतान किया गया है। इसके अलावा, वर्दी के बदले में राशि का भी उन्हें भुगतान किया गया है। जिन चौकीदारों के लिए अधिक समय देना अपेक्षित होता है, उन्हें आवर्तक भत्ता दिया जाता है। उन्हें समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता।

राज्यों में महिलाओं के लिए पौलिटेकनिक

3134. **श्री बाबा साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महिला वैज्ञानिकों को अवसर सुलभ कराने हेतु विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से महिलाओं के लिये और अधिक पौलिटेकनिक खोलने के लिये कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन सालों के दौरान प्रत्येक राज्य में महिलाओं के लिए कितने पौलिटेकनिक खोले गये हैं; और

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिये पौलिटेकनिक खोलने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में, शिक्षा सत्र 1982-83 में कितने पौलिटेकनिक खोले गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) विद्युती आयोग द्वारा नियुक्त कम्प्यूटर जनशक्ति विकास के पैनल की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय किया है कि छठी योजना के दौरान विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों को चरणों में शुरू किया जाए। कार्यक्रम कर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि बी० एस० सी० स्तर पर पुनर्गठित पाठ्यक्रमों में, सम्बन्धित विषयों सहित, कम्प्यूटर विज्ञान को अध्ययन के एक विषय के रूप में शुरू किया जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम सभी पात्र छात्रों के लिये होंगे और पुरुष तथा महिला वैज्ञानिकों के बीच कोई भेदभाव रखने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) महिला पोलिटेकनिक की स्थापना को वरीयता दी जाती है तथा उसे उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए तीन निम्नलिखित पोलिटेकनिक स्थापित किए हैं :—

	पोलिटेकनिक का नाम	राज्य	वर्ष
1.	महिला पोलिटेकनिक, तिरूपति	आंध्र प्रदेश	1979
2.	महिला पोलिटेकनिक, भुवनेश्वर	उड़ीसा	1980
3.	बालिका पोलिटेकनिक, कानपुर	उत्तर प्रदेश	1982

(ङ) शैक्षिक वर्ष 1982-83 के लिए न तो महाराष्ट्र और न ही किसी अन्य राज्य के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा विचाराधीन है।

स्टेडियमों का एशियाड '82 के उपरान्त उपयोग

3135. **श्री अजित बाग :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाड '82 के खेल के उपरांत स्टेडियमों का उपयोग करने की सरकार की प्रत्येक स्टेडियम के संबंध में क्या योजना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : सरकार का यह इरादा है कि स्टेडियमों के रूप में सृजित खेल सुविधाओं का एशियाई खेलों के समाप्त हो जाने के बाद भी मोटे तौर पर खेल प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाए।

मेहनर रोड से ढोली स्टेशन तक के बीच रेलवे लाइन का निर्माण

3136. **श्री राम विलास पासवान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहनर रोड से ढोली स्टेशन के लिये कोई सीधी रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि ये दोनों ही स्थान महत्वपूर्ण हैं तथा इनके बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है;

(ग) क्या वहां के लोग और उनके प्रतिनिधि इसे रेलवे लाइन के निर्माण के लिए बार-बार अनुरोध करते रहे हैं; और

(घ) मेहनर रोड और ढोली स्टेशनों के बीच सीधी रेलगाड़ी सेवा शुरू करने के लिए सरकार कब आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर बड़ी लाइन खंड पर धोली एक स्टेशन है और मेहनर रोडहाजीपुर-बछवार मीटर लाइन खंड पर एक स्टेशन है, अतः इन दो स्थानों के बीच सीधी गाड़ी सेवा चलाना संभव नहीं है ।

(ग) विगत में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) संसाधनों की तंगी के कारण इस रेल सम्पर्क का निर्माण शुरू करना सम्भव नहीं है ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों की व्यवस्था

3137. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय का विचार विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां देनें में उनकी सहायता करने का है;

(ख) क्या सरकार ने विकलांग बच्चों (अव्यवस्थों) के पालन पोषण और शिक्षण आदि के सम्बन्ध में उनके अभिभावकों की कठिनाइयों को महसूस किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विकलांग बच्चों के अभिभावकों को स्टेशनों पर कुछ दुकानें देने का है ताकि वे अपने विकलांग बच्चों को समाज में सामाजिक जीवन जीने की शिक्षा दे सकें ?

रेल मन्त्राययय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी; हां ।

रेलों पर विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए पदों का आरक्षण है ।

(ग) जी, नहीं ।

विदेशों में भारतीय मिशनों में रिक्त पद

3138. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय मिशनों में प्रत्येक संवर्ग के कितने पद रिक्त है;

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं और ये पद वहां कब से रिक्त हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) विदेश स्थित मिशनों में इस मंत्रालय के वर्तमान रिक्त पदों के बारे में एक विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4362/82]

उप-सलाहकार होम्योपैथी के पद पर नियुक्ति

3139. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** उप-सलाहकार होम्योपैथी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति के बारे में 3 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2757 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-सलाहकार होम्योपैथी के पद पर नियमित रूप से नियुक्ति कर दी गई है, यदि हां, तो कब;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या संवैधानिक अपेक्षा के अनुसार इस पद पर नियुक्ति करने से संबंधित कोई नियम बनाये गये हैं और यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा ये नियम कब बनाये जायेंगे और अधिसूचित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं ।

(ख) उप-सलाहकार, होम्योपैथी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति के जरिये नियमित आधार पर चयन करने का एक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है । आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) उप-सलाहकार, होम्योपैथी के पद के भर्ती नियम भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3 उपखंड (i) में 2 जनवरी, 1982 को प्रकाशित हो चुके हैं (प्रति संलग्न है) ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4363/82)

ए० जी० सी० आर० कालोनी, दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय

3140. **श्री इरा अनबरासु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ब) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र में स्थित ए० जी० सी० आर० कालोनी में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोला गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्कूल परिसर का दौरा किया था और उन्होंने स्वच्छ पेय जल, अच्छी सफाई सुविधायें, पंखे, उचित सम्पर्क सड़कें, उचित फर्श आदि आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए मौके पर ही हिदायतें दी थीं;

(ग) यदि हां, तो इस विद्यालय की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस विद्यालय में क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ङ) इस स्कूल के लिये स्थायी इमारत कब तक बनायी जायेगी; और

(च) इस विद्यालय में उपलब्ध कराई गई पाठ्येत्तर गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के दौरों के परिणाम-स्वरूप पर्याप्त पेय जल तथा सफाई की सुविधाओं की व्यवस्था, लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग की गई हैं। ईंटों के फर्श का कार्य शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है। पंखों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है क्योंकि डेसू ने यह सूचित किया है कि तम्बूओं में बिजली की व्यवस्था खतरनाक होगी। दिल्ली नगर निगम से सम्पर्क सड़कों की मरम्मत करने का अनुरोध किया गया है ।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कार्य शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इसको सामान्यतः ऐसा कार्य पूरा करने में कुछ वर्ष लग जाते हैं ।

(च) उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत खेलकूद जैसी अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों तथा वाद-विवाद, कहानी सुनाना, कविता पाठ समूह-गान, नृत्य आदि जैसी सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए व्यवस्था की गई है।

नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सम्बन्धी समिति

3141. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन कंपनियों के नौवहन विकास निधि समिति से वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए गठित की गयी चार सदस्यों वाली विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अभी नहीं। रिपोर्ट के शीघ्र ही पेश किए जाने की संभावना है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

रेलवे सतर्कता जांच में उपस्थित होने के लिए दैनिक विराम भत्ता

3142. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित की गयी जांच में उपस्थित होने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए दैनिक और विराम भत्तों को देने के बारे में कोई नियम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

प्रदि दिन 15/- रुपये की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है। यदि किसी मामले में आवश्यक समझा जाये तो ऊंची दर पर भुगतान सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्ति

3143. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और यदि हां, तो उसके लिये कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किस-किस स्कूल को छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है; और

(ग) छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव क्या हैं जिन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जो छात्र तीसरी, चौथी और पांचवीं

कक्षाओं में पढ़ रहे हैं तथा जिन्होंने वार्षिक स्कूल परीक्षा में 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त हैं, वे प्रतिभाशाली छात्र योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। योग्यता छात्र परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। जहां तक नई दि नगर पालिका का संबंध है, छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती हैं, जो अपनी सम्बन्धित कक्ष अनुभागों (कक्षा vi से xi तक) में पूर्णांकों में से 50% (अनुसूचित जाति के छात्रों के मा 50%) अंक प्राप्त करके प्रथम तीन स्थानों में से कोई स्थान प्राप्त करते हैं किन्तु शर्त यह कि उनके माता-पिता की सभी साधनों से होने वाली आय 500/- रुपये प्रति माह से अधिक न दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां इस प्रदान की जाती हैं :—

(i) कक्षा v में 75 % से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए जो कक्षा अध्ययन कर रहे हों, इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से आयोजित प्रतियोगी परी आधार पर 100 खुली-योग्यता (जूनियर) छात्रवृत्तियां।

(ii) कक्षा viii में 65% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए जो कक्षा ix में अ कर रहे हों, इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के पर 150 खुली-योग्यता (सीनियर) तथा जूनियर विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्तियां।

(iii) कक्षा v में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए जो कक्षा अध्ययन कर रहे हों, इस प्रयोजनार्थ आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आध केवल अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 100 खुली-योग्यता छात्रवृत्तियां।

(iv) योग्यता-छात्रवृत्ति केवल उन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जो कक्षा और vii में कम से कम 55% अंक प्राप्त करते है तथा जो क्रमशः vi, v viii में अध्ययन कर रहे हों।

इस योजना के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाती है और धन की उपलब्धता के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। दिल्ली नगर निगम केवल प्राथमिक स्कूल केवल पांचवीं कक्षा तक के स्कूल चलाता है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों के नाम, जिनके छात्रों को पिछले तीन दौरान छात्रवृत्तियां दी गई हैं, विवरण में एक सूची में दिए गए हैं।

जहां तक दिल्ली प्रशासन के स्कूलों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है त सभा पटल पर यथा शीघ्र रख दिया जाएगा।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसी कोई योजना वि नहीं है।

विवरण

नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत स्कूलों की सूची :—

1. नगर पालिका बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली ।
2. नगर पालिका बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल, गोल मार्केट, नई दिल्ली ।
3. नगर पालिका बंगाली सीनियर माध्यमिक स्कूल, गोल मार्केट, नई दिल्ली ।
4. नगर पालिका मिडिल स्कूल, मोती बाग, नई दिल्ली ।
5. नगर पालिका मिडिल स्कूल, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली ।
6. नगर पालिका मिडिल स्कूल, आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
7. नगर पालिका मिडिल स्कूल, औरंगजेब लेन, नई दिल्ली ।
8. नगर पालिका मिडिल स्कूल, बाल्मीकी बस्ती (बाल), नई दिल्ली ।
9. नगर पालिका मिडिल स्कूल, बाल्मीकी बस्ती (बालिका), नई दिल्ली ।
10. नगर पालिका मिडिल स्कूल, लोदी इस्टेट, नई दिल्ली ।
11. नगर पालिका मिडिल स्कूल, तिलक मार्ग, नई दिल्ली ।
12. नगर पालिका मिडिल स्कूल, बापूधाम (बाल), नई दिल्ली ।
13 नगर पालिका मिडिल स्कूल, बापू धाम (बालिका), नई दिल्ली ।

पत्तनों द्वारा शताब्दी पूरी कर लेने पर वहां के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस

3144. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई प्रथा है कि यदि कोई पत्तन शताब्दी पूरी कर लेता है तो उसके कर्मचारियों को तदर्थ बोनस मिलता है;

(ख) यदि हां, तो उन पत्तनों के नाम क्या हैं जहां इस प्रथा को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) क्या यह बोनस मद्रास पत्तन के कर्मचारियों को दिया गया है; और

(घ) क्या गोदी श्रमिक भी इसके पात्र हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पोर्ट की शताब्दी के उपलक्ष्य में पोर्ट के स्टाफ और कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर बोनस दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 1970 में कलकत्ता पोर्ट के 100 वर्ष पूरे होने पर उसके कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया था। तथापि 1973 में जब बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने अपना शताब्दी समारोह मनाया तब उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मकारों को विशेष

शताब्दी भुगतान के रूप में उनके एक महीने के वेतन के बराबर की धनराशि दिए जाने की स्वीकृति दी गयी जिसकी अधिकतम सीमा 750 रुपये थी। इसमें से 250 रुपये का नकद भुगतान किया गया और शेष उनके भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया गया।

(ग) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों, स्टाफ और कर्मचारियों को शताब्दी के अवसर पर उपहार की मंजूरी का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

सेवा रिकार्ड का सत्यापन करना तथा सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करना

3145. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री सेवा रिकार्ड का सत्यापन करने तथा सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में 1-4-82 के अतारांकित संख्या 6261 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त उत्तर के विवरण-II में यथोलिखित बाकी 28 अधिकारियों के सेवा रिकार्ड को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) अड़चनों को दूर करने और इस कार्य को जो कि कई वर्षों से बकाया पड़ा है को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने तथा सेवा रिकार्ड के सत्यापन संबंधी शेष कार्य को बिना और विलम्ब किये पूरा करने के लिये कोई अन्तिम तिथि निर्धारित करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) इन 28 अधिकारियों में से दो और अधिकारियों को सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र हाल ही में जारी कर दिये गये हैं और एक अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया है। 15 अधिकारियों के मामले सम्बन्धित वेतन तथा लेखा कार्यालय के साथ उठाये गये हैं। शेष अधिकारियों के सेवा रिकार्ड पूरे किये जा रहे हैं और शीघ्र ही सम्बन्धित वेतन तथा लेखा कार्यालय को भेज दिये जायेंगे। इन मामलों में अपेक्षित प्रमाण-पत्र वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र रिकार्ड करने के बाद ही जारी किये जा सकते हैं। इसके लिए कोई तारीख निश्चित करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि कुछ मामलों में सेवा रिकार्ड उन ऐजेंसियों के परामर्श से पूरे किये जाने हैं जो इस मंत्रालय के सीधे नियन्त्रण में नहीं हैं। वैसे इन रिकार्डों को शीघ्र पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायेंगे।

एशियाई खेल परियोजनाओं पर हुआ व्यय

3146. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड-82 के लिए सड़कों, उपरिपुलों, खेल परियोजनाओं और होटलों के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और;

(ख) ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना पर अलग-अलग सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) एशियाड 1982 की परियोजनाओं अर्थात् नए स्टेडियमों का निर्माण तथा मौजूदा स्टेडियमों का नवीकरण की प्रगति सन्तोषजनक है और इन सभी स्टेडियमों के एशियाई खेल 1982 के लिये समय रहते तैयार होने की आशा है ।

जहां तक मार्गों, उपरी पुलों तथा होटलों के निर्माण जैसी गैर एशियाई परियोजनाओं का सम्बन्ध है ये सम्बन्धित एजेन्सियों के सामान्य विकास कार्यक्रम का एक भाग है । यह परियोजनाएं उनके द्वारा अग्रवर्ती रूप से शुरू की गई हैं ताकि इनका लाभ एशियाड के लिये भी उपलब्ध हो सके । कुछ उपरी पुल पहले ही खोल दिये गए हैं और अन्य लगभग पूरे होने वाले हैं । लगभग 2500 होटल के कमरों सहित ये सभी परियोजनाएं एशियाड के लिये समय रहते पूरी होने की आशा है ।

(ख) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा एशियाई खेलों पर 30 जून, 1982 तक 36.46 करोड़ रुपए का खर्च दर्ज किया गया है जिसमें स्टेडियमों के निर्माण/नवीकरण सहित एशियाई परियोजनाओं के लिये 29.55 करोड़ रुपए भी शामिल हैं ।

कोल/क्लेम ट्रेसरों के पद

3147. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी, इत्यादि रेलों में कोल/क्लेम ट्रेसरों के पदों का काडर पद माना जाता है;

(ख) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनको काडर पद माना जायेगा और उन्हें सहायक क्लेम निरीक्षकों और सीनियर क्लेम निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति दी जायेगी;

(ग) क्या दक्षिणी रेलवे इससे अलग प्रक्रिया अपना रहा है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) तृतीय वेतन आयोग ने कोयला क्षेत्र अधीक्षक, धनबाद, पूर्व रेलवे के अधीन काम करने वाले कोयला ट्रेसरों के बारे में यह सिफारिश की है कि सरकार इस संवर्ग को क्लेम्स ट्रेसरों और निरीक्षकों की मुख्य धारा में शामिल करने की व्यावहारिकता की जांच कर सकती है ।

इसके परिणामस्वरूप पूर्व रेलवे पर कोयला ट्रेसरों को कोयला निरीक्षकों की कोटि में पदोन्नति की एक नयी सरणी दे दी गयी है।

(ग) और (घ) दक्षिण रेलवे पर इन पदों को संवर्गबाह्य पदों के रूप में माना जाता है और वे अपने मूल संवर्ग में वहां पदोन्नति पाने के पात्र हैं जहां उनका लियन रखा होता है। विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पदोन्नति की सम्भावनाओं का निर्धारण आमतौर पर क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा संगठित श्रमिक संगठनों के परामर्श से कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के हितों तथा काम की आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है।

दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त सीनियर सैकेंडरी स्कूल

3148. **श्री जय नारायण रौत :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन स्कूलों को सरकारी सहायता वार्षिक आधार पर दी जाती है, यदि हां, तो स्कूल-वार आंकड़े क्या हैं तथा इसके मानदण्ड क्या हैं;

(ग) इन स्कूलों में 1981-82 और 1982-83 के दौरान, पहली से बारहवीं कक्षाओं तक प्रत्येक कक्षा में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या कितनी है तथा प्राथमिक कक्षाओं और उच्च कक्षाओं में दाखिले के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये;

(घ) उन स्कूलों के नाम क्या हैं जिनके प्रधानाचार्य छात्रों को स्कूल की शासी निकाय अंशदान निधि में प्रति मास 10 रुपये की दर से धनराशि जमा कराने के लिए कहते हैं; और क्या इन स्कूलों को ऐसा करने की सरकार की अनुमति है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा यह निधि वसूल करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकारी सहायता, इन स्कूलों में दाखिल छात्रों की संख्या पर आधारित है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में पोलिटेकनिक के दो और स्कूल खोलना

3149. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली इस वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पोलिटेकनिक के दो और स्कूल खोल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये स्कूल खोल दिए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन पोलिटेकनिक को स्थापित करने का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

सोवियत रूस की सेनाओं को अफगानिस्तान से वापसी

3150. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार द्वारा सोवियत रूस की सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी कराने के सम्बन्ध में किए जा रहे प्रयासों के ब्यौरे क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : भारत ने हमेशा यही कहा है कि अफगानिस्तान के मसले को बातचीत के द्वारा राजनैतिक स्तर पर तय किया जाना चाहिए और ऐसे राजनीतिक समाधान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तथा ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए, इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र से बाहर से बहुत से देशों से और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी विचार-विमर्श किया है जिससे सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से वापस हटाए जा सकें।

जापान और पश्चिमी एशिया के बीच महीने में दो जहाज सेवा चलाने का भारतीय जहाजरानी निगम का प्रस्ताव

3151. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने जापान और पश्चिमी एशिया के बीच महीने में दो बार नियमित जहाज सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या जापान पश्चिम एशिया कांफ्रेंस ने भारतीय जहाजरानी निगम को, इस सेवा को चालू करने पर जापान से निकालने तथा भारी आर्थिक दण्ड लगाने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सेवा के सम्बन्ध में सरकार ने क्या अंतिम निर्णय लिया है, और इसके चलाने तथा इससे होने वाले अनुमानित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारतीय नौवहन निगम (एस० सी० आई०) के प्रबन्ध ने जापान और पश्चिमी एशिया खाड़ी के बीच नियमित महीने में दो बार सेवा चलाने का निर्णय किया है।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने सूचित किया है कि कांफ्रेंस ने भारतीय नौवहन निगम को जापान गल्फ सेवा संबंधी किसी भी एक पक्षीय कार्यवाई के लिए कड़ी धमकी दी है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम के बोर्ड आफ डारेक्टर्स की सिफारिशें मिलने पर सरकार इस विषय में कोई निर्णय लेगी।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर के शिक्षकों द्वारा धरना दिया जाना

3152. **श्री नारायण चौबे :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अपनी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के शिक्षकों ने आंदोलन आरंभ कर दिया है और वे धरने पर बैठे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन का मजमून क्या है ?

(ग) उनके अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उन्होंने वर्तमान निदेशक के विरुद्ध कदाचार, पक्षपात आदि के गंभीर आरोप लगाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इन आरोपों की जांच कराएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में, जहां कहीं आवश्यक हुआ है, समुचित कार्रवाई की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) लगाए गए अधिकांश आरोप सरकार के ध्यान में पहले भी ला दिए गए थे और जांच कराने पर उन्हें निराधार पाया गया।

विवरण

अभ्यावेदन की विषय-वस्तु निम्नलिखित से संबंधित है :—

1. संकाय सदस्यों के बीच स्थिरता को पूर्णतया तथा नियमित रूप से समाप्त करना, अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे शिक्षकों को नियमित करना।

2. संकाय के लिए अनिवार्य अर्हताओं के संबंध मे केवल इसी भा० प्रौ० सं० में अपनाए

गए वर्तमान स्वेच्छाचारी मानदंडों को समाप्त करना और भा० प्रौ० सं० परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों को ही कार्यान्वित करना ।

3. सेवा-निवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करना ।

4. अधिसंख्य पदोन्नत व्यक्तियों को नियमित करना ।

5. इस समय अपनाए जा रहे स्वेच्छाचारी तरीकों को समाप्त करना और प्रत्येक 3 वर्ष बाद बारी-बारी से अध्यक्षता बदलना ।

6. 5 वर्षीय समाकालित एम० एस० सी० पाठ्यक्रम में तीसरा वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद बी० एस० सी० डिग्री प्रदान करना ।

7. विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए अलग दाखिला पद्धति अपनाना ।

8. पदों के स्वेच्छाचारी स्थानांतरण सम्बन्धी निर्णयों को रद्द करना ।

9. विभागीय प्रशासनिक समितियों का प्राधिकरण स्थापित करना ।

10. क्रय प्रक्रिया, संकाय सदस्यों के छुट्टी नियमों तथा मकान आवंटन नियमों के सम्बन्ध में आई० आई० टी० टी० ए० की सिफारिशें लागू करना ।

11. सचिवालय सहायता और शिक्षण साधन तथा लेखन सामग्री के सम्बन्ध में पिछले समझौते को कार्यान्वित करना ।

12. प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और संगठन केन्द्र में सुधार करके उन्हें आधुनिक बनाना ।

13. पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अनुपयुक्त बताए गए मकानों के लिए किराया कम करना ।

14. परिसर तथा संस्थान सम्बन्धी सुविधाओं को बहाल करना ।

15. शासी मंडल में आई० आई० टी० टी० ए० का प्रतिनिधित्व स्वीकार करना ।

रेल-आरक्षण में कदाचार

3153. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन पर वातानुकूलित चेयर कार टिकट लगभग 100 रुपये के अधिमूल्य पर बेची जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वह इस मामले की जांच करवायेंगे कि रेल कर्मचारी अथवा उनके दलाल किस प्रकार हेराफेरी कर रहे हैं; और

(ग) महानगरों में, जहां लोगों को रेलवे आरक्षण प्राप्त करने में अत्याधिक कठिनाई

होती है, इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए उनका क्या उपाय करने का विचार है और जब अधिमूल्य दिया जाता है तो आरक्षण कैसे उपलब्ध हो जाता है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल, अनधिकृत आपरेटरों तथा समाजविरोधी तत्वों द्वारा गाड़ी में स्थान घेरने तथा उन्हें लाभ लेकर जरूरतमंद यात्रियों को बेचने के कुछ मामलों का पता चला है।

(ग) रेलें एक नियमित उपाय के रूप में नकली आरक्षण के विरुद्ध जांचों का आयोजन करती हैं। इन जांचों में और तेजी लायी जा रही है तथा और गहन अभियान चलाये जा रहे हैं। इस अभियान में गैर मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों के स्थानों पर छापा मारने, नकली आरक्षण में लिप्त अनधिकृत आपरेटरों को पकड़ने, घर-घर जा कर जांच करने तथा आरक्षण पर्चों में दिये गये विवरण के आधार पर यात्रा करने वाले वास्तविक यात्रियों को जवाबी पत्र भेज कर उनकी सत्यता की जांच की जाती है। भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम 1982 के लागू किये जाने से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अनधिकृत रूप से रेलवे टिकटें/आरक्षण प्राप्त करने या इस अपराध में सहायता देने के काम में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए तीन वर्ष तक कैद तथा 1000/- रुपये के जुर्माने की व्यवस्था की गयी है ; बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम को लागू किया जाना फिलहाल स्थगित कर दिया है।

बेरोजगार युवकों को 'पेडिंग स्टाल' के लिए लाइसेंस जारी करना

3154. **श्री कुंवर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बेरोजगार युवकों को रेलवे द्वारा कितने 'पेडिंग स्टाल' लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर-पूर्व रेलवे को नए डिब्बों की सप्लाई

3155. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व रेलवे को सप्लाई किये गये डिब्बे बहुत पुराने हैं जिनमें प्रायः यांत्रिक दोष पैदा हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियां देर से चलती हैं और यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) क्या मन्त्रालय का विचार उत्तर-पूर्व रेलवे को नये डिब्बे सप्लाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वे कब तक सप्लाई कर दिये जायेंगे, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। सवारी डिब्बों की हालत संतोषजनक है।

(ख) और (ग) जी हां। 1981-82 के उत्पादन में से पूर्वोत्तर रेलवे को 72 नये सवारी डिब्बे सप्लाई किये गये थे और 1982-83 में पूर्वोत्तर रेलवे को 33 और नये सवारी डिब्बे आबंटित किये जायें जबकि उत्पादन यूनिटों में इनका निर्माण होगा।

"राष्ट्रीय राजमार्गों" के लिए मापदण्ड तथा निरीक्षण एजेंसी

3156. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी सड़क को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करने के क्या मापदण्ड हैं;

(ख) क्या दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़कों को भी भले ही उनकी दूरी कम हो, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रणाधीन कोई ऐसी एजेंसी है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव संबंधी कार्य पर निगरानी रखती हो और यह भी सुनिश्चित करती हो कि इस प्रयोजन के लिए एजेंसियों की आबंटित धनराशि को उचित ढंग से खर्च किया जाता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित की जाती हैं। इस प्रक्रिया में साधनों का उपलब्ध होना और अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिकताओं के अलावा अन्य निम्नलिखित शर्तों पर भी विचार किया जाता है :

(I) सड़क की लम्बाई इतनी हो कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती हो,

(II) वे विदेशी राजमार्गों से जुड़ती हों,

(III) वे राज्य की राजधानियों से गुजरती हों;

(IV) वे मुख्य पत्तनों और बड़े औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों से जुड़ती हों,

(V) वे नीति सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करती हों। इसके अलावा आर्थिक आधार पर भी जोर दिया जाता है और यात्रा समय में कमी करने के लिए मार्ग की क्षमता पर भी ध्यान दिया जाता है जिसमें मूल बिन्दु से पहाड़ी, पिछड़ी अथवा अविकसित स्थानों की दूरी भी शामिल है।

(ख) उपरोक्त विस्तृत विवरणों के अनुसार इस प्रकार की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में कोई कठिनाई नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के वास्तविक विकास और उसके अनुरक्षण का कार्य राज्यों को सौंपा गया है। इसके लिए राज्यों को

लागत के 9 प्रतिशत की दर से एजेंसी शुल्क के रूप में धन दिया जाता है जिसमें पर्यवेक्षण कार्य भी शामिल है। भारत सरकार की ओर से महानिदेशक (सड़क विकास) के अधीन संगठन स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय/सम्बद्ध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो राज्यों को आवश्यक तकनीक दिशा निर्देश, स्टेंडर्ड, स्पेशिफिकेशन, डिजाइन आदि संबंधी सलाह देता है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण भी किये जाते हैं। कार्य की प्रगति और वित्तीय निगरानी के लिए विभिन्न रिपोर्ट निर्धारित किये गये हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्त्री रोग और प्रसूति अस्पताल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली की समस्यायें

3157. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्त्री रोग और प्रसूति अस्पताल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में अनसिथेसिस्ट की कमी है जिससे वहां आपरेशनों को स्थगित किया जाता है और आपात आपरेशनों को सफदरजंग अस्पताल में भेजा जाता है जिसके कारण लाभार्थियों को कठिनाई होती है;

(ख) क्या उपर्युक्त अस्पताल में कर्मचारियों (चिकित्सा और परा-चिकित्सा) को अस्पताल के आस-पास आवास सुविधा नहीं दी गयी है जबकि अन्य सरकारी अस्पतालों में अधिकांश कर्मचारियों के पास अस्पताल के समीप आवास हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त अस्पताल में निरन्तर बिजली/पावर फेल होती रहती है; और

(घ) क्या सरकार का अस्पताल की दक्षता में सुधार लाने और रोगियों को राहत देने के लिए इस अस्पताल में बिजली का जैनेरेटर स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दिल्ली के दूसरे केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों से अनेस्थेटिस्टों का स्थानांतरण इस संस्थान में किया गया है ताकि वहां शल्य कार्य के लिए उपयुक्त अनेस्थेस्टिक सहायता मिल सके।

(ख) इस अस्पताल के काफी डाक्टरों तथा कर्मचारियों को, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पूल अथवा सामान्य पूल में उपलब्ध आवास दिए गए हैं।

(ग) और (घ) हां। विद्युत सब-स्टेशन लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स को वैगनों का मासिक आवंटन

3158. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे वैगनों की संख्या क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान मासिक रूप से सिन्थेटिक्स एंड कैमिकल्स बरेली की कोयला ढोने के लिये आबंटित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि डी० जी० टी० डी० द्वारा इस यूनिट के लिये निर्धारित आवश्यकता का 40% से कम वैगनों की सप्लाई की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) महानिदेशक व्यापार विकास द्वारा इस पार्टी के लिए की गयी सिफ़ारिश के अनुरूप कोयला माल डिब्बों की औसत मासिक संख्या, स्वीकृत कार्यक्रम और पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जून, 82 तक किया गया आबंटन तथा सिफारिश की तुलना में आबंटन का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

वर्ष	सिफारिश	कार्यक्रम	आबंटन	आबंटन का प्रतिशत
1979	610	616	305	50.0%
1980	610	601	194	31.8 ,,
1981	610	552	268	43.9 ,,
1982 (जून तक)	549	537	250	45.5 ,,

विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयला मालडिब्बों का आबंटन मांग के साथ-साथ कोयले/परिवहन की उपलब्धता और सरकार द्वारा उनको दी गयी अधिमान्यता पर आधारित होता है।

पुरुलिया से हावड़ा को नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरम्भ करना

3159. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सरकार दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत पुरुलिया स्टेशन को छोटी लाइन प्लेट फार्म का पुरुलिया से हावड़ा तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की सुविधा की दृष्टि से, टर्मिनल सुविधा के प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु, प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एशिया में मानव अधिकारों की देख-रेख के लिए क्षेत्रीय संगठन

3160. **श्री वी० डी० सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सेमिनार में एशिया में मानव अधिकारों की देख-रेख के लिये किसी प्रकार के क्षेत्रीय संगठन को स्थापित करने के प्रस्ताव को भारत ने अस्वीकार किया है; और

(ख) यदि हाँ तो अस्वीकार किये जाने का औचित्य क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रभाग ने 21 जून से 2 जुलाई 1982 तक कोलम्बो में "एशियाई क्षेत्र में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रबन्ध" पर एक क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था । एशियाई और प्रशान्त महासागर क्षेत्र में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्षेत्रीय आयोग स्थापित करने के सवाल को संगोष्ठी की कार्यसूची में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया था । यह भी सुविदित है कि इस प्रकार के किसी निर्णय के लिए संगोष्ठी उपयुक्त मंच नहीं होता ।

लेकिन विचार-विमर्श के दौरान इस उद्देश्य के लिए एक क्षेत्रीय आयोग के प्रश्न को न केवल उठाया ही गया बल्कि कुछ विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों और सचिवालय के कर्मचारियों ने इस बात की कोशिश भी की कि इस प्रस्ताव को इस संगोष्ठी की एक मुख्य सिफारिश के रूप में स्वीकार किया जाय । भारत का सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है कि विश्व में मानव अधिकारों का प्रभावी संवर्धन और संरक्षण अगर नहीं होता, तो इसकी वजह यह नहीं है कि संस्थागत व्यवस्था का अभाव है । वास्तव में, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तंत्र पहले ही से मौजूद हैं , लेकिन ये उनको प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुए हैं तथा उनमें और वृद्धि करना वांछनीय नहीं होगा ।

इस संगोष्ठी के अन्त में एक रिपोर्ट का जो प्रारूप परिचालित किया गया था उसमें प्रारम्भ में इस प्रकार के एक प्रस्ताव का उल्लेख था लेकिन कई देशों की आपत्तियों के परिणाम-स्वरूप इस प्रस्ताव पर आम सहमति नहीं मिल सकी ।

रेलवे लाईन का विद्युतीकरण करने के लिये किया गया व्यय

3161. **श्री उत्तम भाई पटेल** : क्या रेल मंत्री रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किये जाने के बारे में 8.7.1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 148 और रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के बारे में 15.7.82 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1982 तक, प्रत्येक रेलवे सेक्शन में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ख) यह कार्य पूरा होने तक प्रत्येक रेलवे-सेक्शन में कितना धन खर्च होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चूंकि 30 जून, 1982 तक प्रत्येक विद्युतीकरण परियोजना पर खर्च की गई राशि का अभी संकलन नहीं किया गया है, इसलिए 31 मार्च, 1982 तक खर्च हुई राशि परियोजना की अनुमानित लागत के साथ-साथ संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

(क) और (ख) रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाएं—31.3.1982 तक व्यय

क्रम सं०	रेलवे खंड	अनुमानित लागत	31 मार्च, 1982 तक खर्च हुई राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
1	दिल्ली-मथुरा	45.05	35.92
2.	मथुरा-झांसी		
3.	तिरुवल्लूर-अरकोणम्	3.82	2.98
4.	वडोदरा-रतलाम और गोधरा-आनन्द	36.38	24.37
5.	मथुरा-गंगापुर सिटी	18.24	2.01
6.	चंद्रपुरा काम्प्लेक्स के निकट कोलरी लाइन्स	14.53	0.01
7.	विजयवाड़ा-वल्हारशाह	76.75	5.50
8.	झांसी-वीना	63.65	0.50
9.	वीना-इटारसी		
10.	गंगापुर सिटी-रतलाम	70.46	0.01
11.	रेणिगुंटा-गुडूर	14.86	कुछ नहीं
12.	रेणिगुंटा-अरकोणम्-जोलारपेट्टै	36.79	2.16
13.	भुसावल-नागपुर	60.43	1.00

1	2	3	4
14.	इटारसी-भुसावल	48.23	कुछ नहीं
15.	भोपाल-नागदा	29.00	कुछ नहीं
16.	इटारसी-नागपुर	34.51	
17.	बल्हारशाह-वर्धा	21.55	कुछ नहीं
18.	काजीपेट-सनतनगर	28.00	कुछ नहीं
19.	सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	86.62	कुछ नहीं

रेलवे सवारी डिब्बों की आवश्यकता

3162. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष नए रेलवे सवारी डिब्बों की अनुमानित मांग क्या है;

(ख) प्रति वर्ष अनुमानतः कितने पुराने रेलवे सवारी डिब्बों को नष्ट कर दिया जाता है;

(ग) भारत में अनुमातः कितने नए सवारी डिब्बों का निर्माण होता है;

(घ) क्या यह सच है कि नये सवारी डिब्बों की मांग में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में सवारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यात्री यातायात में 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और बदलाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नये कोचिंग स्टाक की अनुमानित आवश्यकता प्रतिवर्ष लगभग 2800 होगी ।

(ख) प्रतिवर्ष लगभग 700 डिब्बे नाकारा हो जाते हैं ।

(ग) भारत में बिजली गाड़ियों सहित लगभग 1150 डिब्बे प्रतिवर्ष बनाये जाते हैं ।

(घ) जी हां, यात्री यातायात में वृद्धि के कारण ।

(ङ.) डिब्बों की मांग खंड और टर्मिनल क्षमता में वृद्धि की मांग के क्रम में योजना आयोग द्वारा दिये गये संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरी की जाती है ।

टूंडला को कोयले की सप्लाई और खपत

3163. **श्री बालासाहिब पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकोहाबाद, फरुंखाबाद और अलीगढ़ में शंटर इंचार्ज और शंटरों को लोको-फोरमैन का कार्य करना पड़ता है;

(ख) क्या रेलवे लोको में सप्लाई किए जाने वाले कोयले की मात्रा उसकी खपत से अधिक होता है;

(ग) यदि नहीं, तो लोको शैड टूंडला के वर्तमान लोको-फोरमैन द्वारा कार्य भार संभालने के पश्चात् कितने कोयले की खपत, बचत और कम, हुई; और

(घ) यदि यह पाया जाता है कि वे लोग कदाचर में शामिल हैं तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लोको शेड को सप्लाई किये जाने वाले कोयये का शेडों में सतर्कतापूर्वक हिसाब रखा जाता है और उनके उचित रिकार्ड रखे जाते हैं। प्राप्तियां, खपत, बचत और कमियां एक चालू प्रक्रिया है और वर्तमान लोको फोरमैन के कार्यकाल के दौरान बचत या कमी की ऐसी कोई घटना प्रशासन को नहीं मिली है जिसका हिसाब-किताब मौजूदा आदेशों और कार्य विधि के अनुसार न हो।

(घ) जी, हां।

अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3164. **श्री आर० पी० गायकवाड़** :

श्री राम सिंह यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद-दिल्ली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार पश्चिम क्षेत्र में, विशेषकर उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में, रेलवे की माल ढोने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता समझती है;

(ग) क्या यह सच है कि जिस परियोजना का 1972-73 में सर्वेक्षण किया गया था व्यवहार्य पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता देने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अहमदाबाद-दिल्ली मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य एक अनुमोदित कार्य है

और इसे बजट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन संसाधनों की तंगी के कारण योजना आयोग ने अभी तक इसे अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है ।

(ख) जी हां, यातायात की जरूरतों के अनुसार ।

(ग) जी हां ।

(घ) परियोजना को 1977-78 के बजट में शामिल कर लिया गया था, लेकिन संसाधनों की तंगी के कारण योजना आयोग ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है । अतः कोई क्षेत्र कार्य शुरू नहीं किया गया है । परियोजना की योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाने पर इसे विभिन्न चरणों में निष्पादित किया जायेगा. परन्तु यह यातायात की जरूरतों तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

गुजरात सरकार की मांग

3165. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत निम्नलिखित मांगों के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(एक) अहमदाबाद शहर में परिक्रमा रेल सेवा शुरू करना;

(दो) अहमदाबाद-बम्बई रेल लाइन के विद्युतीकरण को ध्यान में रखकर अहमदाबाद-बड़ौदा-सूरत और सूरत और बम्बई उपनगरीय रेल गाड़ियां शुरू करना;

(तीन) इस बात को ध्यान में रख कर कि बड़ौदा में पैट्रो कैमिकल्स काम्पलैक्स के कारण यातायात में वृद्धि हुई है और अहमदाबाद में यातायात पहले ही बहुत अधिक है । अहमदाबाद को अलग डिवीजन बनाना;

(चार) अहमदाबाद स्टेशन पर माल तथा यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखकर अहमदाबाद में एक बड़ा स्टेशन बनाना; और

(ख) इन मांगों की स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) (i) मार्च, 1982 में निक्षेप कार्य के रूप में व्यावहारिकता सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था और क्षेत्र- कार्य किया जा रहा है । इसके मार्च, 83 तक पूरा होने की संभावना है ।

(क) (ii) लाइन क्षमता तथा टर्मिनल सुविधाओं का विकास करने तथा विरार-सूरत वडोदरा-अहमदाबाद खंड में ई० एम० यू० टाइप चल स्टाक चलाने के लिए

एक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और 1982 के अंत तक इसको अन्तिम रूप दिये जाने और इसके पूरा हो जाने की संभावना है। रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी जांच करने के बाद इस पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

(क) (iii) रेलवे जोनों के पुनर्गठन/मंडलों के गठन की आवश्यकता, यदि कोई हो, की इस समय रेल सुधार समिति द्वारा जांच की जा रही है और अहमदाबाद में एक अलग मण्डल स्थापित करने का प्रस्ताव भी इस समिति को विचारार्थ और रिपोर्ट देने के लिए भेज दिया गया है।

(क) (iv) बम्बई-अहमदाबाद मार्ग के अन्य स्टेशनों के साथ-साथ अहमदाबाद में यात्री टर्मिनल सुविधाओं में वृद्धि करने के प्रश्न पर रेलवे विचार कर रही है। जहां तक अहमदाबाद क्षेत्र में माल टर्मिनलों में वृद्धि करने का प्रश्न है, वेतवा में एक पूर्ण सज्जित विन्यास यार्ड का निर्माण किया जा रहा है और अप तथा डाउन यार्ड चालू कर दिये गये हैं।

(ख) जब सर्कुलर रेलवे के संबंध में व्यावहारिकता सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तब उस पर विचार किया जायेगा और राज्य सरकार को सिफारिशें भेज दी जायेगीं।

लाइबीरियाई जहाज के भारतीय कर्मियों की गिरफ्तारी

3166. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइबीरियाई सरकार के अनुरोध पर अमेरिकी सरकार द्वारा डलावे के पंजीकृत लाइबीरियाई जहाज के भारतीय कर्मियों की गिरफ्तारी के बारे में समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो व्यक्तियों की रक्षा करने और भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी किये जाने की घटनाओं के बारे में अमेरिकी सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए उत्तर का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत सरकार को जून, 1982 में यूनानी स्वामित्व वाले लाइबेरियाई जहाज 'यपापान्ती' के भारतीय चालक दल के सदस्यों के वेतन संबंधी विवाद की जानकारी है। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब चालक दल ने संविदा के अधीन निश्चित अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की। इस जहाज के लाइबेरियाई

प्राधिकारियों ने और यूनानी मालिक ने इस विवाद को विद्रोह माना क्योंकि जहाज के चालक-दल पर जहाज के मास्टर का नियंत्रण नहीं रहा था। लाइबेरियाई और यूनानी सरकार के अनुरोध पर अमीरीका के विदेश विभाग ने अपने तट रक्षकों और अमरीकी आप्रवासन एवं देशीकरण सेवा के अधिकारियों को इस जहाज पर जाने की अनुमति दी।

इस चालक दल को, जिसे उत्प्रवासन एवं देशीकरण सेवा के अधिकारियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, जहाज से उनके देश-प्रत्यावर्तन के लिए परोल पर माना गया। भारतीय चालक दल के सात सदस्यों के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं लगाया गया और बाद में वे अमरीका से भारत के लिए रवाना हो गए। लाइबेरियाई में पंजीकृत जहाज के इस चालक दल को औपचारिक रूप से कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया था।

अमरीका स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना क्रम में अमरीकी प्राधिकारियों से और चालक दल के भारतीय सदस्यों से भी, निकट सम्पर्क बनाए रखा। इस मामले में अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हाजी बन्दर भण्डागार में चोरी

3167. **श्री ई० बाला नन्दन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हाजी बन्दर भंडागार में सुनियोजित चोरियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : बम्बई पत्तन प्राधिकारियों ने सूचित किया कि हाजी बन्दर वेयर हाउस में हालांकि रासायनिक पदार्थों के चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं लेकिन यहां कोई सुनियोजित चोरी नहीं हुई है। चोरी की रोकथाम के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) प्रत्येक शिफ्ट के दौरान वेयर हाउस में सुरक्षक तैनात किये गये हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सुरक्षकों द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है।

(ii) यह निश्चय किया गया है कि हाजी बन्दर की चहारदीवारी को ऊंचा किया जाय।

मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन क्लिनिक

3168. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1 जनवरी, 1982 को परिवार नियोजन क्लिनिक की संख्या कितनी थी;

(ख) पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने क्लिनिक खोले गये हैं और छठी पंचवर्षीय योजना में कितने और क्लिनिक खोलने का विचार है;

(ग) इनसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस हद तक सहायता मिली है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थिति विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य में कार्य कर रहे परिवार नियोजन केन्द्र परिवार नियोजन के सभी तरीकों के बारे में सलाह और सेवाएं प्रदान करते हैं, छोटे-छोटे परिवार का सिद्धान्त अपनाने में लोगों की मदद करते हैं तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें भी सुलभ करते हैं। राज्य में हुए कार्य का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य के परिणामस्वरूप मार्च, 1982 तक 20 5 लाख दम्पत्तियों को प्रभावकारी ढंग से सुरक्षित किया गया जो मध्य प्रदेश राज्य के अनुमानित कुल 94.8 लाख पात्र दम्पत्तियों का 21.6 प्रतिशत है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थिति

	1-1-82 तक परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या	निम्नलिखित वर्षों के दौरान खोले गये परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या			छठी योजना (1980-85) के लिये परिवार नियोजन केन्द्रों के लक्ष्य
		1979-80	1980-81	1981-82	
(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	465	8	—	—	—
(2) ग्रामीण उप-केन्द्र	4602	372	76	310	3000
(3) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	76	—	—	24	44
(4) प्रावोत्तर केन्द्र	45+3**	1	3**	38	38**

** उप प्रभागीय अस्पताल

विवरण-II

मध्य प्रदेश में 1979-80 से 1981-82 तक परिवार नियोजन की उपलब्धियों का ब्यौरा

वर्ष	नसबन्दी आपरेशन	आई० यू० डी०	अन्य तरीके
1979-80	125,760	19,333	78167
1980-81	129,949	18,630	95464
1981-82*	212,418	22,291	85134

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 का त्रिवेन्द्रम का बनाया जाना

3169. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के लिये त्रिवेन्द्रम में उपमार्ग बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिये पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव की तत्काल स्वीकृति के लिये कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर कोवलम के समीप कझाकुट्टम और वझामुट्टम के बीच 20.5 किलो मीटर की लम्बाई के एक भाग के लिए बाई पास के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। 20.5 कि० मी० की लम्बाई की बाई पास के लिये अनुमानित भूमि अधिग्रहण बाई पास का रूप रेखा जिसे अंतिम रूप दिया जायेगा आदि के लिए जनवरी 1978 में 205.07 लाख रुपये की जांच नं० 319 के० आ०-47 के तहत मंजूरी दी गई थी। भूमि अधिग्रहण का कार्य अभी किया जा रहा है। संसाधनों की उपलब्धता और आल इण्डिया आधार पर संपूर्ण प्राथमिकताओं के आधार पर भूमि अधिग्रहण करने के बाद और आगे की मंजूरी दी जाएगी।

बाजार से नकली दवाओं के नमूने लेना और उनके विश्लेषण की पर्याप्त सुविधाएं

3170. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फुटकर विक्रेताओं की दुकानों से निश्चित समयान्तर पर नकली और घटिया दवाओं के नमूने लेने और बिक्री से पूर्व उन नमूनों का शीघ्र विश्लेषित करने की पर्याप्त सुविधाएं इस चलन के विरुद्ध प्रभावी उपायों के तौर पर प्रदान करने के प्रयास किये जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन उपायों पर शीघ्र अमल करने जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) यह प्रश्न पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। वैसे, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत औषध निरीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल दवा बेचने वाली फुटकर दुकान से ही वरन जिन स्थानों में कोई औषधि बनाई जाती है वहां से भी नमूने भरेंगे। अतः औषधि को बेचने से पहले भी उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत काफी उपायों की व्यवस्था मौजूद है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

साने समिति की सिफारिशें

3171. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वी० सी० साने समिति ने अतर्कसंगत और हानिकारक औषध सूत्रों को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) साने समिति द्वारा और क्या सिफारिश की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) साने समिति ने निश्चित खुराक वाले योगों की 32 श्रेणियों की जांच की और इनकी 20 श्रेणियों को पूर्णतया और/या अन्शतया समाप्त करने की सिफारिश की। इस समिति ने प्रशान्तिक युक्त सभी योगों विशेषकर डाइजापम की समीक्षा करने की भी सिफारिश की।

औषध परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों की जांच की और उन्होंने अन्ततः निश्चित खुराक वाले योगों की 23 श्रेणियों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बहिष्कार करने की सिफारिश की। सरकार ने परामर्शदात्री तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से निश्चित खुराक वाले योगों की 18 श्रेणियों का जिसकी सूची संलग्न है, पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बहिष्कार करने का निर्णय किया है।

विवरण

निश्चित खुराक वाले योगों की श्रेणियां जिन्हें सरकार ने नष्ट करने का निर्णय लिया है

1. एमीडोपाइराइन के निश्चित खुराक वाले योग।
2. दर्द निवारक तथा प्रशांतक युक्त विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग।
3. ज्वर-रोधी तथा दर्द-रोधी दवाइयों में एन्ट्रोपाइन के निश्चित खुराक वाले योग।
4. टानिकों में स्ट्रिचनाइन और काफन के निश्चित खुराक वाले योग।
5. योहिम्बाइन तथा स्ट्रिचनाइन और रेस्टोस्टीरीन एवं विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग।
6. स्ट्रिचनाइन आर्सेनिक योहिम्बाइन युक्त लोह के निश्चित खुराक वाले योग।
7. सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट तथा अन्य औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग।
8. आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों तथा आधुनिक औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग।
9. फीनेसिटिन के निश्चित खुराक वाले योग।
10. एण्टी-स्टिामीनिकों तथा अतिसार रोधी औषधियों के निश्चित खुराक वाले योग।
11. पेन्सिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन के निश्चित खुराक के योग।
12. विटामिनों तथा दर्द-निवारक दवाइयों के निश्चित खुराक वाले योग।
13. केट्रासाइक्लिन तथा विटामिन-सी के निश्चित खुराक वाले योग।
14. अतिसार और पेचिस के इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों को छोड़कर दवाइयों के हाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन समूह के निश्चित खुराक वाले योग।
15. दमा के इलाज के लिये अन्य औषधियों और स्टेराइड के योग को छोड़कर खाकर प्रयोग करने के लिये स्टेराइट के निश्चित खुराक वाले योग।
16. क्लोरेफैनिकाल और स्ट्रैप्टोमाइसिन औषधियों को छोड़कर क्लोरेमफैनिकाल के खुराक वाले योग।
17. एर्गाट के निश्चित खुराक वाले योग—इसके एलकालोइड एर्गाटामाइड और काफाइन के योगों को छोड़कर।
18. आई० एन० एच० और विटामिन-बी के योग को छोड़कर क्षय रोग रोधी औषधियों तथा रोग-निवारक विटामिनों के निश्चित खुराक वाले योग।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करने वाले गैर अनुसूचित जाति की महिला के दर्जे के बारे में रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश

3172. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने जुलाई, 1971 में यह आदेश जारी किये थे कि यदि गैर अनुसूचित जाति की महिला अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी करती है तो वह अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा कर सकती है;

(ख) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने ऐसे मामलों पर विचार किया और कुछ गैर अनुसूचित लोगों को अनुसूचित जाति के लोगों से विवाह करने के कारण उन्हें अनुसूचित जाति का माना;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेल कर्मचारी होने के कारण ऐसी महिलाओं को अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कोटे पर उच्च पदों पर पदोन्नति दी गई;

(घ) क्या यह भी सच है कि रेल मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं को दी गई छूट वापस ले ली है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) दो महिलाओं में से एक महिला को पदोन्नत किया गया था । दूसरी महिला ने इस लाभ का दावा नहीं किया ।

(घ) जी हां ।

(ङ) गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार इस रियायत को वापिस ले लिया गया है ।

भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की कैलोरियों की उपलब्धता और तत्सम्बन्धी आवश्यकता

3173. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष तथा 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए पिछले वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की कैलोरियां कितनी मात्रा में थीं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भोजन की कैलोरियां प्रति-व्यक्ति कितनी मात्रा में उपलब्ध होंगी;

(ग) एक औसतन स्वस्थ्य व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा में भोजन की कैलोरियों की आवश्यकता है; और

(घ) हमारे देश की कितने प्रतिशत जनता एक औसतन स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरियों का प्रयोग करने की स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की जितनी कैलोरियों की आवश्यकता होती है, वे इस प्रकार हैं :—

वर्ग	काम की किस्म	अपेक्षित कैलोरियों की शुद्ध संख्या
पुरुष के लिए :	जो बैठक कर काम करता है	2400
	जो हलका काम करता है	2800
	जो भारी काम करता है	3900
महिला के लिए :	जो बैठ कर काम करती है	1900
	जो हलका सा काम करती हैं	2200
	जो भारी काम करती है	3000

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में नेशनल न्यूटीशन मानीटरिंग ब्यूरों द्वारा 1980 के दौरान 10 राज्यों में जो सर्वेक्षण किये गये उनसे पता चला है कि एक औसत स्वस्थ्य व्यक्ति के लिए जितनी प्रोटीन और कैलोरियां अपेक्षित होती हैं, 44.3 प्रतिशत व्यक्ति आहार में उतनी प्रोटीन और और कैलोरिया ले लेते थे ।

अवतार नगर स्टेशन का विकास

3174. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अवतार नगर स्टेशन के महत्व को देखते हुए छपरा-सोनपुर के बीच स्थित अवतार नगर स्टेशन के विकास के प्रश्न पर विचार करेगी;

(ख) क्या वहां पर सिगनल, प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय तथा सामान कक्ष के न होने के कारण यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार इस स्टेशन का शीघ्र विकास करेगी और वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल इस स्टेशन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेलवे उपयोगकर्ता सुविधा समिति के साथ परामर्श करके धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध आधार पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। आवश्यक पाये जाने पर इस मामले में तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।

चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान आरम्भ की जाने वाली डी.टी.सी. बसों की संख्या

3175. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में भारी भीड़-भाड़ को देखते हुए चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान नई बसें खरीदने का अथवा प्राप्त करने का व उन्हें डी० टी० सी० की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके अंतर्गत कितनी डी० टी० सी० बसें आरम्भ की जाएंगी; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली परिवहन निगम अपनी बस सेवा में सुधार और बसों में सवारियों की भीड़ को कम करने के लिए प्रति वर्ष बसों में वृद्धि करता रहा है। दिल्ली परिवहन निगम चालू वित्तीय वर्ष में 290 नयी बसें खरीद रहा है और वर्ष 1983-84 की योजना के अनुसार अगले वर्ष 300 और बसें खरीदेगा जिसका परिव्यय अनुमोदित हो चुका है। दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन में प्राइवेट बसों की संख्या में वृद्धि करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

हल्दिया बन्दरगाह पर तेल घाट

3176. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को योजना मंत्रालय से छठी योजना अवधि के दौरान हल्दिया बन्दरगाह पर एक और तेल घाट स्थापित करने हेतु अन्तिम रूप से स्वीकृति मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) हल्दिया में दूसरे तेल घाट के निर्माण के लिए छठी योजना 1980-85 में 6.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बारे में पूंजी लगाने पर निर्णय लिया जाना बाकी है।

(ग) परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

इलाहाबाद में यमुना पुल

3177. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में यमुना पुल का जीवन काल पूरा हो चुका है और वह किसी भी समय ढह सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मरम्मत के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। अप लाइन के पुल का निर्माण 1865 में किया गया था और 1929 में इस पर फिर से गानर्डर लगाये गये थे। डाउन लाइत के पुल का निर्माण 1913 में किया गया था। ये दोनों पुल यातायात के लिए निरापद हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सांची स्तूप के कुछ भागों का ढह जाना

3178. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप के कुछ भाग ढह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस इमारत की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। मुख्य सांची स्तूप संरचनात्मक दृष्टि से सुदृढ़ स्थिति में है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सावधिक रासायनिक उपचार सहित रख-रखाव के कार्य स्मारक की आवश्यकताओं के अनुसार पूरे किए जा रहे हैं।

दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट की वर्ष 1982 की परीक्षा के अंकों की दुबारा जांच

3179. **श्री काली चरण शर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन द्वारा वर्ष 1982 में ली गई दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में अपने अंकों की दुबारा जांच कराने के लिए कितने परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है;

(ख) उनके निपटान में कितना समय लगा और कितने मामलों में गलतियां पाई गईं;

(ग) उत्तर पुस्तिकाओं की दुबारा जांच करते समय उत्तर पुस्तिकाओं का गलत मूल्यांकन न होने देने के लिए क्या सावधानी बरती गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार पुनर्मूल्यांकन की प्रणाली शुरू करने का है ताकि उन छात्रों के प्रति न्याय किया जा सके जिन्हें परीक्षकों से अन्याय मिलता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 1982 में 1077 परीक्षार्थियों ने एक से लेकर पांच विषयों तक में अपने अंकों की दोबारा जांच कराने के लिए आवेदन किया। 14 मामलों में गलतियां पाई गईं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे मामलों को निपटाने में सामान्यत: दो या तीन सप्ताह लेता है।

(ग) अंकों की दोबारा जांच का पर्यवेक्षण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

विशेष घटक योजना के अधीन अनुसूचित जाति के लोगों की बेहतरी और विकास

3180. **श्री सूरज भान** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिये अगल-अलग विशेष घटक योजना के अधीन अनुसूचित जाति बेहतरी और विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त दोनों वर्षों के दौरान अलग-अलग वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष कम व्यय करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास कोई भी स्पेशल कम्पोनेट प्लान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

एशियाड-82 के लिए भारतीय दल के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय

3181. **श्री कमल नाथ** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड–82 के लिए विभिन्न खेलों के लिए भारतीय टीमों के विषय में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) एशियाड-82 के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारतीय ओलम्पिक संघ ने, जो एशियाड-1982 के लिए भारतीय टीमों के चयन के लिए जिम्मेदार है, सरकार को सूचित किया है कि नौवें एशियाई खेल, 1982 की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) भारत नौवें एशियाई खेलों में शामिल सभी 21 खेलों में भाग लेगा । भारत कबड्डी में भी भाग लेगा जो खेलों के लिए स्वीकृत दो प्रदर्शन खेलों में से एक है। नौवें एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए हमारे पुरुष और महिला खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के परामर्श से और अखिल भारतीय खेल परिषद तथा श्री आर० एन० मिर्धा संसद सदस्य की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित प्रशिक्षण एवं निरीक्षण समिति की स्वीकृति से तैयार की गई प्रशिक्षण समय-सारणी को कार्यान्वित किया जा रहा है । 30.6.82 तक 175 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं । राष्ट्रीय खेल संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षकों और विदेशी प्रशिक्षकों, जिनकी सेवाएँ राष्ट्रीय खेल संघों के अनुरोध पर प्राप्त की गई हैं, द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है । टीमों के प्रशिक्षण में आवश्यक आयातित परिष्कृत खेल उपस्कर और खेल प्रशिक्षण फिल्में और देशी उपस्कर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जहां कहीं आवश्यक है विदेशों तथा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं । राष्ट्रीय खेल सस्थान पटियाला में सिंथेटिक ट्रैक और सिंथेटिक हाकी टर्फ बिछाने के अलावा राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में 5 नये इनडोर हालों के रूप में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और नेशनल स्टेडियम में आस्ट्रो टर्फ सतह बिछा कर भारतीय टीमों के प्रशिक्षण के लिए भौतिक सुविधाओं का सृजन किया गया है । राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के शारीरिक अनुकूलन के लिए और शारीरिक स्वस्थता मापने के लिए भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं । इसके अलावा एशियाड-82 के लिए प्रशिक्षणाधीन खिलाड़ियों के लिए खुराक की राशि बढ़ाकर 25- रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन कर दी गई है ।

राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पश्चिम तट नहर

3182. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में पश्चिमी तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में मान रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे विकसित करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) केरल का पश्चिमी तट नहर अब तक चुने हुए उन जल मार्गों में से एक है जिन्हें राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने पर विचार किया जा रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना में हाइड्रोग्राफिक सर्वे और यातायात अध्ययन के लिए व्यवस्था की गई है जो जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के पूर्व आवश्यक है। इस कार्य के लिए जिसमें तकनीकी और वित्तीय कार्य शामिल हैं, धन के उपलब्ध होने पर इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की जायेगी।

उज्जैन और नागदा के बीच दोहरी लाइन

3183. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन और नागदा के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का काम निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नागदा-उज्जैन खंड पर नागदा और पिपलोदा बागला तथा नाई-खेड़ी-उज्जैन के बीच 19.17 कि. मी. में दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। पिपलोदा बागला और नाई-खेड़ी के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य भी एक अनुमोदित कार्य है, और संसाधनों की तंगी के रहते हुए यह कार्य चल रहा है।

ग्रामीण महिलाओं द्वारा गर्भ-निरोधक गोलियों का प्रयोग

3184. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को मुंह के जरिये प्रयोग की जाने वाली उन गर्भ निरोधक गोलियों की सप्लाई करने का निर्णय किया है जो विमेथ, पार्क डेविस आदि जैसी विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा सरकार को दान स्वरूप अत्यन्त सस्ती दरों पर बेची जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की गोलियों के खतरनाक दीर्घावधि अतिरिक्त प्रतिकूल प्रभाव (साइड इफैक्ट) के परिप्रेक्ष्य में विकासशील देशों में इन गोलियों के विरुद्ध विरोध बढ़ रहा है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय एकाधिकार कम्पनियां भारत की गरीब स्त्रियों के पास न बिकी योग्य घटिया दर्जे की भरमार कर देना चाहती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस स्थिति में इन औषधियों के प्रयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय सप्लाई स्तर पर कदम उठाने का विचार है जहां इनका निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे कि इनके प्रयोग से महिलाओं में शिरावरोधी प्रवृत्ति होती है, जिगर खराब होता जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं। वैसे, नगरीय और ग्रामीण इलाकों में कम मात्रा की खाये जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित) मुफ्त सप्लाई करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। भारत में ये गोलियां जनसंख्या कार्यकलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि द्वारा आंशिक रूप से सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल से इण्डियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटिड द्वारा बनाई जाती हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

उच्च तनाव और हृदय रोग के मामलों में वृद्धि

3185. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उच्च तनाव और हृदय रोग के मामले में 200 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इंटरनेशनल कांग्रेस आन ट्रोपीकल कार्डियालोजी के आयोजक और महासचिव ने इस तथ्य का उद्घाटन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने कहा था कि उच्च रक्तचाप के मामलों का एक सर्वेक्षण करने से यह पता लगा है कि 50 वर्ष की आयु से ऊपर के लगभग 30 प्रतिशत लोग उच्च-रक्त-चाप से पीड़ित पाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्होंने क्या अन्य टिप्पणियां कीं; और

(ङ) क्या उन्होंने इन रोगों को रोकने के लिए कतिपय सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हाल ही में देश में उच्च तनाव और हृदय रोग की घटनाओं में वृद्धि होने के बारे में कोई प्रमाणित आंकड़े नहीं हैं।

(ख) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् को इन्टरनशनल कांग्रेस आन ट्रोपीकल कार्डियालाजी के संयोजक और महासचिव डा० के० जी० नायर द्वारा दी गई टिप्पणियों की जानकारी है जो 4 जुलाई, 1982 की पैट्रियाट में छपी थी (प्रति संलग्न है)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4364/82]

सड़कों के रख-रखाव को प्राथमिकता

3186 **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री ने नई सड़कों की बजाय सड़कों के रख-रखाव को उच्च प्राथमिकता देने की दलील दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि सड़कों के मामलों में वित्तीय अभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि सड़कें राष्ट्रीय परिसम्पत्ति हैं;

(ग) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि वित्तीय अधिकारियों द्वारा सड़कों के रख-रखाव के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की अनिच्छा का कारण रख-रखाव नीति का अभाव था;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि राजमार्गों का रख-रखाव आवश्यक है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से सड़कों के सुधार और इनकी देख-रेख के लिए कुछ सुझाव देने के लिए कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (च) जी, हां। सुझाव इंडियन रोड्स कांग्रेस द्वारा 1-7-82 को बंगलोर में सड़कों के अनुरक्षण और जल निकासी सम्बन्धी समस्याओं पर आयोजित विचार गोष्ठी में मंत्री जी ने अपने उद्घाटन भाषण में दिये थे। इंडियन रोड्स कांग्रेस सोसायटीज एक्ट, 1860 के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसायटी है और इसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सेमिनार की सिफारिशें इंडियन रोड्स कांग्रेस सभी को भेजेगा जिसमें राज्य भी शामिल हैं। ताकि सड़कों के अनुरक्षण और सुधार के लिए उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन किया जाए।

1980-81 और 1981-82 के दौरान पत्तनों में हैंडिल किये गये नौभार की मात्रा

3187. **श्री उत्तम राठोर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रमुख पत्तनों में 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितने नौभार को हैंडिल किया गया; और

(ख) यदि पिछले दो वर्षों में नौभार के हेंडलिंग के कार्य में वृद्धि हुई है तो क्या चालू वर्ष और आने वाले वर्षों में नौभार की बढ़ती हुई मात्रा को हेंडलिंग करने के लिए पत्तनों पर पर्याप्त उपाय किये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) 1981-82 की अवधि के दौरान सभी बड़े पत्तनों ने 87.41 मिलियन टन का कार्गो हेंडलिंग किया जबकि 1981-82 के दौरान 81.32 मिलियन टन कार्गो हेंडलिंग किया गया। इस प्रकार यह 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) कार्गो की बढ़ती हुई मात्रा को हेंडल करने के लिए अतिरिक्त बर्थ बनाकर, कार्गो हेंडलिंग से साज-सामानों का नवीकरण कर और कंटेनर हेंडलिंग साज-सामानों को खरीदकर पत्तनों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। बड़े पत्तनों के विकास के लिए 521 करोड़ रुपये की एक राशि (न्हावा शेवा पत्तन को छोड़ कर) निर्धारित की गई है। छठी योजना में सम्मिलित अधिकांश स्कीमों की मंजूरी दी जा चुकी है। इन स्कीमों में कांडला, मद्रास, न्यू मंगलोर, मुरगांव, पारादीप, टूटीकोरिन और विशाखापत्तनम के पत्तनों पर सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण कार्य, कोचिन और पारादीप के पत्तनों पर उर्वरक बर्थ, कांडला और कोचिन के पत्तनों पर तेल घाट, बम्बई में कंटेनर हेंडलिंग सुविधायें और मद्रास में एक पूर्ण कंटेनर टर्मिनल आदि शामिल हैं। इन स्कीमों की अनुमानित लागत 225 करोड़ रुपये से ऊपर है और यह चालू योजना अवधि में ही पूरे हो जायेंगे। ये स्कीम और चालू स्कीमों के पूरा हो जाने पर पत्तनों की क्षमता 130 मिलियन टन कार्गो हेंडल करने की हो जायेगी।

बम्बई बंदरगाह पर एक नये पत्तन न्हावा शेवा के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 592 करोड़ रुपये की मंजूरी जून 1982 में दी गई है।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की हड़ताल

3188. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां केन्द्र प्रशासित विश्वविद्यालयों के शिक्षक 78 या उसके अधिक दिन से हड़ताल पर हैं, और उनकी मांगें क्या हैं; और

(ख) शिक्षकों की मांगें पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कोई अध्यापक पिछले 78 दिनों अथवा इससे अधिक समय से हड़ताल पर नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में काम कर रहे भारतीय उत्प्रवासियों की समस्या

3189. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उत्प्रवासियों और उनके विदेशी मालिकों के बीच विवाद के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और विदेश स्थित भारतीय मिशन उन पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों को हल करने में कहां तक सफलता मिली है; और

(ग) क्या विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय उत्प्रवासियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए मिशनों/स्थानों में भारत के अथवा स्थानीय कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां। 1980 और 1981 के दौरान भारतीय उत्प्रवासियों और उनके विदेशी नियोक्ताओं के बीच विवाद के लगभग 10493 मामले भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा स्थानीय प्रशासनिक/न्यायिक प्राधिकारियों के साथ उठाए गए थे। अब तक अधिकतर मामलों में विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को सफलता मिली है।

इनमें से अधिकतर मामले वेतन का भुगतान न किये जाने; रोजगार संविदा बदलने/वापस लेने, सहमत सुविधाओं/शर्तों के पूरा न किये जाने; आवास की खराब परिस्थितियों; सेवान्त लाभ का भुगतान न किये जाने; नियोक्ताओं द्वारा तंग किए जाने; भर्ती किये गए काम के अलावा काम पर नियुक्त किये जाने के बारे में थे।

(ग) विदेश स्थित हमारे मिशनों/केन्द्रों की संख्या-शक्ति की विदेश सेवा निरीक्षणालय द्वारा बराबर समीक्षा की जाती है जिसमें समग्र कार्यात्मक कुशलता, मित-व्ययता और कार्य अध्ययन-दल द्वारा निर्धारित वस्तुगत फार्मूलों को ध्यान में रखा जाता है।

सरकारी समिति की रेल दुर्घटनाओं के बारे में सिफारिशें

3190. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीकरी समिति ने रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कितनी सिफारिशें कीं तथा सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, और अस्वीकार की गई सिफारिशों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) ये सिफारिशें दुर्घटनाएं रोकने में कहां तक सफल हुई हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सीकरी समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की थी। भाग-1 में 170 अभ्युक्तियां/सिफारिशें थीं और भाग-2 में 413 अभ्युक्तियां/सिफारिशें थीं। जबकि रिपोर्ट के भाग-II में शामिल

सिफारिशों पर 'सरकार के दृष्टिकोण' को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, वही भाग-I में की गयी 109 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है। शेष 61 मदों में से, 52 में केवल अभ्युक्तियां थीं जिन पर कोई कार्रवाही अपेक्षित नहीं थी। तीन सिफारिशों को मंजूर नहीं किया गया और 6 विचाराधीन हैं।

(ख) सीकरी समिति ने रेल संचालन में संरक्षा व्यवस्था को लागू किये जाने के बारे में और सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और अनेक उपायों को सिफारिश की है जिनके कार्यान्वयन एक पृथक से गाड़ी परिचालन की संरक्षा में निःसंदेह सुधार आयेगा।

देश में एक समान आधार पर मद्य निषेध लागू करने के लिए केन्द्रीय विधान

3191. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने राष्ट्रीय अल्कोहल नितयों तथा कार्यक्रमों के निर्धारण के लिये भेजी गई एक प्रश्नावली के उत्तर में विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया है कि केन्द्र राज्य सरकारों के लिये 1955 में तैयार किये गये मार्ग निर्देशों के बावजूद मद्य निषेध का विरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने देश में एक समान रूप से मद्य निषेध लागू करने के लिये एक केंद्रीय विधान बनाने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। मद्य निषेध राज्य का विषय है।

1981 की रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा

3192. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल अधिकारियों ने वर्ष 1981 में होने वाली रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों के आश्रितों को कोई मुआवजा नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में दावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 और रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया गया है।

दूसरा हुगली पुल

3193. **इन्द्रजीत गुप्त** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा परियोजना की बढ़ी हुई लागत की व्यवस्था करने से इन्कार किये जाने के कारण कलकत्ता में दूसरे हुगली पुल का निर्माण अनिश्चित हो गया है;

(ख) क्या जब परियोजना की स्वीकृति दी गई थी उस समय केन्द्रीय सरकार ने ऋण के रूप में कुल राशि राज्य सरकार को देने की स्वीकृति दी थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अब अपना दिया हुआ आश्वासन वापस लेना चाहती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) नवम्बर 1979 में राज्य सरकारों को सूचित किया गया था कि परियोजना के राष्ट्रीय महत्व और इस संबंध में पहले के निर्णय को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार अस्वीकार्य मदों को छोड़ कर इस परियोजना की लागत के मूल्यांकन के आधार पर जैसा कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच तय हुआ था, 57 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए सहमत है। इसके बाद जो खर्च हो उसे राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरा करेगी। इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है और 1981-82 के अंत तक 4256·61 लाख रुपये की पहले ही ऋण सहायता दी जा चुकी है। 1982-83 के दौरान 14.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 14.56 करोड़ रुपये में से 6.92 करोड़ रुपये अब तक राज्य सरकारों की आवश्यकतानुसार दिये जा चुके हैं।

भारतीय नौवहन निगम के पोतों का कुल टन भार

3194. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के इस समय चल रहे पोतों का कुल टन भार क्या है;

(ख) क्या इसके टन भार को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस समय चल रहे पोतों में से कोई पोत पुराना हो गया है और उसे बदल देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो पुराने पोतों को बदलने और टन भार बढ़ाने के लिए कितने पोत खरीदने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में कुल 50.47 लाख टन डी. डब्ल्यू. टी. के 147 जहाज हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय नौवहन निगम की छठी योजना में पुराने जहाजों को बदलने के लिए 25 जहाजों को खरीदने का प्रस्ताव है और शेष 25 जहाजों के खरीदने का प्रस्ताव जहाजी बेड़े का विस्तार करने के लिए है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रधानाचार्यों के भर्ती नियमों में संशोधन

3195 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से प्रधानाचार्यों डी. ई ओ एस., ए. डी. ई. आदि की समस्यापों के हल के लिये भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कब प्राप्त हुआ था और उस पर क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) विभाग में कितने प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक डी. ई. ओज. तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने समय-समय पर उन व्यक्तियों के हितों के संरक्षण का आश्वासन दिया है जो अनेक वर्षों से सेवा में हैं; यदि हां, तो उनकी सेवाओं को विनियमित करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए अंदमान और निकोबार प्रशासन से 9-2-81 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ताकि ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जा सके जो अन्दमान और निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग में उस शिक्षा अधिकारी (सामान्य) के रूप में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) अंदमान और निकोबार प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 13 प्रिंसिपल, 6 सहायक निदेशक और 7 उप शिक्षा अधिकारी अप्रैल, 1967 से अगस्त, 1981 तक की भिन्न-भिन्न अवधि से शिक्षा विभाग में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(घ) कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। शैक्षिक अर्हताओं में छूट देने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

इन्जीनियरिंग संस्थान, बी० आई० टी० मिश्रा, रांची

3196. **श्री रणजीत सिंहा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची, बिहार में कोई इंजीनियरी संस्थान, बी० आई० टी० मिश्रा चल रहा है;

(ख) क्या सरकार इस संस्थान को समय समय पर अनुदान देती रही है;

(ग) क्या वहां छात्रों का प्रवेश योग्यता के आधार पर होता है अथवा राजनैतिक सिफारिश पर; और

(घ) राजनैतिक सिफारिशों के आधार पर प्रवेश देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अवर-स्नातक पाठ्यक्रम चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुरक्षण अनुदान नहीं दिया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा अवर स्नातक पाठ्यक्रम के विकास के लिए संस्था को 1972 से पहले कुछ अनुदान दिया गया था। अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान देती है।

(ग) संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले किए जाते हैं न कि राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर। 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए और 20 स्थान प्रबन्ध के मनोनीत व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भी प्रवेश परीक्षा में बैठना और उसमें अर्हता प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बाघ गुफाओं का रखरखाव

3107. **श्री सुभाष यादव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मध्य प्रदेश में बाघ गुफाओं का उचित ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाघ गुफाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है यदि इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था की गयी हो तो, वह कितना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) बाघ गुफाओं की मरम्मतें की जा रही हैं। परिरक्षण हेतु गुफाओं की शैल-छतों का

सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और तरल सीमेंट मसाला भरकर उन्हें जलरोधी बनाया जा रहा है, तत्पश्चात् शीर्ष भाग पर चट्टानी पत्थर लगाकर कंक्रीट बिछाने का कार्य किया जाएगा। इन कार्यों के लिए 3,50,000/- रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया है।

बम्बई-त्रिवेन्द्रम जयन्ती जनता के यात्रियों को शोलापुर और धेन्द के बीच बराबर लूटा जाना

3198. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई-त्रिवेन्द्रम जयन्ती जनता के यात्रियों का सामान, जब वह शोलापुर और धेन्द के बीच पहुंचती हैं, आये दिन डकैती और लुटेरों के गिरोहों द्वारा लूटा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चालू वर्ष के दौरान शोलापुर और दौंड के बीच बम्बई-त्रिवेन्द्रम जयन्ती जनता एक्सप्रेस में डकैती या लूटपाट की किसी घटना का पता नहीं चला है। बहरहाल, इस अवधि के दौरान इस गाड़ी में शोलापुर/दौंड में यात्रियों के सामान की चोरी की 3 घटनाओं का पता चला है। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाने वाली तत्काल कार्रवाई के परिणामस्वरूप इन मामलों में चोरी की गयी पूरी सम्पत्ति को बरामद कर लिया गया और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

(ख) राजकीय रेलवे पुलिस जो यात्रियों और उनके सामान की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, रेलों पर इस समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे सुरक्षा बल जहां आवश्यकता होती है वहां उनकी सहायता कर रही है। राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या भी बढ़ायी जा रही है। इसके अतिरिक्त संरक्षा और सुरक्षा की पूरी समस्या तथा रेलों पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की रेल सुधार समिति द्वारा जांच की जा रही है।

खलासियों को चयन सूची में अनियमितता बरतने का आरोप

3199. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खलासियों की चयन सूची में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति रेल कर्मचारी संघ के महामंत्री का दिनांक 29 मई, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इतनी देरी करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी संघ और दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों के बच्चों को माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, गुन्तुपल्ली में खलासियों के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल में रखा गया है और इन्हें अनुचित तरजीह दी गयी है।

(ग) की गयी जांच-पड़ताल से पता चला है कि इस कारखाने में खलासियों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली और कासगंज के बीच रेल गाड़ियों का देर से चलना

3200. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कासगंज और बरेली के बीच चलने वाली ऐसी मेल, एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियों की पृथक-पृथक संख्या और प्रतिशतता क्या है जो जनवरी 1982 से जून, 1982 के दौरान विलम्ब से चलीं;

(ख) 1980 और 1981 की तुलना में 1982 में सवारी गाड़ियां किस तरह ठीक समय पर चलीं;

(ग) क्या इस मार्ग पर सवारी गाड़ियों के ठीक समय पर चलने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार मंडल प्रशासन में प्रभावपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) समय पाबन्दी पर दुष्प्रभाव डालने वाले कारणों की दिन प्रति दिन के आधार पर समीक्षा की जाती है और अपेक्षित परिवर्तन तथा संगठन और प्रक्रिया को कारगर बनाया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

महीना	82 में देर से चली गाड़ियों की संख्या	देर से चली गाड़ियों का प्रतिशत		
		1982	1981	1980
(क) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां :				
जनवरी	28	46.7	36.0	25.8
फरवरी	17	31.5	28.5	24.1
मार्च	19	30.6	45.1	21.0
अप्रैल	24	40.7	35 0	30.0
मई	34	54.8	38.7	54.1
जून	32	53.3	41.7	58.3
(ख) सवारी गाड़ियां :				
जनवरी	84	56.3	79.4	54.8
फरवरी	87	59.6	77.2	50.9
मार्च	121	68.7	76.0	58.9
अप्रैल	130	75.1	59.3	59.4
मई	156	77 2	74 8	65.5
जून	156	80.8	64.8	49.5

उत्तर प्रदेश सरकार को तपेदिक उन्मूलन के लिए धन का नियतन

3201- **श्री हरीश रावत:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा तपेदिक के उन्मूलन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि का नियतन किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री; (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को 17.66 लाख रुपये के मूल्य की क्षय रोग दवाइयां तथा उपकरण सप्लाई किए गए थे । इसके अतिरिक्त 1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे क्षय रोग क्लिनिकों को 0. 90 लाख रुपये की क्षय रोग दवाइयाँ भेजी गई थीं ।

75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली दिल्ली की छात्राओं को सेंट स्टीफन कालेज, दिल्ली में प्रवेश न दिया जाना

3202. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 75 से 85 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाली अनेक छात्राओं को इस आधार पर सेंट स्टीफन कालेज, दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया गया, कि उनके माता पिता दिल्ली के आधिवासी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और प्राधिकारियों ने उन छात्राओं की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) किसी प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सेन्ट स्टीफन्स कालेज के अपने दाखिले की विवरणिका में यह उल्लेख किया गया था कि क्योंकि कालेज में महिलाओं के आवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है अतः महिला आवेदकों को दाखिला देने के सम्बन्ध में केवल तभी विचार किया जायगा यदि उनके माता-पिता दिल्ली/नई दिल्ली में रहते हैं। कालेज इस प्रतिबन्ध को केवल तभी हटा सकता है जब इसमें छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो सकेगी।

भारत में बिगड़ती हुई पोषण स्थिति

3203. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पोषण संबंधी स्थिति बिगड़ गई थी और देश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि का पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा प्रोटीन आदि तत्व के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) पोषाहार तत्वों को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नेशनल न्यूट्रिशन मानिटरिंग ब्यूरो द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि देश में पोषण संबंधी स्थिति खराब नहीं हुई है बल्कि उसमें सुधार हुआ है।

(ख) नेशनल न्यूट्रिशन मानिटरिंग ब्यूरो के अध्ययनों से पता चला है कि कैलोरी की औसत खपत 2404 है जबकि कैलोरी की खपत की संस्तुत मात्रा 2400 है। कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के लोग कैलोरी की संस्तुत स्तर से अधिक मात्रा में खपत करते हैं जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लोग संस्तुत से कम मात्रा में कैलोरी खपत करते हैं। केरल और

तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों के लोग संस्तुत स्तर (55 ग्राम) से अधिक मात्रा में प्रोटीन खाते हैं।

(ग) आहार में पौष्टिक तत्वों की वृद्धि करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान सरकार का विभिन्न विभागों के माध्यम से निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है :—

(1) विभिन्न स्तरों पर पोषण संबंधी जानकारी देने का काम तेजी से करना जिसमें स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर बल दिया जाएगा।

(2) कटाई के बाद प्रयुक्त होने वाली तकनीकों के माध्यम से खाद्य पदार्थों का उत्पादन और उनका संरक्षण।

(3) खाद्यानों, दालों और नकदी फसलों का संतुलित उत्पादन अर्थात दालों, तिलहन, सब्जियों और पशु पालन में वृद्धि।

(4) मौजूदा पूरक आहार कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना ताकि आहार देने के साथ-साथ स्वास्थ्य सामग्री की व्यवस्था भी हो जाए।

(5) लोगों के विभिन्न वर्गों के लिए नुस्खे तैयार करना।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों को मानार्थ पासों का जारी किया जाना

3204. **श्री राम अवध :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किन-किन व्यक्तियों को निःशुल्क अथवा मानार्थ पास जारी किये गये और उनमें से अतिविशिष्ट व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ख) कितने व्यक्तियों को ऐसे पास स्थायी आधार पर जारी किये गये हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4365/82]

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बिहार में 30 शय्याओं वाला अस्पताल

3205. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बिहार के (1) डामचंच (हजारीबाद), (2) जेनामोर (गिरीडीह), (3) बाराजमंदा (सिंहभूम), (4) त्रिवेनगंज (सहरसा) और (5) सहरसा बरसोई (कटिहार) में 30 शय्याओं वाले रेफरल अस्पतालों का निर्माण कार्य

1976 में आरम्भ किया गया था और उनमें से प्रत्येक 9.80 लाख रुपये की लागत पर 1977 में पूरे हो गये थे;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जन स्वास्थ्य के हित में उपरोक्त पांच रेफरल अस्पतालों को सहायता दी थी; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा जनता के लिये अब तक इन अस्पतालों को न खोलने के क्या कारण हैं; और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कैंसर रोगियों का सर्वेक्षण

3206. **श्री तारिक अनवर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के कुल कैंसर रोगियों के आधे रोगी विकासशील देशों में हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में कैंसर रोगियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसकी आवश्यकता को महसूस न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संसार में कैंसर के रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था, सरकार को इस की जानकारी नहीं है। वैसे कैंसर रोगियों की विश्व-व्यापी अनुमानित संख्या के अनुसार कैंसर के नए रोगियों में से लगभग 62 प्रतिशत रोगी विकास-शील देशों के होने का अनुमान है।

(ख), (ग) और (घ) अभी तक कैंसर के रोगियों का कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। मुख्य संचारी रोगों की तुलना में इस रोग के रोगी बहुत कम होने के कारण तथा क्षेत्रीय स्तर पर इसके निदान में कठिनाइयां होने के कारण राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण व्यावहारिक नहीं हो सकेंगे। फिर भी, कुछेक क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों के ही आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। भारत सरकार प्रारंभिक कैंसर-खोजी केन्द्र, क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र और कैंसर रजि-स्ट्रियां स्थापित करके देश भर में उपचार केन्द्रों का जाल सा बिछा कर कैंसर रोगियों की सहायता कर रही है।

भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थानों के ऊर्जा केन्द्रों का कार्यक्रम

3207. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के ऊर्जा केन्द्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा के लिए गठित प्रो० जी० के० मेनन समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) उपरोक्त समिति के निष्कर्षों के संदर्भ में इन केन्द्रों को परिणाम उन्मुख बनाने के लिए इनके कार्यकरण को सुधारने के लिए किस प्रकार के कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान दिल्ली के ऊर्जा अध्ययन केन्द्र सहित, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में उच्च अध्ययन केन्द्रों के बारे में पुनरीक्षण समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें संलग्न हैं। (अनुबन्ध)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4366/82]

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद ने सभी पाँचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को मेनन समिति की सिफारिशों का कार्यान्वियन करने का निदेश दिया है।

सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशतता का कम होना

3208. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या शिक्षा और संस्कृति मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कीम के अधीन सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशतता इस वर्ष कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विभिन्न शिक्षण विभागों में मौजूदा रिक्त स्थानों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) कितने सहायता प्राप्त स्कूलों विशेषकर जिले के पूर्वी स्थानों के स्कूलों में 1981-82 शिक्षा सत्र के दौरान शिक्षकों के रिक्त स्थानों को नहीं भरा गया और इन स्कूलों में कुल कितने रिक्त स्थान थे; और

(च) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) यह गिरावट सामान्य सीमा (रेन्ज) के अन्तर्गत है। अतः इसके लिए कोई विशेष कारण बताए नहीं जा सकते।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केवल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ही रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है।

(घ) सहायता प्राप्त स्कूलों में पदों को भरने की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रबन्ध समितियों, उनके सम्बन्धित स्कूलों के नियुक्त प्राधिकारियों की होती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद के अलावा सहायता प्राप्त स्कूलो में सभी अन्य पद पदोन्नति से भरे जाने वाले पद हैं। अधिकांश पद वरीयता सूची को अन्तिम रूप न देने तथा प्राथमिक स्कूलों में योगा-शिक्षकों तथा मुख्याध्यापकों जैसे पदों का सृजन न होने के कारण खाली पड़े रहते हैं।

(ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पूर्वी जिले में 90 सहायता प्राप्त स्कूलों में 247 पद खाली पड़े रहे।

(च) दिल्ली प्रशासन ने प्रबन्ध समितियों को अनुदेश जारी किए हैं जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि उनके स्कूलों में जब कभी रिक्त पद उत्पन्न हों तो उन्हें भरा जाए।

भारतीय पुस्तकों को चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाने का कथित समाचार

3209. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पुस्तकों को चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुस्तक व्यापार के हित में इस प्रथा को रोकने के लिये अब तक क्या प्रभावी उपाय किये गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और पाकिस्तान दोनों के मौजूदा कापीराइट कानून के अन्तर्गत पारस्परिक आधार पर कापीराइट सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसके उल्लंघन के मामलों में पीड़ित पक्षों के लिए सिविल और अपराधिक उपचार उपलब्ध हैं। कॉपीराइट चूंकि अवेक्षणीय अपराध है, अतः उसके उल्लंघन के मामले में आवश्यक कार्रवाई संबंधित पीड़ित पक्ष को आरम्भ करनी होती है।

गैर हिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति

3210. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-1981 और 1982 के दौरान किन गैर हिन्दी भाषी राज्यों को अपने स्कूलों में हिन्दी अध्यापक नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई और प्रत्येक राज्य को सहायता की कितनी राशि दी गई तथा उसका आधार क्या था; और

(ख) इस सहायता से कितने छात्रों को हिन्दी पढ़ाई गई तथा किस प्रकार ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण संलग्न है। प्रत्येक राज्य में लागू वेतनमानों पर नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित शिक्षकों की संख्या के आधार पर सहायता दी जाती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक दिए गए अनुदान (लाख रुपयों में)		
	1980-81	1981-82	1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	5.76	12.70	वर्ष 1982-83 के लिए
2. असम	2.00	10.85	संबंधित राज्य सर-
3. गुजरात	—	2.00	कारों/संघ शासित क्षेत्रों
4. केरल	5.00	—	से प्रस्ताव आमंत्रित कर
5. नागालैंड	0.22	0.59	लिए गए हैं।
6. उड़ीसा	0·24	0.69	
7. मणिपुर	0·87	—	
8. त्रिपुरा	—	0.02	
9. मिजोरम	0.79	0.90	

भारतीय शिपयार्डों का उत्पादन सम्बन्धी कार्य निष्पादन

3211. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय शिपयार्डों के उत्पादन संबंधी कार्य निष्पादन में हुये वास्तविक सुधार का ब्यौरा क्या है;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के अंतर्गत नियंत्रित दो शिपयार्डों का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार रहा है :

वर्ष	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
1979-80	33,110 डी. डब्ल्यू. टी.	22,352 डी. डब्ल्यू. टी.
1980-81	22,790 डी. डब्ल्यू टी.	36,754 डी. डब्ल्यू टी.
1981-82	19,780 डी. डब्ल्यू. टी.	53,056 डी. डब्ल्यू. टी.
1982-83 (अनुमानित)	66,650 डी. डब्ल्यू. टी.	77,000 डी. डब्ल्यू. टी.

सभी स्कूलों में योग प्रशिक्षण का अनिवार्य किया जाना

3212. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश के सभी स्कूलों में चालू वर्ष से योग प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कुल कितने योग अध्यापकों की आवश्यकता होगी और इस समय ऐसे कितने अध्यापक उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार के पास योग अध्यापकों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) योग को एक स्वतन्त्र विषय के रूप में, प्रयोगात्मक आधार पर सभी केन्द्रीय विद्यालयों (केन्द्रीय स्कूलों) में 1981-82 के शैक्षणिक सत्र से आरम्भ किया गया है। दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में योग को शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया गया है। योग को एक स्वतन्त्र विषय के रूप में, केन्द्रीय विद्यालयों के अलावा, विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों में शुरू करने संबंधी प्रश्न की केन्द्रीय विद्यालयों में योग को प्रयोगात्मक रूप में आरम्भ करने के परिणामों को देखते हुए तथा राज्य सरकारों के परामर्श से जांच करनी होगी।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में शत-प्रतिशत साक्षरता

3213. **श्री चतुर्भुज** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने प्रतिशत व्यक्ति साक्षर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से राजधानी में शत-प्रतिशत साक्षरता की योजना तैयार करने का है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जनगणना निदेशक, दिल्ली के अनुसार 1971 तथा 1981 के दौरान जनगणना में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के साक्षरता दर क्रमश: 56.61% तथा 61.06% थी। 1981 के लिये साक्षरता की दर अभी भी अस्थायी है।

(ख) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उपलब्ध प्रशासनिक तथा वित्तीय संसाधनों तथा उसके तत्संबंधी प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दिल्ली में, औपचारिक स्कूलों, प्रौढ़ स्कूलों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, समाज शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों आदि के माध्यम से साक्षरता की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, पड़ौसी राज्यों से उत्प्रवास/लोगों के आगमन और दिल्ली में जनसंख्या की वृद्धि से निश्चयपूर्वक यह बताना संभव नहीं है कि किस समय तक शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली जाएगी।

मुजफ्फरपुर रेल सेवा आयोग में दैनिक मजूरी भोगी चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों को नियमित किया जाना

3214. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर रेल सेवा आयोग में अनेक वर्षों से कार्यरत सैकड़ों दैनिक मजूरी भोगी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दैनिक मजूरी भोगी श्रमिक कितने हैं और वे कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन श्रमिकों द्वारा प्रदान की गयी लम्बी अवधि की सेवा को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार इनकी सेवा नियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1977 से एक, 1978 से 4, 1979 से 11, 1980 से 39 और 1981 से 40 नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे पर वर्ग 'घ' में समाहित करने के लिए उनके मामलों पर उनकी बारी आने पर विचार किया जायेगा।

(घ) उन्हें समाहित करने के लिये कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है क्योंकि यह संबंधित संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता और समाहन के लिए उनकी बारी पर निर्भर करता है।

शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर खुला शौचालय

3215. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में शेखपुरा रेलवे स्टेशन के आराम-गृह में कोई खुला शौचालय है जिसके कारण प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को अपना समय बदबू भरे वातावरण में बिताना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) शेखपुरा में कोई विश्रामालय नहीं है। फिर भी, शेखपुरा रेलवे स्टेशन के दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय के साथ एक एक्वा प्रिवी टाइप का शौचालय संबद्ध है। इस शौचालय को बन्द कर दिये जाने का प्रस्ताव है क्योंकि पानी की कमी और गलत उपयोग के कारण इसकी सफाई सुनिश्चित करना कठिन पाया गया है। इसके बदले में एक पृथक असंबद्ध शौचालय की व्यवस्था कर दी जायेगी।

मौतीनगर और बसईदारापुर के बीच नाले पर पुल का चौड़ा करना

3216. **श्री सज्जन कुमार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतीनगर और बसईदारापुर के बीच नाले पर पुल के कम चौड़ा होने के कारण दिल्ली परिवहन निगम की बसें बसईदारापुर तक नहीं चल सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 15 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1982 के उत्तर में उन्होंने ऐसा कहा है; और

(ग) यदि हां, तो लोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुये इस पुल को और चौड़ा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी हां। संसद में 15 अप्रैल, 1982 को लोक सभा में इस विषय पर लिखित प्रश्न संख्या 8087 में दिया गया उत्तर नीचे उद्धृत किया जाता है :—

> "बसईदारापुर से बस सेवा चलाना संभव नहीं है, क्योंकि कालोनी के पहुंच मार्ग, जो तंग पुल के ऊपर से गुजरते हैं, भारी गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है।"

(ग) दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण से सूचना मिली है कि उनके पास प्रश्न में उल्लिखित उक्त पुल के चौड़ा किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सांस्कृतिक दलों द्वारा 1981 तथा 1982 के दौरान विदेशों के दौरे

3217. **श्री जेविअर अराकल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 तथा 1982 में कितने सांस्कृतिक मंडल विदेशों को गये;

(ख) उनका खर्चा किसने किया और उन पर कितनी लागत बैठी; और

(ग) इन मंडलों को बाहर भेजने के लिये किस आधार पर चुना गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जबलपुर गोडिया लाइन पर चलने वाले पुराने रेल इंजन

3218. **श्री बाबू राव परांजपे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर गोडिया मीटरगेज रेल लाइन पर चलने वाले इंजन पुराने हो चुके हैं और अपनी उपयोगिता काल पूरा कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनको बदलने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या इन इंजनों का निर्माण भारत में हो रहा है अथवा आयात किया जा रहा है; और

(घ) इन नये इंजनों को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जबलपुर-गोंदिया एक छोटी आमान की लाइन है । 56 भाप रेल इन्जनों में से, 18 इन्जन गतायु हैं । लेकिन सभी रेल इंजन अच्छी हालत में हैं और संतोषप्रद सेवा दे रहे हैं ।

(ख) जब कभी आवश्यक समझा जायेगा इन इंजनों के बदले छोटी आमान के डीजल इंजन चलाये जायेंगे ।

(ग) छोटी आमान के डीजल रेल इंजनों का निर्माण चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में किया जा रहा है ।

(घ) यह छोटी आमान के डीजल इंजनों की आवश्यकता और उनके निर्माण के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका जबलपुर-गोंदिया एक भाग है, के नागपुर मंडल में छोटी आमान खंड पर संचालन के लिये पिछले दो वर्षों में छोटी आमान के 9 डीजल इंजन आबंटित किये गये हैं ।

पत्तन टाउनशिपों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना

3219. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पत्तन टाउनशिपों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछ अस्पताल और औषधालय स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन किन-किन पत्तन टाउनशिपों में ऐसे औषधालय और अस्पताल स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई अस्पताल अथवा औषधालय उड़ीसा में पराद्वीप पत्तन टाउनशिप में स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) देश के पत्तन टाउनशिपों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई अस्पताल नहीं खोला गया है। वैसे, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, जहां बड़े-बड़े पत्तन हैं, खोले गये हैं।

(ग) और (घ) ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

बच्चों के लिए दोपहर के पौष्टिक भोजन का कार्यक्रम

3220. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार के बच्चों के लिये दोपहर के पौष्टिक भोजन के कार्यक्रम की जानकारी है;

(ख) क्या संघ सरकार की निर्धन बच्चों की पौष्टिक भोजन प्राप्त करने में सहायता देने के लिये सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) से (ग) असम, जम्म और कश्मीर तथा मणिपुर को छोड़कर सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश, प्राइमरी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए "केयर" से प्राप्त खाद्य सामग्री की सहायता से अथवा देशी खाद्य पदार्थों से दोपहर के भोजन का कार्यक्रम चलाते हैं।

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 2 से 9 वर्ष तक की आयु वर्ग के निर्धन बच्चों के लिए, भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे वर्ष भर बच्चों को पर्याप्त दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा चाहे वे स्कूलों में पढ़ रहे हैं अथवा नहीं।

नई तथा आमूल रूप से संशोधित स्वास्थ्य नीति को कार्यान्वित करना

3221. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई तथा आमूल रूप से संशोधित स्वास्थ्य नीति को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसी नीति तैयार की जा रही है जिससे एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की जा सके जिसके अन्तर्गत इसके सभी पहलू दार्शनिक, सांस्कृतिक सामाजिक, आर्थिक, पोषाहार संबंधी, पर्यावरणीय, शैक्षिक, निरोधक तथा उपचारात्मक आते हों; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और इस नीति को तैयार करने वाले परामर्शदाता तथा अन्य व्यक्ति कौन हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आरक्षण के बारे में आकस्मिक जांच

3222. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जाली आरक्षणों का पता लगाने के लिए कुछ रेलगाड़ियों में आकस्मिक जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा गत दो महीनों में कितनी रेलगाड़ियों की जांच की गयी;

(ग) कुल कितने जाली मामले पाये गये; और

(घ) जालसाजी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) पिछले दो महीनों के दौरान 992 गाड़ियों की जांच की गयी थी।

(ग) और (घ) 2799 मामलों का पता चला था तथा पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की गयी थी।

उड़ीसा में नेहरू युवा केन्द्र

3223. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे नेहरू युवा केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उड़ीसा में इस प्रकार के कितने नेहरू युवा केन्द्र खोले गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में इस प्रकार का कम से कम एक नेहरू युवा केन्द्र खोलने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो उड़ीसा में 1982-83 के दौरान इस प्रकार के कितने नेहरू युवा केन्द्र खोलने का विचार है; और

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जिन स्थानों अथवा जिला मुख्यालयों में इस प्रकार के नेहरू युवा केन्द्र खोले जाएंगे उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) इस समय देश में 192 नेहरू युवा केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) नेहरू युवक केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इस समय उड़ीसा राज्य में 10 नेहरू युवक केन्द्र चल रहे हैं।

(घ) वर्तमान पंच वर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक-एक नेहरू युवक केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) वर्ष 1982-83 के दौरान, उड़ीसा राज्य के पुरी और बालासोर जिलों में दो अतिरिक्त नेहरू केन्द्र शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान 38 अतिरिक्त नेहरू युवक केन्द्र चालू किए जाने का प्रस्ताव है। युवक समन्वयकों के चयन को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही उन जिलों के नामों का, जहां ये नए केन्द्र शुरू किए जाएंगे, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के साथ परामर्श करके निश्चय किया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	चल रहे नेहरू युवक केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	14
2.	असम	18
3.	बिहार	13
4.	गुजरात	6
5.	हरियाणा	4
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	11
9.	केरल	8
10.	मध्य प्रदेश	15
11.	महाराष्ट्र	3
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	2
14.	नागालैंड	2
15.	उड़ीसा	10
16.	पंजाब	9
17.	राजस्थान	16
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	10
20.	त्रिपुरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	28
22.	पश्चिम बंगाल	8
23.	अरुणाचल प्रदेश	2
24.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
25.	चण्डीगढ़	1
26.	दादर और नागर हवेली	—
27.	दिल्ली	2
28.	गोवा दमन और दीव	2
29.	लक्ष द्वीप	1
30.	मिजोरम	1
31.	पांडिचेरी	1
		192

गुलेर रेलवे स्टेशन में वर्षा से बचाव घर और ज्वालामुखी में बचाव घर का विस्तार

3224. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने गुलेर रेलवे स्टेशन में वर्षा-बचाव घर बनाने और कन्या घाटी रेलवे में ज्वालामुखी रोड स्टेशन में वर्तमान वर्षा-बचाव घर का विस्तार करने के लिए कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए आबंटित की गयी राशि क्या है और गुलेर में वर्षा-बचाव घर और ज्वालामुखी में इस बचाव घर का विस्तार कार्य संभवतया किस तारीख तक हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन दो स्टेशनों में मांगों को देखते हुए इन्हें संभवतया किस तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यात्री सुविधा समिति के साथ परामर्श करके और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध आधार पर विस्तार/अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। धन की आम कमी के कारण, गुलेर स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड और ज्वालामुखी रोड पर वर्तमान शेड का विस्तार करने के लिए कोई योजना बनाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है।

प्रशिक्षण, बैठक, कार्यशाला और गोष्ठी में भाग लेने के लिए कर्मचारियों का चयन

3225. **श्री जैनुल बशर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे सांख्यिकीय-कर्मचारियों को भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण, बैठकों, कार्यशालाओं और गोष्ठियों में भाग लेने हेतु भेजने के लिए क्या कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले कुछेक चुने हुए लोगों ने ही ऐसी कार्यशालाओं, बैठकों और गोष्ठियों में भाग लिया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे लोगों का चयन करते समय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सदैव उपेक्षा की जाती रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितने अधिकारियों को एक से अधिक बार ऐसे काम के लिए चुना गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वयं इस प्रयोजन के लिए कोई औपचारिक मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किए हैं । वैसे, भारत में और विदेशों में इन सभी नियुक्तियों के बारे में यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मन्त्रालय द्वारा बनाये गये विनियमों का पालन करता है ।

उस प्रत्येक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, कार्यशाला, गोष्ठी आदि जिसके लिए हमें कर्मचारी मनोनीत करने के लिए कहा जाता है, की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं ।

(ग) नहीं ।

(घ) नहीं ।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1979-80, 80-81 और 81-82 के दौरान केवल एक अधिकारी ने ही दो कार्यशालाओं में भाग लिया ।

भदौरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म का बनाया जाना

3226. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी रेलवे के मुगलसराय-पटना सेक्शन में भदौरा रेलवे स्टेशन पर अब तक प्लेटफार्म न बनाये जाने के कारण अनेक यात्रियों को बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां एक प्लेटफार्म का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) वहां पर प्लेटफार्म की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल तल के प्लेटफार्म पहले से मौजूद हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता । नीचे/ऊंचे तल का प्लेटफार्म बनाने का कार्य यात्री सुविधा समिति के परामर्श से एक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है । फिलहाल इस स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पति और पत्नी के रेलवे कर्मचारी होने पर उन्हें दी गई आवास सुविधा

3227. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पति और पत्नी दोनों के रेलवे कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों में से केवल एक को ही आवास सुविधा दी जाती है और पति अथवा पत्नी को आवास भत्ता दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां पति पत्नी में से किसी एक को आवास आबंटित किया गया हो, वहां मकान किराया भत्ता देने का आशय यह है कि उनसे यह आशा की जाती है कि उस आवास में वह अपने परिवार के साथ रहेगा/रहेगी और उनमें से दूसरा आवास के किराये का कोई व्यय वहन नहीं करेगा। यह नियम सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समान है।

अदालत में जाए बिना विभागीय मामलों का निपटारा

3228. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक मामले ऐसे असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए हैं, जो विभागीय राहत न मिल पाने के कारण निराश हो गए थे और उन्हें फिर अनावश्यक मुकदमे में फंसना पड़ा;

(ख) जोनल मुख्यालयों से सम्बद्ध विधि विभाग तथा वरिष्ठ विधि अधिकार के क्या कर्तव्य हैं;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में, उसका निपटारा अदालत में जाए बिना करने अथवा मामले के गुण-दोष के अनुसार मुकदमा लड़ने के सम्बन्ध में विधि अधिकारियों की राय ली जाती है, ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी और सरकारी धन की फिजूलखर्ची से बचा जा सके; और

(घ) मुकदमेबाजी सम्बन्धी उपर्युक्त मामलों के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) वरिष्ठ विधि अधिकारी अथवा विधि अधिकारी, जैसा भी मामला हो, तथा क्षेत्रीय रेलवे का विधि विभाग, दावों के मामलों, भाड़े/किराये की वापसी तथा गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावों के मामलों को छोड़कर, परामर्श देने में तथा वाणिज्यिक मामलों में कानूनी कार्य से सम्बन्धित कार्रवाई करते हैं। जिन अदालती मामलों में कोई क्षेत्रीय रेलवे अन्तर्ग्रस्त होती है, उन सभी मामलों की देख-रेख भी विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन उसके विधि विभाग द्वारा की जाती है।

(ग) जहां कहीं अदालत में मुकदमा लड़ने की वैधता अथवा इसे अदालत से बाहर निपटाने का विचार किया जा रहा हो, वहां रेलवे विधि अधिकारी की राय ली जाती है।

(घ) सरकार की नीति है कि अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में न पड़ा जाये।

पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलवे के कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये मामले

3229. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलवे के कर्मचारियों ने आई० डी० एक्ट, 1947 के अनुच्छेद 33-ग (दो) के अंतर्गत जनवरी 1981 से जून, 1982 तक केंद्रीय सरकार के विभिन्न श्रम मंत्रालयों में कितने मामले दायर किए हैं; और

(ख) राष्ट्रीय राजस्व से अनावश्यक खर्च से बचने के लिए इन मामलों को न्यायालयों से बाहर बातचीत से न सुलझाने के कारण तथा औचित्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सस्ती किताबों का प्रकाशन

3231. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय स्तर की सस्ती किताबें और विदेशी किताबें प्रकाशित करने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रकाशित किताबों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किताबों को बाजार में बेचा गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) अपने विश्वविद्यालयों के छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के सस्ते संस्करणों तथा मूल रूप से विदेशों को संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन कार्यक्रम इंग्लैंड (अंग्रेजी भाषा पुस्तक सोसायटी श्रृंखला, 1960 से); अमेरिका (संयुक्त भारत-अमेरिका मानक पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम 1961 से) तथा सोवियत रूस (संयुक्त भारत-सोवियत पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रम 1965 से) की सरकारों के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी तीनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकें भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय आदि जैसी विशेष एजेन्सियों के परामर्श से अनुमोदित की जाती हैं। पुस्तकों का मूल्यांकन सामान्यतः छात्रों के लिए उनकी उपयुक्तता तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत केवल स्वीकृत पुस्तकों के

नवीनतम संस्करणों को ही पुन: प्रकाशित किया जाए। इंग्लैंड तथा सोवियत रूस कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुस्तकें सम्बन्धित देशों के अंतर्गत प्रकाशित की जाती हैं तथा उन्हें भारत में सामान्य व्यापार माध्यमों के जरिए आयातित किया और बेचा जाता है। भारत अमेरिका कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय प्रकाशकों द्वारा चुनी हुई पुस्तकें कम कीमत के संस्करणों में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय संचार एजेंसी की उपयुक्त आर्थिक सहायता से प्रकाशित की जाती हैं और सामान्यत: व्यापार माध्यम के जरिए उन्हें बेचा जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक लगभग इंग्लैंड को 714 पुस्तकें, अमेरिका को 1610 पुस्तकें और सोवियत रूस को 410 पुस्तकें कम कीमत के संस्करणों में प्रकाशित की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जो इस मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायस्त संगठन है, 1970 से एक योजना चलाता है ताकि भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके, जिसके अन्तर्गत भारतीय लेखन को प्रोत्साहित करने तथा विश्वविद्यालय स्तर की अंग्रेजी पुस्तकें कम कीमतों पर उपलब्ध कराने और उन्हें विदेशी सहायता प्राप्त पुस्तकों के साथ आर्थिक रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए उपयुक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 443 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये पुस्तकें स्वयं प्रकाशकों द्वारा बेची जाती हैं। राज्य सरकारों को, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन में राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्डों और ग्रंथ अकादमियों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। इन पुस्तकों की कीमत 'बिना लाभ-हानि' के आधार पर लगाई जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार किए जाने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा उच्च अध्ययन की अन्य संस्थाओं के विशिष्ट शिक्षकों, अनुसंधान अध्येताओं को विश्वविद्यालयों और कालेजों आदि में उपयोग के लिए मानक पुस्तकें, विनिबंध (मोनोग्राफ) और संदर्भ सामग्री तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

युवकों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता

3232. **श्री कुम्भा राम आर्य : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में युवकों के कल्याण में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और ये संगठन कौन-कौन से हैं और उनमें से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली है; और

(ख) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में कार्यरत ऐसे कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन हैं जिन्हें वर्ष 1980-81 में वित्तीय सहायता दी गई थी और प्रत्येक को प्राप्त हुई वित्तीय सहायता की राशि क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) युवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत

युवा कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को 1980-81 के दौरान 7,31,629·74 रु० की राशि संस्वीकृति की गई थी । अनुदानग्राही संस्थाओं के नाम और उनमें से प्रत्येक को संस्वीकृत वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है ।

(ख) उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है जिन्हें 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिए वित्तीय सहायता दी गई ।

विवरण–1

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम तथा पता	राशि
1	2	3
1.	चित्राबानी, रफी अहमद किदवई रोड, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	21,000/-
2.	सामाजिक कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया, अजमेर (राजस्थान)	38,960/-
3.	युवक प्रगति सहयोग, बुलदाना (महाराष्ट्र)	11,250/-
		20,000/-
		17,850/-
4.	अखिल भारतीय एकता परिषद, लखनऊ (उ. प्र.)	13,500/-
5.	गोकुल प्रकल्प प्रतिष्ठान, कुदाल जिला रत्नगिरी (महाराष्ट्र)	75,00/-
		20,000/-
6.	गोआ युवा संघ, गोआ	6,000/-
7.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर	21,375/-
	24 परगना (प० बंगाल)	24,220/-
		30,000/-
8.	युवा लीग मनोरंजन केंद्र, बुलदाना	35,000/-
9.	भारतीय समाज कल्याण परिषद, अहमदाबाद (गुजरात)	1,115/-
10.	समदर्शनी आर्ट क्लब, पुवाचल, त्रिवेंद्रम (केरल)	1,222.20/-
11.	केंद्रीय यांग मिजो एसोसिएशन, ऐजवाल, मिजोरम	11,000/-

1	2	3
12.	आनन्द तालुक युवक मण्डल, आनन्द (गुजरात)	7,500/- 5,500/-
13.	महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण कालेज, जे. बी. यू. एन. डी. एस. ई. कालेज, नई दिल्ली	4,177.50
14.	सेवा आश्रम, मीथापुर, पटना (बिहार)	5,500/-
15.	युवक बिरादरी, बम्बई (महाराष्ट्र)	396/- 14,880/-
16.	श्री रामकृष्ण विद्याशाला, यादवगिरि, मैसूर, कर्नाटक	10,690/-
17.	महात्मा गाँधी सेवा आश्रम, मोरेना (म० प्र०)	1,33,855/-
18.	कलकत्ता 'वाई' स्वतः रोजगार केंद्र, कलकत्ता (प० बंगाल)	75,000/-
19.	भारतीय युवा तथा विकास संस्थान, अरविंद नगर, बरहामपुर, गंजम, उड़ीसा	6,750/-
20.	किशोर भारतीय, होशंगाबाद (म० प्र०)	46,539.04
21.	विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	840/-
22.	नन्दीकर श्याम बाजार स्ट्रीट कलकत्ता (प० बंगाल)	50,000/-
23.	सर्विस क्लब, पन्नाकादु (त० ना०) कोदई हिल्स तमिलनाडु	8,000/
24.	राष्ट्रीय समाज स्वास्थ्य संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा	4,000/-
25.	समाज कल्याण सेवा समिति बिरसिंगपुर, सुल्तापुर (उ. प्र.)	16,000/-
26.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा संगठन, बीकानेर (राजस्थान)	16,000/-
27.	भारत सर्वोदय समाज, लखनऊ (उ. प्र.)	15,000/-
28.	एस० के० एन० कृषि कालेज, जोबनेर (राजस्थान)	10,000/-

विवरण-2

क्रम संख्या	स्वैच्छिक संगठन का नाम तथा पता	राशि
1	2	3
	शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय	
	(शिक्षा विभाग)	
1.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा, जिला मोरेना (म० प्र०)	63750
2.	बंगाल एसोसिएशन, बंगा भवन, नई दिल्ली	5000
3.	भारतीय युवा हास्टल संगठन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	42000
4.	अखिल भारतीय इन्टर मैडिकल कालेजिस्ट यूथ फैसटीवल, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	10000
5.	श्री अरविंद एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली	11250
	(गृह मंत्रालय)	
1.	अंजुमन सोइरएगुल फरोशन, नई दिल्ली	2500
2.	बजाली प्रगति संघ, जिला कामरूप, असम	1000
3.	डा० राजेन्द्र प्रसाद पुस्तकालय तथा वाचनालय, कानपुर (उ० प्र०)	2000
4.	फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली	25000

लड़कियों के लिए नि.शुल्क शिक्षा

3233. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें (राज्यवार) पृथक-पृथक रूप से मिडिल, सैकेन्डरी तथा सीनियर सैकेन्डरी स्तर तक की शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क कर दी गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता मिलती है;

(ग) लड़कियों के लिए देश के सभी स्कूलों में सभी स्तरों तक की शिक्षा कब तक निःशुल्क हो जायेगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था के लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

(ग) और (घ) निःशुल्क शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अपेक्षित निधियों पूर्णतः राज्य क्षेत्र द्वारा दी जाती है। स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है तथा ज्यादातर उन्हीं द्वारा प्रबन्धित की जाती है। अतः यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे मामले पर विचार करें। अनुच्छेद 45 के संवैधानिक निर्देशों के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा पहले ही निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।

विवरण

1. सभी राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रशासन लड़कियों के लिए मिडिल स्तर (कक्षा VIII) के अन्त तक निःशुल्क शिक्षा देते हैं।

2 कक्षा VIII से आगे, माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) पर, सत्रह राज्य सरकारें तथा आठ संघ शासित प्रशासन लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ प्रशासन (केवल ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में), दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्ष्यदीप, मिजोरम, पांडिचेरी।

3. कक्षा X से आगे, [सीनियर माध्यमिक स्तर (कक्षा-IXI/कक्षा XI-XII) पर ग्यारह राज्य सरकारें तथा पांच संघ शासित प्रशासन लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देते है। वे निम्न-लिखित हैं :—

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, लक्ष्यद्वीप तथा पांडिचेरी ।

"प्रेगनेन्ट वूमैंस यूटरस रिमूवड" शीर्षक समाचार

3234. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 15 मई, 1982 में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के अस्पताल में डाक्टरों की असावधानी के कारण गर्भवती महिला की बच्चेदानी निकाल दी गई;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं;

(ग) अस्पताल अधिकारियों द्वारा डाक्टर की इस नितान्त असावधानी के लिए उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे आपरेशन करने के पूर्व किन आदेशों का पालन करने हेतु सरकार ने अनुदेश जारी किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क), (ख) और (ग) हां । लगता है यह प्रेस रिपोर्ट दिल्ली नगर निगम के श्रीमती गिरधारी लाल प्रसूति अस्पताल के बारे में है । यदि हां, तो यह कहना सही नहीं है कि गर्भवती महिला की बच्चेदानी निकाल दी गई थी । वस्तुतः आपरेशन के बाद बच्चेदानी को सही हालत में छोड़ दिया गया था । इस शिकायत की जांच की गई और यह देखा गया कि डाक्टर की ओर से कोई असावधानी नहीं बरती गई ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1981 के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण

3235. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण करने हेतु राज्यों को अनुदान देता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी राशि दी गई और इसमें से कितनी राशि उपयोग की गई है और कितने होस्टल बने हैं; और

(ग) क्या कुछ राशि छोटे कस्बों के निर्माण के लिए भी खर्च की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं । श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल भवनों (एक दिवस देख-भाल केन्द्र सहित) के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान की जाती है, राज्य सरकारों को नहीं ।

(ख) विभिन्न राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों/स्थानीय निकायों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण-संलग्न है ।

(ग) जी, हां । एक विवरण-2 संलग्न है ।

विवरण-1

वर्ष 1981-82 में विभिन्न राज्यों को स्वीकृत प्रयुक्त किए गए अनुदान और स्वीकृत नए होस्टलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नए होस्टलों व 1981-82 से पहले स्वीकृत होस्टलों के लिए मंजूर की नई राशि	राशि जिसके लिए उपयोग प्रलोखों की प्राप्ति हुई	वर्ष 1981-82 में स्वीकृत नए होटलों की संख्या
1	2	3	4	5
		(रु० लाखों में)		
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.47	—	—
2.	असम	1.25	0.22	—
3.	बिहार	1.90	—	—
4.	गुजरात	5.98	1.80	1
5.	हरियाणा	9.25	6.91	—
6.	हिमाचल प्रदेश	19.26	7 07	7
7.	कर्नाटक	5.77	1.24	1
8.	केरल	87.23	23.28	5
9.	मध्य प्रदेश	27.60	13 08	7
10.	महाराष्ट्र	7.15	—	4

* इस राशि में से 96,730 रु० संगठन द्वारा लौटा दिये गये, अतएव एक नये होस्टल को स्थगित समझा जाए ।

1	2	3	4	5
11.	मणिपुर	0.87	0.87	1
12.	मेघालय	4.99	—	1
13.	उड़ीसा	3.04	—	—
14.	राजस्थान	12.94	8.06	1
15.	तमिलनाडु	21.40	10.62	4
16.	उत्तर प्रदेश	18.21	6.38	1
17.	पश्चिम बंगाल	1.64	---	—
18.	चंडीगढ़	3.28	—	—
19	दिल्ली	14.75**	—	2

**इस राशि में से 8,62,500 रु० संगठन द्वारा लौटा दिये गये, अतएव एक नये होस्टल को स्थापित समझा जाये।

विवरण-2

50,000 तक की जनसंख्या वाले जिनमें वर्ष 1981-82 के दौरान नए स्वीकृत किये गये होस्टलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	कस्बे का नाम	1981-82 के दौरान प्रदत्त राशि (रु० लाखों में)	स्वीकृत क्षमता
1.	हिमाचल प्रदेश	ऊना	2.02	35 श्रमजीवी महिलाओं और 30 बच्चों के लिए एक दिवस देख-भाल केन्द्र
2.	–तदैव–	छाम्बा	1.41	35
3.	–तदैव–	नाहन	1.41	35
4.	–तदैव–	थीयोग	1.41	35
5.	–तदैव–	हमीरपुर	1.41	35
6.	–तदैव–	पारवानू	1.41	35
7.	कर्नाटक	मादीकेरी	1.12	42
8.	केरल	पोनानी	1.69	100
9.	केरल	पलाई	1.25	50
10.	राजस्थान	भूसावर	2.14	90

कर्नाटक में एक यूनानी कालेज की स्थापना

3236. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में एक यूनानी कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या कालेज के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कालेज किसी संस्था के सहयोग से चलाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क), (ख), (ग) और (घ) राष्ट्रीय यूनानी संस्थान की स्थापना बंगलौर में कर्नाटक राज्य सरकार के सहयोग से करने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार इस संस्थान के लिए बंगलौर विश्वविद्यालय के परिसर में अस्थाई आधार पर आवास की सुविधा प्रदान करने, भवन के लिए जमीन देने और उक्त संस्थान की स्थापना पर होने वाले खर्च के एक तिहाई भाग को वहन करने पर सहमत हो गई है ।

दक्षिण रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

3237. **श्री अजित बोग :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे में रेलवे सुरक्षा दल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अन्य रेलवेज में काम करने वाले उनके सहयोगी कर्मचारियों की तुलना में पदोन्नति के मामले में बरते जा रहे भेद-भाव के बारे में 4 मई, 1982 और 17 जून, 1982 का अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। लेकिन केवल श्री जी० मूर्ति विधायक/तमिलनाडु से 4-5-82 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) इस अभ्यावेदन में दक्षिण रेलवे पर वरिष्ठ रक्षकों के लिए हुई चयन परीक्षा तथा उस रेलवे की अन्य शाखाओं के कर्मचारियों की तुलना में रेलवे सुरक्षा बल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति अवसरों के सम्बन्ध में सामान्य आरोप लगाये गये हैं।

(ग) मद्रास मण्डल में वरिष्ठ रक्षकों के पदों के लिए चयन परीक्षा ऐसे चयन के लिए निर्धारित नियमों/विनियमों के अनुसार हुई थी। विधायक ने उक्त परीक्षा में भेद-भाव बरते जाने का कोई विशिष्ट मामला भी नहीं बताया है। नियमों के उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ रक्षकों के लिए चयन का मापदण्ड वरिष्ठता एवम् उपयुक्तता है। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और विनियमों से शासित होते हैं और रेलों में अन्य शाखाओं या विभागों में पदोन्नति की सरिणियां, जो उनसे भिन्न हैं, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों पर लागू नहीं की जा सकती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जयनगर पान विक्रेता संघ का अभ्यावेदन

3238. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जयनगर पान विक्रेता संघ (सी० आई० टी० यू०) स्टेशन रोड, जयनगर जिला मधुबनी (बिहार) का एक अभ्यावेदन, जिसे एक संसद सदस्य ने अपने 17 जून, 1982 के पत्र के साथ अग्रसरित किया है, मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में उठायी गई मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पोथाई और मादोल लाइनों को दुहरा करना

3239. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के पटना-गया लाइन पर पोथाही और मादोल स्टेशनों में दुहरी लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण इन स्टेशनों से गुजरने में रेल गाड़ियों को कई घंटे लग जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इन दोनों स्टेशनों पर दुहरी लाइन की व्यवस्था करने में कितना समय लग जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पटना-गया खण्ड एक इकहरी लाइन खण्ड है । पोथाही और नादौल स्टेशन फलैग स्टेशन है जिन पर क्रासिंग सुविधाओं के लिए लूप लाइन नहीं हैं । तथापि, ये सुविधाएं इन स्टेशनों के दोनों तरफ के स्टेशनों पर उपलब्ध हैं । खण्डीय क्षमता में वृद्धि करने और समय-पालन में सुधार करने के लिए 38.42 लाख रुपये की लागत से नादौल फलैग स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव 82-83 के बजट में शामिल किया गया है । वर्तमान में पोथाही फलैग स्टेशन पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । नादौल पर निर्माण-कार्य का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ परमाणु ईंधन के लिए बातचीत

3240. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1963 के समझौते के अनुसार तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ आगे बात्तचीत करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) 1963 के करार के अन्तर्गत अमरीकी सरकार द्वारा तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए नाभिकीय ईंधन की सप्लाई के बारे में पिछले वर्ष भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच बातचीत के तीन दौर हुए थे । भारतीय अधिकारी दल की रिपोर्ट पर अभी सरकार विचार कर रही है । सरकार कानूनी और तकनीकी निगाह से इसका और अध्ययन कर रही है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है ।

नई लाइनें बिछाना

3241. **श्री मनोहरलाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले दो वर्षों के दौरान नई लाइनें बिछाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए इस विषय के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

संसाधनों की तंगी के बावजूद 1982-83 और 1983-84 के दौरान खोली जाने के लिए प्रस्तावित रेल लाइनों का विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	लागत करोड़ रुपये में	परिव्यय 83-83 (करोड़ रुपये में)	खोले जाने की लक्षित तारीख
1.	आप्ता-रोहा	62	20.40	1.00	चरण 1 30.6.82
2.	वानी-पिम्पल कोटि-चनाका	76	13.40	2.50	30.6.83
3.	बसई रोड-दीवा	42	29.50	2.97	31.3.83
4.	कैराला रोड-जयन्त	35	25.0	2.99	चरण 1 30.6.82 चरण 2 30.6.83
5.	भद्राचलम-तुपकाडीह	52	16.03	2.50	30.6.83
6.	तालगढ़िया-तुपकाडीह	33	7.70	1.90	31.12.83

केन्द्रीय स्कूल खोलने के मानदण्ड

3242. **श्री नवीन रवाणी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: केन्द्रीय स्कूल खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए हुए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० युगन) : केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हैं। केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां पर रक्षा तथा अर्ध-सैनिक कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भारी संख्या में होते हैं अथवा जहां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा उच्च अध्ययन की संस्थाए स्थित हैं। स्कूल उन स्थानों पर चरणबद्ध ढंग से खोले जाते हैं जहां मांग होती है और जहां भूमि आदि के रूप में अपेक्षित सुविधाएं प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध की जाती हैं।

वर्ष 1981-82 के दौरान बन्द हुए विश्वविद्यालय

3243. **श्री के० कुन्हम्बु :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे कितने विश्वविद्यालयों को बन्द किया गया;

(ख) उनको बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार छात्रों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा विश्वविद्यालयों को बन्द किए जाने की जांच करने के लिए समिति का गठन करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 1981-82 के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के कारण परिसर में और उसके आसपास हुई हिंसक घटनाओं के परिणामस्वरूप 19 जनवरी, 1982 से 25 दिन तक की अवधि के लिए बन्द कर दिया गया था। अतः 1981-82 के दौरान कोई अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन्द नहीं रहा। तथापि, विश्वभारती और उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के कुछ अनुभाग इस प्रकार बन्द रहे :

विश्वविद्यालय	विभाग/कालेज	अवधि	कारण
विश्व भारती	कृषि कालेज	16 अप्रैल, 1982 से ग्रीष्म अवकाश तक	हिंसात्मक संघर्ष और कुछ छात्रों की गिरफ्तारी
उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	(i) स्नातकोत्तर कक्षाएं शिलांग परिसर	18 दिन	छात्र संघ के विलम्बन के कारण छात्र आन्दोलन
	(ii) पछुंगा विश्वविद्यालय कालेज	26 दिन	कालेज बस की मांग और बाद में कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र संघ के महासचिव के निष्कासन के कारण छात्र आन्दोलन।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। यह समिति केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सामान्य अनुशासन, आवधिक गड़बड़ी, इन विश्वविद्यालयों में छात्रों और स्टाफ की शिकायतें सुनने के लिए उपलब्ध तंत्र की पर्याप्तता, अथवा अन्यथा, की भी जांच करेगी और उनके कार्यकरण में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करेगी।

नकली दवाओं की समस्या हल करने के लिए चार सूत्री मार्ग निर्देशन

3244. **श्री के० राममूर्ति :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में रांची में रीजनल स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में नकली दवाओं की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किए गए चार सूत्री मार्ग-निर्देशों का ब्योरा क्या है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया था :

1. इन्जेक्शनों, तरल आधानों, ट्रांसफ्यूजन और आंखों में डाली जाने वाली मरहमों जैसे जीव-रसायन उत्पाद तैयार करने वाले सभी यूनिटों के संयुक्त निरीक्षण किए जाएं। इन निरीक्षणों की रिपोर्टें हर तीन-तीन महीनों के बाद औषध नियंत्रक (भारत) को भेजी जाएं।

2. जब कभी राज्य औषध नियंत्रक किसी फर्म का लाइसेंस रद्द करे तो ऐसी फर्मों की सूची भारत सरकार के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी को भी भेजी जाए ताकि अन्य राज्य औषध नियंत्रकों को भी इसकी जानकारी दी जा सके।

3. राज्य में बनाई और बेची जा रही औषधियों की गुणवत्ता का मानक बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य औषध नियंत्रक को अनिवार्य औषधियों के नमूने भरने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। औषधियां बनाने और बेचने वाले दोनों स्थानों से ही नमूने लिए जाएं। ऐसा कार्यक्रम बनाने में क्षेत्रीय अधिकारी राज्य औषध नियंत्रण संगठन की सहायता करने को तैयार है। चूंकि नमूना संग्रहण कार्यक्रम में महत्व-पूर्ण औषधियां भी आ जाती हैं, इसलिए जिन मामलों में दवाइयां घटिया पाई जाएं उनके विरुद्ध कार्रवाई राज्य औषध नियंत्रण संगठन द्वारा की जाए।

4. अनुमोदित प्रयोगशालाओं के संयुक्त निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किए जाएं। चूंकि इन प्रयोगशालाओं की रिपोर्टों के आधार पर ही दवा-निर्माताओं द्वारा औषधियां रिलीज की जाती हैं इसलिए इन प्रयोगशालाओं पर कड़ाई से नियंत्रण रखा जाए।

इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करना सम्बन्धित राज्य औषध नियंत्रकों का काम है।

निजी नौवहन फर्मों द्वारा सामान बुक करने के प्रबन्ध में कदाचार और अनियमितायें बरतना

3245- **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री राजेश कुमार : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारतीय नौवहन निगम की ओर से निजी नौवहन फर्मों द्वारा सामान बुक करने के प्रबन्ध में कदाचार और अनियमितता बरतने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इसके कारण भारतीय नौवहन निगम को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यह सच है कि बम्बई में बुकिंग एजेन्ट माल प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जिन्हें सामान्यत: भारतीय नौवहन निगम अपनी कामर्शियल नीति के अनुरूप नहीं समझता।

(ख) भारतीय नौवहन निगम को कोई घाटा नहीं हुआ, क्योंकि बुकिंग एजेन्टों ने जो उपाय किए वे दस्तावेज प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं।

(ग) भारतीय नौवहन निगम और इंडिया-अफ्रीका लाइन के बीच संयुक्त नौवहन सेवा अभी हाल ही में समाप्त कर दी गई है। भारतीय नौवहन निगम लि० के जहाजों की वर्तमान समुद्री यात्राओं की मार्कीटिंग का काम पूरी तरह से बम्बई स्थित उनके अपने मार्कीटिंग कार्यालय द्वारा और अन्य पत्तनों पर उनके अपने एजेंटों/कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।

इलाहाबाद डिवीजन में सहानुभूति मूलक आधारों पर नियुक्तियां

3246. **श्री बाला साहिब पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के अन्तर्गत इलाहाबाद डिवीजन में सहानुभूति मूलक आधारों पर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों के कितने मामलों में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और उनमें उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें ड्राइवरों और गार्डों को शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उन्होंने सहानुभूति मूलक आधारों पर अपने पुत्रों की नियुक्ति हेतु आवेदन किए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि ड्राइवरों को शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किये जाने के दो वर्ष बाद भी उनके लड़कों को सहानुभूति मूलक आधार पर नौकरी नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 19-7-82 को 6 ड्राइवरों और 11 विधवाओं के बच्चों सहित 30 बच्चों को, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में उनकी उपयुक्तता की परख करने के लिए चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना था।

(ख) जनवरी-अप्रैल, 1982 के दौरान ड्राइवरों में से 5 को डाक्टरी आधार पर अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था। शेष मामलों में यद्यपि एक कर्मचारी को नवम्बर, 79 में डाक्टरी आधार पर अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था किन्तु उसने अपने बच्चे की नियुक्ति के लिए अपना प्रार्थना पत्र केवल 13-7-82 को प्रस्तुत किया था।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट यमुना नदी पर पुल का निर्माण

3247. **श्री जैनुल बशर :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट यमुना नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव अभी तक प्रारम्भिक स्थिति में है और इसीलिये इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि इसका निर्माण कब शुरू होगा।

सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परियोजनाएं

3248. **श्री० बी० बी० देसाई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परियोजनाओं में आमतौर पर तदर्थ रूप से कठिनाइयां आ जाती हैं और उनके कार्यनिष्पादन में असाधारण विलम्ब हो जाता है तथा उन्हें प्रशासनिक पद्धति में आने में सफलता नहीं मिलती है;

(ख) क्या यह बात नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन में हुए "भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को वित्तीय सहायता देने हेतु एक अध्ययन" में बताई गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या अध्ययन में इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि बड़ी परियोजनाएं गैर-सरकारी लोगों की कार्यवाही पर तदर्थ आधार पर हाथ में ली गई थी जो इस क्षेत्र में किसी सीमा तक राष्ट्रीय नीति को समरूप बनाने में विफल हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सामाजिक विज्ञानों के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने वाली एक महान् संस्था है और केन्द्र ने चार साल में 103 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सामाजिक विज्ञान परियोजनाओं में अधिक विलम्ब के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(च) यदि हां, तो जांच पड़ताल के क्या परिणाम हैं और इन विलम्बों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की वित्त व्यवस्था के संबन्ध में एक परियोजना चलाई है ताकि सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के स्वरूप और किस्म के बारे में आंकड़े के आधार में सुधार किया जा सके। ये आंकड़े एकत्र करके संकलित किए जा चुके हैं। आंकड़ों का एक विश्लेषणात्मक समीक्षा भारतीय सामाजिक विज्ञान तथा अनुसंधान परिषद के सूचना पत्र के खण्ड XI(2) अक्तूबर 1980-मार्च, 1981 में प्रकाशित हुई थी जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। आंकड़ों के अनुसार सभी क्षेत्रों में दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार सर्वेक्षण की गई सभी संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता की प्रमुख स्रोत है। ये प्रारम्भिक परिणाम हैं। अनुसंधान परियोजनाओं के निर्देशों का अभी तक विश्लेषण नहीं किया गया है। अतः यह सच नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित परिणाम इस अध्ययन से ही प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च) ऐसे अनुसंधान अध्ययन आंकड़े के आधार को स्थायी बनाने तथा अनुसन्धान प्रयासों के परिमाणात्मक और गुणात्मक भिन्नता का पता लगाते के लिए किए जाते हैं। ऐसे अध्ययनों के परिणामों के आधार पर जांच पड़ताल करने का प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत में "एनालजीन" बेचना

3249. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो विदेशों में "खतरनाक" घोषित की गई और विकसित देशों में प्रतिबन्धित दवाओं को बेचते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में मालूम है कि अमेरिका में एनालजीन पर इसलिए प्रतिबंध लगाए गए हैं कि इससे खून बनने में कमी और मृत्यु की संभावनाओं के स्पष्ट प्रमाण पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो हैक्स्ट को नोवलजीन और नरालगन ट्रेड मार्क के अन्तर्गत इस खतरनाक उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से करोड़ों रुपया वार्षिक कमाने की मनुमति कैसे हो गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विकसित देशों द्वारा की गई कार्रवाई कोई समानता नहीं है। जहां किसी विकसित देश द्वारा किसी औषधि पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है वहां दूसरे विकसित देश में उसी औषधि का चलन जारी रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ औषधियां बाजार से हटा ली गई हैं, पर यूरोपीय देशों में वे अभी भी बेची जा रही हैं।

यहां तक कि यूरोपीय देशों में भी उनके संबंध में समानता नहीं है। जिन-जिन औषधियों पर विशिष्टतया भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है, उन्हें यहां बेचने की अनुमति नहीं है।

(ख) जी, हां, किन्तु "एनलजीन" के इस्तेमाल से कणीश्वेतकोशिकाहीनता (अग्रनुलोसाइटोसिस) की कितनी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में वैज्ञानिकों में गतैक्य नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार एनलजीनयुक्त औषधियां पश्चिम जर्मनी, सोवियत रूस, युगोस्लाविया, जापान, फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया आदि देशों में बेची जा रही हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता। सार्वजनिक क्षेत्र में मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बल्क ड्रग "एनलजीन" बनाई जा रही है और इसे बहुत सी देशी फर्मों द्वारा जिसमें मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भी शामिल है, तथा मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई द्वारा भी एकल औषधि के रूप में अथवा अन्य दवाइयों में मिला कर देश में बेचा जा रहा है।

नैतिक शिक्षा

3250. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा नैतिक शिक्षा का प्रारूप किस आधार पर तैयार किया गया था;

(ख) क्या नैतिक शिक्षा कार्यक्रम में वैज्ञानिक रुचि के विकास पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी आधार क्या है; और

(घ) वैज्ञानिक आधार स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने अभी तक नैतिक शिक्षा के लिए कोई विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया है। परिषद ने नैतिक शिक्षा में आदर्श पाठ्यक्रम बनाने के लिए केवल मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा नैतिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपने मार्गदर्शी रूपरेखाओं में वैज्ञानिक मनोवृति के विकास पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है।

राजधानी में सड़क दुर्घटनायें

3251. **श्री के० लकप्पा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में वाहनों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किये हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पिछली तीन छहमाहियों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है :—

जनवरी-जून, 1982	1650
जुलाई-दिसम्बर, 1981	1722
जनवरी-जून 1981	1904

इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी होने का पता चलता है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें मुख्य-मुख्य स्थानों पर ट्रैफिक स्टाफ की नियुक्ति करना, व्यस्त समय के अलावा, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, वहां देख-रेख करना, सड़क दुर्घटनाओं की किस्म का विश्लेषण करना, राडार जांच और दुर्घटनाएं रोकने की योजनाएं बनाना शामिल है ।

2. यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा निर्दिष्ट की गई है । स्कूली बच्चों और सड़क प्रयोक्ताओं को व्याख्यानों और फिल्मों के जरिए सड़क सुरक्षा की शिक्षा दी जाती है ।

3. ड्राइवरों में, सड़क सुरक्षा की भावना लाने लिए दोषियों को स्थल पर ही पकड़ कर उनसे नकद जमानत ली जाती है । इस तरह की कार्रवाई से अन्धाधुन्ध गाड़ी चलाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में कुछ कमी हुई है ।

4. सड़क को साफ रखने और निर्बाध यातायात के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने हेतु सड़कों के साथ-साथ और पैदल पथों पर से अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है । सड़क के बीच या अनुचित रूप से खड़ी गाड़ियों को हटाने के लिये क्रेनों का प्रयोग किया जा रहा है ।

5. बिना लायसेंस गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए अभियान चलाए जाते हैं । 31.5.82 तक 31516 से भी अधिक ड्राइवरों को पकड़ा गया जिनके पास ड्राईविंग लायसेन्स नहीं थे जबकि पिछले वर्ष (1981) की इसी अवधि में केवल 3353 ऐसे ड्राइवर पकड़े गये थे ।

खुड़ी गाछी में हाल्ट स्टेशन

3253. **श्री रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यादवेश्वर और वैद्यवाटी के बीच खुड़ी गाछी के औद्योगिक महत्व को ध्यान में रखकर वहां एक हाल्ट स्टेशन बनाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह परिचालनिक दृष्टि से न तो व्यावहारिक है और न ही वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण ।

रेलवे कर्मचारियों को स्थायी करना

3254. **प्रो० रूप चन्द पाल :**

श्री कुंवर राम : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कुल कितने कर्मचारी और श्रमिक हैं;

(ख) जिनमें से कितने अस्थायी अथवा नैमित्तिक हैं; और

(ग) क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि 240 दिनों की सेवावधि के बाद इन अस्थायी अथवा नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी कर दिया जाये ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 17.95 लाख ।

(ख) अस्थायी—2.10 लाख ।

नैमित्तिक श्रमिक—2.23 लाख ।

(ग) जी नहीं :

एशियाई खेलों के प्रबन्धों की प्रगति

3255. **श्री रामजी भाई मवाणी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के अन्त तक एशियाई खेलों के प्रबंधों पर और कितना धन खर्च किया जायेगा; और

(ख) एशियाई खेलों के प्रबन्धों की कुल प्रगति क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाई खेल, 1982 के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला अनुमानित खर्च जैसा कि नवम्बर, 1982 में अनुमोदित किया गया था 54.83 करोड़ रुपए था । तथापि

वर्तमान संकेत ये हैं कि एशियाई खेल, 1982 की तैयारियां तथा आयोजन के लिये 7.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च होने की संभावना है।

(ख) एशियाई खेल, 198: के लिये प्रबन्धों की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक है।

ईराक के विदेश मन्त्री का दौरा

3256. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक के विदेश मंत्री ने जुलाई 1982 में भारत का दौरा किया और उनसे बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का परिणाम क्या निकला है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : जी हां। 7वें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन तथा पश्चिम एशिया में गम्भीर संकट के बारे में विचार-विमर्श हुआ था। यह विचार-विमर्श लाभदायक रहा और दोनों देशों के बीच इन मसलों पर एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह समझा गया।

चीन-भारत सम्बन्ध

3257. **श्री० एम० सईद** :

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के साथ सहयोग बढ़ रहा है और भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने तथा दोनों देशों की सभी समस्याओं को सुलझाने को इच्छुक है जिससे कि दोनों देशों के संबंध सामान्य कहे जा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने के प्रति सहमति हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो सीमा संबंधी विवाद पर अन्तिम समझौता होने तक किन-किन अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के प्रति सहमति हो गयी है;

(घ) क्या सीमा विवाद को छोड़कर लगभग सभी बकाया मामले सुलझ गये हैं; और

(ङ) क्या दोनों देश अपने-अपने रुख पर दृढ़ हैं और इससे पीछे हटने की कोई सम्भावना नहीं है।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जैसा कि संसद के दोनों सदनों में अक्सर बताया गया है, सरकार की यह नीति है कि चीन के साथ सम्बन्धों को पूरी तरह से सामान्य बनाया जाए और सभी द्विपक्षीय समस्याओं को हल किया जाए।

(ख) और (ग) दोनों के बीच व्यापार पुनः शुरू हो गया है और दोनों देशों के बीच की प्रमुख समस्याएं जब तक नहीं सुलझ जाती नब तक विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र भी शामिल हैं, आदान-प्रदान यथा संभव विकसित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि सीमा का प्रश्न हमारे सम्बन्धों का केन्द्र बिन्दु है और इसे शीघ्र हल किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारों के बीच बातचीत को जारी रखा जाएगा।

राष्ट्रीय परमिटों का उपयोग

3258. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान राज्यों को कुल कितने राष्ट्रीय परमिट जारी किये गये;

(ख) कौन-कौन से राज्य इन परमिटों का पूर्णतः उपयोग नहीं कर सके तथा आबंटन की तुलना में उनका वास्तविक उपयोग के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि आबटित परमिट वास्तव में बाँट दिये जायें; क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को राष्ट्रीय परमिटों की संख्या का निर्धारण पिछली बार अक्तूबर, 1980 में किया गया था। 1981-32 में कोई भी निर्धारण नहीं किया गया। राज्यवार निर्धारण और उनके द्वारा अभी तक आबंटित संख्या सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को शेष परमिटों के शीघ्र आवंटन सम्बन्धी विधिवत पत्रों के अलावा, 31.5.82 को हुई राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में भी इस पर चर्चा की गयी थी और यह निर्णय किया गया था कि बिना किसी और देरी के शेष परमिटों का आबंटन कर दिया जाय।

विवरण

राज्य/संघ क्षेत्र के नाम	राष्ट्रीय परमिट	
	निर्धारित	जारी किया गया
1 2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	900	900
2. असम	900	466
3. बिहार	900	797

1	2	3	4
4.	गुजरात	900	771
5.	हरियाणा	800	676
6.	हिमाचल प्रदेश	600	585
7.	जम्मू और कश्मीर	600	489
8.	कर्नाटक	800	682
9.	केरल	800	400
10.	मध्य प्रदेश	900	450
11.	महाराष्ट्र	900	432
12.	मनीपुर	100	100
13.	मेघालय	100	100
14.	नागालैंड	100	89
15.	उड़ीसा	800	640
16.	पंजाब	850	800
17.	राजस्थान	800	787
18.	सिक्कम	100 ×	—
19.	तमिलनाडु	800	544
20.	त्रिपुरा	400	333
21.	उत्तर प्रदेश	900	881
22.	पश्चिम बंगाल	900	887
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	100	50
25.	चंडीगढ़	100	50
26.	दादरा नागर हवेली	100	25
27.	दिल्ली	800	625
28.	गोवा, दमन और द्वीप	500	471
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	100	—
31.	पांडिचेरी	100	—
		16,600	13,340

× मोटर व्हेकिल्स अधिनियम 1939 अभी सिक्कम में लागू किया जाना है।

शिमला, कालका, नंगल और पठानकोट से लकड़ी का भेजा जाना

3259. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शिमला, कालका, नंगल और पठानकोट रेलवे स्टेशनों से, अलग-अलग देश के अन्य राज्यों को भेजी गयी लकड़ी की मात्रा कितनी है और इससे रेलवे को कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि चुरायी गयी लकड़ी का पता लगा है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1979-80, 1980-81, 1981-82 के दौरान शिमला, कालका, नंगलडैम और पठानकोट स्टेशनों से बुक की गयी इमारती लकड़ी और उनसे बसूल की गयी भाड़े की मात्रा नीचे दी गई है :—

स्टेशन	1979-80		1980-81		1981-82	
	मालडिब्बों की संख्या	भाड़ा (रु०)	मालडिब्बों की संख्या	भाड़ा (रुपये)	मालडिब्बों की संख्या	भाड़ा (रुपये)
शिमला	—	—	—	—	—	—
कालका	14	28,475	1	4,063	—	—
नंगलडैम	4	4,376	40	35,360	146	1,34,689
पठानकोट	1089	26,75,042	1080	24,53,467	1,417	36,08,458

(ख) रेलों को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है ।

जेसप एंड कम्पनी लिमिटेड द्वारा मिनीकारें-रेकों की सुपुर्दगी

3260. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेल के लिए 1973 में बुक किये गये 13 मिनीकार रेकों में से, मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा केवल एक मिनीकार रेक की मई, 1982 में सुपुर्दगी दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाकी रेकों को कब तक सुपुर्द किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या बम्बई उपनगरीय मध्य रेल पर बढ़ते हुए यातायात तथा अनेक गाड़ियों को रद्द किये जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वचनबद्धता के अनुसार, अपेक्षित रेकों की तत्काल सुपुर्दगी के लिए कदम उठाने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं । मैसर्स जेसप्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को नवम्बर, 1978 में 239 बिजली गाड़ी

डिब्बों का आर्डर, जिसमें 9 कार रेकों के 26 अदद और कुछ फालतू मोटर कोच तथा ट्रेलर कोच शामिल हैं, दिया गया था । इस आर्डर के अनुसार उन्होंने मई, 1982 तक 9 कार रेकों का एक अदद सप्लाई किया था तथा जून, 1982 में 9 कार रेकों का एक और अदद सप्लाई किया था ।

(ख) शुरू में रेलों द्वारा साधन सामग्री सप्लाई करने में कुछ विलम्ब हो गया था और मैसर्स जेसप्स को भी कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । अब इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है और फर्म ने सिलसिलेवार उत्पादन शुरू कर दिया है ।

(ग) दिये गये आर्डर की मात्रा का कुछ भाग 1982-83 में प्राप्त होने की प्रत्याशा है । बिजली गाड़ी के शेष डिब्बों की सुपुर्दगी 1983-84 और 1984-85 में मिलने की सम्भावना है, जो कि धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(घ) चूंकि 11 रेक 1982-83 में और 1983-84 में और अधिक रेक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है । अतः आशा है कि रेकों की कमी दूर हो जायेगी ।

चिकित्सा-स्नातकों को रोजगार

3261. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष औसतन कितने चिकित्सा स्नातक उत्तीर्ण होते हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार और राज्य सरकारें इन चिकित्सा स्नातकों को रोजगार देने में असमर्थ हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) प्रति वर्ष लगभग 13,000 चिकित्सा स्नातक पास होते हैं ।

(ख) सरकार को डाक्टरों में बढ़ रही बेरोजगारी की जानकारी है । जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिये उपलब्ध डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये उपयुक्त रोजगार योजनायें तैयार करना मूलतः राज्य सरकारों का काम है ।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि और उसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र की विभिन्न प्लान योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप चिकित्सा स्नातकों के लिये नौकरियों के अवसर काफी हद तक बढ़ने की सम्भावना है । ग्रामीण इलाकों में डाक्टर क्लीनिक/नर्सिंगहोम खोल सकें इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक भी ऋण देते हैं ।

रेलवे कोच कारखानों की संख्या

3262. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने रेलवे कोच कारखाने हैं;

(ख) रेलवेवार इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे की सीमा में रेलवे कोच कारखाना शुरू करने के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय भारत में 3 सवारी डिब्बा कारखाने तथा 29 सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने हैं।

(ख) उनके स्थान तथा उनका उत्पादन निम्नलिखित है :—

सवारी माल डिब्बा इकाइयां (वाहन इकाइयों का वार्षिक उत्पादन)

1. सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास	750
2. मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि०, बैंगलूर	300
3. मैसर्स जैसप्स एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	120

बड़ी लाइन और मीटर लाइन सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना

(चौपहिया इकाइयों में आवधिक ओवरहालिंग में प्रति माह उत्पादन)

मध्य रेलवे	1. साठूंगा	250
	2. झांसी	75
पूर्व रेलवे	3. लिलूआ	310
	4. कंचरापाड़ा	110
उत्तर रेलवे	5. आलम बाग	200
	6. जगाधारी	225
	7. बीकानेर	50
	8. जोधपुर	100
पूर्वोत्तर रेलवे	9. गोरखपुर	200
	10. इज्जतनगर	120
	11. समस्तीपुर	25

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	12. डिब्रूगढ़	35
	13. न्यू बोंगईगांव	140
दक्षिण रेलवे	14. पैरम्बूर	310
	15. गोल्डन राक	140
	16. मैसूर	60
दक्षिण मध्य	17. लालगुडा	170
	18. हुबली	150
दक्षिण पूर्व	19. खड़गपुर	200
	20. रायपुर	25
पश्चिम रेलवे	21. परेल	200
	22. प्रताप नगर	8
	23. अजमेर	240
	24. गोंडल	20
	25. भावनगर	50
	26. मोरवी	10

इसके अतिरिक्त नागपुर, तिनधारिया और कालका में छोटी लाइन के तीन कारखाने हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नया विश्वविद्यालय

3263. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने विश्वविद्यालय हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि केरल में एक नया विश्वविद्यालय आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं सहित विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या			
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	राज्य विश्व-विद्यालय	विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं	कुल
आंध्र	1	8	2	11
असम	—	3	—	3
बिहार	—	9	1	10
गुजरात	—	8	1	9
हरियाणा	—	3	—	3
हिमाचल प्रदेश	—	2	—	2
जम्मू और काश्मीर	—	2	—	2
कर्नाटक	—	6	1	7
केरल	—	4	—	4
मध्य प्रदेश	—	10	—	10
महाराष्ट्र	—	10	1	11
मणिपुर	—	1	—	1
मेघालय	1	—	—	1
उड़ीसा	—	5	—	5
पंजाब	—	3	—	3
राजस्थान	—	3	1	4
तमिलनाडु	—	8	1	9
उत्तर प्रदेश	2	17	2	21
पश्चिम बंगाल	1	8	—	9
चंडीगढ़, संघीय क्षेत्र	—	1	—	1
दिल्ली संघीय क्षेत्र	2	—	3	5
कुल :	7	111	13	131

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डाक्टरों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

3264. **श्री भीखा भाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 को दिल्ली/नई दिल्ली की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में कुल कितने डाक्टर थे;

(ख) 1 जनवरी, 1980 को दिल्ली/नई दिल्ली की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कितने डाक्टर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे;

(ग) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 466 डाक्टर ।

(ख)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
	25	3

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों का आरक्षण कुल मिलाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के श्रेणी-। के पदों में किया जाता है जहां से विभिन्न संगठनों में, जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भी शामिल ह, डाक्टरों को नियुक्त किया जाता है । यह आरक्षण संगठनवार नहीं किया जाता ।

अमरीका कांग्रेस में आव्रजन सुधार और नियंत्रण विधेयक

3265. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका कांग्रेस में हाल ही में रखे गये आव्रजन सुधार और नियंत्रण विधेयक की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; ओर

(ग) भारत सरकार का विचार इस विधेयक से प्रभावित एशिया और भारत के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार आप्रवासन सुधार एवं नियंत्रण विधेयक का और इस बात का अध्ययन कर रही है कि भारत से संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले उत्प्रवासियों के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे ।

न्हावा शेवा पत्तन के निर्माण कार्य का ठेका

3266. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के निकट न्हावा शेवा काम्पलेक्स के लिये शुरू किये जा रहे निर्माण कार्य के ठेके की राशि कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि दोषपूर्ण योजना के कारण मूल लागत अनुमान में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ग) क्या न्हावा शेवा काम्पलेक्स की योजनायें तैयार करते समय किसी घाट अभियन्ता से तकनीकी सलाह ली गई थीं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जून, 1982 में 591.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से न्हावा शेवा में नये पोर्ट के निर्माण का अनुमोदन किया गया है । इस कार्य के लिए ठेका अभी दिया जाना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां । मैसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली को इस कार्य में सलाह देने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

स्यालदा स्टेशन पर जाली आरक्षण कार्यालय

3267. **श्री नीरेन घोष** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्यालदा स्टेशन पर जाली आरक्षण कार्यालय का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां से आरक्षण करने वाले पकड़े गये कितने लोगों के बारे में जांच की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) कितने दलाल रंगे हाथ पकड़े गये;

(ङ) क्या किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(च) इस बारे में हावड़ा, दिल्ली, बम्बई और मद्रास इत्यादि जैसे बड़े स्टेशनों की स्थिति क्या है; और

(छ) इस बारे में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की क्या भूमिका है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 3-6-82 को सियालदह स्टेशन पर रेलवे के धोखा-धड़ी निरोधी दस्ते ने राज्य पुलिस की इनफोर्समैंट ब्रांच की सहायता से एक अप्राधिकृत बुक स्टाल पर छापा मारा और मुख्यतः द्रार्जिलिंग मेल के लिए फर्जी नामों पर आरक्षण वाले 50 टिकट जब्त किये । अप्राधिकृत बुक स्टाल के मालिक सहित तीन व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिये गये थे । उनके विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 114 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 451/459 के अन्तर्गत एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया है और अब यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है ।

(ग) और (घ) हाल ही में पूर्व रेलवे ने 2208 आरक्षणों के सम्बन्ध में कलकत्ता क्षेत्र में घर-घर जाकर जांच की थी और उनमें से 1010 आरक्षण फर्जी पाये गये । 573 दलालों को पकड़ा गया जिनमें से 167 दलालों पर मुकदमा चलाया गया था ।

(ङ) कोई भी अधिकारी उसमें शामिल नहीं था ।

(च) विशेष रूप से दिल्ली/कलकत्ता/बंबई/मद्रास जैसे महानगरों में आरक्षण सम्बन्धी कदाचार रोकने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :— अप्राधिकृत ट्रैवेल एजेंटों के परिसरों पर छापा मारना, फर्जी आरक्षण कराने में लगे हुए दलालों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना, कराये गये आरक्षणों की वास्तविकता के सत्यापन के लिए घर-घर जाकर जांच करना और जवाबी-पत्र भेजना और आरक्षण पर्चियों में दिये गये विवरणों से वास्तविक रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों के पूर्वचरित्र को सत्यापित करने के लिए गाड़ियों में जांच करना । पिछले दो महीनों के दौरान जाली आरक्षण के लगभग 2799 मामले

पकड़े गये थे और पकड़े गये व्यक्तियों पर भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की गई थी।

(छ) राजकीय रेलवे पुलिस अप्राधिकृत ट्रैवेल एजेंसियों पर छापा मारने और आरक्षित स्थान आदि हथियाने में लिप्त असामाजिक तत्वों और अप्राधिकृत संचालकों को पकड़ने में टिकट जांच दस्ता और सतर्कता कर्मचारियों की सहायता करती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए धन की व्यवस्था

3268. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले तीन सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन	खर्च
	(करोड़ रुपये)	
1979-80	30.20	34.50
1980-81	37.75	43.19
1981-82	47.00	54.95

शिलांग से बदरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा

3269. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलांग से बदरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बहुत खराब है;

(ख) क्या यह सच है कि असम, त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार ने इस ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ग) यदि हां; तो सरकार ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सड़क यातायात के लिए ठीक हालत में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर यातायात में वृद्धि को देखते हुए शिलांग से बदरपुर तक के सड़क खंड में सुधार करने की आवश्यकता है। शिलांग-

बदरपुर खंड के सुधार कार्य पर 1980-81 में 193 लाख रुपये और 1981-82 में 114 लाख रुपये खर्च हुए हैं। लगभग 176 लाख रुपये की लागत के कार्य हो रहे हैं। इस खंड में छठी योजना के दौरान स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों की कुल लागत लगभग 860 लाख रुपये है ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

3270. **श्री जैनुल बशर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता के अधीन प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आबंटित किए गए हैं; और

(ख) उपरोक्त सहायता के अधीन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आबंटित किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सहायता का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए नहीं किया जाता। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समीक्षा समिति

3271. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्रियान्वित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए आयोग द्वारा गठित समीक्षा समिति का प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ था;

(ख) समिति के प्रदिवेदन पर क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) आयोग द्वारा समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर अप्रैल, 1981 में विचार किया गया था और तब इसे मई, 1981 में सरकार को भेजा गया।

(ख) और (ग) समिति ने विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग दर्शन के लिए अनेक सिफारिशें की थीं। आयोग ने छठी योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों को विकास अनुदान संस्वीकृत करने

के लिये मार्ग दर्शीय रूप रेखाओं को अन्तिम रूप देते समय इन सिफारिशों को नोट कर लिया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों तथा मुख्य भूमि के बीच भाड़े में वृद्धि

3272. **श्री के० राममूर्ति** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूहों में तथा मुख्य भूमि के बीच भाड़े में कितनी बार वृद्धि की गई है;

(ख) ऐसी वृद्धि सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या इससे अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूहों के टिंबर-व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मेनलैंड के बीच भारतीय तटीय जहाजी कम्पनियों द्वारा कुछ वस्तुओं पर दो बार नौवहन भाड़ा बढ़ाया गया है जो निम्नलिखित है :—

(i) जनरल कार्गो (जो कुल कार्गो से 5 प्रतिशत कम है) पर 282.40 प्रतिटन से 367.00 प्रतिटन या 201.60 रुपये प्रति सी० बी० एम० से 262.00 रुपये प्रति सी० बी० एम०। यह 30 दिसम्बर 1981 से लागू है।

(ii) प्लाईवुड और वेनीयर्स पर 88.50 रुपये प्रति सी० वी० एम० से 115.10 प्रति सी० वी० एम०। यह 1 फरवरी 1982 से लागू है।

(ग) प्लाईवुड और वेनीयर्स पर भाड़ा दरों में वृद्धि होने से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के टिम्बर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन वास्तविक प्रभार की मात्रा बताना संभव नहीं है।

कुष्ठ रोगियों में वृद्धि और उनका इलाज

3274. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :**

श्री गुफरान आजम :

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा :

श्री अर्जुन सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुष्ठ रोगियों के उचित इलाज के लिए क्या विशिष्ट योजनाएं हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाएगा;

(घ) क्या केन्द्र ने कुष्ठ इलाज कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु सभी राज्यों को निदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यों ने इसे कहां तक क्रियान्वित किया है और प्रत्येक राज्य द्वारा की गई प्रगति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एस० जोशी) : (क) कुष्ठ रोगियों की संख्या में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है यद्यपि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने के फलस्वरूप अनेक नए रोगियों का पता लगा है और उन्हें इलाज के लिए दर्ज किया गया है, और परिणामस्वरूप उनकी संख्या बढ़ी है।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कुष्ठ उपचार केन्द्रों के जरिए कुष्ठ रोगियों को दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं । इन केन्द्रों को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 25 लाख से भी अधिक रोगियों का इलाज किए जाने की संभावना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों की सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम :

मार्च, 1982 तक प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	शहरी कुष्ठ केन्द्र	सर्वेक्षण शिक्षण उपचार केन्द्र	अस्थायी अस्पताली वार्ड
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	62	81	697	40
2.	असम	5	10	186	3

1 2	3	4	5	6
3. विहार	36	22	1015	22
4. गुजरात	9	20	360	6
5. हरियाणा	—	—	2	—
6. हिमाचल प्रदेश	6	1	7	1
7. जम्मू व कश्मीर	5	2	30	2
8. कर्नाटक	21	41	665	19
9. केरल	2	16	331	4
10 मध्य प्रदेश	10	25	441	4
11. महाराष्ट्र	42	141	900	23
12. मणिपुर	5	1	10	1
13. मेघालय	2	1	21	1
14. नागालैंड	1	2	22	2
15. उड़ीसा	39	11	187	8
16. पंजाब	—	10	—	1
17. राजस्थान	1	4	50	1
18. सिक्किम	1	—	—	—
19. तमिलनाडु	64	48	132	47
20. त्रिपुरा	2	2	10	1
21. उत्तर प्रदेश	27	50	958	15
22. पश्चिम बंगाल	42	51	700	30
23 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	2	10	1
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	12	1
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—
26. दादर और नगर हवेली	—	—	—	—
27. दिल्ली	—	3	—	—
28. गोवा दमन और द्वीव	1	2	22	1
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—
30. मिजोरम	1	1	—	1
31. पांडिचेरी	1	2	20	1
योग :	385	549	6795	236

छपरा-बनियापुर सड़क तथा छपरा-गोरखपुर रेल लाइन पर उपरिपुल

3275. **प्रो० सत्य देव सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा-बनियापुर सड़क तथा छपरा-गोरखपुर रेल लाइन (उत्तर पूर्व रेलवे) पर उपरिपुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):(क) और (ख) छपरा जंक्शन पर छपरा पश्चिम को बनियापुर रोड से जोड़ने वाले मौजूदा समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव पर विगत में विचार किया गया था परन्तु समपार पर कम रेल/सड़क यातायात होने के कारण उस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था। पुनर्विचार करने पर यह विनिश्चय किया गया था कि प्रस्ताव पर आगे कर्रवाई की जाए और राज्य सरकार से एक नया प्रस्ताव प्रायोजित करने का प्रस्ताव किया गया था। राज्य सरकार से अभी तक नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिघाघाट-पहेलजाघाट के सामने रेलवे पुल

3276. **प्रो० सत्य देव सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : पटना में दिघाघाट-पहेलजाघाट के सामने रेलवे पुल के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गंगा पर पुल के निर्माण के लिएउपयुक्त स्थान चुनने के लिये केन्द्रीय जल और बिजली अनुसंधान केन्द्र, पुणे में नमूना परीक्षण किये जा रहे हैं। ये परीक्षण अन्तिम चरण में हैं। इस पुल के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को भी 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है और यह प्रगति पर है। केन्द्रीय जल और बिजली अनुसंधान केन्द्र, पुणे से विस्तृत रिपोर्ट तथा रेलवे से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर बिहार सरकार के साथ परामर्श करके इस पुल का निर्माण शुरू करने के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और इसे योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाये।

छपरा-कछारी स्टेशन पर उपरिपुल

3277. **श्री प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा कछारी स्टेशन के पूर्व में रेलवे फाटक को बन्द किए जाने के कारण छपरा-मधोरा सड़क अवरुद्ध हो गई है; और

(ख) प्रस्तावित उपरिपुल का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) छपरा कचहरी यार्ड के पूर्वी किनारे पर स्थित छपरा-मधोरा रोड पर समपार सं० 45 मीटर आमान

लाइन का बड़े आमान की लाइन में बदलाव करने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, छपरा के अनुमोदन से बन्द किया गया था। सड़क यातायात का मार्ग बदलकर वर्तमान समपार सं० 43 से ले जाया गया।

चूंकि समपार सं० 47 से होकर एक वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था करने तथा बन्द किये गये समपार सं० 47 के स्थान पर उपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने की व्यावहारिकता की रेलवे और राज्य सरकार जांच कर रही है। अतः इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि बन्द किये गये समपार सं० 47 के स्थान पर प्रस्तावित उपरी सड़क पुल का कब निर्माण किया जायगा।

कोरापुट-रायगडा रेल लाइन का निर्माण कार्यक्रम

3278. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुट-रायगडा रेलवे लाइन का निर्माण कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या इस लाइन का निर्माण उड़ीसा में स्थापित हो रहे समयबद्ध एल्यूमोनियम कम्पलेक्स के पूरा होने के पूर्व पूरा होना है;

(ग) क्या छठी योजनावधि के दौरान रेलवे लाइन के लिए अब तक किया गया धन का आवंटन एल्यूमीनियम कम्पलेक्स सहित 1985 से पूर्व परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से अपर्याप्त है; और

(घ) छठी यौजवावधि में इस प्रयोजन के लिए समूचा धन आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोरापुट से मट्टलापुत्तु तक प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है और अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रथम चरण के पूरा हो जाने के बाद शुरू किया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। तथापि, कोरापुट और मट्टलापुत्तु के बीच परियोजना का प्रथम चरण 1985 तक पूरा करने का प्रयास किया जायेगा बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

(घ) इस परियोजना के प्रथम चरण के निर्माण और इसे पूरा करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है और संसाधनों की अत्यधिक तंगी होने के बावजूद इस कार्य के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक धन आवटित किया जा रहा है।

मलेरिया के उन्मूलन के लिए राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

3279. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया के उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्या हैं;

(ख) चालू योजनावधि के दौरान मलेरिया के उन्मूलन के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किये गए हैं अथवा शुरू करने का विचार है;

(ग) विभिन्न राज्यों में कितने मलेरिया अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं;

(घ) उड़ीसा के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केन्द्र खोले गये हैं;

(ङ) गत दो वर्षों में उन राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केन्द्रों द्वारा क्या कार्य किया गया; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) और (ख) मलेरिया घटनओं के उन्मूलन नियंत्रण के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में एक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का खर्च केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं।

(ग) दिल्ली और पांडिचेरी में दो मलेरिया अनुसंधान केन्द्र भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में चल रहे हैं।

इसके अलावा मलेरिया विषयक अनुसंधान कार्य देश के विभिन्न संस्थानों/संगठनों में अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं/योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(घ) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1982 के दौरान भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोला है जिसने वैज्ञानिक ढंग से कार्य अभी शुरू नही किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय के अधीन उड़ीसा में क्योंझार स्थित एक क्षेत्रीय आपरेशनल अनुसंधान परियोजना पहले से ही चल रही है जो नवम्बर, 1977 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में जो कार्य हुआ है, उसका संक्षिप्त विवरण विवरण-एक में दिया गया है।

विवरण-एक

क्योंझार (उड़ीसा) में किया जाने वाला कार्य

वैज्ञानिक अध्ययन :

क्षेत्रीय समन्वय संगठन, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भुवनेश्वर के निर्देशन में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 16 अनुभागों में घरों की संख्या और पशुओं के बाड़ों आदि की विस्तृत गणना की गई। छिड़काव योग्य सतही क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रत्येक घर और पशुओं के बाड़े को नापा गया।

मच्छर का पता लगाना :

इस क्षेत्र में निम्नलिखित प्रजातियों की मौजूदगी का पता लगा है—

ए-एनलारिस, ए-कुलिसिफेसिज, ए-हाइर्रानस, ए-जयपोरियान्सिस, ए-सबपिक्टस, ए-बेगस, ए-एकोनिटस, ए-वाइविरोस्ट्रिस, ए-मेकुलाटस, ए-टस्सलाटस, ए,स्पलेंडाइडस ।

प्रेसिपिटिन टेस्ट :

अब तक प्राप्त निष्कर्षों से ए-एनलाटिस और ए-कुलिसिफेसिज नामक प्रजातियों के बारे में अथ्रोपोफाइलिक इंडेक्स क्रमश: 3.3 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत का पता लगा है ।

सुग्राह्यता परीक्षण :

ए-कुलिसिफेसिज और ए-एनलारिस नामक वैक्टर प्रजातियों पर प्रयोग किए गए । निष्कर्षों से पता लगा कि वैक्टरों की इन प्रजातियों में डी० डी० टी० और डी० एल० को हजम करने की शक्ति है किन्तु मैलेथियन का इन पर असर पड़ता है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ तथा हानि

3280. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री सूरज भान : नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के नाम तथा उनका प्रत्येक पर पूंजी निवेश क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में प्रत्येक उपक्रम का लाभ, हानि और क्षमता उपयोग कितना है; और

(ग) हानि के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये एल० टी० 4367/82] भारतीय नौवहन निगम से संबंधित सूचना मंगवाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एकूपंचर के तरीके को प्रोत्साहन देना

3281. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1982 में "टाइम्स आफ इन्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जामियानगर, दिल्ली में सूची वैद्य

(एकूपंचर) क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए मंत्री महोदय श्री खुर्शीद आलम खां ने कहा कि एकूपंचर के तरीके से वर्तमान मेडिकल सुविधाओं और विषय में बढ़ोतरी होगी;

(ख) सरकार की योजना क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) श्रीलंका की तुलना में भारत में रोगों का इलाज करने के लिए एकूपंचर की सुविधा कहां तक उपलब्ध है; और

(च) क्या कुछ रोगों में एलोपैथिक तरीके की तुलना में एकूपंचर की पद्धति सस्ती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/विश्व स्वास्थ्य संगठन योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली एकूपंचर संबंधी प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने से चिकित्सा कार्मिकों में एकूपंचर की जानकारी में बढ़ोतरी होगी।

(ग) कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) चूंकि एकूपंचर और एलोपैथी मूलतया भिन्न-भिन्न पद्धतियां हैं, इसलिए इनके इलाज की लागत की तुलना नहीं की जा सकती।

अहमदाबाद-बड़ौदा, बड़ौदा-सूरत और सूरत-बम्बई के बीच उपनगरीय रेलगाड़ियां

3282. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, अहमदाबाद-बड़ौदा, बड़ौदा-सूरत और सूरत-बंबई के बीच बढ़ते हुए यातायात से निपटने के लिए वहां उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि अहमदाबाद-बम्बई रेल लाईन के किनारे उद्योगों के बढ़ते हुए विकास और रसायन, इंजीनियरी तथा अन्य उद्योगों के तेजी से हो रहे विस्तार के कारण इस मार्ग पर विभिन्न शहरों और कस्बों में जनसंख्या घनी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने कार्य पर जाने वाले दैनिक यात्रियों के लिए इन स्टेशनों के बीच उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) बिरार-सूरत, बडोदा-अहमदाबाद खंड में लाइन क्षमता का विकास करने तथा

टर्मिनल सुविधाओं और ई० एम० यू० किस्म का चल स्टाक चलाने के लिए एक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और 1982 के अन्त तक इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और पूरा कर दिया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच करने के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी।

सुराहटा और केलोमल स्टेशनों का खोला जाना

3283. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के पंसकुश-हाल्दिया सेक्शन में सुराहटा और केलोमल स्टेशन खोला जायेगा; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सुराहटा तथा केलोमल पर पैसेंजर हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की दक्षिण-पूर्व रेल प्रशासन द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गयी है। केलोमल से सम्बन्धित प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

सुराहाटा के सम्बन्ध में, जो कि पहले औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था, विस्तृत जांच को देखते हुए दक्षिण-पूर्व रेल प्रशासन द्वारा जल्द ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

हज यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध करना

3284. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सऊदी अरब में क्या प्रबंध किए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अधिकतर हज यात्री सऊदी अरब से वापस आने पर वहां पर हमारे दूतावास द्वारा किये गये प्रबंधों से संतुष्ट नहीं होते; और

(ग) क्या सरकार इस वर्ष लगभग तीस हजार हज यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर प्रबंध करने हेतु कोई विशेष उपाय करेगी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार द्वारा हज यात्रियों को सऊदी अरब में उनके प्रवास के दौरान प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, बल्कि हज यात्रियों ने इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना की है।

(ग) हमारे तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए किये जाने वाले प्रबंधों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और प्राप्त अनुभवों तथा विभिन्न जगहों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए उनमें वर्ष-दर-वर्ष सुधार किया जा रहा है।

विवरण

सऊदी अरब में प्रवास के दौरान हज यात्रियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं

हज यात्रियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

1. **चिकित्सा दल :**

हज के दिनों में 20 चिकित्सकों और 20 फार्मेसिस्टों का एक दल (तीन लेडी डाक्टर और तीन नर्सों सहित) सऊदी अरब भेजा जाता है । 1980 तक इस चिकित्सक दल में 15 चिकित्सक और 15 फार्मेसिस्ट होते थे । इसके अलावा मक्का में एक स्थायी भारतीय डिस्पेंसरी है जो एक वरिष्ठ डाक्टर की देख-रेख में चलाई जाती है । चिकित्सक दल के सदस्य स्थायी डिस्पेंसरी के अलावा मक्का, मदीना, मीना और अराफत के विभिन्न शाखा डिस्पेंसरियों में भी नियुक्त किये जाते हैं । इस चिकित्सक दल के पास 4 आधुनिक एम्बुलेंस गाड़ियां हैं । इस वर्ष से चिकित्सक दल को एक चल ईसीजी मशीन, और विभिन्न डाक्टरी परीक्षा के लिए उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि वे रोग का ज्यादा प्रभावकारी ढंग से निदान कर सकें और अपने तीर्थ यात्रियों को ज्यादा प्रभावकारी ढंग से चिकित्सा प्रदान कर सकें । इन डिस्पेंसरियों के लिए आवश्यक अधिकांश औषधियां स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा सप्लाई की जाती हैं । इसके अतिरिक्त जेद्दा स्थित भारतीय राजदूतावास को आवश्यकता होने पर यह औषधियां स्थानीय रूप से खरीदने का भी अधिकार है ।

हज वर्ष 1981 में विभिन्न डिस्पेंसरियों में चिकित्सा प्राप्त करने वालों की संख्या 65,0025 थी । इनमें 5633 ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं थे । 1980 के हज के दौरान 49,400 रोगी हमारी डिस्पेंसरियों में चिकित्सा के लिए आए ।

2. **जेद्दा स्थित भारतीय राजदूतावास में हज एकक :**

हमारे राजदूतावास में एक पूरा हज अनुभाग है जिसके अध्यक्ष प्रथम सचिव के रैंक के हज अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए एक सहायक हज अधिकारी और अन्य कई व्यक्ति हैं । हज के दिनों में इस अनुभाग में 18 और व्यक्ति बढ़ा दिये जाते हैं । इसके अलावा 1981 से भारत से दो सहायक हज अधिकारी मक्का और मदीना में नियुक्त किये जाते हैं । इन अधिकारियों का काम हज यात्रियों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराना है । इसके अतिरिक्त राजदूत और हज अधिकारी भी नियमित रूप से मक्का और मदीना जाते रहते हैं और तीर्थ यात्रियों से सम्पर्क बनाए रखते हैं ।

3. **जेद्दा बंदरगाह/जेद्दा हवाई अड्डे पर तीर्थ यात्रियों की अगवानी के प्रबंध :**

तीर्थ यात्री जहाजों और विमानों से जब नियत बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर पहुंचते हैं तो हज अनुभाग के वरिष्ठ कर्मचारी उनकी अगवानी के लिए वहां मौजूद रहते हैं । चिकित्सक दल

का एक यूनिट भी, आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद रहता है। तीर्थ यात्रियों की वापसी के समय भी ऐसी ही व्यवस्था की जाती है।

4. हज स्वयंसेवक :

राज्य हज समितियों को यह सुविधा दी जाती है कि वे एक या अधिक ऐसे हज स्वयं-सेवक नियुक्त करें जो उस राज्य के हज यात्रियों से सम्पर्क बनाए रहें। ये स्वयंसेवक तीर्थ यात्री दलों और राजदूतावास के बीच संपर्क सूत्र का काम करते हैं और तीर्थ यात्रियों की कठिनाईयां राजदूतावास की जानकारी में लाते हैं। राजदूत और हज अधिकारी अपनी मक्का यात्राओं के दौरान इन स्वयंसेवकों से नियमित रूप से मिलते रहते हैं।

हज जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष बीमा योजना

3285. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रा के लिए सऊदी अरब को जाने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिए विशेष बीमा योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह योजना इस वर्ष के तीर्थ यात्रियों पर लागू होगी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां। हज समिति ने हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में अंशदान करना ऐच्छिक है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

विवरण

हज यात्रियों के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

लाभ	देय पूंजी राशि	3 महीने की बीमा किस्त	4 महीने की बीमा किस्त
1	2	3	4
(क) मृत्यु	रु० 1 लाख	रु० 60/-	रु० 73/-
(ख) शरीर के 2 अंगों व 2 आंखों या किसी 1 अंग और 1 आंख को क्षति	रु० 1 लाख	रु० 60/-	रु० 73/-

1	2	3	4
(ग) शरीर के किसी 1 अंग और 1 आंख को क्षति	रु० 50,000/-	रु० 73/-	रु० 88/-
(घ) उपर्युक्त के अलावा क्षतियों से होने वाली स्थायी कुल अंगहानि	रु० 1 लाख	रु० 73/-	रु० 88/-

इस योजना में सामान्य रूप से 16 से 65 वर्ष के आयु वर्ग वाले व्यक्ति ही शामिल किए गए हैं। लेकिन यदि चिकित्सा प्रमाण-पत्र (जो कि हज-आवेदन पत्र में शामिल होता है) संतोषजनक हो तो इस योजना का लाभ 70 वर्ष आयु के व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है।

रेलवे जोनों में डीजल इंजन

3286. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1982 की स्थिति के अनुसार, रेलवे के पास प्रत्येक जोन में कितने डीजल इंजन हैं;

(ख) उत्तर-पूर्व रेलवे के इंजनों की निर्माण तिथि तथा मेक क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व रेलवे को हाल ही में सप्लाई किये गए बड़ी लाइन के डीजल इंजन पुराने हैं और उनकी बड़े पैमाने पर मरम्मत कराने की जरूरत है;

(घ) इन बड़ी लाइन के डीजल इंजनों में से कितने इंजन उत्तर-पूर्व रेलवे में यात्री गाड़ियों के लिये हैं;

(ङ) उत्तर-पूर्व रेलवे द्वारा यात्री गाड़ियां खींचने के लिये बड़ी लाइन के डीजल इंजनों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(च) रेलवे को प्रत्येक जोन में, बड़ी लाइन के डीजल इन्जनों की कितनी जरूरत है; और

(छ) आगामी वर्ष में प्रत्येक जोन के लिये, प्रस्तावित सप्लाई कितनी है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-6-82 को क्षेत्रीय रेलों पर सभी आमानों पर डीजल रेल इंजनों की संख्या निम्नलिखित है :—

रेलवे	डीजल इंजनों की संख्या
मध्य	447
पूर्व	263
उत्तर	419
पूर्वोत्तर	10
पूर्वोत्तर सीमा	105
दक्षिण	266
दक्षिण-मध्य	370
दक्षिण-पूर्व	298
पश्चिम	394

(ख) पांच डब्ल्यू. डी. एम. 1 (बड़ी आमान के डीजल मुख्य लाइन) रेल इन्जन 1958 में और पांच 1959 में लाइन पर लाये गये थे। ये रेल इन्जन ए. आई. सी. सी. प्रकार के आयातित इन्जन हैं।

(ग) जी, नहीं। एक डीजल रेल इंजन की आयु पुनर्पावर पैकिंग के साथ 36 वर्ष होती है। इन रेल इंजनों की हाल ही में पुनर्पावर पैकिंग की गयी है।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता सीमित है और इसी कारण से इन्हें सर्वप्रथम मालगाड़ियों के लिए आवंटित किया जाता है जो कि आवश्यक वस्तुओं और अधिक भार ढोती हैं। कम भार वाली यात्री गाड़ियों को ढोने के लिए उनका उपयोग औचित्यपूर्ण नहीं होगा। इसके अलावा, नये चालू किये गये बड़े आमान के खण्ड पर अभी तक 100 कि० मी० प्रति घंटा की रफ्तार व्यावहारिक नहीं है चूंकि गति बढ़ाये जाने से पहले रेल पथ पर समेकन किया जाना अपेक्षित है। इन परिस्थितियों में, कहीं कम गति पर डीजल रेल इन्जनों का उपयोग लाभप्रद भी नहीं होगा।

(च) भारतीय रेलों पर छठी योजना के दौरान बड़ी लाइन के डीजल रेल इन्जनों की कुल आवश्यकता 467 है। रेल इंजनों का क्षेत्रीय रेलों की, यातायात की आवश्यकताओं, शेड क्षमता आदि पर ध्यान देते हुए, वितरित किया जाता है।

(छ) 1982-83 के दौरान बड़े आमान के 108 डीजल रेल इंजनों का निर्माण करना निर्धारित किया गया है। अभी तक बड़े आमान के 31 डीजल रेल इंजन निम्न प्रकार से आवंटित किये गये हैं :—

मध्य रेलवे	3
पूर्व रेलवे	8
उत्तर रेलवे	3
दक्षिण रेलवे	6
दक्षिण-पूर्व रेलवे	9
पश्चिम रेलवे	2

शेष निर्मित किये जाने वाले रेल इन्जनों को क्षेत्रीय रेलों पर, यातायात की आवश्यकताओं, शेड क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए वितरित किया जायेगा ।

कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी रेल गाड़ी

3287. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम के बीच एक सीधी रेल गाड़ी चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उक्त मार्ग और सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां !

(ख) और (ग) इस समय हावड़ा और तिरुवनन्तपुर के बीच 3/4 हावड़ा-मद्रास और 19/20 मद्रास-तिरुवनन्तपुरम मेल में एक थ्रू सेवायान चलाया जाता है । लाइन क्षमता और टर्मिनल तंगी तथा कोचिंग स्टाक की कमी के कारण एक सीधी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है । सम्बद्ध गाड़ियों में जगह की कमी के कारण एक अतिरिक्त थ्रू यान चलाना भी व्यावहारिक नहीं है ।

दिल्ली और लखनऊ के बीच 30 डाउन रेलगाड़ी का सीतापुर कोच

3288. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच 30 डाउन रेलगाड़ी में सीतापुर कोच जोड़ा गया है जिसमें प्रत्येक यात्री के लिए आरक्षण उपलब्ध है परन्तु जनरल कोच एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे यात्रियों से 10 रुपये क्यों वसूल करता है; और

(ग) इस रेलगाड़ी में एक तीन टायर कोच रोजाना जोड़ने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नयी दिल्ली और सीतापुर के बीच 29/30 लखनऊ मेल तथा सम्बद्ध गाड़ियों में दूसरे दर्जे का एक 3-टियर शयनयान थ्रू कोच लगाया जाता है। अप्रैल से जुलाई 1982 तक की अवधि के दौरान निर्धारित सवारी डिब्बों को मरम्मत के लिए मार्क करने के कारण शयनयान के बदले 10 अवसरों पर दूसरे दर्जे का साधारण डिब्बा लगाया गया था।

(ख) जब शयनयान के बदले साधारण डिब्बा लगाया जाता है, तो ऐसे मामलों में यात्रियों के बैठने के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाती है और उनसे कह दिया जाता है कि वे शयनयान प्रभार वापस ले लें।

(ग) 5-7-82 से शयनयान नियमित रूप से चल रहा है।

सीता[illegible]र-बुड़वल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3289. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में सीतापुर-बुड़वल रेल लाइन को बड़ी लइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की अत्यन्त तंगी और इस परियोजना के अलाभप्रद होने के कारण इस रेल सम्पर्क का निर्माण कार्य शुरू करना सम्भव नहीं होगा।

रेलगाड़ियों को विलम्ब से चलाने के लिए रेलवे मंत्रालय का कथित निदेश

3290. **श्री ईरा अनाबारासु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने विभाग को कोई निदेश दिया है कि सभी रेल-गाड़ियों के चालन समय में कम से कम 3 घण्टे का विलम्ब किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और

(ख) जी, नहीं। फिर भी, प्रत्येक समय-सारणी जारी करने से पहले गाड़ियों के समय की समीक्षा की जाती है। 1-5-82 से लागू होने वाली समय-सारणी की समीक्षा के दौरान, रेलपथ के बकाया बदलाव का भारी मात्रा में एकत्र हो जाने, चल-स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण की पिछली कमी को पूरा करने और उपयोगिता में सुधार लाने के लिए चल स्टाक की बेहतर अन्तर्परिवर्तनशीलता प्राप्त करने की दृष्टि से मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय की समीक्षा की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ मार्गों पर कुछेक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन समय में वृद्धि हुई है।

आई० आई० टी० रिसर्च स्टाफ खड़गपुर को ठेके के कर्मचारी समझना

3291. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी० रिसर्च स्टाफ, खड़गपुर को ठेके के कर्मचारी समझा जाता है;

(ख) क्या नमुदम्मा समिति ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की थी कि इन संस्थाओं को, जिनके पास बाहर की एजेंसियों द्वारा आरम्भ की जाने वाली बड़े पैमाने की अनुसंधान परियोजनायें चलाने की क्षमता है, अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में योग्य वैज्ञानिक कर्मचारियों को भरती करने तथा उन्हें रखने के लिए अनुमति दी जानी चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) बाहरी एजेंसी के तत्वाधान में परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त अनुसंधान स्टाफ ही ठेके पर है।

(ख) जी, हां।

(ग) कोर स्टाफ की नियुक्ति के लिए नायुडम्मा समिति की सिफारिशों को क्रोगैनिक इन्जीनियरी केन्द्र में लागू किया जा रहा है जिसके संकाय सदस्य परियोजनाओं और प्रयोजित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सक्षम हैं।

दिल्ली में विद्युत मुद्रिका रेल सेवा का प्रथम परीक्षात्मक चालन

3292. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

श्री के० मालन्ना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रतिष्ठित विद्युत मुद्रिका सेवा का प्रथम परीक्षात्मक चालन 1 जुलाई 1982 को लगाया गया था;

(ख) क्या परीक्षात्मक चालन सफल रहा था और दूरी को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इस गाड़ी के अबाध चालन में क्या अड़चनें आई;

(घ) दिल्ली में यह विद्युत मुद्रिका रेल, कुल कितना क्षेत्र तय करेगी और किन स्टेशनों पर कितने समय के लिए ठहरेगी; और

(ङ) इसका अबाध चालन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। चूंकि परीक्षण के आधार पर इस गाड़ी को खुले समय के दौरान चलाया गया था और कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी, इसलिए दूरी को निर्धारित समय के भीतर पूरा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। परीक्षण के आधार पर इस गाड़ी को चलाने के दौरान कुछ प्रारम्भिक समस्याएं थीं। अब इन्हें दूर कर दिया गया है।

(घ) लगभग 35 कि० मी० जिसमें 19 स्टेशन हैं जहां गाड़ी आधा-आधा मिनट रुका करेगी। ये स्टेशन हैं—निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोदी कालोनी, सरोजिनी नगर, दिल्ली सफदरजंग, चाणक्यपुरी, एम. पी. मार्ग, ब्रार स्क्वेयर, नारायण विहार, कीर्ति नगर, पटेल नगर, दयाबस्ती, दिल्ली किशनगंज दिल्ली सदर बाजार, नयी दिल्ली, मिण्टो ब्रिज, तिलक ब्रिज और प्रगति मैदान।

(ङ) रिंग रेलवे के लिए अनिवार्य महत्वपूर्ण निर्माण-कार्य अब पूरा कर लिया गया है। छोटे-मोटे काम पूरे किये जा रहे हैं। केवल शेष छोटे, मोटे काम पूरे होने के बाद इ. एम. यू. गाड़ियों को शुरू कर दिया जायेगा। प्रारम्भ में वर्तमान परिक्रमा गाड़ियों को बिजली गाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा जिन्हें बाद में उपलब्ध होने वाले यातायात तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे बढ़ा दिया जायेगा।

सेवानगर, नई दिल्ली में मकानों पर कब्जा रखने वाले सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारी

3293. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे कर्मचारी सेवा-निवृत्त होने के बाद नई दिल्ली स्थित रेलवे कालोनी सेवानगर में रेलवे आवासीय मकानों में अभी भी रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सेवा से कितने कर्मचारी सेवा-निवृत्त हुए हैं और वे कब से रेलवे रिहायशी मकानों में रह रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समुचित उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) छः ।

सरकारी आवासों में रहने की अवधि 3 महीने से 3 वर्ष तक अलग-अलग है ।

(ग) इन मामलों में पहले से ही की जा रही बेदखली की कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में है ।

इलाहाबाद डिवीजन में सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करना

3294. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कुछ ऐसे आदेश हैं जिनके अनुसार एक कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्त तक उसी स्थान पर तैनात रह सकता है जिस पर उसकी नियुक्ति हुई थी ।

(ख) यदि नहीं, तो इलाहाबाद डिवीजन में ऐसे कितने सहायक कार्मिक अधिकारी हैं जिनकी रेलवे सेवा में भर्ती इलाहाबाद में हुई थी और अपनी पदोन्नति के बाद भी वे वहीं काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां' तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) इलाहाबाद मण्डल में इस समय कार्यरत तीन सहायक कार्मिक अधिकारी मूल रूप में श्रेणी-III कोटि में इलाहाबाद मण्डल में भर्ती किये गए थे और सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व वे इलाहाबाद मण्डल में कार्य कर रहे थे। सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में कार्यरत ये तीनों क्रमशः फरवरी, 1980, अक्तूबर, 1981 और जुलाई, 1982 में पदोन्नत किये गये ये । वे सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में 4 वर्ष से कम की अवधि के लिए कार्य करते रहे हैं, जो एक अधिकारी को किसी एक स्टेशन पर तैनात किये जाने के लिए सामान्य अवधि है । उन अधिकारियों में से एक दिसम्बर, 1982 में और दूसरा जुलाई, 1983 में सेवा-निवृत्त हो जायेगा । तीसरा अधिकारी, जिसके सेवा-निवृत्त होने में अभी 10 वर्ष से अधिक हैं, स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

एशियाड-82 के लिए परियोजनायें

3295. **श्री कमल नाथ** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड-82 के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) एशियाड-82 की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित कार्य की प्रगति संतोषजनक है। ये निर्माण कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं और समय रहते खेलों के लिए तैयार हो जाएंगे ।

(ख) नए स्टेडियमों के निर्माण/मौजूदा स्टेडियमों के नवीनीकरण और खेलों के लिए अन्य प्रबंध करने के लिए शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 30 जून, 1982 तक दर्ज किया गया खर्च निम्नलिखित है :—

स्टेडियमों का निर्माण/तवीनीकरण

	(करोड़ रुपए)
(I) लोदी रोड में नए स्टेडियम का निर्माण, हौजखास में लान टेनिस स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम का नवीनीकरण	17.69
(II) राजघाट खेल परिसर में नए इन्डोर स्टेडियम के लिए सरकार का हिस्सा	5.60 (इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से किया गया खर्च शामिल नहीं है)
(III) राजघाट खेल परिसर में नया वेलोड्रम	1.00
(II/) तुगलकाबाद में नए शूटिंग रैंज	0.70
(I/) तालकटोरा गार्डन में नए तरण-ताल के लिए सरकार का योगदान	3.74 (इसमें नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने संसाधनों से किया गया खर्च शामिल नहीं है)
(I/I) मौजूदा स्टेडियमों अर्थात अम्बेदकर स्टेडियम, माडल टाउन स्टेडियम, हरबक्स स्टेडियम और निकल्सन रैंजिज, दिल्ली विश्वविद्यालय ग्राउन्ड्स और दिल्ली गोल्फ क्लब ।	0.82
अन्य प्रबन्ध	6.91
योग	36.46

1981-82 में पत्तन और गोदी मजदूरों की अनुग्रह पूर्वक भुगतान

3296. **श्री कमल नाथ :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तनों और गोदी के सभी पात्र मजदूरों को लेखा वर्ष 1981-82 के लिए मंजूरी का 8.33 प्रतिशत अनुग्रह पूर्वक भुगतान करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जून 1982 में ये आदेश जारी किये गये थे कि बड़े पत्तनों पर गोदी श्रम बोर्डों और पत्तन न्यासों के पात्र कर्मचारियों और इन पत्तनों पर रजिस्टर्ड तथा सूची में दर्ज गोदी कर्मचारियों को, 1981-82 के अर्जित उनके वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अनुग्रह पूर्वक राशि का भुगतान किया जाए । यह अनुग्रह पूर्वक राशि केवल उन्हीं को स्वीकार्य है जिनका वेतन प्रति मास 1600/- रु० तक है। जो कर्मचारी प्रति मास 750 रु० से अधिक लेते हैं उनके लिए अनुग्रह पूर्वक राशि के भुगतान की मात्रा प्रति मास 750/- रु० के वेतन पर स्वीकार्य राशि तक ही सीमित की गई है ।

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में फर्श पर पुस्तकें

3291. **श्रीमती शीला मुखर्जी :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1982 के "स्टेट्समेन" में "लाइब्रेरी बुक्स ऑन दा फ्लोर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पुस्तकों के लिए बेहतर व्यवस्था करने हेतु नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) जी, हां ।

(ख) सरकार को, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में जगह की कमी की समस्या की पूरी जानकारी है और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुस्तकालय के लिए एक नए उप-भवन के निर्माण हेतु पहले ही नक्शे तैयार कर लिए हैं । तथापि, पुस्तकालय की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित नए उप-भवन के प्रथम चरण में 2 अथवा 3 मंजिले एक भवन के निर्माण का निर्णय किया गया है । पुस्तकालय के उपलब्ध विद्यमान आवास में उपयुक्त विस्तार तथा परिवर्तन करके अतिरिक्त शेल्फों की व्यवस्था की जा रही है जिससे एक लाख पुस्तकों के लिए स्थान की व्यवस्था हो सकेगी ।

आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद् के भर्ती नियमों में संशोधन

3298. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद् के वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : आयुर्वेदक और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के भर्ती नियम 1980 में संशोधित किए गए थे । दूसरे पदों के भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए परिषद द्वारा कदम उठाये गए हैं ।

बंगलादेश सेना का मिजो नेशनल फ्रन्ट से सम्पर्क

3299. **श्री वी० वी० देसाई** :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता लगता है कि चिटगांव हिल ट्रैक में रामाबाजार छावनी के निकट मिजो नेशनल फ्रंट की कथित राजधानी छीम मतलांग से बंगलादेश सेना का संपर्क बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मंत्रालय को लिखित दस्तावेज पेश किए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने बंगलादेश सरकार से बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या दोनों देशों के संबंध मधुर बनाए रखने के लिए बंगलादेश सरकार से कहा गया है कि उनकी सहायता न करें ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि मिजो नेशनल फ्रंट के तत्व बंगलादेश के चिटगांव हिल ट्रैक से कार्यवाई करते रहे हैं । सुरक्षा की दृष्टि से इस संबंध में कोई ब्यौरा देना उचित नहीं होगा ।

(ग) से (ङ) सरकार ने इस मामले को बंगलादेश की सरकार के समक्ष कई अवसरों पर उठाया जिसने यह आश्वासन दिया है कि वे मिजो नेशनल फ्रंट को कोई सहायता नहीं दे रहे हैं ?

यात्रियों की सुख सुविधाओं सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी दल

3300. **श्री वी० वी० देसाई** :
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री गुलाम मोहम्मद खां :
श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुख-सुविधाओं में तेजी से सुधार लाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई, 1982 को एक विशेष उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी दल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल को मंत्रालय को एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था; और

(ग) इस दल द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) और (ग) जी हां। मई 1982 में एक सेवा सुधार ग्रुप (तकनीकी) का गठन किया गया था। ग्रुप का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सभी यात्री सुविधाओं और सफाई सहित सभी सवारी डिब्बे अपेक्षित स्तर तक लाये जायें। इसके अलावा प्लेटफार्मों पर जल-शीतकों, अनुरक्षण, सवारी डिब्बों में पानी की व्यवस्था और पर्याप्त रोशनी तथा पंखों की व्यवस्था जैसी सेवा सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाती है। ग्रुप को, इस उद्देश्य के संदर्भ में रेलों पर चौकसी रखने, जांच करने तथा उन्हें निदेश देने का काम सौंपा गया है और इसमें रेलों के महत्वपूर्ण टर्मिनल शामिल हैं।

3-7-82 को ग्रुप के सम्मुख अपने उद्घाटन भाषण में रेल मंत्री ने उक्त पहलुओं का उल्लेख किया था जिन पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। उनके मूल्यांकन की प्राप्ति पर, जहां आवश्यक समझा जायेगा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

कर्नाटक नौवहन निगम द्वारा दो जहाजों की घबराहटपूर्ण बिक्री

3301. **श्री वी० बी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक नौवहन निगम केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली मुगल लाइन शिपिंग कंपनी को दो जहाजों की घबराहटपूर्ण बिक्री करने वाली है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने 55 करोड़ रुपए की लागत से इन दो जहाजों के खरीद की बिक्री दे दी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्नाटक नौवहन निगम को इस धन में से केवल थोड़ा सा धन ही मिलेगा क्योंकि अधिकांश धनराशि ऋण चुकाने में चली जायेगी; और

(घ) क्या निगम ने नौवहन विकास निधि समिति को चार करोड़ रुपये देने हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नौवहन की दरों में मौजूदा मन्दी को ध्यान में रख कर कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक नौवहन निगम के 2 जहाजों को मुगल लाइन लि० को बेचने का निश्चय किया है जो एक सरकारी उपक्रम है।

(ख) सरकार ने 5.11 करोड़ रुपये के मूल्य के दो जहाजों के मुगल लाइन लि० द्वारा कर्नाटक नौवहन निगम से खरीदने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

(ग) और (घ) कर्नाटक नौवहन निगम पर नौवहन विकास निधि की निम्नलिखित धनराशि बकाया हैं :—

	लाख रुपये
एम० वी० "कर्नाटक"	
27.7.82 को बकाया रुपया ऋण	264.00
बकाया काउंटर गारंटी	106.00
एम० वी० "कृष्णराज"	192.33
कुल	562.33

लन्दन में खालिस्तान वाणिज्य दूतावास का खोला जाना

3302. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अप्रैल 1982 के पहले सप्ताह में लन्दन में तथा कथित खालिस्तान नेशनल आर्गेनाइजेशन के प्रेस रिलीज की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें लन्दन में इण्डिया हाउस के सामने खालिस्तान वाणिज्य दूतावास खोलने का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तथाकथित नेशनल आर्गेनाइजेशन द्वारा वाणिज्य दूतावास के पदों पर नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न लोग कौन हैं और क्या उनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन के अधिकारियों से तथाकथित खालिस्तान नेशनल आर्गेनाइजेशन द्वारा वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक मंजूरी मांगने के बारे में जानकारी मांगी है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय नागरिकों द्वारा की जा रही इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बन्द करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्रिटिश सरकार तथाकथित खालिस्तान नेशनल आर्गेनाइजेशन को मान्यता नहीं देती इसलिए उक्त सरकार द्वारा यू० के० में खालिस्तान कोंसलावास खोले जाने की अनुमति दिये जाने या इस प्रकार के कोंसलावासों में विभिन्न कोंसली पदों पर नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि खालिस्तान नेशनल आर्गेनाइजेशन ने यू० के० प्राधिकारियों से इस प्रकार के कोंसलावास के खोलने की अनुमति मांगी थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल पटरियों का नवीकरण

3303. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में रेल पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या योजनावधि के दौरान इसे प्राप्त कर लिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 10,000 कि० मी० रेल पथ का प्राथमिक नवीकरण तथा 4,000 कि० मी० रेल पथ का गौण नवीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) धन की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में विलम्ब हो सकता है। योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 3400 कि० मी० रेल पथ का प्राथमिक नवीकरण तथा 800 कि० मी० रेल पथ का गौण नवीकरण पूरा कर लिये जाने की संभावना है। योजना की शेष अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि उस अवधि में नवीकरण के लिए किस हद तक धन राशि उपलब्ध करायी जाती है।

समान कालेज प्रवेश नीति

3304. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सभी विश्वविद्यालयों में समान प्रवेश नीति लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में योग्यता के आधार पर दाखिला किया जाए बशर्ते कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का यथा-निर्धारित आरक्षण किया जाए, योग्यता निर्धारण करने का मानदंड और दाखिला करने की प्रक्रिया प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाती हैं।

पाकिस्तान की आणविक क्षेत्र में सहायता करने वाले देश

3305. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है जो आणविक क्षेत्र में पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उनको अपना विरोध तथा चिंता प्रकट कर दी है क्योंकि यह हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस खतरे का सामना करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अखबारी खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने अपने नाभिकीय कार्यक्रम के लिए जिन देशों से सामग्री प्राप्त की है उनमें पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, हालैंड, नाइजर, नार्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यू. के., कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं ।

(ग) पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के बारे में सरकार की चिन्ता सुविदित है ।

(घ) सरकार इन गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है । भारत सरकार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग के वास्ते वचनबद्ध है, लेकिन वह भारत की सुरक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के वास्ते भी कृतसंकल्प है ।

रेलवे में राज भाषा अधिनियम को लागू किया जाना

3306. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में राज भाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों को लागू करने में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां । यह सही है कि रेल मंत्रालय अन्य मंत्रालयों की तरह राज भाषा अधिनियम, 1963 के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयां अनुभव कर रहा है जो मुख्यत: इस प्रकार हैं:—

(1) राज भाषा अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए रेल कार्यालयों में हिन्दी कर्मचारियों की कमी ।

(2) अधिनियम का अनुपालन कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से एवं उनके संगठित प्रयासों द्वारा किया जाना होता है । इसका अनुपालन न करने के लिए अधिनियम में कोई दण्डात्मक व्यवस्था नहीं है ।

(3) सभी स्तरों पर हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और विशेष रूप से परिचालनिक कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के स्वरूप को देखते हुए जो चौबीसों घंटे होता है, प्रशिक्षण देने में होने वाली कठिनाइयां ।

(4) सेवा की तात्कालिकता को देखते हुए कुछ संदेशों और सूचनाओं को प्रेषित करने की आवश्यकता।

(ग) इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं या करने का प्रस्ताव है :—

(1) राज भाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रेलों पर पर्याप्त संख्या में हिंदी कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(2) रेल कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

(3) परिचालनिक कर्मचारी इस बात के लिए प्रोत्साहित किये जा रहे हैं कि वे अपने प्रयासों से निर्धारित हिन्दी परीक्षाएं पास करें।

नए बन्दरगाहों का प्रबन्ध गैर सरकारी उद्यमियों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव

3307. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कुछ उन्नत समुद्रवर्ती देशों की यात्रा के बाद नए बन्दरगाहों अथवा वर्तमान बन्दरगाहों के कुछ भागों का प्रबन्ध गैर सरकारी उद्यमियों को देने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट से सम्बन्धित बातें नीचे उद्धृत की जा रही हैं—कुछ लघु पत्तन यथा फ्लेकिस्टोव जिसे हम लोगों ने देखा, निजी तौर पर संचालित किये जाते हैं। कुछ नये पत्तनों अथवा मौजूदा पत्तनों के कुछ हिस्सों के संचालन के लिए जो लीज पर दिये जाते हैं निजी उद्यमियों को सौंपने का लाभ यह है कि ये उद्यमी अपने धन से पत्तन को आधुनिक कारगो हैंडलिंग व्यवस्था की सुविधा प्रदान करते हैं।

(ग) इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकार नहीं करती।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

3308. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने अर्थ-व्यवस्था व्यापार, उद्योग, संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के आपसी सम्बन्ध बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है;

(ग) उस दिशा में क्या कदम उठाये गये है; और

(घ) उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) भारत और ईरान के बीच आर्थिक तथा व्यापार, उद्योग, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कौंसली मामलों, पर्यटन और यात्रा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग के ब्यौरे पर विचार-विमर्श चल रहा है। ईरानी सरकार को एक मसौदा करार पहले ही भेजा जा चुका है।

दिल्ली के लिए दक्ष परिवहन प्रणाली

3309. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क] क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दूसरी वृहद् योजना के लिये नीति विकल्प हेतु अप्रैल, 1982 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में परिवहन सम्बन्धी एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिये गए; और

(ग) दिल्ली के लिये एक परिवहन प्रणाली हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम अपने बस सेवा में सुधार करने के लिए प्रति वर्ष बसों में वृद्धि करता रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम ने 290 नयी बसें खरीदने की योजना बनायी है। दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन में विभिन्न स्कीमों के तहत प्राइवेट बसों की संख्या में वृद्धि के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

नेत्र रोगों को रोकने के लिए मोतियाविन्द पर चार वर्षीय अध्ययन पाठ्यक्रम

3310. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का विचार देश में अन्धेपन के अधिक मामलों के उत्तरदायी क्षेत्र रोगों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु मोतियाविन्द पर एक चार वर्षीय अध्ययन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए किया गया आवंटन और कार्यक्रम क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में मोतियाबिन्द के मामलों सहित किन-किन क्षेत्रों में अध्ययन किए जाने का प्रस्ताब है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां,

(ख) प्रस्तावित अध्ययन चार चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में सर्वेक्षणों के जरिए देश के विभिन्न भागों में मोतियाविन्द के रोगियों की संख्या का अनुमान लगाया जाएगा। पहला चरण पूरा होने पर दूसरे चरण में मोतियाबिन्द के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। तीसरे चरण में मोतियाविन्द के विभिन्न फैक्टरों में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा और इन सुधारों के फलस्वरूप मोतियाबिन्द को रोकने में कहां तक सफलता मिली है इसका मूल्यांकन किया जायेगा। मोतियाबिन्द के रोगियों और रोग फैलाव के स्वाभाविक वृत्तान्त के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से चुनिंदा नमूना संग्रह के आधार पर चौथे चरण में पुनः सर्वेक्षण इस रोग की व्याप्तता जानने के लिए किया जाएगा जो पहले चरण वाले सर्वेक्षण जैसा ही होगा। पहले चरण के लिए (व्याप्त अध्ययन हेतु) 4.15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक चरण का ब्यौरा तैयार करने पर अन्य चरणों के लिए भी धन आवंटित किया जाएगा। मोतियाबिन्द के अन्य पहलुओं अर्थात् मोतियाबिन्द के बुनियादी पहलुओं, गश्ती नेत्र शिविरों के बारे में आपरेशन अनुसंधान और उन्नत केन्द्रों की स्थापना पर अनुसंधान कार्य शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) यह सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

जिला	राज्य
1. कुर्नूल	आन्ध्र प्रदेश
2. नवगाँग	असम

जिला	राज्य
3. पटना	विहार
4. गुड़गांव	हरियाणा
5. मण्डी	हिमाचल प्रदेश
6. अनन्तनाग	जम्मू और कश्मीर
7. बंगलौर	कर्नाटक
8. सिहोर	मध्य प्रदेश
9. रायगढ़	मध्य प्रदेश
10. औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11. बीकानेर	राजस्थान
12. रामनाथपुरम्	तमिलनाडू
13. इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
14 झाँसी	उत्तर प्रदेश
15 हुगली	पश्चिमी बंगाल
16. भावनगर	गुजरात
17. कटक	उड़ीसा
18. लुधियाना	पंजाब

इनमें से किसी भी केन्द्र से मोतियाबिन्द की घटनाओं से सम्बन्धित आकड़े उपलब्ध नहीं है।

एशियाड 1982 के लिए रेल योजना

3311. **डा० बसंत कुमार पंडित :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एशियाड 1982 के दौरान अतिरिक्त यात्री यातायात को पूरा करने के लिए योजना तैयार की है; और

(ख) एशियाड 1982 के दौरान दिल्ली दैनिक यात्रियों के लिए क्या अतिरिक्त निर्माण वृद्धि सुविधाएं तथा योजनाएं तैयार की गई हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ,

(ख) एशियाड 82 के दौरान दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिंग रेजवे योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ रिंग मार्ग पर कुछ

खंण्डों के रेलवे पक्ष के दोहरीकरण, स्टेशनों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता सम्बन्धी कार्य, रिंग मार्ग पर विद्युतीकरण के अलावा परिष्कृत सिगनल प्रणाली चालू करने के लिए प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनेक स्टेशनों पर उपर्युक्त पहुंच मार्ग के साथ-साथ पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं जिससे कि रेल सड़क समन्वय के भाग के रूप में दि० प० नि० फीडर सेवाएं चला सकें।

योजना आयोग में दिल्ली क्षेत्र के लम्बित प्रभाव

3312. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे, दिल्ली क्षेत्र से संबंधित कितने प्रस्ताव योजना आयोग में आवंटन के लिए अंतिम स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं और कार्य कब शुरू होगा तथा कब पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हाइड्रोफ्वाइल यात्री सेवा चलाया जाना

3313. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तटवर्ती परिवहन को आधुनिक बनाने के लिये बम्बई और गोवा तथा अन्य बन्दरगाहों के बीच हाइड्रोफ्वाइल यात्री सेवा चलाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना से संबद्ध इस स्कीम हाइड्रोफ्वाइल की लागत, गति यात्रियों की संख्या आदि से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों के कुछ जहाजरानी परिवहन कंपनियों ने इस प्रकार के प्रस्ताव रखे हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाइड्रोफ्वाइल यात्री सेवा चलाने के इच्छुक भारतीय जहाजरानी उद्यमियों की सेवाएं ली हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) यहां हाइड्रोफ्वारल पैसेंजर सर्विस चलाने के बारे में तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कोई प्रायवेट उद्यमकर्त्ता द्वारा इस प्रकार की सर्विस के चलाये जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

धप-धपी रेलवे स्टेशन का क्रासिंग स्टेशन में बदला जाना

3314. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में धप-धपी रेलवे स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में बदलने की परियोजना को पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यह परियोजना किस तारीख तक पूरी होगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गया से दोभी तथा दोभी से हटेरगंज तक के लिए रेल लाईन

3315. **श्री रणजीत सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गया से दोभी तथा दोभी से हटेरगंज के लिए रेल लाईन बिछाने की एक योजना पिछले बजट में थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार तथा बिहार सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कुछ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस काम को कब तक पूरा कर लिया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बढ़ते हुए आयात और निर्यात नौभार को संभालने के लिए भारतीय पत्तनों द्वारा उठाए गए कदम

3316. **श्री सुभाष यादव** : क्या नौवहन और परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पत्तन बढ़ते हुए आयात-निर्यात नौभार संभालने में असमर्थ है,

(ख) क्या योजना आयोग ने यह भी परेशानी से युक्त पाया है कि प्रमुख पत्तनों का विकास करते तथा नौभार की सप्लाई के लिए भारी धन लगाये जाने के बावजूद ये पत्तन आकष्मिक रूप से होने वाली आर्यात और निर्यात की आकस्मिक मांग पूरी करने में असमर्थ हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं हैं कि भारतीय पत्तन आयात-निर्यात की बढ़ती हुई मात्रा को संभालने में सक्षम नहीं है। 1981-82 में सभी बड़े पत्तनों पर 87.41 मिलियम टन माल की संभलाई की गई जबकि 1880-81 में 81.32 मिलियम टन की संभलाई की गई थी। इससे पता चलता है कि 7 प्रतिशत अधिक माल की संभलाई की गई।

छठी योजना पर अपने पत्र में योजना आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि "वर्तमान पत्तनों में, मौजूदा स्थिति के अनुसार आयात या निर्यात की कुछ मागों को पूरा करने की क्षमता नहीं है" विभिन्न पत्तनों पर क,र्गो हैंडलिग क्षमता बढ़ाने के लिए योजना आयोग में छठी पंचवर्षीय योजना में 521 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की हैं। ये योजनाएं जब पूरी हो जायेंगी तो हमारे बड़े पत्तनों की हैंडलिग क्षनता जो इस समय 101 मिलियम टन है, बढ़कर 131 मिलियम टन हो जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई बहुत सी योजनाएं पहले ही स्वीकृत की गइ है और योजना अवधि में ही उनके पूरी हो जाने की संभावना है इसके अलावा, 592 करोड़ रुपये की लालत से न्हावा शेवा के एक नए पत्तन के निर्माण की स्वीकृति भी दे दी गई है।

इण्यिन रेलवे सिगनल एंड टेलकाम स्टाफ एसोसियेशन की वर्षीय बैठक

3317. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन रेलवे सिगनल एण्ड टेलेकाम स्टाफ एसोसियेशन की पूरी में 16 और 17 मई 1982 को हुई वार्षिक बैठक के कार्यवाही वृत्तान्त सहित दिनांक 11 जून, 1982 का एक पत्र प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य बातें कहीं गई हैं ?

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 30-5-1982 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इण्डियन रेलवे एस० एंड टी० स्टाफ एसोसियेशन की पुरी में 16 और 17 मई, 1982 को हुई 13वीं वार्षिक साधारण बैठक की कार्यवाही भेजी गयी है।

(ख) से (घ) संकल्प में अनेक आम मामले जैसे रेल कर्मचारियों का उत्पीड़न, श्रमिक विरोधी नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे अधिनियम को वापस लेने, रेल दुर्घटनाएं, समय पालन में खास कार्य घंटे आदि शामिल थे। सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त ऐसी मांगों पर वर्तमान नियमों और वित्तीय बाध्यताओं के अन्तर्गत उचित विचार किया जाता है और यथा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। एस० एण्ड टी० स्टाफ एसोसिएशन, जो एक मान्यता प्राप्त खंडीय द्वारा रखी गयी मांगों पर भी इसी नीति के अनुसार विचार किया गया है।

कासगंज और बरेली के बीच और अधिक रेल लाइनें बिछाना

3318. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कासगंज और बरेली के बीच कुछ स्टेशनों पर और अधिक रेल लाइनें बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली तथा कासगंज सिटी में रेल इंजन

3319. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व रेलवे में बरेली सिटी, कासगंज में कितने रेलवे इंजन हैं तथा उनमें से कितने इंजनों का उपयोग पैसेन्जर गाड़ियों की ढुलाई के लिए किया जाता है;

(ख) उनमें से कितने डीजल चालित इंजन हैं;

(ग) उनमें से कितने इंजन पैसेन्जर गाड़ियों के उपयुक्त नहीं हैं पर उस कार्य के लिए उपयोग में लाये जा रहे हैं;

(घ) कुल कितने इंजन वर्ष 1981 में तथा जून, 1982 तक पीलीभीत से मथुरा जंकशन के लिए गाड़ियों की ढुलाई के दौरान खराब हो गये; और

(ङ) क्या रेलवे अधिकारियों को इंजीनियर से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ये इंजन गाड़ियों में लगाये जाने योग्य नहीं हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-7-82 को बरेली सिटी में 52 और कासगंज में 43 रेल इंजन उपलब्ध थे । इनमें से क्रमशः 13 और 28 इंजनों का उपयोग यात्री गाड़ियों के लिए किया जा रहा है । ये सभी भाप रेल इन्जन हैं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) यात्री गाड़ियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी रेल इन्जन अच्छी हालत में हैं ।

(घ) जनवरी, 81 से जून, 82 तक की अवधि में 17 रेल इन्जन पीलीभीत से मथुरा जंकशन के बीच चालन के दौरान खराब हुए ।

(ङ) जी नहीं ।

बरेली और कासगंज के बीच रद्द की गई रेल गाड़ियों की संख्या

3320. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार द्वारा बरेली और कासगंज के बीच चलने वाली कुछ रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को दुबारा चलाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इन रेल गाड़ियों को कब तक दुबारा चलाया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) कोयले की कमी और भाप इंजनों की कठिनाई के कारण ।

(ग) और (घ) इन गाड़ियों को 21/22-7-82 से पुनः चलाया जा चुका है ।

कासगंज और बरेली के बीच बिकने वाली टिकटें

3321. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कासगंज तथा बरेली के बीच चलने वाली पैसेन्जर गाड़ियों के लिए वर्ष 1981 से जून 1982 की अवधि में कुल कितनी तथा कितने मूल्य की यात्री टिकटें बेची गईं;

(ख) इस लाइन पर पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितनी तथा कितने मूल्य की टिकटें बेची गईं; और

(ग) वर्ष 1980-81 तथा जून 1982 तक कितने यात्रियों द्वारा यात्रा न किये जाने के आधार पर कितने टिकट वापस किये गये और रेलवे द्वारा उनके लिए कुल कितनी राशि लौटाई गई ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी, 1981 से जून, 1982 तक कासगंज और बरेली के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों के लिए बेचे गये यात्री टिकटों की कुल संख्या और मूल्य क्रमशः 41,42,390 और 1,46,88,025 रुपये हैं।

(ख) इस लाइन पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बेचे गये टिकटों की कुल संख्या और मूल्य वर्ष वार निम्नलिखित है।

वर्ष	बेचे गये टिकटों की संख्या	मूल्य
1979-80	29,07,288	1,12,92,181
1980-81	25,65,383	1,07,06,147
1981-82	34,12,456	1,20,05,630

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान और जुन, 1982 तक यात्रियों द्वारा बिना यात्रा किए वापिस किये गये टिकटों की कुल संख्या और उनके लिए रेलों द्वारा वापिस की गयी कुल रकम क्रमशः 1635 और 4,858 रुपये है।

ओस्ट्राजन और प्रानस्टोरेन के प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव

3322. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भपात के लिए ओस्ट्राजन और प्रानस्टोरेन रसायनों के मिश्रण से तैयार की गई कुछ दवाओं के प्रयोग से महिलाओं में गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं और देश में इन औषधियों के प्रयोग से अनेक गर्भवती महिलाएं अपनी जान गंवा बैठी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन औषधियों के प्रयोग के कारण हुई महिलाओं की मृत्यु, बच्चों की विकलांगता और अक्षमता और माताओ पर इनके प्रतिकूल प्रभाव के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि गर्भपात के लिए ओस्ट्राजन और प्रानस्टोरेन रसायनों के मिश्रण से तैयार की गई कतिपय औषधियों के इस्तेमाल करने से भारतीय महिलाओं में गंभीर जटिलतायें पैदा हो गई हैं और देश में इन औषधियों के इस्तेमाल से गर्भवती महिलाओं ने अपनी

जानें गंवा दी हैं। वैसे ऐसी रिपोर्टें हैं कि गर्भावस्था के दौरान ओस्ट्राजन और प्राजेस्टोरेन के मिश्रणों के इस्तेमाल करने से नव-जात शिशु में जन्मजात असामान्यतायें हो सकती हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न क्षेत्रों की जोरदार मांगों को ध्यान में रखते हुए कि बेश में गर्भ परीक्षण एजेंटों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, सरकार ने देश में ओस्ट्राजन और प्राजेस्टोरेन के निश्चित मात्रा वाले मिश्रणों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है और इन औषधियों का निर्माण बन्द करने की तारीख 31 दिसम्बर, 1982 और इन दवाइयों की बाजार में बिक्री बन्द करने की तारीख 30 जून, 1983 निश्चित की गई है।

दहेज के कारण हुई मौतें

3323. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दहेज की शिकार हुई महिलाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार देने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसी कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है जिसके अन्तर्गत केवल उन महिलाओं को जो दहेज के कारण पीड़ित हैं को वित्तीय सहायता और रोजगार प्रदान किया जाए। हालांकि समाज कल्याण मंत्रालय एक योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण-केंद्र/संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, संकटग्रस्त महिलाओं को रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) निराश्रित और विकलांग महिलाओं/जरूरतमंद महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम।

(2) वयस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

इन योजनाओं के अंतर्गत दहेज के कारण पीड़ित महिलाओं को भी लाभ प्राप्त कराये जाते हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने एक स्वैच्छिक कार्य ब्यूरो की स्थापना भी की है जो शोषण के कारण संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करने का कार्य करता है जिसमें महि-

लाओं के विरुद्ध दहेज और अपराधों के मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध करना, विवाह-परामर्श और विभिन्न रूपों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को कम करने के लिए ऐसे अन्य उपाय करना सम्मिलित है।

दिल्ली के कालेजों में प्रवेश नियमों का उल्लंघन

3324. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ विख्यात कालेज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों को गत दो या तीन वर्षों से खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) क्या इन कालेजों ने निर्धारित तिथि से पहले प्रवेश बंद करने के अतिरिक्त प्रवेश के लिए अलग पात्रता और शर्तें निर्धारित की हैं;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ विश्वविद्यालय और सरकार से इन कालेजों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए लम्बे समय से मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कालेजों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पात्रता की इन शर्तों को पूरा कर लेने पर अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला कालेजों के प्रिंसिपलों द्वारा दी जाती है। विश्वविद्यालय ने कालेजों में दाखिले की प्रक्रियाएं भी सुझाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ किस अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने चाहिए, खिलाड़ियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों आदि जैसी विशेष श्रेणियों के दाखिले के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का उल्लेख है। विश्वविद्यालय के पास किसी कालेज में दाखिले की पात्रता शर्तों के उल्लंघन के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, सेंट स्टीफन कालेज ने कालेज में दाखिले के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सुझाई गई अंतिम तिथि से पहले ही एक तिथि निर्धारित की थी।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के तथा कथित उल्लंघन के विरुद्ध शिकायतें हुई हैं। तथापि, कालेज को उनकी अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित करने तथा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अपनी तिथि निर्धारित करने का अधिकार एक ऐसा मामला है जो अभी सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णित पड़ा हुआ है। न्यायालय ने कालेज के पक्ष में स्थगन आदेश दिया है।

श्रीलंका के दंगों में भारतीयों की हुई हानि

3325. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के, दौरान श्रीलंका में हुए दंगों में जिसमें भारतीय मूल के लोग अन्तर्ग्रस्त थे, कितने लोगों की जानें गईं और कितनी संपत्ति की हानि हुई;

(ख) क्या सरकार को इसके बारे में पता है कि इन साम्प्रदायिक दंगों में हुई क्षति के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में ऐसी घटनायें न करें, दोनों देशों की सरकारों द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अगस्त 1981 में साम्प्रदायिक हिंसा के एक बड़े दौर में जिसमें भारत मूल के व्यक्ति अंतर्ग्रस्त थे, श्रीलंका सरकार ने 7 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर दी है। संपत्ति की भी हानि हुई किंतु उसकी सही मात्रा ज्ञात नहीं है।

(ख) और (ग) श्रीलंका सरकार ने अगस्त, 1981 की घटनाओं की जांच करने, इससे हुई क्षति की पूर्ति के लिए प्रतिवेदन प्राप्त करने और क्षतिपूर्ति की राशि की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

(घ) अगस्त 1981 के दंगों के दौरान और उसके परिणामों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से निकट सम्पर्क बनाए रखा। यद्यपि ऐसी घटनाएं अनिवार्यत श्रीलंका का आन्तरिक मामला है, तो भी, चूंकि इन घटनाओं से बड़ी संख्या में भारत मूल के व्यक्ति और कुछ भारतीय नागरिक प्रभावित हुए थे इसलिए भारत सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। श्रीलंका सरकार ने अगस्त 1981 से जो कार्रवाई की है उसके ठोस परिणाम निकले हैं। हमें विश्वास है कि श्रीलंका सरकार स्थिति सामान्य बनाए रखने के अपने प्रयासों में सफल होगी।

देश में सड़क दुर्घटनायें

3326. **श्री हरीश रावत** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में चालू वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये और कुल कितने व्यक्ति बस दुर्घटनाओं के कारण मरे और क्या गत तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं की तुलना में इन दुर्घटनाओं की प्रतिशतता में कुछ सीमा तक कमी हुई है;

(ख) 1981 और 1982 में अब तक उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कुल कितने लोग अस्वाभाविक मौत के शिकार हुये;

(ग) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ विशेष निदेश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की दिशा में 31.5.1982 को परिवहन मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी ताकि इस मामले में विचार-विमर्श किया जा सके। मंत्री जी इस बात पर सहमत हुए थे कि वे अपने अपने राज्यों में दुर्घटनाओं के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे। जिन उपायों के करने का निर्णय किया गया था, उनमें सड़क सुरक्षा के लिए आयुक्तों की नियुक्ति करना, हाईवे पेट्रोलिंग स्कीम करना, दुर्घटना नियन्त्रण संस्था बनाना और गाड़ियों के ड्राईविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में विनियमों का सख्ती से प्रवर्तन शामिल है। इसके अलावा, परिवहन मंत्रियों की यह इच्छा थी कि केंद्रीय सरकार शीघ्र विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करे जो इस मामले का गहराई से अध्ययन करे और सड़क सुरक्षा के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाये जिससे कि सरकार समुचित कार्यवाही कर सके।

इसी के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने अब तक एक समिति बनाई है।

इंजनों तथा बोगियों के निर्माण के लिए मिनी कारखानें

3327. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये इंजनों तथा बोगियों का निर्माण करने के अनेक नये मिनी कारखानों की स्थापना के द्वारा भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव को कब कार्यन्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत के भिन्न राज्यों में जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप इंजनों तथा बोगियों के निर्माण के लिए मिनी कारखानों की स्थापना करने के प्रश्न पर वे विचार करेंगे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नये इंजनों और बोगियों के निर्माण के लिए नयी छोटी फैक्टरियां आरम्भ करके भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में रेलों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रेल इंजनों और माल डिब्बों के निर्माण की क्षमता पर्याप्त है। सवारी डिब्बों की निर्माण क्षमता में कमी को पूरा करने के लिए एक नया सवारी डिब्बा कारखाना लगाने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए छोटी फैक्टरियां लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मद्रास 'बीच'—विल्लीपुरम लाइन को बदलना

3328. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार मद्रास 'बीच' से विल्लीपुरम रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने संबंधी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में सम्मिलित करेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं ।

लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ाना

3329. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी भीड़ को देखते हुये लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दोनों राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के अतिरिक्त सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के कम से कम दो अनारक्षित सवारी डिब्बे उत्तरोत्तर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

गाड़ियों की सुविधाओं के तुलना में यात्री यातायात

3330. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसख्या तथा उसी अनुपात में बढ़ते हुये यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुये सरकार ने लोगों को गाड़ियों की सुविधा देने के लिये कोई दीर्घावधि योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) रेलें उपलब्ध संसाधनों से यात्री यातायात की बढ़ोत्तरी के साथ गति बनाये रखने के हर सम्भव प्रयास कर रही हैं । एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में दो इंजनों से कर्षित अधिक डिब्बों की सवारी गाड़ियाँ चलाने, दिन की यात्रा के लिये उपयुक्त और अधिक वहन क्षमता वाले दो मंजिले डिब्बों का निर्माण करने, पहले दर्जे के डिब्बों का 2-टियर वातानुकूल शयनयान में बदलाव करने जिससे वहन क्षमता में वृद्धि हो, डिब्बों की शीघ्रतर मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कारखानों की क्षमता में वृद्धि आदि करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त रेलों को डिब्बा निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिये एक नयी डिब्बा निर्माण इकाई की योजना भी बनायी जा रही है । यात्री यातायात के लिये क्षमता का विकास अंततः योजना आयोग द्वारा दी गयी प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों के लिए विकास अनुदान

3331. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :**

श्री के० कुन्हम्बु : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में कालेजों को (1) आवर्ती अनुदान देने, (2) विकास अनुदान देने के बारे में कोई नियम बनाए हैं और शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो नियम और शर्तों का वास्तविक स्वरूप एवं विस्तार क्या है और वे किस तारीख से निर्धारित किये गये हैं;

(ग) कितने कालेजों ने राज्य-वार प्रत्येक वर्ग के अनुदानों के लिये आवेदन दिये और कितने कालेजों को ये अनुदान दिये गये और कुल कितनी राशि दी गई;

(घ) क्या "ग्रामीण क्षेत्र" शब्द में ऐसे गांव भी सम्मिलित हैं जिनमें नोटिफाइड एरिया कमेटियां स्थापित की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) कालेजों को विकास अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिये बनाई गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार संस्वीकृत किए जाते हैं। दिल्ली स्थित कालेजों को छोड़कर आयोग कालेजों को आवर्ती अनुरक्षण अनुदान उपलब्ध नहीं करता। कालेजों को विकास सहायता के लिये मार्गदर्शी रूप रेखाओं को छठी योजना के दौरान जनवरी 1982 में अन्तिम रूप दिया गया था। इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार छठी योजना के दौरान उन सभी पात्र कालेजों को पुस्तकों, उपस्कर और संकाय सुधार के लिये अनुदान दिए जाएंगे जिनके यहां डिग्री पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 150 छात्र हों और 5 स्थाई अध्यापक हों। भवन निर्माण, स्टाफ, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं केवल उन्हीं कालेजों को उपलब्ध की जाएंगी जिनमें 300 छात्र, 10 स्थायी अध्यापक और कम से कम 4 विभाग हों जिनमें से प्रत्येक में दो-दो अध्यापक हों। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामले में दाखिले की अपेक्षाएं ऐसे मामलों में छूट देकर 200 कर दी गई हैं। इसके अलावा, आयोग ने एक जिले में एक अथवा दो कालेजों को एक विशेष योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है जहां पर एक या दो सु-विकसित कालेज भी आयोग से सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार के कालेजों में कम से कम 150 छात्र और 5 स्थाई अध्यापक होने चाहिए। यह योजना पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के लिए विकास सहायता को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

(ग) जनवरी, 1982 में परिचालित मार्गदर्शी रूप रेखाओं को प्रत्युतर में कालेजों द्वारा आवेदन पत्र उनके अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये विचार के

विभिन्न स्तरों पर हैं । तथापि, आयोग ने अब तक छठी योजना में 949 कालेजों को बुनियादी सहायता मंजूर की है । इन कालेजों की राज्य वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) वर्तमान मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार, अधिसूचित क्षेत्र कमेटियों की सीमाओं से बाहर कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालेजों को ग्रामीण कालेजों के रूप में समझा जाता है । तथापि, यह वर्गीकरण इस समय समीक्षाधीन है ।

विवरण

उन कालेजों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण जिन्हें अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पांचवीं योजना की मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार बुनियादी सहायता के लिये सहायता दी गई है

क्रम सं॰	राज्य का नाम	बुनियादी सहायता के लिए अब तक सहायता किए गए कालेजों की संख्या
1.	आन्ध्र	102
2.	असम	34
3.	बिहार	35
4.	गुजरात	37
5.	हरियाणा	30
6.	हिमाचल प्रदेश	5
7.	जम्मू और काश्मीर	8
8.	कर्नाटक	41
9.	केरल	39
10.	मेघालय	1
11.	मणिपुर	1
12.	महाराष्ट्र	213
13.	मध्य प्रदेश	55
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	56
16.	पंजाब	39
17.	राजस्थान	23
18.	तमिलनाडु	84
19.	उत्तर प्रदेश	85
20.	पश्चिम बंगाल	59
21.	संघ शासित चण्डीगढ़ प्रदेश	7
	कुल :	949

मान्यता प्राप्त स्कूलों पर दिल्ली प्रशासन का नियंत्रण

3332. **श्री तारिक अनवर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी मौजूदा स्कूल के परिसर में अलग से नर्सरी स्कूल चलाने की अनुमति किन आधारों पर दी जाती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के उपबन्धों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नियंत्रण रखा जाता है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हालांकि अलग नर्सरी स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, फिर भी माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों में नर्सरी तथा प्राथमिक सैक्शन वाले शिक्षित स्कूलों को अनुमति दी जा सकती है, ताकि शिक्षा को जारी रखा जा सके और स्थान तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके ।

मुरादाबाद मंडल में क्वाटरों का आवंटन

3333. **श्री तारिक अनवर** :

श्री विलास मुत्तेवार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद मण्डल में 'विशेष' और 'ए' ग्रेड के कितने ड्राइवर हैं और उनमें से कितने ड्राइवर आवासीय निवास पाने के अधिकारी हैं;

(ख) उनमें से कितने ड्राइवरों को आवासीय निवास आवंटित कर दिये गये हैं तथा वे कितने प्रतिशत हैं;

(ग) मुरादाबाद मण्डल में कितने चार्जमैन हैं, उनमें से कितने आवासीय निवास पाने के अधिकारी हैं तथा उनमें से कितने चार्जमैनों को आवासीय निवास आवंटित किया गया है और वे कितने प्रतिशत हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार है कि रेल सुरक्षा के लिए ड्राइवर मुख्य रूप से उत्तरदायी है तथा उन्हें पर्याप्त आराम मिलना चाहिए; और

(ङ) उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क)	कुल	हकदार
'ए' स्पेशल ड्राइवर्स	50	50
'ए' ग्रेड ड्राइवर्स	131	131

(ख)	आबंटित	प्रतिशत
'ए' स्पेशल ड्राइवर्स	29	58%
'ए' ग्रेड ड्राइवर्स	75	57%

(ग)	कुल सं०	हकदार	आबंटित	प्रतिशत
चार्जमैन	28	28	23	82%

(घ) ड्राइवर भी रेलवे सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होते हैं इसलिए उन्हें पर्याप्त आराम मिलना चाहिए ।

(ङ) ड्राइवरों को रेलवे आवास का आवंटन करने के लिए 'अनिवार्य' कोटि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसलिए व्यावहारिक सीमा तक उन्हें आवास दिया जाता है। आराम करने के लिए बाहरी स्टेशनों पर रनिंग रूम की व्यवस्था की गयी है ।

तिब्बत युवा कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

3334. **श्री तारिक अनवर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा तिब्बत को सेना के अड्डे में बदलने तथा वहां 6 लाख से भी अधिक सैनिक रखने के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना के बारे में तिब्बत युवा कांग्रेस ने प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार चीन के साथ होने वाली वार्ता के दौरान इस मसले को उठाने का है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां । इस प्रकार का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) सरकार की ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रहती है, जिनसे हमारे देश की सुरक्षा का ताल्लुक हो सकता हो, ताकि अपेक्षित कार्रवाई की जा सके ।

रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

3335. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1981 तक रेलवे में नियुक्त किए गए नैमित्तिक श्रमिकों की जोनवार संख्या क्या है;

(ख) वे कब से नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ग) उन्हें नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अद्यतन उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	37432
पूर्व रेलवे	20919
उत्तर रेलवे	42509
पूर्वोत्तर रेलवे	17465
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	8329
दक्षिण रेलवे	33426
दक्षिण-पूर्व रेलवे	20281
दक्षिण-मध्य रेलवे	26399
पश्चिम रेलवे	16422
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	62
डीजल रेल इंजन कारखाना	82
सवारी डिब्बा कारखाना	204
जोड़ ;	223530

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) नैमित्तिक श्रमिकों को, जांच पड़ताल के बाद, रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार श्रेणी IV के पदों में समाहित किया जाता है। इसके लिए, कारखानों को छोड़कर श्रेणी Iv पदों के लिए सीधा भर्ती रोक दी गयी है और श्रेणी IV की रिक्तियों को जांच पड़ताल के बाद नैमित्तिक श्रमिकों में से भरा जाता है ।

(घ) अप्रैल 1981 से जनवरी, 1982 के दौरान 22,233 नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया था।

गौरीपुर कोढ़ अस्पताल के निकट सवारी गाड़ी का रुकना

3336. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के बांकुरा और छतरा स्टेशन के बीच गौरीपुर कोढ़ अस्पताल के पास सवारी गाड़ी को रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव बांकुडा और छातुआ स्टेशनों के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर एक हाल्ट स्टेशन बनाये जाने और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए उस पर कुछ सवारी गाड़ियों को ठहराये जाने से सम्बन्धित है।

यात्रियों को आसनसोल से 81 अप और 103 अप से यात्रा करने की अनुमति दिया जाना

3337. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे मध्याह्न तक आसनसोल-हावड़ा सैक्शन में कोई रेल गाड़ी नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों को द्वितीय श्रेणी में 81 अप तथा 103 अप से यात्रा करने की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हावड़ा-वर्धमान और वर्धमान-आसनसोल खंडों पर खंड सेवाओं के अलावा, 12 और 15 बजे के बीच अप दिशा में 49 अप हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस और डाउन दिशा में 8 डाउन तूफान एक्सप्रैस आसनसोल-दुर्गापुर खंड पर अधिक ठहरावों के साथ आसनसोल-हावड़ा खंड पर यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 81 अप/103 अप वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां मुख्य रूप से लम्बी दूरी के यात्रियों के उपयोग के लिए हैं।

गरीबों को चिकित्सा सुविधाओं के लाभ

3338. **श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ अधिकांशतः मंत्री-गण, संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्ति ही उठाते हैं और गरीब लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि इस योजना का लाभ गरीब लोगों को दिया जाये तो देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च की तुलना में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पर कितने प्रतिशत राशि खर्च होती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है। वैसे, केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों, संसद सदस्यों आदि के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सभी डिस्पैंसरियों में तथा आम जनता के लिए केवल दिल्ली की 14 डिस्पैंसरियों में इसके लाभ उपलब्ध कर दिये गये हैं। लेकिन, इस योजना को हर कहीं आम जनता के लिए लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

201 अप/202 डाउन अहमदाबाद मेल गाड़ी में लगे द्वितीय श्रेणी के डिब्बे

3339. **श्री मूल चन्द डागा : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 201 अप/202 डाउन अहमदाबाद मेल गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और उनमें शौचालय की हालत तथा प्रकाश की व्यवस्था अत्यन्त बिगड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस गाड़ी में नये डिब्बे लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। 201/202 अहमदाबाद मेल में चल रहे दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे 15 वर्ष की आयु सीमा के भीतर ही हैं। उनकी हालत संतोषजनक है।

दोनों टर्मिनलों पर शौचालयों की सही तौर पर धुलाई की जाती है तथा कीटाणु रहित

किया जाता है और गन्ध नाशकों का प्रयोग किया जाता है। डिब्बों में रोशनी भी संतोषजनक ढंग से व्यवस्थित की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों से शिकायतें

3340. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों द्वारा शिकायत करने पर भी रेलवे विभाग में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और शिकायत करने वाले संसद सदस्यों से पूछ-ताछ किये बिना दोषी अधिकारियों से जांच करने के बाद मामले समाप्त कर दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों की कोई अलग सूची नहीं रखी जा रही है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों से कितनी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने मामलों में शिकायतें ठीक पाई गईं, और अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतें प्रत्येक मामले की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखने के लिए अलग से सूचीबद्ध की जाती है। प्रत्येक शिकायत की जांच-पड़ताल की जाती है और यथा-आवश्यक समुचित कार्यवाही की जाती है और संसद सदस्यों को उत्तर भेजा जाता है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में खान-पान का स्तर

3341. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में खाने पीने की चीजों का स्तर दिन-प्रति-दिन घटता जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभागीय खान पान व्यवस्था की तुलना में गैर-सरकारी खान पान व्यवस्था द्वारा सेवित खाद्य पदार्थ घटिया किस्म के हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली से चलने वाली तिनसुखिया मेल गाड़ी से घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है और एक संसद सदस्य ने इस बारे में उन्हें कई बार लिखित शिकायतें भेजी हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन शिकायतों के बारे में कोई जांच कराई है; और

(ङ) रेलवे में खान पान के स्तर को उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार भी भोजन का अपेक्षित स्तर बनाये रखते हैं, गाड़ियों में खान पान सेवाओं की आवधिक निरीक्षणों, आकस्मिक जांचों और मानीटरिंग के जरिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है ।

(ग) और (घ) 1981-82 के दौरान, तीन शिकायतें, दो जनता से और एक संसद सदस्य से प्राप्त हुई हैं जिनमें तिनसुखिया मेल में भोजनयान के ठेकेदार के काम के संबंध में शिकायत की गयी थी । ये शिकायतें खान पान कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, काकरी और चम्मच, छुरी और कांटों की गंदी हालत और भोजन की घटिया किस्म के बारे में थी । इन सभी शिकायतों की जांच की गयी थी और पहले दो मामलों में ठेकेदारों को चेतावनी दी गयी थी जब कि अंतिम मामले में उन्हें 50 रुपये का जुर्माना किया गया और दोषी बेयरे को सेवा से हटा दिया गया । 1982-83 के दौरान जून, 82 तक अधिक कीमत वसूलने, कैश मीमों न देने और घटिया किस्म का खाना देने के सम्बन्ध में संसद सदस्यों द्वारा दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इन दोनों शिकायतों की जांच की गई है और प्रत्येक मामले में 250/- रुपये का जुर्माना किया गया है ।

अब क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा तिनसुखिया मेल के ठेकेदार के काम पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है ।

(ङ) खान पान के स्तर पर सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल बढ़िया किस्म का सामान उपयोग में लाया जाता है तथा स्वास्थ्यप्रद स्थितियों में पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है; वाणिज्य और चिकित्सा विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से आधार रसोईघर सहित खान पान स्थापनाओं का निरीक्षण/आकस्मिक जांच तथा गाड़ियों में खान पान सेवाओं की मानीटरिंग को और गहन कर दिया गया है । शिकायतों और अनियमितताओं पर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है ।

वर्ष 1981 में बदलाघाट में हुई रेल दुर्घटना के शिकार परिवारों को मुआवजा

3342. **श्री राम विलास पासवान :**

श्रीमती कृष्णा साही : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 में बदलाघाट में हुई गंभीर रेल दुर्घटना में लोगों के परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में किसी दावा आयुक्त की नियुक्ति भी नहीं की गई है;

(ग) क्या जो रेल डिब्बा पानी में डूब गया था उसे भी अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है; और

(घ) सरकार द्वारा उन त्रस्त परिवारों को मुआवजा कब तक अदा कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। फिर भी. 1,69,250/- रुपये की राशि का भुगतान मृतकों के वारिसों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राहत के रूप में किया गया है।

(ख) एक तदर्थ दावा आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना 17-7-82 को जारी की गयी है।

(ग) 5 सवारी डिब्बों को, रेलवे, नौसेना और सेना के प्रयासों के बावजूद भी बाहर नहीं निकाला जा सका क्योंकि ये डिब्बे नदी में बहुत गहरे डूब गये थे।

(घ) चूंकि दावे के मामलों के निर्धारण की प्रक्रिया में पूर्ण रूपेण अदालती कार्यवाई शामिल होती है अतः यह कहना कठिन होगा कि दावों के भुगतान में कितना समय लगेगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रामकृष्ण मिशन विद्यालय को मान्यता दिया जाना

3343. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बिहार में देवघर स्थित रामकृष्ण मिशन विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल के अध्यापकों के लिए कुछ सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल के अध्यापकों का वही वेतनमान या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को उपलब्ध की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हाँ,। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर (बिहार), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के० मा० शि० बो०) से सम्बद्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्कूलों को सम्बद्ध करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि स्कूल में कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें होनी चाहिएं तथा कम से

कम उस राज्य में मिल रहे वेतन के बराबर, जहां स्कूल स्थित है, भत्तों सहित वेतन दिया जाना चाहिए। तथापि, बोर्ड की जांच समिति द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर, अपने अध्यापकों को राज्य सरकार के अध्यापकों के बराबर वेतन तथा भत्ते नहीं दे रहा है तथा उसके अध्यापकों की सेवा में भी सुधार की आवश्कता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल से इस बारे में निर्धारित शर्तों का अनुसरण करने की हिदायत दी है।

अन्तर्राज्य मार्गों पर और अधिक राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना

3344. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर कुछ और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) निकट भविष्य में और अधिक राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, निकट भविष्य में मौजूदा सप्ताह में दो बार चलने वाली नई दिल्ली-बम्बई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने के लिए इसे सप्ताह में 4 बार चलाये जाने का प्रस्ताव है।

विजयवाड़ा बेलारहाट सेक्शन का विद्युतीकरण

3345. **श्री के० एस० स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा-बेलारहाट सेक्शन के विद्युतीकरण समय सारणी क्या है; और

(ख) उपरोक्त विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है, वर्षवार का ब्यौरा देते हुए वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1985-86 में समाप्त करना है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) 1982-83 18 करोड़ रुपये।

1983-84
1984-85 } धन राशि अभी आवंटित नहीं की गयी है।

यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद

3346. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूगोस्लाविया से जहाज खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज खरीदने का प्लान है, उनका मूल्य क्या होगा; और

(ग) इन जहाजों की खरीद संबंधी मुख्य शर्तें क्या हैं तथा उनके लिए अदायगी किस रूप में होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) जहाजी कम्पनियां जहाज खरीदने का निर्णाण वाणिज्यिक दृष्टि से किया करती हैं चाहें कोई सरकारी कम्पनी हो या गैर-सरकारी। सरकार प्रत्येक मामले के गुण दोष की जांच करने के बाद उचित अवसर पर निर्णय लेती है। यूगोस्लाविया से जहाज खरीदने के बारे में अब तक किसी भी जहाजी कम्पनी ने सरकार के अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

गोडा रेलवे स्टेशन यार्ड में चोरी की घटना

3347. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोडा रेलवे यार्ड में चोरी की एक घटना में चोर गोडा रेलवे यार्ड से आधा रेलवे वैगन माल ले जाने में सफल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की चोरियों में रेल कर्मचारियों के शामिल होने का भी पता चलता है; और

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों पर गोडा नामक कोई स्टेशन नहीं है। किंतु गोंडा नाम का एक स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे पर है, जहां ठेकेदार; जिसने रेलवे की नीलामी में 9 अन्य रद्दी माल डिब्बे खरीदे थे, के मजदूरों द्वारा अनधिकृत रूप से एक माल डिब्बे के काटने के मामले का पता चला है।

(ख) ठेकेदार से 6,000/- रु० वसूल करने के आदेश दिये गये हैं।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का सामान्य जनता पर प्रभाव

3348. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय और संस्थाएं छात्रों और सामान्यतः जनता के नजरिए को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी रूप में ढालने में असफल रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के सामान्य जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ग) विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता और स्वेच्छिक एजेंसियों का बड़े पैमाने पर सहयोग प्राप्त करने हेतु कौन-कौन से उपाय विचाराधीन हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा ने किस सीमा तक आम जनता के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है और सामान्य रूप से ऐसी शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस संबंध में विभिन्न मत हो सकते हैं। तथापि, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास से सामान्य जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

(ग) सरकार ने देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसार के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करने प्रामाणिक सूचना के केन्द्रीयकृत स्रोतों के रूप में कार्य करने हेतु संगठनात्मक संरचनाओं की स्थापना आदि करने के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् की स्थापना की है। परिषद् विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में विशिष्ट कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न स्तरों पर अनेक स्वैच्छिक एजेंसियों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करके प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम भी प्रारम्भ करेगी।

दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए दिए गए ठेके

3349. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : नवम् एशियाई खेलों के लिए दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत स्टेडियमों, सड़कों के निर्माण तथा अन्य सुधार कार्यों के लिए जिन फर्मों को ठेका दिया गया था, उनका ब्यौरा क्या है और उन्हीं फर्मों को बार-बार ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें नवम् एशियाई खेलों के संबंध में दिल्ली नगर निगम के अधीन स्टेडियम, फ्लाई ओवर के नवीकरण, सुधार कार्यों, सड़कों को चौड़ा करने तथा अन्य सुधार कार्यों का ब्यौरा तथा उन फर्मों के नाम दिए गये हैं जिन्हें ये कार्य सौंपे गये थे। दिल्ली नगर निगम के अनुसार, ये कार्य लगभग 28 विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किए जा रहे हैं। सामान्यतः ठेकेदार के हाथ में एक

दो कार्य होने पर भी उसे और कार्यों के टेंडर भेजने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कार्य प्रतियोगिता के आधार पर किए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	कार्य का नाम
1.	श्री कुन्दन लाल	चौथी एवेन्यू सड़क से मथुरा रोड (मकबरे तक) बचे हुए कार्य-इन्नर रिंग रोड (लोधी रोड) को चौड़ा करना और सुधार करना। एस० एच० कैरिजेबे का निर्माण।
2.	श्री बलराज कटारिया	—यथोक्त—एस० एच० जल निकास की व्यवस्था करना।
3.	श्री जगदीश चन्द्र सुनेजा	—यथोक्त सेन्ट्रल वर्ज और फुटपाथ का निर्माण।
4.	श्री ओ० पी० मित्तल	—यथोक्त एस० एच० एम० एस० ग्रिल'।
5.	श्री मै० सहानी बिल्डर्ज	—यथोक्त—एस० एच० दयाल सिंह एस० कालेज के पास सुनहरी नाले के उपरि पुलिया को चौड़ा करना।
6.	श्री परदीप कटारिया	यथोक्त—एस०एच० सा०नि०वि० के क्वाटर सं० 91 से 95 तक की सीमति दीवार बदलना।
7.	श्री कैलाश	—यथोक्त—एस० एच० कम्यूनिटी सेन्टर की फैक्ट्री दीवार बनाना।
8.	श्री कैलाश	—यथोक्ति—एस० एच० सा० नि० वि० के क्वाटर सं० 96 से 100 तक दीवार बनाना।
9.	मै० नव भारत एन्टर प्राइजिज	—यथोक्ति एस० एच० लोधी रोड और दयाल सिंह कालेज के पास पैदल पथ और सेन्ट्रल वर्ज के ऊपरि कर्ब का पी/एल सीमेंट निर्माण।
10.	श्री प्रदीप कुमार कटारिया	यथोक्त—एस० एच० हुमायूं मकबरे के निकट (लोधी रोड फ्लाई ओवर, मथुरा रोड) भराई के हिस्से में रिटेनिंग वाल बनाना।
11.	श्री सुरेश कुमार	— यथोक्त—एस० एच० के० सा० नि० विभाग के क्वाटरों में क्रम सं० 91 से 100 तक कासिंग में नालियां बनाना और मैनहोल ऊपर उठाना।
12.	श्री कैलाश	— यथोक्त—एस० एच० बाल भारती एअर फोर्स स्कूल की चारदीवारी बनाना (निर्माण सामग्री सप्लाई करना)।

13. श्री रमेश चन्द	वसन्त रोड को पंचकुईयां रोड के जंक्शन से 1260 फुट तक चौड़ा करना और इसमें सुधार करना ।
14. मै० देवी दयाल अरोड़ा एण्ड सन्स	वसन्त रोड को पंचकुईयां रोड के जंक्शन से 1250 फुट तक चौड़ा करना और सुधार करना—स्टेबिल वैंक का निर्माण ।
15. श्री रमेश चन्द	–यथोक्त– एस. एच. वसन्त रोड के चौहरहे की जगह ठीक करना ।
16. मै० वी. आर. अरोड़ा एण्ड एसोसियेन्ज	भीष्म पितामा रोड को चौड़ा करना और इसका सुधार करना रिंग रोड से सेवा नगर तक ।
मै० प्रदीप कटारिया	(क) कैरिजवे (ख) नालियां ।
17. मै० राधेश्याम गुप्ता	मथुरा रोड-लोधी रोड के चौराहे को चौड़ा करना और इसमें सुधार करना ।
18. मै० वी. आर. अरोड़ा एण्ड एसोसियेशन	लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का वीर सावर्कर मार्ग के साथ चौराहे को चौड़ा करना और उसमें सुधार करना ।
मै० अशोक चड्ढा	(क) कैरिजवे और नालियों का काम । (ख) पैदल पथ और एम.एस. ग्रिल ।
19. श्री मोहिन्दर कुमार	(क) राजघाट पावर हाऊस रोड का सुधार करना और उसे मजबूत करना एस. एच. सड़क को चौड़ा करना ।
मै० क्वांम डेकोरेटर्स	(ख) —यथोक्त— एस. एच. फुटपाथ का निर्माण ।
श्री विनोद कुमार	(ग) —यथोक्त— एस. एच. नालियां बनाना ।
मै० वी. कुमार एंड कं०	(घ) —यथोक्त— एस. एच./एम. एस. ग्रिल की व्यवस्था करना ।
श्री वी. के. गुप्ता	(ङ) —यथोक्त— एस. एच. मिट्टी की भराई ।
श्री अनिल कुमार-II	(च) —यथोक्त— सेन्ट्रलवर्ज पर एम. एस. ग्रिल की व्यवस्था करना ।

मै० मिरजा कंस्ट्रक्शन	(छ)	—यथोक्त— सैन्ट्रल वर्ज पर वाटर लाइन की व्यवस्था करना ।
मै० रासत्रिया कंस्ट्रक्शन कं०	(ज)	—यथोक्त— एस. एच. ट्रैफिक सिग्नल और ब्लिकंर्ज के लिए पाइप बिछाना ।
श्री अनिल कुमार-II	(झ)	—यथोक्त— एस. एच. राजघाट पावर स्टेशन पर बुद्ध बिहार को दूसरी जगह ले जाना और पुनर्निर्माण करना ।
श्री अनिल कुमार	(ट)	—यथोक्त— एस. एच. सुरक्षा कक्ष और साइकिल स्टैंड की पिछली दीवार को दूसरी जगह बनाना ।
मै० एस. के. ऐन्टर प्राईजेज	(ठ)	राजघाट पावर हाऊस रोड पर एम. एस. ट्री गार्ड और वृक्षा-रोपण की व्यवस्था करना ।
श्री मोहिन्दर कुमार	(ड)	राजघाट रोड को चौड़ा करना और सुधार करना एस. एच. तारों का जाल लगाना ।
20. मै० अग्रवाल एण्ड कं०	(क)	डा० अम्बेडकर स्टेडियम में प्रस्तावित वृद्धि और परिवर्तन । एस. एच. स्टेडियम के पूर्वी ओर के मौजूदा सिटिंग टायरों में वृद्धि और परिवर्तन ।
श्री त्रिलोक चन्द जैन	(ख)	एशियाड 82 के लिए फुट-वाल टूर्नामेंट के लिए डा० अम्बेडकर स्टेडियम में प्रस्तावित वृद्धि और परिवर्तन—एस. एच. जनसुविधाओं की व्यवस्था करना और आस-पास क्षेत्र में सुधार करना ।
मै० ओवराम कंस्ट्रक्शन कं०	(ग)	एशियाड 1982 के लिए कुश्तियों के लिए डा० अम्बेडकर स्टेडियम में प्रस्तावित वृद्धि और परिवर्तन करना एस. एच. पोडियम/इरेस्ट-लिंग प्लेट फार्म ।

मै० बी. कुमार एण्ड कं०	(घ) एशियाड 1982 में फुटबाल टूर्नामेंट के लिए डा० अम्बेडकर स्टेडियम में प्रस्तावित वृद्धि और परिवर्तन करना एस. एच. आग बुझाने के लिए वाटर स्टेटिक टैंक बनाना।
मै० सालम कंट्रक्शन कं०	(ङ) डा० अम्बेडकर स्टेडियम में प्रस्तावित वृद्धि करना। इस स्टेडियम के मैदान की 5 फीट ऊंची पी./एफ. दीवार बनाना।
श्री राजकुमार	(च) डा० अम्बेडकर स्टेडियम के पश्चिमी कच्चा सिटिंग टायरर्ज की मरम्मत और सुधार सी-21
मै० राष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन कं०	(छ) डा० अम्बेडकर स्टेडियम में पूर्वी टायर्ज का पुन-निर्माण एस. एच. पुरानी वाटर लाईन का पुनः निर्माण करना।
21. मै० आर. आर. कंस्ट्रक्शन कं०	अम्बेडकर स्टेडियम में उस ब्लाक का निर्माण जिसमें जन सुविधाएं हों।
22. श्री ओम प्रकाश शर्मा	अम्बेडकर स्टेडियम में उस ब्लाक का निर्माण जिसमें जन सुविधाएं हों।
23. मै० एस ए. विल्डर्ज	जेल रोड ओवर ब्रिज के पहुंच मार्गों का निर्माण।

कोटा-बीना और कोटा-नागदा लाइन पर व्यापारियों को बैगन की सप्लाई

3350. **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा-बीना और कोटा-नागदा लाइन पर छबड़ा, सालपुरा, गटक, अन्तः, रामगंज मंडी, भवानी मंत्री, चौकहला स्टेशनों पर व्यापारियों को रेलवे वैगन की सप्लाई बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कुल कितने रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे वैगन की सप्लाई बंद कर दी गई है;

(ग) व्यापारियों को रेलवे वैगन सप्लाई न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) वैगन की सप्लाई पर लगाई गई रोक के आदेश को व्यापार के हित में कब तक वापस लिया जायेगा।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। इन स्टेशनों में से प्रत्येक स्टेशन पर पिछले 6 महीनों के दौरान माल डिब्बे सप्लाई किये और लादे गये थे।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ओल्ड रोहतक रोड तथा न्यू रोहतक रोड पर उपरिपुलों का निर्माण

3351. **श्री विलोक चन्द :**

श्री बाबूराव परांजपे : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद मार्केट के निकट ओल्ड रोहतक रोड तथा जखीरा के निकट न्यू रोहतक रोड पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो उपरिपुलों का प्रस्तावित निर्माण शीघ्र ही आरंभ होगा;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या उपरिपुलों के निर्माण का विचार बदल कर उसके स्थान पर निचले पुलों के निर्माण करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या लाभ होंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, नहीं । दोनों ही प्रस्ताव प्रारम्भिक स्टेज में हैं, इसलिए उनके शुरू किए जाने की सही तारीख बताना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ) जहां तक जखीरा क्रासिंग का संबंध है, यहां एक सड़क उपरिपुल बनाने का प्रस्ताव है । जहां तक आजाद मार्केट क्रासिंग का प्रश्न है यहां किस किस्म का पुल होगा, इसका अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । मैं चाहता हूं कि सरकार की छुट्टियों सम्बन्धी नीति पर सभा में चर्चा की जाये । दशहरा और दीवाली की छुट्टियां अब राष्ट्रीय छुट्टियां नहीं रहीं; रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टियों को भी निकाल दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न भी गृहीत किया जा चुका है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मेरा प्रश्न था जिसका उत्तर आया है और उस उत्तर से व्यापक असन्तोष फैल गया है । आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति दीजिए... (व्यवधान) यह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पाइलट; अन्य सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं ।

श्री राजेश पाइलेट (भरतपुर) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है, मैंने नियम 193 के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के प्रश्न पर चर्चा की भी सूचना दी है । हम इस विषय पर केवल रक्षा मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद के दौरान ही चर्चा कर सकते हैं; शेष पूरे वर्ष हमें कोई और अवसर नहीं मिलता है । मैंने तीन सूचनाएं दी हैं । मैं आपका मार्ग दर्शन और सहायता चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण के मामलों के लिये हम यहां पर उत्तर नहीं देते हैं । उसके लिए आप अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं । नियम 193 के आधीन चर्चा उठाने के लिये आपको कार्य मंत्रणा समिति के पास जाना होगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है क्योंकि बम्बई में एक्सरे की फिल्में उपलब्ध नहीं हैं और इससे वहां के अस्पतालों में गड़बड़ पैदा हो गई है । बम्बई अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर है ···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सूचना पर अध्यक्ष महोदय सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

श्री कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : महोदय, मैंने इस सभा में कुछ महीनों पूर्व छुट्टियों संबंधी नीति के प्रश्न को उठाया था । यह बड़ी विचित्र बात है कि हिन्दुओं की सभी छुट्टियों को काट दिया गया है, उनमें से पूरे देश में कोई-सी भी छुट्टी नहीं मनाई जा रही है । यह तो देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या के साथ भेद-भाव है । यह कुछ ऐसी बात हैं जो समझ में नहीं आती है । या तो आप कोई धार्मिक छुट्टियां कीजिए ही मत या यदि करें तो हिन्दुओं की सभी छुट्टियां करें । पंडितजी, आप भी इस पर सोचिए, आपने तो सारी उम्र इस बारे में बहुत कुछ किया है । रामनवमी की छुट्टी कट गई है, शिवरात्री की छुट्टी कट गई है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार को सूचना दे दीजिये ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : बिहार में कोयला खान में सबसे बुरी दुर्घटना हुई थी ···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले भी इसका उल्लेख किया है ।

श्री ए० के० राय : हमने ध्यानाकर्षण के लिये सूचना दी है । इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 184 के अधीन चर्चा गृहीत की जा चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, 25 बकरों के खून से स्नान करने के बाद और तमाम तंत्र-मंत्र करने के बाद भी बिहार के मुख्य मंत्री जीत नहीं सके, उनकी सरकार विधान सभा में हार गई है, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है; हमारा इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पश्चिमी बंगाल में छः मंत्रियो द्वारा त्याग पत्र दे दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न गंभीर संवैधानिक संकट पर वक्तव्य दें,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है; और इस पर हम चर्चा यहां नहीं कर सकते । कृपया बैठ जाइये ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : डी० के० के संचालक के साथ असाल्ट किया गया है, मद्रास में उनकी बेइज्जती की गई है···।

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, यह राज्य का विषय है ।

श्री राम विलास पासवान : दिल्ली में मलेरिया का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ?

श्री राम विलास पासवान : जी, हां, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने उस पर एक प्रश्न की अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारी राष्ट्रीय छुट्टियों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है । हमारे जैसे देश में, जहां विभिन्न समुदाय रहते हैं, एक नीति होनी चाहिये और सरकार को इस पर एक निश्चित नीति रखनी चाहिये । दशहरा और दीवाली की छुट्टियां उसी प्रकार राष्ट्रीय छुट्टियां हैं जिस प्रकार ईद और किसमस की तथा अन्य छुट्टियां हैं । मुझे यह मालूम नहीं है कि इनका कार्य किस मंत्रालय के पास है परन्तु उचित नीति होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने नियम 377 के अंतर्गत इसे गृहीत कर रखा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री महोदय हमें बतायें कि वे निर्णय किस प्रकार करते हैं ? तदर्थ निर्णयों से भारी असंतोष पैदा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर और सूचना दे दीजिए ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप किस प्रकार की सूचना चाहते हैं ?

डपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर एक और सूचना दे दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सूचना दे चुका हूं ।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : तीन दिन पहले मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी क्योंकि दिल्ली के उन कुछ भागों में अभी भी तनाव है जहां दंगे हुए थे परन्तु उसके बारे में कुछ मालूम नहीं चला है .....

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है । गृह मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं ।

श्री जगदीश टाईटलर : परन्तु महोदय, मैं इस पर चर्चा करवाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर आप सूचना दे दें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सूचना दी जा चुकी है । आप और क्या चाहते हैं ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, चूंकि गृह मंत्री यहां मौजूद हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आसाम, जो केंद्रीय नियंत्रण में है, मैं बड़े पैमाने पर .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ? या यह कोई नया मुद्दा आप उठा रहे हैं ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वहां बड़े पैमाने पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को बेदखल किया जा रहा है । ऐसा इसलिये हो रहा है कि बेदखली अगले वर्ष से आरम्भ की जानी है । अतः मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आज के समाचार-पत्रों में समाचार आया है कि श्री चौहान नामक किसी व्यक्ति ने बीस व्यक्तियों के साथ मिल कर ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्च आयोग पर राष्ट्रीय ध्वज को जला दिया । हम चाहते हैं कि विदेश मंत्री इस पर वक्तव्य दें क्योंकि इन बीस व्यक्तियों में कुछ भारतीय नागरिक भी हैं । हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है । मंत्री महोदय को इस पर वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेंद्रम) : महोदय, छुट्टियों के प्रश्न को यहां उठाया गया है । मैं प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को पत्र लिख चुका हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं उनसे पहले ही कह चुका हूं तो आपसे भी यह कह रहा हूं कि आप इस पर सूचना दे दीजिए ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मैं कुछ और बात ही कहना चाहता हूं। महोदय, मुझे अपनी बात कहने दें। क्या आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति देंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई नया विषय नहीं है। इसे हमारे तीन-चार सहयोगी पहले ही उठा चुके हैं और मैंने उनसे सूचनाएं देने को कहा है। आपको भी मैंने यही बात कही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं आपको कह चुका हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और मैंने उनसे सूचना देने को कहा है। आपको भी मैंने यही बात कही है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : महोदय, मैं कोई और विषय उठा रहा हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिवलेज मोशन दिया था। अध्यक्ष जी ने कहा कि अंडर कंसीडरेशन है। बाद में पता चला कि भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी भी विचासधीन है। हम गृह मंत्रालय से तथ्य मंगा रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : कब तक इंतजार करें ?

श्री जगपाल सिंह : यह कहा गया था कि मेरी मोशन को भारत सरकार को भेज दिया है। एक महीना, दो महीने कितने समय में रिपोर्ट आयेगी ? कब तक अंडर कंसिड्रेसन रहेगी। होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं ? कुछ तो बताया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री व्यास।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जगपाल सिंह जी हम तथ्य मंगा रहे हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य मंगा रहा हूं। मैं आपको यह बात बता चुका हूं; आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें। अब श्री नीरेन्न घोष।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमने गृह मंत्रालय से तथ्य मंगाये हैं। आपको उस उत्तर से संतुष्ट होना चाहिये। अब श्री नीरेन्न घोष।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा है कि .....

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमने तथ्य मंगाये हैं। हम केवल यही जवाब दे सकते हैं। यह ठीक नहीं है। मैं आपको उत्तर भी दे रहा हूं। जी, हां, अब श्री नीरेन घोष।

श्री नीरेन घोष : पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा है कि पंजाब आंदोलन के पीछे कोई विदेशी हाथ है।.....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो तो.....कृपया.....

श्री नीरेन घोष : यदि हां, तो किस विदेशी शक्ति का हाथ है? इस पर गृह मंत्री वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री राकेश।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्य मंगाये हैं। हमने तथ्य मांगे हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें। हम तथ्य मांग चुके हैं तथा गृह मंत्रालय को स्मरण करा चुके हैं। मैं यही जबाब दे रहा हूं। आप इससे संतुष्ट होंगे। अब श्री राकेश।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : देश भर में पिछड़े हुए वर्गों के लिये.....

उपाध्यक्ष महोदय : बड़ा भाषण नहीं। आप किस विषय पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं?

श्री आर० एन० राकेश : पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करने की मांग हम करते रहे हैं। कल इस मांग को लेकर वाक-आउट भी किया गया था। इसके बावजूद सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कब इस रिपोर्ट पर बहस कराई जायेगी?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इसे कल बहुत ही स्पष्ट कर दिया था और उन्होंने इस विषय पर जो कोई भी विनिर्णय दिया मेरा भी वही विनिर्णय है।

अब अंतिम सज्जन, श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : राजस्थान के अन्दर किसानों को कृषि विभाग की ओर से जो खरीफ का बीज दिया गया है वह बिल्कुल नाकारा बीज है। किसान की सारी खेती परत रह गई है। वहां पर वैसे ही सूखे की स्थिति चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने सरकार से तथ्य मांगे हैं और सरकार का जवाब मिलने के बाद हम इसकी अनुमति दे सकते हैं।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, वहां भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। आप मौका नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

(इसके पश्चात् श्री चतुर्भुज सदन से उठकर चले गये।)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री दंडपाणि।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। यह द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता श्री के. वेरामणि पर किये गये हमले के सम्बन्ध में है। वे समाज सुधारक हैं। उनको मारने की कोशिश की गई है। उन पर एक खतरनाक हथियार से आक्रमण किया गया है। बेशक यह राज्य का विषय है। दो दलों के बीच संघर्ष होने की सम्भावना है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाये। दोनों दलों के बीच आगे संघर्ष को रोकने के लिये उसे.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बस, हो चुका। ठीक है। इसी कारण यह राज्य का विषय है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। राज्य सरकार सारी घटनाओं पर सो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : पन्द्रह मिनट हो चुके हैं। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री वीरेंद्र पाटिल।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नाविक भविष्य निधि (संशोधित) स्कीम 1981 और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1981 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 108 में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4351/82]

रीजनल इन्जीनियरिंग, कालेज, सिल्चर (असम) के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण (श्रीमती शीला कौल) : मैं रीजनल इंजीनियरी कालेज, सिल्चर (असम) के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4352/82]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी की तरफ से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिदेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4353/82]

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली की वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4354/82]

— —

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के अनुबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 27 जुलाई, 1981 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 14 जुलाई, 1982 को पास किये गये नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1982 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 जुलाई, 1982 की अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 15 जुलाई, 1982 को पास किये गये कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1982 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 26 जुलाई 1982 को अपनी बैठक में पारित रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(चार) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 27 जुलाई 1982 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया है और यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर लोक सभा की सहमति तथा उस संयुक्त समिति के लिए लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित किये जायें।"

प्रस्ताव

"कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देख-रेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए उनकी सम्मति और कार्यकलाप की बाबत बेहतर उपबन्ध करने के लिये और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 30 सदस्य हों; इस सदन से 10 सदस्य अर्थात्

(1) श्री सुखदेव प्रसाद

(2) श्री भुवनेश चतुर्वेदी

(3) श्री किशोर मेहता

(4) श्री नत्था सिंह

(5) श्रीमती अमरजीत कौर

(6) श्री यू० आर० कृष्णन्

(7) श्रीमती इला भट्टाचार्य

(8) डा० एम० एम० एस० सिद्धू

(9) श्री कलराज मिश्र

(10) श्री अब्दुल रहमान शेख और

20 सदस्य लोक सभा से हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो सभापति करें;

कि समिति राज्य सभा के 124वें सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी; और

कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 20 सदस्यों को नाम इस सभा के भेजें।"

रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव : मैं रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1982, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियां

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं अबिलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों, जिनके कारण देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है जैसे कि मुख्य मंत्री के पारिवारिक घर पर एक बम्ब फेंके जाने की हाल की घटना से स्पष्ट है।"

रक्षा तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :

महोदय,

पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 जुलाई, 1982 की रात्रि को लगभग 11-45 बजे गाँव जानडियाला, जिला जलन्धर में पटाखे की तरह के दो देशी बम पंजाब के मुख्य मंत्री के पारिवारिक मकान में फेंके गये। उनमें से एक बम फट गया, जिससे मकान के रोशनदान के लकड़ी के फ्रेम और शीशों को क्षति पहुंची। सौभाग्य से कोई जान नहीं गई। नौकर श्री बाल गोविन्द, जो पास में सो रहा था और कुछ अन्य लोग विस्फोट सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे, बिना फटा दूसरा बम निष्क्रिय कर दिया गया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/6 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 340 तारीख 24-7-82 के तहत एक मामला दर्ज किया है और

जांच पड़ताल की जा रही है । इन बमों में प्रयोग किये गये विस्फोटक पदार्थों के संबन्ध में रसायन परीक्षक और वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में सामान्य रूप से सतर्क रहने के आदेश जारी किये हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

यह बड़े दुख की बात है कि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के एक छोटे से दल ने अपनी मांगों के समर्थन में जो प्रान्तीय स्वरूप की है, गैर-कानूनी और हिंसक तरीके अपनाए । हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें समस्याओं का समाधान सदैव बातचीत के जरिए किया जा सकता है । मैं यह भी कहना चहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वस्थ वातावरण को बनाए रखते हुए अंतःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की व्यवस्था है । मांगों को पूरा करवाने के लिए हिंसा अपनाना कोई रास्ता नहीं है । सरकार सदैव विभिन्न समस्याओं का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने की इच्छुक रही है परन्तु यदि कुछ गुमराह लोगों द्वारा आतंक और हिंसा के तरीके अपनाए जाते हैं तो सरकार को ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे ।

महोदय, मुझे याद है कि सदन ने एक मत होकर 29 अप्रैल, 1982 को धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता तथा मैत्री की राष्ट्रीय नीति के प्रति वचनबद्धता को फिर से दोहराते हुए एक संकल्प पारित किया था तथा भारतीय जनता के सभी वर्गों में मैत्री तथा यह विश्वास प्रकट किया था कि पंजाब की जनता कुछ गुमराह और राष्ट्रविरोधी व्यक्तियों की शरारतपूर्ण और गैर-जिम्मेदारी के कार्यों से विचलित नहीं होगी । मुझे विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य उस संकल्प की भावना को फिर दोहरने में और हिंसा, धार्मिक स्थानों को अपवित्र करने के विभिन्न कार्यों की निन्दा करने में मेरा साथ देगा । सरकार राज्य में शान्ति और सद्भाव बहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी और मैं इस सम्बन्ध में सदन का सहयोग चाहूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल काल अटेंशन द्वारा आया है यह बहुत महत्वपूर्ण है । और मैं सब से पहले बधाई देता हूं कि आखिर इस देश में कुछ सरकार से अलग भी लोग हैं जो ऐसी समस्याओं पर विचार करते हैं, जैसे श्री एस० एम० जोशी, डा० सुशीला नायर, और गांधी जी के पोते जो एक कमेटी बना कर पंजाब गये अमन शांति स्थापित करने के वास्ते और वहां के हालात को देखने । इन सवालों का जवाब मैं चाहता था कि गृहमंत्री जी जरा खुल कर देते ताकि यह बात राष्ट्र में फैलती और पंजाब में भी फैलती, और जो गलतफहमियां पंजाब में और राष्ट्र के दूसरे भागों में हैं वह मिटतीं । कारण क्या है, झगड़ा क्या है ? आदमी-आदमी का झगड़ा, सिर्फ दिमाग का झगड़ा है । जब दिमाग की टूटन हो जाती है तो फिर देश, गांव, घर टूटते हैं, पति-पत्नी और सास-बहू के सम्बन्ध टूटते हैं और यह सारी चीजें हो जाती हैं । अगर पंजाब के लोगों को, शासन और जनता के लोगों की पार्टियां, चाहे वह धार्मिक हैं या सामाजिक, यह सिखा पातीं कि हिंदुस्तान के अन्दर एक दशमेश पिता, जिसको पन्थ कहते

हैं, जिनका जन्म पटना में हुआ, कर्म आनन्दपुर में और उन्होंने शरीर त्यागा नान्देड़ में, वह कहां से चले, पटना, पंजाब, महाराष्ट्र, इस तरह से एक राष्ट्र बना है।

शिवाजी महाराष्ट्र से चले और दिल्ली आये। इसी तरीके से राष्ट्र का दिमाग है। इसका तोड़ना कहां से होता है? अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सवाल उठाया उसमें इसी दिमाग की टूटन और झूठन है। राष्ट्र के त्यौहार हैं या नहीं? जब से भारत राष्ट्र बना है, तो इसके राष्ट्रीय त्यौहार थे रामनवमी, दीवाली, होली। जब ये राष्ट्रीय त्यौहार नहीं मनेंगे तब साम्प्रदायिकता और वाद-विवाद चलेंगे। यह राष्ट्रीयता की जड़ को तोड़ने वाली बात है। कोई कहेगा कि साईं बाबा का जन्म दिन मनाओ, कोई कुछ कहेगा और कोई कहेगा कि वीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जन्म दिन मनाओ। क्योंकि राष्ट्रीयता टूट रही है, उस पर चोट लग रही है।

मैं बधाई देता हूं अकाली दल को कि उनके शासन काल में इतने साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, साम्प्रदायिक तनाव नहीं हुआ। जिसको सभी लोग साम्प्रदायिक पार्टी कहकर पुकारते हैं, उसके शासन में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। हां दरबार साहब में भी अगर कोई आकाश-वाणी का छोटा-मोटा पीपा रखने की बात आई तो वह भी उन लोगों की तरफ से जो उस समय विरोध में लगे थे, जो अपने आपको सैकुलर कहते थे।

मैं एक मुद्दे की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत-पाक का बंटवारा या लड़ाई, हिन्दू-मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई यहां पर खत्म नहीं हुई है। यह हिंदू-सिख की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई स्वदेशी दिमाग और विदेशी दिमाग की लड़ाई है।

स्वदेशी दिमाग था एक, कि समूचा राष्ट्र एक राष्ट्र है, एक भारत है, एक हिंदुस्तान है। चाहे लंका भी उसमें आ गया, चाहे बर्मा भी आ गया। उसको कहां से तोड़ा गया? तोड़ा गया था बंगाल को और वहीं से विदेशी दिमाग आ गया था। स्वदेशी दिमाग था अकबर का जो हिन्दुस्तान को बना रहा था और विदेशी दिमाग था गौरी और गजनी का। इस तरह से भारत के दो टुकड़े—भारत और पाकिस्तान किये गये। स्वदेशी दिमाग में गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज थे जिन्होंने पटना, पंजाब और महाराष्ट्र को जोड़ा और यह विदेशी दिमाग है चाहे कनाडा में बैठकर काम करता है, चाहे लन्दन, दिल्ली या अमृतसर में बैठकर करता है। जो भारत के टुकड़े करता है, वह विदेशी दिमाग है, स्वदेशी नहीं है। उनकी मदद कौन करते हैं, कैसे करते हैं? जरा इस बात पर सोच लीजिये।

किसी की शिकायत आप सुनेंगे नहीं। सिख समुदाय की बात आप शांतिमय ढंग से सुनेंगे नहीं। गांधी जी का आंदोलन था—शराबबन्दी। वह राष्ट्रीय आंदोलन था। अगर कोई कहे कि शराब यहां नहीं बिकनी चाहिये, तो आप उसको गलत कैसे करायेंगे? अगर शराब, सिगरेट के खिलाफ कोई शुद्धि करे, यह राष्ट्रीय हित की बात है या अनहित की बात है? उसके लिये अगर अमृतसर में आंदोलन चले तो क्या बात है? ऐसा आंदोलन समूचे भारत में चलना चाहिये कि शराब बन्द हो, सिगरेट बन्द हो, ऐब बन्द हो तो उस पर आपत्ति की कौन-सी बात है?

अमृतसर एक पवित्र नगरी है। गांधीजी की आस्था के मुताबिक, धार्मिक आस्था के मुताबिक और जन-हित की दृष्टि से भी सरकार को उसे एक पवित्र नगर स्वीकार करने में कौन-सी आपत्ति थी ? लेकिन एक सही रास्ते को छोड़ कर एक दुष्ट और राक्षसी रास्ता अपनाया गया।

जो दरबार साहब या किसी गुरुद्वारे में सिग्रेट फेंकता है, जो ग्रन्थ साहब के वरक फाड़ता है, जो गाय का सिर कट कर टांगता है, वह न हिन्दू है, न मुसलमान है और न सिख है, वह एक फितना है, राक्षस है, एक विदेशी दिमाग है। जो व्यक्ति दाड़ी और केश रख कर गाय का सिर काट कर मंदिर की बेहुरमती करता है, या तिलक छाप लगा कर हिन्दू का रूप धारण करके गुरुद्वारे में बीड़ी या सिग्रेट फैंकता है, वह शैतान है और हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि जिसकी हुकूमत में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसी का दोष होता है। अगर हुक्मरान कहे कि यह तो फलां का कुसूर है, मैं क्या करूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज से दो हजार साल पहले चाणक्य ने कहा था कि ऐसे कमजोर और निकम्मे राजा को राज्य करने का अधिकार नहीं है, जो दूसरे पर दोष लगाता रहे और पाप को मिटा न सके। जहां इसमें शासन का दोष है, वहां विरोधी दलों की भी कमजोरी है कि वे ऐसी निकम्मी सरकार को बर्दाश्त करते हैं और उसको उखाड़ कर नहीं फेंकते। दोनों बराबर के दोषी हैं। सिर्फ आलोचना करना ही काफी नहीं है, कर्म करने की भी जरूरत है।

यह 'संडे' है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अंग्रेजी के शब्द कम जानता हूं और पढ़ता भी कम हूं। अगर आप कहें, तो मैं पढ़कर सुना दूं। फरीदकोट के एस० एस० पी० ने वहां पर सी० आई० डी० को रिपोर्ट लिखी है कि केन्द्र में ऐसे होम मिनिस्टर के रहते हुए अमन-चैन की व्यवस्था नहीं चल सकती। मैं यह नहीं कहता कि यह रिपोर्ट सच है। समझ में नहीं आता कि मैं मंत्री महोदय को घर मंत्री मानूं या बे घर मंत्री मानूं। या दो घर मंत्री मानूं। पांच पतियों की पत्नी तो पांडवों के जमाने में थी। दो पतियों वाली बात समझ में नहीं आती — यह दो घर कैसे सम्भालेंगे ?

जब हमने सबसे पहले खालिस्तान के बारे में सवाल उठाया, तो घर मंत्री साहब ने कहा कि यह अकालियों की लड़ाई थी, ये भिंडरावाले और सरदार संतोख सिंह हमारे नजदीक थे, हमने उनकी मदद कर दी, वे दोनों लड़ें, तो हमसे क्या मतलब है। सरकार धर्म के मामले में दखल दे और कुछ लोगों की मदद करे, तो फिर झंझट तो पैदा होंगे। इस दोष को निकालना पड़ेगा।

सबसे पहले हमने खालिस्तान के सवाल को उठाया। उसके बाद जब अमृतसर में घटना घटी, तो मुझे सदन में बैठ कर धरना देना पड़ा और भारत के इस पवित्र मंदिर में, जहां कानून बनते हैं, हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि पंजाब में अमन-चैन और व्यवस्था कायम करेंगे। लेकिन वहां अमन-चैन और व्यवस्था कायम नहीं हुई है। श्री दर-

बारा सिंह बयान देते हैं कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है। अभी उस बयान पर स्याही खुश्क भी नहीं हुई कि उनके मकान पर बम गिराए गए।

खैर, मुझे कोई ज्यादा बोलना नहीं है। बोलेंगे तो ये हरिकेश बहादुर, चन्द्रपाल शंलानी और ये हमारे बैठे हैं राम विलास पासवान जिनको कुछ करना है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जो एक वायु मंडल वहां बना लाला जगत नारायण की कत्ल के बाद और फिर अमृतसर के कांड के बाद, उसके बाद आग बढ़ती गई। पटियाला में बढ़ी, दूसरे शहरों में बढ़ी। इसलिए कुछ न कुछ कमियां हैं, इसको हमें सोचना पड़ेगा। कमी क्या है ? इतनी बड़ी एक जगह में उठ करके जब सब लोगों से अपील की और प्रण किया और फिर वहां भी यह नहीं हो रहा है तो उसमें आप सोच लीजिएगा कि क्या कारण है।

... मैं सब लोगों से यह कहूंगा कि हिन्दू धर्म बचाओ, सिख धर्म बचाओ, यह जो सम्मेलन कर रहे हैं पंजाब में, यह आग से खेल रहे हैं। चाहे कोई भी हो, न हिन्दू को खतरा है, न सिख को खतरा है। खतरा वहां पर हो सकता है आपसी फूट से । घर मंत्री और मुख्य मंत्री की फूट से किसी की गद्दी को खतरा हो सकता है और खतरे के बीच में मासूम लोगों की जिंदगी जा सकती है वह चाहे हिन्दू हों, चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, उससे कोई मतलब नहीं। इंसानियत वहां की खत्म हो चुकी है। कुछ बातें ऐसी गलत भी हैं, जैसे पंजाब के लोगों को फौज की भर्ती के अन्दर जो पहले हिस्सा था वह पंजाब और हरियाणा को अब नहीं मिल रहा है या जैसे सरदार साहब की जगह श्री लिखने की बात है, ऐसा क्यों ? और मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि घर मंत्री जी सोच लें, यह दरबारा सिंह जी के बस की बात नहीं। यह कायदा ही ऐसा बनता चला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दिया लेकिन अपने भाई भतीजों के निधन को भी वह नहीं बचा सके और आखीर में एक दिन आया जब उन्हें छोड़ना पड़ा। सरदार दरबारा सिंह जी के सिर्फ छोड़ने से कोई भला हो जायगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरदार दरबारा सिंह को जाना पड़ेगा। ऐसा एक कमजोर मुख्य मंत्री जो समझा नहीं सकता, और कंट्रोल नहीं कर सकता वह पंजाब को चला नहीं सकता। यह बात दूसरी है कि कितनी जिन्दगी और आहुति मांग रहा है पंजाब, अमन-चैन और शांति के लिए।

अभी एक सवाल उठा है, यू. के. के अन्दर जब यह पता है कि यहां सवाल उठा है तो भारत की राष्ट्र-पताका को जलाया जाय और उसका अपमान किया जाय, यह क्या है ? और मैं तो यह कहूंगा कि यह हमारी शिक्षा की भी कमी है, हमारी शिक्षा-प्रणाली में भी कमी है। अगर मेरा वश चलता तो हर धार्मिक किताब के अन्दर यह बात लिखवाता कि जहां धर्म उत्तम है वह धर्म की उत्पत्ति चाहे कहीं हुई हो, धर्म जिंदा रह सकता है तो राष्ट्र में रह सकता है। राष्ट्र नहीं है तो धर्म नहीं चल सकता। राष्ट्र खत्म है तो सारे धर्म खत्म हो जाते हैं। एक धर्म कहां रह जाता है ? धर्म है, धर्म उत्तम है। लेकिन राष्ट्र की रक्षा का धर्म सबसे उत्तम धर्म है। तभी तो उनके धर्म चलेंगे नहीं तो नहीं चल सकते। यह सब कुछ कहने के बाद....(व्यवधान) देखिए, मुझे हंसने वाले लोगों पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। मुझे आप पर भी गुस्सा आ रहा है जो आप हंस रहे हैं ? आप संजीदगी की बात पर हंस रहे हैं, यह कोई स्कूल में बैठ कर बच्चों के साथ

बात नहीं चल रही है। लोगों की जिन्दगी की बात है। यहां जो हंस रहे हैं या तो वे दिमाग के लोग नहीं हैं या आग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह हंसी की बात नहीं है।

यह पंजाब भारत का द्वार है। अन्न वहां से पैदा होता है। फौज वहां की है, पुलिस वहां की है। सीमा आपकी लगी हुई हैं। आज जो चन्द शहरों में चंद शरारत पसद लोगों की वजह से यह आग लगी हुई हैं, हिंदू और सिख के नाम पर चंद राजनैतिक लोग जो यह शरारत कर रहे हैं अगर यह गांवों में लग गई और गांवों से निकल कर फौज और पुलिस की तरफ चली गई तो हिंदुस्तान तबाह हो जायगा। इसको बचाना चाहिए। बहुत संजीदगी के साथ यह बात लेनी चाहिए।

मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहूंगा, जैसे गुरुद्वारे के चुनाव में एक ऐक्ट बना कर और टांग अड़ा कर विरोध पैदा करने की चेष्टा की गई थी, उसकी कुर्बानी में उनको अपने ही आदमी सरदार संतोष सिंह को बलिवेदी पर चढ़ा कर देनी पड़ी, इसी तरह से जो बार-बार यह ला एण्ड आर्डर का सवाल हो रहा है।

इसके बारे में क्या ऐसी दखलन्दाजी सरकारी तौर पर बन्द करेंगे ?

दूसरी बात यह है कि जिन गैरकानूनी संगठनों पर आप लोगों ने प्रतिबन्ध लगाया है उनके लोगों को देश विदेश में गिरफ्तार करने के लिए कितनी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि इतने दिन में उनको साफ कर देंगे ? अरे, दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई में भी इरादा बनाकर चलते हैं और कहते हैं कि कर लेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि गिनती के 15 आदमी हैं लेकिन जितने ये 15 आदमी हैं उनसे अधिक मर्डर देश में हो गए, उस प्रान्त में हो गए।

तीसरी बात यह है कि सिखों की जो उचित मांगें हैं, धार्मिक, उन मांगों की पूर्ति के लिए, आप राजनोतिक उद्देश्य को सामने न रखते हुए, अपना राजनीतिक लाभ न उठाते हुए आप कदम उठायेंगे और इस किस्म का एक कमीशन मुकर्रर करेंगे कि जबसे यह सवाल दल खालसा और खालिस्तान का चला है तब से लेकर आज तक जितने कत्ल हुए हैं और जितने बड़े आदमियों के नामों का उसमें हाथ आया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाकर जो भी कुसूरवार हों, चाहे ऊपर के राजनीतिक कुसूरवार हों, जैसे कि वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि मेरे लिए प्राब्लम होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर भी कुछ कह गए थे, यह कोई मामूली बातें नहीं थीं, उनकी जांच आप करायेंगे और साथ ही वहां सरकारी कर्मचारी और पुलिस कप्तान तक जो आतंकवादियों के दल में शामिल हैं उनके खिलाफ भी जांच करके ऐक्शन लेंगे ? आपने अभी तक कितने ऐसे लोगों के खिलाफ ऐक्शन लिया है और क्या आगे ऐसे लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेंगे ?

मैं आप से यह भी कहूंगा कि गांधी पीस फाउन्डेशन कमेटी की तरफ से जो तीन आदमियों का दल बनकर गया है, क्या ऐसे लोगों को भी आप महत्व देंगे ताकि उनकी राय से भी कोई अच्छी बात हो सके ?

मैं फिर सारे सदन को बधायी देता हूं, मैं तो उसमें शामिल नहीं था, मैं तो सदन में यह कहकर चला गया था कि जब तक पंजाब में शांति नहीं होगी, तब तक मैं यहां नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी आपने गांधीजी की परम्परा को कायम रखते हुए इस सदन में प्रस्ताव पास किया कि पंजाब में अमन और शांति होगी। यह दुर्भाग्य है कि हमारे में कहीं न कहीं कमी है, हमारे दिमागों के पुर्जों में, कहीं कोई हिन्दू को बचाने के लिए चला गया, कोई सिख को बचाने के लिए; लेकिन इन्सानियत को बचने के लिए कोई नहीं गया। शासन की जो त्रुटियां थीं वह बाकयात होने के बाद भी ठीक नहीं हुई हैं। मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय इन सभी बातों का पूर्ण जवाब दें।

श्री आर० वेंकटेरामन : उपाध्यक्ष महोदय···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या आप अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम के बारे में कुछ कहेंगे, इसका आपने वायदा किया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे श्री बागड़ी का जवाब दे रहे हैं। आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नियम 355 के अन्तर्गत मैं उनसे प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : व्यवधान से मैं अपनी बात से परे नहीं हटूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे जानता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, माननीय सदस्य श्री बागड़ी ने जो कुछ कहा उनमें से कई बातों पर सारा सदन सहमत होगा। वास्तव में जैसा मैंने कहा है, इस सदन ने पंजाब में शांति और एकता पुनः कायम करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय यह ऐसी गतिविधि है जिसे एक छोटे से अल्पसंख्यक दल द्वारा चलाया गया है। पंजाब के अधिकांश लोग वहां अशांति और हिंसा का वातावरण नहीं चाहते हैं। इसके विपरीत, वे वहां एक ऐसी सोसायटी चाहने में रुचि रखते हैं जिसमें वे उन्नति कर सकें।

महोदय, पंजाब ने भारत की आजादी और भारत की रक्षा के लिए, ऐसे अवसरों पर जब हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी थी, जो महान सहयोग दिया है, उसे हम सब लोग जानते हैं। पंजाब ने कृषि और लघु उद्योग के क्षेत्र में जो महान सहयोग दिया है, उससे भी हम भली-भांति परिचित हैं। इन बातों का हल नहीं हो पाता, यदि अधिकांश लोग अपने समुदाय में अशान्ति को बढ़ावा देते हैं। यह तभी किया जा सकता है जब समाज आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और अन्य ऐसे कार्यों में तत्पर होता है। यह सच है कि हमारी पंजाब में अब भी उन्नति की दर पूरी नहीं हुई है इससे पता चलता है कि छोटे वर्ग की गतिविधियां स्वयं पंजाब के लोग—वहां के अधिकांश लोग पसन्द नहीं करते हैं। दुर्भाग्यवश, इस मामले में जब से धर्म को मिलाया जा रहा है, सरकार के लिए कड़ी कार्यवाही करना बहुत कठिन है। मैंने कहीं कहा कि सरकार यह देखने के लिए बहुत उत्सुक है कि वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सांप्रदायिक उत्तेजना और तनाव को बढ़ावा मिले। यहां तक कि यदि कुछ कड़ी कार्यवाही की जाती है, तो

सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे साम्प्रदायिक उत्तेजना और तनाव और अधिक बढ़े और जिससे बहुत अशांति भी होगी जो आजकल राज्य में हो रहा है। जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त हैं, उन्हें सरकार बिल्कुल अलग-थलग करने का प्रयास कर रही है और उन्हें उन स्थानों में गिरफ्तार करने का भी प्रयास कर रही है जहां इससे और आगे साम्प्रदायिक उत्तेजना या तनाव न बढ़ सके। मैं यह कहकर इसे स्पष्ट कर सकता हूं कि हम उन्हें गिरफ्तार करने गुरुद्वारों में नहीं जा सदते हैं हम गुरुद्वारों में जाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : क्या आप यह आश्वासन दे रहे हैं कि आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे ? कृपया सावधानी बरतें। आप सदन में वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया मेरा वक्तव्य पढ़िये। मैं बहुत सावधानी से यह कह रहा हूं। मैंने कहा कि हम हर समय विचार कर रहे हैं और निष्कर्ष ढूंढने के लिए सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। यदि इसके परिणाम के रूप में हम कुछ करेंगे तो उसका बुरा नतीजा पैदा होगा। यह निश्चय ही समझबूझ का कार्य है। सरकार का यह देखने का कर्त्तव्य है कि वे गतिविधि द्वारा या कार्यवाही द्वारा इससे और अधिक अशांति न पैदा करें जितनी आजकल है क्योंकि उन्हें अन्य परिस्थितियों में संभवतः लिया जा सकता है, इस मामले के बारे में माननीय सदस्य ने उनकी मांगों की ओर ध्यान दिलाया है। जहां तक उनकी सामान्य, उचित शिकायतों का संबंध है; उन पर चर्चा करके उन्हें दूर किया जा सकता है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया गया है। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब वे खालिस्तान, पृथककरण जैसी अनुचित मांगें रखते हैं। हम इस अनुचित मांगों पर चर्चा कैसे कर सकते हैं ? किसी भारतीय देशभक्त को यह कहना मुश्किल है कि वह खालिस्तान और पृथककरण के इस विशेष सवाल पर बैठकर बात-चीत करेगा। उन पर कार्यवाही करनी है, उन मांगों को दबाना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसको छोड़कर, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि उनकी अन्य सभी शिकायतों और धार्मिक मांगों पर चर्चा करने और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसा कोई कारण बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन मांगों पर बैठकर चर्चा करके उन्हें दूर क्यों नहीं कर सकते।

अनेक घटनाएं हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे घटनाएं धार्मिक स्थानों को भ्रष्ट करने के लिए छेड़छाड़ करने वाले उत्तेजित तत्वों द्वारा की गई हैं। गुरुद्वारों को भ्रष्ट करने की घटनाएं हुई हैं। हिन्दू मंदिरों को भ्रष्ट करने की घटनाएं हुई हैं। यह सब छेड़छाड़ करने वाले तत्वों अथवा यह चाहने वाले दलों द्वारा की गई हैं कि इस प्रकार के कार्य होते रहें ताकि कोई समझौता न हो सके। यह देखना हमारा कार्य है कि ऐसे किन्हीं लोगों का साहस न बढ़ायें, सरकार ने एक दृढ़ युक्ति अपनाई है और उन्होंने कहा है कि वे उन व्यक्तियों पर किसी प्रकार दया नहीं करेंगे, जो लोगों को ऐसे कार्यों द्वारा जिससे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है, उत्तेजित करते हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रशासन दोषी है, मैंने सोचा था वह इसे स्पष्ट करेंगे और कहेंगे कि 'क्यों और कैसे'। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रशासन के पास बहुत कठिन कार्य है, यह हम सब मानते हैं। यह संभव है कि कुछ लोग अपने अलग-अलग

विचार रखें। किन्तु मैंने यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं पाया कि प्रशासन असफल हो गया है और वही दोषी है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हमने कुछ अधिकारियों के कार्यों की ओर संकेत किया है।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री वाजपेयी, आप जानते हैं, मैं हर बात का जवाब देता हूं।

दूसरी बात यह कही गयी है कि कुछ समाचार पत्रों ने तत्कालीन गृह मंत्री की आलोचना की है। मैं यह कहूंगा कि हमें मुद्रित सामग्री को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी बात को मुद्रित करता है तो यह धार्मिक नहीं बन जाता। फिर भी यह केवल विवरण है, जो समाचार पत्र में छपा है। इसकी कुछ व्यक्तियों द्वारा कहे गए शब्दों या किसी बात से अधिक पवित्रता नहीं है। आप प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक बात पर आपका समर्थन करते हुए नहीं सुन सकते हैं। यह संभव है कि किसी को उनकी आलोचना करनी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि किसी ने तत्कालीन गृह मंत्री की आलोचना की है। यह आलोचना उनके विरुद्ध एक वैध आलोचना बनती है। मैं नहीं समझता कि वहां भी उन्होंने इसका कोई कारण बताया है। उन्होंने टिप्पणियां की हैं जैसी वे हमेशा करते हैं—लोगों के साथ उपहास किया है और फिर उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा कोई विशेष ··

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने सही उपहास किया हैं या मजाक के रूप में उपहास किया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : यह तो आपको देखना है।

उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से इन तत्वों की मदद कर रहे हैं। मैंने भी रिपोर्ट देखी है। आज सुबह मैंने इसकी जांच की है। मैं निश्चय ही उसे अस्वीकार नहीं करूंगा जो कहा गया है और न ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। अभी जैसे मैंने कहा कि मुद्रित मामले को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन मुद्रित मामले को मैं अस्वीकार भी नहीं करूंगा क्योंकि यह मुद्रित है और किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया है। यदि उसमें कोई बात है तो मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा और यह देखूंगा कि किसी प्रकार की शिकायत का मौका न रहे। यह संभव है कि सरकार के कुछ लोगों, कुछ अधिकारियों को उन लोगों के प्रति सहानुभूति हो। मैं यह नहीं कहता कि सरकार के प्रत्येक व्यक्ति का इन बातों में बिल्कुल सही दृष्टिकोण है। यदि ऐसा है, तो मैं इसकी जांच करूंगा और निश्चित रूप से यह देखूंगा कि इस प्रकार के आरोपों के लिए कोई आधार है या नहीं।

उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब में लोगों को इस बात की शिकायत है कि उन्हें रक्षा सेनाओं में पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहे हैं। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। अन्य लोगों को पर्याप्त सुअवसर प्रदान करने के लिए हमने ऐसा अस्थाई नियम बनाया है कि भर्ती भारत के हर भाग से

की जानी चाहिए लेकिन जहां पर्याप्त संख्या में लोग नहीं आते, तो तब उन क्षेत्रों से भर्ती की जाती है जहां शिक्षित लोग उपलब्ध होते हैं। यह कहना कठिन नियम नहीं है कि हमें केवल इन क्षेत्रों से कुछ संख्या में लोग चुनने हैं। हमने नियम में उपबन्ध रखा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और ··

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह एक हितकारी नियम है।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि लोग वहां उपलब्ध होंगे तो उन्हें भी रक्षा सेनाओं में लिया जाएगा।

जहां तक इस आरोप का सम्बन्ध है कि सरकार को गुरुद्वारा के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार गुरूद्वारा के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह हमारी नीति है कि गुरुद्वारा के चुनावों में कोई दखल न दिया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम के बारे में आपका क्या, कहना है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। मैं केवल मंत्रालय का इंचार्ज हूं। (व्यवधान) यदि आप चाहते हैं तो मैं सूचना प्राप्त करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनी राम बागड़ी बिल्कुल चुप हैं और वे बड़ी सावधानी से सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पंजाब में अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो वे इस पर वहां चर्चा करेंगे। इस मामले में हमारी जिम्मेदारी परवर्ती है। मुख्य जिम्मेदारी उस राज्य की है। वे इस पर राज्य में चर्चा करेंगे ...

अब दूसरा सवाल जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह है 'पीस डेलीगेशन' की सिफारिश पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां से भी सुझाव आयेंगे उन पर ध्यान दिया जायेगा। जब कभी हमें कुछ सुझाव मिलेंगे जब भी हमें कोई मदद मिलेगी हम निश्चय ही उस पर ध्यान देंगे और उन्हें अलग नहीं करेंगे क्योंकि वे लोगों से आते हैं अथवा किन्हीं स्रोतों से आते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने अमृतसर को धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए और शराब, बीड़ी और मांस की बन्दी के बारे में जो वहां पर एजीटेशन चल रहा है, कहा था। इनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शराब की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह भी एक सवाल है जिस पर उन्हें चर्चा करनी है और एक निर्णय करना है। यह ऐसी बात नहीं है कि उसे छोड़ा जाये। अमृतसर में केवल सिक्ख ही नहीं रहते हैं। बल्कि वहां अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। उस स्थान पर एक प्रकार की विचारधारा बनाई जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसके विपरीत हैं। लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति से सलाह-मशविरा किए बिना कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, वह चिन्ता का विषय है और मैं समझता हूं कि हर देशवासी को इससे चिन्तित होना चाहिए लेकिन वहां की घटनाओं को और वहां पर जो स्थिति पैदा हो रही है उसको इतना तूल देना, इतना बढ़ा-चढ़ा कर कहना यह मैं समझता हूं कि न तो कोई देशभक्त ही ऐसा कर सकता है और न वह व्यक्ति कर सकता है, जिसको देश की एकता और अखंडता में विश्वास है। चन्द तत्व ऐसे हैं, जिनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हैं, निहित स्वार्थ हैं और जिनमें कुछ पालीटीकल पार्टीज के लोग भी हैं, कुछ साम्प्रदायिक तत्व भी हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं जो विदेशों से धन पाते हैं और चन्द अखबार भी ऐसे हैं, जोकि पंजाब की घटनाओं को इतना तूल दे रहे हैं और बात का बतंगड़ बना रहे हैं जिससे लोग यह समझें कि पता नहीं क्या हो रहा है हालांकि हमारी सरकार ने और हमारी नेता प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, पंजाब के लोगों से वहां की समस्याओं के सम्बन्ध में बातें की हैं और हमारी सरकार चाहती है, हमारी प्रधान मंत्री जी चाहती हैं कि पंजाब की समस्या का कोई सौहार्दपूर्ण हल निकल आये और वहां पर इस तरह की घटनाएं घटित न हों।

मान्यवर, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सारा संसार जानता है, देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि पंजाब के लोग बहादुर लोग हैं और पंजाब के लोगों ने देश की रक्षा के लिए, विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए और पंजाब को खुश-हाल बनाने के लिए और पंजाब को ही नहीं बल्कि पूरे देश को खुशहाल बनाने के लिए जो जी-तोड़ मेहनत की है और अपनी बहादुरी दिखाई है, वह सोने के अक्षरों से लिखी जाती रहेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर वातावरण को दूषित करने के लिए, वहां के एटमोस्फेयर को खराब करने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं और वे इस तरह के कार्य करते हैं जैसे पवित्र स्थानों पर चाहे गुरुद्वारे हों और चाहे मन्दिर हों, कहीं पर गाय का सिर फैंक दिया, कहीं पर गाय का मांस फैंक दिया, कहीं पर गाय की टांग फैंक दी और कहीं पर गुरुद्वारे के सामने बीड़ी और सीगरेट फैंक दी। ये इस तरह के लोग हैं, जिन को पंजाब की एकता और देश की अखंडता में कोई विश्वास नहीं है और वे हमेशा साम्प्रदायिकता का वातावरण पैदा करके अपने निहित स्वार्थों को सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे हैं और आज भी उनका इरादा यही है लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि सरकार सतर्क है और सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। ऐसा काम करने वालों, इस तरह के गैर-कानूनी तत्वों, साम्प्रदायिक तत्वों को दबाने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है, सजग है और उनका सिर कुचलने के लिए सरकार के पास

हर तरह का बन्दोवस्त है । मान्यवर, मैं चन्द सवाल आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में श्री बागड़ी बहुत कुछ कह चुके हैं । अब आप अपने सुझाव रखिये । मंत्री महोदय ने लगभग सभी सवालों का जवाब दिया है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : यह बड़ा गंभीर मामला है । पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह के तत्व सिर उठा रहे हैं, जिससे देश की एकता, अखंडता खतरे में पड़ गई है । कहीं पर खालिस्तान की मांग है, कहीं पर अछूतिस्तान की मांग है, कहीं मिजोरम अलग होना चाहता है, कहीं नागालैंड अलग होना चाहता है और कहीं असम की समस्या है । इस तरह से बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की ताकतें जो मुल्क में पनप रही हैं, अलगाववादी, पृथकतावादी ताकतें जो पनप रही हैं, इन ताकतों से निवटने के लिए सरकार कोई कठोर कदम उठाने जा रही है ?

अब इनके सम्बन्ध में कुछ मेरे सवाल हैं जिनको पूछ कर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा—

पंजाब में उग्रवादियों एवं साम्प्रदायवादियों की गैर-कानूनी एवं देश विरोधी हरकतों को स्टाम्प आऊट करने के लिए सरकार क्या स्पेसिफिक मेजर्स अडोप्ट करने जा रही है ?

जिस तरह दल खालसा और नेशनल काउंसिल फार खालिस्तान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और उनकी एक्टीविटीज को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है उसी तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी घोर साम्प्रदायिक एवं प्रतिक्रियावादी संस्था को भी बेन करने का क्या सरकार का विचार है ?

पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों में जो लोग संलग्न है उनको किन-किन देशों से मदद मिलती है ? क्या यह सही है कि पड़ौसी देश पाकिस्तान खालिस्तान के समर्थकों को हथियार सप्लाई करता है और उन्हें अपने यहां शरण देकर हमारे देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने की कुचेष्टा कर रहा है ?

पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार दरबारा सिंह के पैतृक निवास स्थान पर जिन लोगों ने बम फैंके उनमें अब तक कितने गिरफ्तार किये जा चुके हैं ? यह बहुत ही गम्भीर मामला है । यदि इसके अपराधियों को सरकार पकड़ने में असफल रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि कुछ पड़ौसी और कुछ पश्चिमी देश भारत को परेशान करने की नीति पर चल रहे हैं ? इस नीति के अनुरूप वे भारत के सीमा क्षेत्र में आबाद सिख सम्प्रदाय को अधिक से अधिक भड़का रहे हैं । वास्तव में ये शक्तियां प्रत्येक उस तत्व को उभार रही हैं जो भारत की केन्द्रीय सरकार से टकरा सकता है । इन उग्रवादियों को कितनी आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता विदेशी तत्वों से मिल रही है ?

पंजाब की इन समस्याओं का सौहार्द्रपूर्ण हल निकालने के लिए सरकार क्या क्या प्रभावी और ठोस कदम उठाने जा रही है ?

मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी मेरे इन सवालों का जवाब देकर इस सदन के माध्यम से इस देश की जनता और इस देश को अवगत करायेंगे कि इन असामाजिक गैर-कानूनी तत्वों से निबटने के लिए सरकार क्या ठोस उपाय कर रही है।

श्री आर० वेंकटरामन: मैं माननीय सदस्य का प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

वास्तव में अभी हाल ही में प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में भी यह कहा था कि वे अकाली दल के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हैं।

पूजा के स्थानों को अपवित्र करने का कार्य दोनों ओर से किया जा रहा है। गुरुद्वारों को भी अपवित्र किया जा रहा है। हिन्दुओं के मन्दिरों को भी अपवित्र किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यह स्थानीय पंजाबी नागरिकों का कार्य नहीं है बल्कि यह उन लोगों का कार्य है, जो साम्प्रदायिक दंगे तथा साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। वे सब असामाजिक तत्व हैं और इस सम्बन्ध में हम जो कुछ कर रहे हैं उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं।

जहां तक प्रतिबन्ध का प्रश्न है हमने खालिस्तान आंदोलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

दल खालसा के 61 सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

भिंडरवाला के अनुयायी गिरफ्तार किए गए हैं। 500 के लगभग ऐसे रष्ट्र विरोधियों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर हमें संदेह है।

मुझ से पूछा गया है कि क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मैं नहीं समझता कि यह संघ के कारण हुआ है और यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि कोई भी झगड़ा राष्ट्रीय सेवक संघ के कारण हुआ है। वास्तव में दल खालसा में कुछ उग्रवादी हैं जो सस्याएं पैदा कर रहे हैं। यह नहीं पता लगा है कि अन्य कोई और भी इसमें शामिल है।

मुझे इस संबंध में कोई सूचना नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान या पश्चिम के देशों से सहायता मिल रही है और इस सम्बंध में सूचना मिली तो मुझे प्रसन्नता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान।

श्री पासवान ने अपने जीवन का सबसे कम समय लेंगे।

एक माननीय सदस्य : जीवन में सबसे कम समय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान एक रिकार्ड स्थापित कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर निकली है—

"चौहान ने झंडा जलाया और पकड़ गया।"

यदि इसको पढ़ने का कष्ट किया जाए तो इसमें 2-3 बातें जो उन्होंने पुलिस के समक्ष कही हैं अरेस्ट होने के बाद, उन्होंने 2-3 चार्ज लगाए हैं। पहली चीज उनसे पूछी गई कि आपको फण्ड कहां से मिलता है तो उन्होंने बताया कि—

"यह पूछे जाने पर कि खालिस्तान आन्दोलन के लिए धन कहां से मिलता है? उन्होंने बताया कि कोई सरकार या विदेशी संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन नहीं दे रही है। यह धन सिखों तथा गुरुद्वारों से मिलता है।"

दूसरी चीज उन्होंने कही है कि—

डा० चौहान ने बताया कि दो देशों ने खालिस्तान के प्रतिनिधि को राष्ट्रसघ में प्रेक्षक का स्तर दिया है और खालिस्तान पारपत्र को मान्यता देना स्वीकार किया है। उन्होंने उन देशों का नाम नहीं बताया परन्तु यह कहा कि वे रूस के और उसके पिछलगुओं और नहीं पश्चिम के देशों के साथ हैं। उसने रूस में अपना अविश्वास प्रकट किया।

आगे उन्होंने कहा कि दो देश हैं, जिन्होंने उनको मान्यता प्रदान कर दी है, जिनका नाम बताने से उन्होंने इन्कार कर दिया है।

मैं समझता हूं कि भारत के गृह मन्त्री को जरूर पता होगा कि वे दोनों देश कौन से हैं।

तीसरी चीज उन्होंने श्री जैल सिंह जी के सम्बन्ध में कही है और बड़ी खुशी जाहिर की है कि —

श्री जैल सिंह के चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत का सातवां राष्ट्रपति एक सिख है।

और एक एलीगेशन उन्होंने लगाया है—

उन्होंने पंजाब की पुलिस पर यह आरोप लगाया कि वह निर्दयी तथा दमनकारी है और दर्जनों युवकों को पुलिस ने सता कर मारा है। सैंकड़ों युवकों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न जेलों में बन्द किया गया है।

तो इससे दो-तीन सवाल निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि यह देश धर्म-निरपेक्ष है। इसमें जितने भी धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, सब लोगों को समान अधिकार मिलें, समान अवसर मिलें और न सिर्फ समान अवसर मिलें, न सिर्फ उनकी सुरक्षा की जाए, बल्कि उनके दिल-दिमाग में भी यह बात बैठे कि हम सुरक्षित हैं। सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना ही फर्ज नहीं है कि इतने हथियार दिए हैं, इतनी पुलिस भेज दी है, इतने होमगार्ड और सी० आर० पी० भेज दी है, बल्कि सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि जहां अल्पसंख्यक हैं, कमजोर लोग हैं, उनके दिमाग में भी यह बात बैठाई जाए कि वे देश के नागरिक हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह भावना उनके मन में बैठाना सरकार का काम है।

जहां तक सिक्खों का सवाल है, उन्होंने देश के लिए क्या-क्या किया, यह सबको पता है, इसकी पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाना चाहता। राष्ट्रीय आन्दोलन में उनका कितना योगदान है, हिन्दुस्तान के विभाजन के समय उनका क्या रोल रहा, मास्टर तारा सिंह का क्या रोल रहा, इस बात को सभी जानते हैं। इसके साथ-साथ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि यदि देश का कोई भाग हमसे अलग होने की बात सोचता है, भले ही वे कुल संख्या का दो प्रतिशत क्यों न हों, लेकिन फिर भी यदि वह अलग होने की बात सोचता है या इस तरह का कीड़ा उसके दिमाग में पाला जाता है तो यह हम सब लोगों के लिए दुखद स्थिति है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके दिमाग में यह बात क्यों आ जाती है। मंत्री महोदय ने राज्य सभा में कहा कि इसमें सिक्ख थोड़े हैं। सिक्ख थोड़े हो सकते हैं। किसी भी आन्दोलन को चलाने वालों की संख्या पहले थोड़ी होती है, लेकिन नारा इतना लुभावना होता है, उसमें इतना दम रहता है कि अनजान लोग उसमें स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बंटवारे के समय भी जिन मुसलमानों ने उसमें भाग लिया, खून बहाया, मैं समझता हूं कि अधिकतर हिन्दुस्तान में ही हैं। कोई अपना घर-बार छोड़कर जाना नहीं चाहता। बटवारा हुआ, लेकिन उसमें हिस्सा लेने वाले किसी कारणवश नहीं जा सके, लेकिन बटवारा तो हो गया। हजारों की संख्या में लोग मरे, लोगों ने एक-दूसरे को मारा। इसलिए यह नारा अभी भले ही देखने में हल्का लगता हो और इसके पीछे कुछ ही लोगों का हाथ हो लेकिन इस नारे के पीछे जो लोगों की भावना है, जो भावना इसमें सन्निहित है उससे यह आगे चलकर बड़ा रूप भी धारण कर सकता है। इसलिए यह साधारण सा मामला नहीं है और इसको आसानी से आपको नहीं लेना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि इसका सीधा सम्बन्ध जाकर जुड़ता है कानून और व्यवस्था से। हम देखते हैं कि जितनी भी समस्यायें हैं सब की जड़ में ला एंड आर्डर की प्राबलम होती है। जब से यह सरकार बनी है प्रत्येक राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। क्या इसके पीछे आन्तरिक कलह तो नहीं है और उसके कारण तो यह बिगड़ती नहीं चली जा रही है। मैं चाहता हूं कि साफ बताया जाए कि कांग्रेस आई के लोग भी उसमें क्या सम्मिलित तो नहीं हैं, आन्दोलन के पीछे सत्ताधारी पार्टी का भी हाथ तो नहीं है ? प्रत्येक राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति जो बिगड़ती चली जा रही है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का आन्तरिक झगड़ा भी तो काम नहीं कर रहा है। दरबारा सिंह जी के मकान पर बम्ब फेंका गया सिर्फ इतना सा ही यह

मामला नहीं है । इसके पहले लाला जगत नारायण की हत्या की गई जिसके सम्बन्ध में संसद में बहस भी हुई थी और शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया था । उसका क्या नतीजा हुआ ? निरंकारी बाबा की हत्या हुई, उसका क्या नतीजा निकला ? एक कड़ी के साथ दूसरी लड़ी जुड़ती चली गई है । सारा मामला कानून और व्यवस्था का है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल ने पंजाब की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में आपके पास कोई रिपोर्ट भेजी है और कहा है कि स्थिति बिगड़ती चली जा रही है ?

यह ठीक है कि अल्पसंख्यक समुदाय के मन में सुरक्षा की भावना पैदा की जानी चाहिये । सबसे अधिक दुख तब होता है जब कोई आदमी क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद गुरुद्वारे मंदिर और मस्जिद में घुस जाता है, कुवैत एम्बैसी में चला जाता है. हत्या की, चला गया और उसके बाद कह दिया जाता है कि हम लाचार हैं । आपने अपने वक्तव्य में धर्म निरपेक्षता, सहनशीलता, मैत्री आदि की दुहाई दी है और अपनी आस्था प्रकट की है । संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था । क्या उस प्रस्ताव के परित होने से समस्या का निदान हो गया है या हो जाता है ? उस प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, भारत के गृह मंत्री ने या भारत के प्रधान मंत्री ने जिन्होंने संसद में प्रस्ताव रखा था, अभी तक क्या पहल की है ? क्या कोशिश नहीं की जा सकती कि कोई कनक्रीट चीज निकले ? क्या बैठ कर बातचीत आप नहीं करेंगे ? यह ठीक है कि उनकी कुछ समस्यायें हैं, सामाजिक मामले हैं, धार्मिक मामले हैं । अब उनके क्या ग्रीवेसिस हैं, नौकरी के ग्रीवेसिस हैं, इसका आपने पता लगाने की कोशिस की है और पता लगाने की कोशिश की है कि जो खुराफात हो रही है, जो आन्दोलन चल रहा है इसके पीछे कारण क्या हैं ? उन्होंने क्या कोई ग्रीवेसिस सरकार के सामने रखे हैं ? कोई पागल आदमी ही हाथ में बम्ब भाला लेकर हमला करना शुरू कर सकता है । लेकिन यहां तो ऐसी बात नहीं है । उन्होंने क्या कोई रिप्रिजेंटेशन क्या कोई पत्र आपको दिया है कि ये ये हमारी मांगें हैं, हमारे साथ यह यह इंजस्टिस हो रहा है और यदि दिया है तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

सब से दुखद स्थिति यह है कि जब कभी कोई साम्प्रदायिक दंगा होता है और उसमें अगर कोई हिन्दू मारा जाता है तो हिन्दू तो दुखी होते हैं लेकिन मुसलमान खुश होते हैं और मुसलमान मारा जाता है तो मुसलमान दुखी होते हैं और हिन्दू खुश होते हैं और अगर सिख मारा जाता है तो सिख तो दुखी होते हैं लेकिन हिन्दू खुश होते हैं । मौलाना आजाद ने कहा था कि देश में तब तक राष्ट्रीयता नहीं पनप सकती है जब तक कि चाहे हिन्दू मरे या मुसलमान सभी दुखी नहीं होंगे, जब तक हिन्दू मरे तो मुसलमानों को दुख न हो और मुसलमान मरे तो हिन्दुओं को दुख न हो, एक समुदाय के व्यक्ति के मरने पर दूसरे समुदाय के लोगों के दिल पर चोट न लगे । इस तरह की राष्ट्रीय धारा हमारे देश में बहनी चाहिये । ग्रुपिज्म और फैक्शनलिज्म बढ़ती जा रही है । एक समुदाय का आदमी मरता है तो दूसरे समुदाय के लोगों को खुशी होती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हिन्दू और सिख का मामला है, खालिस्तान का मामला है, जिसका कुछ लोगों के हाथ में सूत्रधार है और देश के बाहर दूसरी जगह बैठकर करते हैं, सरकार जहां

कानक्रीट कदम उठाये उसको चैक करने के लिए, वहीं सरकार ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें यदि कोई हिन्दू पर हमला होता है तो सिख समुदाय उसकी निन्दा करें। यदि सिख पर हमला होता है तो दूसरे सम्प्रदाय के लोग उसकी भर्त्सना करें। जब तक ऐसी फिजा नहीं बनेगी तब तक समस्या का निदान नहीं होगा।

इमरजेंसी के समय जिसको जेल भेजा गया तो छूटने पर वह नेता बनता था, तो या तो इस समस्या का कानक्रीट निदान कीजिए, नहीं तो यदि आप किसी को जेल भेज देंगे तो आपके लिये तो ठीक होगा, लेकिन कहीं यह न हो कि जिनके दिमाग में वह बात चुभती है वह जेल से माला पहन कर निकले। इसलिए इस समस्या का हल सोचिए, प्रधान मन्त्री को स्वयं पहल करनी चाहिये क्योंकि वह सदन की नेता हैं। उन्होंने सदन में आकर प्रस्ताव पढ़ा था, प्रधान मंत्री को इसमें पहल करनी चाहिए, और जो वहां विभिन्न विचारधारा के लोग हैं उनसे बातचीत करनी चाहिये और कोई रास्ता निकालना चाहिये। उनकी क्या शिकायत है उसको भी दूर करना चाहिए। और आप यह भी बतायें कि आपके दल का जो आन्तरिक मामला है वहां पंजाब में उसका इस आन्दोलन के प्रति क्या रुख है ?

श्री आर० वेंकटरामन: महोदय, श्री पासवान सुवक्ता हैं। वे सदैव लोगों की समस्याओं को रखते समय भावुक हो जाते हैं।

उन्होंने **'हिन्दुस्तान टाइम्स'** का उद्धरण प्रस्तुत किया है, जिसे मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि विदेशों से कोई धन नहीं मिलता। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने पहले भी यह कहा है कि हमें इस बात का पता नहीं है कि उन्हें धन विदेशों से मिल रहा है और इस बात का भी पता नहीं है कि उन्हें विदेशों से धन नहीं मिल रहा है। अतः हमें इन दोनों बातों की जांच करनी होगी। मैं उनकी इस बात को नहीं मानता कि विदेशों से धन नहीं मिल रहा है। इसकी पुष्टि करनी होगी। हम यह कर रहे हैं।

उन्होंने दो ऐसे देशों का उल्लेख किया है जो खालिस्तान को समर्थन तथा मान्यता देने के लिए सहमत हो गए हैं। यह एकदम असंभव है क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। परन्तु मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि वे ये कहने के सिवाय कि हम मान्यता देते हैं वे किसी बात का पता कैसे लगाएंगे। मैं नहीं समझता कि ग्रुपों या गुट-निरपेक्ष देशों में कोई भी ऐसा है जो इन प्रथकतावादियों को मान्यता देगा।

उसके पश्चात् उन्होंने ज्ञानी जैलसिंह के चुनाव के सम्बन्ध में कही है। पंजाब के सिखों सहित हम सभी ज्ञानी जैलसिंह के राष्ट्रपति बनने पर प्रसन्न हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कुछ लोगों को सताया गया है। यह आम बात है जो कि बिना किसी मामले का हवाला दिए कही जाती है। इसकी पुष्टि करना आवश्यक नहीं है।

श्री पासवान ने बहुत महत्वपूर्ण तथा उचित बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि यह बहुत ही खेदजनक है कि लोग पृथक होने की बात करते हैं। कुछ लोगों द्वारा पृथक होने की बात सोचने का मतलब कि उन्हें कोई तकलीफ है। मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। कुछ

लोग या बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अन्य लोगों के साथ संतुष्ट नहीं होते और वे हमेशा समस्याएं पैदा करते हैं। बहुसंख्यकों का यह दायित्व है कि वे ऐसे लोगों को पाठ पढ़ाएं। फिर भी वे चाहते हैं कि मैं इस बात को सामान्य तौर पर न लूं। महोदय, वागड़ी जी के सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी मैंने कहा था कि सरकार दल खालसा आंदोलन को सख्ती से दबाएगी। मैं इसका भावुकता तथा वाकपटुता से उत्तर नहीं दे सकता।

महोदय, यह भी पूछा गया है कि क्या खालिस्तान आंदोलन में कांग्रेस (आई) के भी व्यक्ति शामिल हैं। मैं इससे इन्कार करता हूं। कांग्रेस संगठन की यह नीति नहीं है कि भारत के किसी भी भाग में किसी भी प्रथकतावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान के दल सहित सभी राजनैतिक दलों की यही नीति होनी चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, उन्होंने पूछा है कि क्या कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पंजाब में होने वाली विभिन्न घटनाओं तथा उनके लिए किए जा रहे उपायों की समय-समय पर हमें रिपोर्ट मिल रही है। हम निरन्तर इस ओर ध्यान दिए हुए हैं और हम परामर्श देते हैं।

श्री राम विलास पासवान : क्या राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्री आर० वेंकटरामन : राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को तथा उसकी प्रति हमें भेजते हैं।

महोदय, जहां तक ठोस उपाय करने की बात है, प्रधान मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि अकाली लोगों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। अब 'हां' कहना और प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का लाभ उठाना उन पर निर्भर करता है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं। आप प्रधान मंत्री पर आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने निश्चित रूप से यह कहा है कि वह अकाली दल के लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब यह उनका काम है कि आकर बातचीत करें।

महोदय, श्री पासवान ने कहा है कि जो भी जेल जाता है वह नेता बन जाता है परन्तु हम नेता कैसे बने हैं। इस बात को यहीं समाप्त कर दें। उन दिनों में हमने आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हम इस बपौती को बनाए नहीं रख सकते जबकि हमें अपराध और असमाजिक बातों को समाप्त करना है। मैं नहीं समझता कि इस बपौती के बारे में फिर कहा जाए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े-से ही प्रश्न पूछूंगा। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि पंजाब में कुछ समाज-विरोधी तत्व पिछले कुछ महीनों से बहुत सक्रिय होते जा रहे हैं। जहां तक कि देश की एकता और अखंडता का सम्बन्ध है, यह एक बहुत ही

खतरनाक संकेत है, और न केवल देश में बल्कि देश के बाहर से भी रोजाना इनकी इन गतिविधियों के समाचार मिल रहे हैं ।

महोदय, यद्यपि श्री आर० वेंकटरामन का मैं बहुत आदर करता हूं, तथापि मैं यह कहूंगा कि सरकार वर्तमान स्थिति को नियंत्रण में लाने में पूर्णतः असफल रही है । ये समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्व हर जगह सक्रिय हो रहे हैं । यहां तक कि वे भारतीय संविधान और राष्ट्रीय ध्वज को जलाने लग गए हैं । ब्रिटिश पुलिस ने बताया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान को जलाने और तत्पश्चात् उसे अपने पैरों तले कुचलने का प्रयास कर रहे थे । इस देश के बाहर जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनकी यह भावना है । उनकी इस देश के बारे में यह भावना है । वे यह कह रहे हैं कि यह देश लोकतंत्र का विरोधी है । उन्होंने कई बातें कहीं है । ये बातें प्रकाशित हो चुकी हैं । मैं नहीं जानता कि उनके पास भारतीय नागरिकता है अथवा नहीं । महोदय, मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर बम्ब फेंके गए थे । अब आप समझ सकते हैं कि वहां साधारण लोगों की क्या हालत होगी । वे अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे । इस समय समूचे पंजाब में लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । हरेक के मन में सिख लोगों के लिए आदर है और साथ ही देश के अन्य समुदायों के लिए भी उनके मन में आदर है । हम चाहते हैं कि इस समस्या से उचित ढंग से निपटा जाना चाहिए । लेकिन, महोदय, यदि कोई व्यक्ति पृथकता की बात करता है, इस देश को विभाजित करने का प्रयास करता है, इस राष्ट्र की एकता और अखण्डता को भंग करने का प्रयत्न करता है तो निश्चित रूप से इसे सहन नहीं किया जा सकता और इसे सहन नहीं किया जाना चाहिए । जिन लोगों ने मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर बम्ब फेंके हैं और जो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं उनके बारे में पुलिस का कहना है कि वे भिंडरांवाला दल से संबंधित हैं । समझ नहीं आता कि पुलिस ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करने में असमर्थ क्यों है जो धर्म की आड़ में यत्रतत्र शरण ले रहे हैं, कभी गुरुद्वारों में तो कभी अन्य पवित्र स्थानों पर । वे इन स्थानों में प्रवेश कर रहे हैं और अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है । यदि आवश्यक हो तो सरकार धार्मिक नेताओं से बात करे और उन्हें बातचीत के माध्यम से इस समस्या को सुलझाना चाहिए क्योंकि समाज विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए । श्री राज मोहन गांधी, डा० सुशीला नायर और श्री एस० एम० जोशी स्थिति का अध्ययन करने के लिए पंजाब गए थे । उन्होंने बताया कि स्थिति बहुत विस्फोटक है । पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है । यदि पंजाब में इस प्रकार की विस्फोटक स्थिति बनी रही, यदि इसे उचित ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह समूचे देश के लिए खतरनाक होगी । सरकार को इसकी जांच करने का प्रयत्न करना होगा ।

पंजाब में सामुदायिक तनाव भी बढ़ रहा है । इससे पहले कभी सामुदायिक तनाव नहीं हुआ था । लेकिन जब से कुछ लोगों द्वारा खालिस्तान का मसला उठाया गया है तब से सामुदायिक तनाव बढ़ गया है और कुछ लोग दोनों समुदायों, हिंदुओं और सिखों के बीच विरोध पैदा

करना चाहते हैं। यदि वे ऐसी चाल चलते हैं तो वे यह समझते हैं कि अन्ततः वे सफल हो सकते हैं। वे गड़बड़ पैदा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। महोदय, यह भी बताया गया है कि इन समाज विरोधी तत्वों की सहायता के लिए विदेशों से धन आ रहा है। यदि यह सही है, तो यह बड़ी खतरनाक बात है। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि विदेशी धन नहीं आ रहा है। तब सरकार को यह मालूम करना चाहिए कि वे कौन से देश हैं जो इस प्रकार के आंदोलन के लिए इन लोगों को वित्तीय सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने (विदेशों से धन) आने अथवा न आने, दोनों के पक्ष में कहा है।

श्री हरिकेश बहादुर : इस संबंध में सरकार को सतर्क रहना होगा। लोगों की यह धारणा है कि विदेशों से धन आ रहा है। विदेशी धन के बिना, भारी वित्तीय सहायता के बिना, वे इस सीमा तक नहीं बढ़ सकते। मुख्य मंत्री ने इसमें पुलिस अधीक्षक के शामिल होने के बारे में कहा है। उन्होंने बताया है कि वह कुछ समाज विरोधी तत्वों को उकसाने और प्रोत्साहित करने में शामिल था। उन्होंने यह भी बताया है कि उस व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन यह कोई दण्ड नहीं है। यदि ऐसी कोई बात है तो उसकी उचित जांच होनी चाहिए और सरकार को यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह व्यक्ति वास्तव में इन गतिविधियों में शामिल है या नहीं। यदि वह व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है तो उसके विरुद्ध गंभीर कार्यवाही की जानी चाहिए। वह देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह उन ताकतों को सहायता पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है जो इस देश को विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं। उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया जाना चाहिए और दण्ड दिया जाना चाहिए। उसे सेवा से हटाया जाना चाहिए। खालिस्तान के कुछेक समर्थक कुछ विदेशी अड्डों, जैसे कनाडा, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्रिय हैं। ये हमारे मित्र देश हैं। लेकिन इन देशों में भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। अतः इस सम्बन्ध में मैं एक बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सरकारों से यह कहेगी कि वे अपनी भूमि पर खालिस्तान समर्थकों की भारत-विरोधी गतिविधियों को रोकें।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के पास भारत की नागरिकता है। यदि हां, तो क्या सरकार उनकी नागरिकता समाप्त करने के लिए कदम उठाएगी ? जिन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को जलाया है उन्हें इस देश का नागरिक नहीं समझा जाना चाहिए। यदि वे इस देश के नागरिक हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त की जाए और उनके पारपत्र रद्द तथा जब्त किए जाएं।

पंजाब के मुख्य मंत्री ने इसमें विदेशों का हाथ होने की बात कही है। इन देशों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

अन्त में, क्या खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों से बातचीत करने का कोई प्रस्ताव किया गया है ? क्या खालिस्थान के तथाकथित अध्यक्ष श्री जगजीत सिंह को बातचीत का कोई प्रस्ताव किया गया था ? क्या सरकार इस प्रश्न पर उनसे बात करना चाहती है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि स्थिति अपेक्षतया गम्भीर है; मैं यह नहीं कहूंगा कि वह विस्फोटक है, कठिन जरूर है। स्थिति खराब है, लेकिन इसे अतिरंजित न किया जाए और इस तरह न प्रकट किया जाए कि यह इतनी अधिक चिंता का कारण बन गई है।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने लंदन में झंडा जलाने का प्रयत्न किया था वह भारत का नागरिक है अथवा नहीं। मैंने आज सुबह कहा है कि वे इस बात का पता लगाएं कि उस व्यक्ति के पास भारतीय पारपत्र है अथवा ब्रिटेन का इसकी हम सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन प्राथमिक जांच से पता चला है कि उसका भारतीय पारपत्र जब्त कर लिया गया है; हमने उसे रद्द कर दिया है, यद्यपि उसे पकड़ा नहीं गया है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि पारपत्र को इस तरह से रद्द किए जाने के विरुद्ध उसकी पत्नी अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी ओर से एक मामला दायर किया है। हम इस मामले की कार्यवाही जारी रखेंगे और निश्चय ही इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे। यह व्यक्ति भारत से किसी भी प्रकार की सहायता का पात्र नहीं है, मैं फिर दोहराता हूं कि वह नहीं है। वास्तव में, भारतीय ध्वज को जलाकर उसने अपना नागरिकता का अधिकार खो दिया है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा विदेशी धन के बारे में है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम निरन्तर इस मामले की जांच कर रहे हैं, और जहां कहीं से भी हमें आशंका हो कि पैसा आ रहा है। वास्तव में, उससे जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकेगी। इसलिए हम निरन्तर इस मामले की जांच कर रहे हैं। हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या विदेशी धन आ रहा है और यदि हां, तो किन स्रोतों से आ रहा है, आदि आदि।

माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर कार्यवाही की जानी चाहिए और मात्र स्थानांतरण कर देना पर्याप्त नहीं था। इस सामान्य नियम को ध्यान में रखते हुए कि प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, अर्थात संबंधित व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, हम निश्चय ही सख्ती से काम लेंगे। लेकिन केवल सख्ती के लिए हम प्रतिरक्षा आदि के सामान्य अधिकारों, उसके मामले में सुनवाई आदि किए जाने के उसके अधिकारों से उसे वंचित नहीं करेंगे।

माननीय सदस्य ने अंतिम प्रश्न यह पूछा है कि क्या हम खालिस्तान के प्रश्न पर बातचीत करने को तैयार होंगे। मेरा उत्तर है, कि कदाचित 'नहीं'।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने यह भी पूछा था कि क्या भारत सरकार ब्रिटेन, कनाडा और

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों से यह कहेगी कि इन लोगों को भारत के विरुद्ध प्रचार करने का कोई अवसर न दिया जाए।

श्री आर० वेंकटरामन : इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है; विदेश मंत्रालय को कोई जानकारी हो सकती है। मैं इस प्रश्न को उनके ध्यान में ला दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मेरा गला खराब है, मैं थोड़ी सी बातें ही कहना चाहूंगा। पंजाब की स्थिति सचमुच में गम्भीर है और इस गम्भीर स्थिति के पीछे दल खालसा और राष्ट्रीय खालिस्तान परिषद, इन दोनों का हाथ है। यह खतरा हमारे मुल्क में तभी से पैदा हो गया जब से पाकिस्तान को अमरीकी साम्राज्यवादी और चीन की सरकार हथियारबन्द कर रही हैं। इस पृष्ठभूमि में इस तरह के खतरे का उपस्थित होना हमारे देश के लिए सचमुच में बहुत गंभीर बात है। ये खालिस्तान की मांग करने वाले जगतसिंह चौहान और मन मोहन सिंह जो आन्दोलन चला रहे हैं, इसको उग्रवादियों या अतिवादिलों का आन्दोलन कहा जाता है। इसके पीछे निश्चित रूप से साम्राज्यवादी मुल्कों का हाथ है। सरकार को इसका पता अभी तक नहीं चला, यह आश्चर्य की बात है। सरकार करती क्या है? उसे इस बात का पता लगाना चाहिए कि कौन सी विदेशी ताकत इस आन्दोलन के पीछे है और कौन कितना पैसा दे रहा है? अभी सरकार को इसका पता नहीं है लेकिन अगर सरकार गम्भीरता के साथ कोशिश करेगी तो पता चलेगा।

दूसरी ओर भिंडरावाले के नेतृत्व में हमारे देश में हत्याओं का बाजार गरम है, गोलीकाण्ड हो रहे हैं। धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता के नाम पर साम्प्रदायिक दरार पैदा की जा रही है। ये लोग साम्प्रदायिक जहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ, इनके प्रचार के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? फिर जो वहां पर अकाली दल है, मैं जानना चाहूंगा कि अकाली दल के कितने ग्रुप्स हैं, उनकी नीति क्या है और क्या उन्होंने साफ-साफ खालिस्तान के नारे का विरोध किया है या अन्दर ही अन्दर समर्थन कर रहे है? इस बात की जानकारी इस देश के अवाम को होनी चाहिए। फिर खालिस्तान की ओर से पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच एक बफर स्टेट बनाने का नारा दिया गया है और सिखों के जज़बात को उभार कर उनको अपने पीछे लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने पूछा है कि अकाली दल के लोगों का क्या रुख है, इस आंदोलन के बारे में?

ठीक उसी तरीके से दूसरी तरफ हिंदुओं को भी संगठित करने की कोशिश की जा रही है और जैसा कि हरिकेश जी ने बताया कि साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि हिंदुओं के बीच में साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए आर० एस० एस० और जनता पार्टी के लोग किसी प्रकार से कोई कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं? आर० एस० एस० और भारतीय जनता पार्टी का रोल इस मूवमेंट में क्या है?

ठीक इसी तरीके से क्या यह बात सच है कि भूतपूर्व गृह मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री के बीच में कोई तनाव है और इसका फायदा खालिस्तान समर्थक तत्वों को मिल रहा है?

फिर क्या सरकार ने सिखों की तर्कसंगत और जायज मांगों को पूरा करने की गारंटी ली है ताकि किसी प्रकार से उनके धार्मिक मामलों में कोई गड़बड़ी न पैदा हो ? इसके अतिरिक्त राज्य के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात का विचार रखती है कि पंजाब के धर्मनिरपेक्ष दल तथा जनतंत्र में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाए ? उसमें विचार करके खालिस्तानियों का मुकाबला करने की कोई योजना बनाई जाए—क्या सरकार इस तरह का कोई विचार रखती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि अखबारों में जैसी कि खबर निकली है कि खालिस्तान के नेताओं का संबंध अमरीका के राष्ट्रपति से है और यदि खबर में निकला था कि श्री रैगन ने खालिस्तान के नेताओं को दावत पर आमंत्रित किया था और वे दावत पर गए भी—मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार को पता है या नहीं ? अगर पता है, तो अमरीका की सरकार के पास विरोध पत्र कोई भेजा गया है या नहीं ? अगर भेजा गया है तो उस विरोध पत्र का ब्यौरा क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं शास्त्री जी के प्रति आभारी हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनका धन्यवाद कर चुका हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है कि साम्राज्यवादी देशों की इस प्रकार के कार्य में रुचि होती है, इस मामले में बहुत से सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है और सरकार इस पर कोई वक्तव्य नहीं दे सकती । हम उस सूचना को वैसा ही लेते हैं जैसे हमें वह प्राप्त होती है, और हम इसकी जांच करेंगे और पता लगायेंगे कि यह कहां तक प्रमाणित है ।

विदेशी धन के बारे में मैं रवैया बता चुका हूं । हम निश्चित रूप से इस मामले का अनुसरण करेंगे और पता लगायेंगे । शास्त्री जी ने मुझसे अन्य पार्टियों के रुख के बारे में पूछा है । वे सभी यहां पर हैं और वह मुझसे कुछ कहने के लिये क्यों चाहते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : वे क्या कर रहे हैं ? उनकी गतिविधियां क्या हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उन्हें सभी विरोधी दलों की ओर से आश्वासन दे सकता हूं कि वे खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं और इनमें से किसी भी दल ने इसका समर्थन नहीं किया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : अकाली दल क्या कर रहा है ?

श्री आर० वेंकटरामन : अकाली दल ने खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन नहीं किया है । उनकी कुछ शिकायतें हैं लेकिन मेरी जानकारी और हमारी सरकार की जानकारी के अनुसार उन्होंने खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन नहीं किया है ।

माननीय सदस्य ने बाद में यह कहना चाहा था कि तत्कालीन गृह मन्त्री और पंजाब के मुख्य मंत्री के बीच मतभेद होने के कारण ही इस प्रकार की गड़बड़ी हुई थी।

(व्यवधान)

मैं जोरदार शब्दों में खंडन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई मतभेद नहीं था। यह गलत-फहमी चल रही है और मैं इसका खंडन करना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अब यह नहीं होगी।

श्री आर० वेंकटरामन : अब अगले मुद्दे के बारे में अर्थात् लोकतंत्री शक्तियों को इकट्ठा लाया जाये। पंजाब तथा देश के अन्य भागों में ऐसा वातावरण बनाने का हमारा प्रयास है जिसमें सभी लोकतंत्री ताकतें और प्रगतिशील शक्तियां ऐसा कर सकेंगी। अलगाववादी और विखण्डन-कारी प्रवृत्तियों की यह नीति देश के लिए खतरनाक है। अतः जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है, हमारा प्रयास ऐसा वातावरण उत्पन्न करने का होगा।

श्री रीगन के रात्रि-भोज के बारे में माननीय सदस्य के पास मेरे से अधिक जानकारी है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह मीनू के बारे में भी जानते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : अतः मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है और दो बजकर चालीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर चालीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर चवालीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विभिन्न हवाई अड्डों के साथ संपर्क करने वाली हाटलाइन टेलीफोन लाइनों को बन्द करने का कथित निर्णय

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : ऐसे दुखमय समाचार मिले हैं कि हमारे देश में विमान सुरक्षा खतरे में है।

यह समाचार मिला है कि नागर विमानन विभाग ने हाल ही में हाटलाइन टेलीफोन लाइनों, जो हमारे देश में विभिन्न हवाई अड्डों और हमारे हवाई अड्डों को पड़ौसी देशों के हवाई अड्डों के साथ जोड़ती हैं, को असम्बद्ध करने का निर्णय किया है।

भारत इस समय बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के अन्तर्गत वायु क्षेत्र नियंत्रण क्षेत्रों में विभाजित है। हाटलाइन पद्धति से जब कोई विमान उड़ने के लिए तैयार है, मान लीजिए यह विमान पालम (दिल्ली) से सांता क्रुज जा रहा है तो पालम हवाई अड्डे से सांता क्रुज हवाई अड्डे को उड़ान संबंधी ब्यौरे भेज दिये जाते हैं और उड़ान के लिए स्वीकृति कुछ मिनटों के भीतर प्राप्त कर ली जाती है। विरोधी दिशाओं में उड़ रहे विमानों को टकराने से बचाने के लिए इस प्रकार की सावधानी आवश्यक है। यदि दो विमानों को लगभग एक ही समय में विभिन्न हवाई अड्डों से उड़ना है और एक दूसरे को लांघना है तो उन्हें किस ऊंचाई पर उड़ना है और टकराने से बचना है, इसका निर्धारण पहले से ही हाटलाइन संदेशों के आदान-प्रदान के जरिये किया जाता है और विमान के कर्मीदल अपने विमानों की उड़ान ऊंचाई उपयुक्त रूप से समायोजित करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के विनियमों के अन्तर्गत विभिन्न वायु नियंत्रण क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें विमान उड़ान जायेगी, आसन्न उड़ान का अग्रिम समाचार भेजना अनिवार्य है।

नागर विमानन विभाग का अब कथित यह निर्णय, कि विभिन्न हवाई अड्डों को जोड़ने वाली हाटलाइन को खत्म किया जाये, विमान की सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है।

ऐसा दिखाई देता है कि हाटलाइनें डाक तथा तार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और नागर विमानन विभाग को इनके अनुरक्षण के लिये डाक और तार विभाग को कई लाख रुपये देने पड़ते हैं।

हाल के महीनों में हवाई अड्डों को प्रदान की गई हाटलाइनें खराब पाई गई थीं और विमान यातायात नियंत्रण ने इन हाटलाइनों के माध्यम से संदेशों का आदान-प्रदान करना मुश्किल पाया है। इन हाटलाइनों के लिये प्रयुक्त उपकरण पुराने हो गये थे और नागर विमानन विभाग की समय-समय पर की गई शिकायतों से सुधार नहीं हुआ था।

यह बताया गया है कि नागर विमानन विभाग ने इस प्रकार की खराब हाटलाइनों को रखना धनराशि की बर्बादी माना था और इन्हें खत्म करने का निर्णय किया था। यह भी बताया गया है कि भविष्य में विमान यातायात नियंत्रण वैमानिकी निर्धारित दूरसंचार व्यवस्था का प्रयोग करेगा जो 'मॉर्स कोड सिस्टम' है और जो किसी संदेश को प्रेषित करने में लगभग एक घंटा लेता है। एक घंटे के समय में विमान एक वायु नियंत्रण क्षेत्र को छोड़ देता है और दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिससे स्वयं इस विमान और यात्रियों के जीवन को खतरा होता है।

विमान और यात्रियों की सुरक्षा नागर विमानन विभाग का हमेशा प्राथमिक कार्य होना चाहिये। सरकार इस समस्या की ओर शीघ्र ध्यान दे। हवाई अड्डों के बीच हाटलाइन टेलीफोन कनेक्शन समाप्त नहीं किये जाने चाहियें और इनकी मजबूत उपकरणों से ठीक प्रकार से देख-रेख की जानी चाहिये।

इसे मंत्रालय को शीघ्र भेजना चाहिये और उनके द्वारा की गई कार्यवाही तत्काल कल तक ही सदन को बतायी जानी चाहिये।

सभापति महोदय : मेरे विचार से मंत्रालय ने इस अविलम्बनीय विषय को नोट कर लिया है।

(दो) उच्च अध्ययन संस्थान शिमला

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : यह दुःख की बात है कि शिमला स्थित विख्यात उच्च अध्ययन संस्थान संकट में है। 1978 से इसने कोई नया फैलोशिप नहीं दिया है और इस समय जहां इस संस्थान में केवल दो स्कालर हैं जिन पर वर्ष 1980-81 में 23 लाख रुपये की भारी राशि खर्च की गई थी। यह बहुत देर की बात नहीं है जब 17 वर्ष पूर्व इस संस्थान की स्थापना प्रिंसटन और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार की संस्थानों के प्रतिरूप पर डा० एस० राधाकृष्णन की पहल पर भारी आशा के साथ की गई थी।

इस संस्थान का लक्ष्य मानविकी और समाज विज्ञान में अध्ययन संबंधी समस्याओं के लिये मुक्त अन्तः अनुशासनात्मक वातावरण प्रदान करना था। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट विद्वानों जैसे स्वर्गीय डा० निहाररंजन राय, बी० बी० लाल, डा० एस० सी० दुबे आदि ने अपनी रुचियों का अनुसरण करने के लिये इस संस्थान में किसी न किसी समय कार्य किया है जो अन्यथा उनके लिये करना मुश्किल होता। इस संस्थान के महत्वपूर्ण प्रकाशन भी हैं।

इस संस्थान को भारी हानि पिछली सरकार से हुई थी जिसने इसे बंद करने का निर्णय किया था। वास्तव में अभी यह किया जाना है। लेकिन इसके भविष्य के बारे में अनिश्चितता की स्थिति अभी तक बनी हुई है। सरकार के सामने इस संस्थान के कार्यकरण को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिये डा० कृष्णा कृपलानी की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिशें हैं। इस रिपोर्ट को रिलीज करना ठीक कार्य होगा ताकि एक सार्वजनिक वाद-विवाद शुरू किया जा सके और एक राष्ट्रीय संस्थान को बर्बादी और उपेक्षा से बचाया जा सके।

(तीन) विमान पत्तन बीजा व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता

***श्रीमती जयन्ती पटनायक** (कटक) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का यह मामला उठाना चाहती हूं। विदेशी पर्यटकों के लिए बीसा प्रणाली को समाप्त करने के भारत सरकार के निर्णय से भारत आने वाले वास्तविक पर्यटकों में भारी चिन्ता उत्पन्न हुई है।

देश में पर्यटन से तीसरे नम्बर पर विदेशी मुद्रा की सबसे अधिक आय होती है। इससे प्रति वर्ष लगभग 700 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस वर्ष एशियाई खेलों के कारण देश को बहुत बड़ी संख्या में विदेशी यात्रियों से भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आशा थी। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने हवाई अड्डे पर ही बीसा देने की प्रणाली लागू की थी जिसके अन्तर्गत पर्यटकों को हवाई अड्डे पर उतरते ही 30 दिन का बीसा

*उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आसानी से मिल सकता है और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में वीसा औपचारिकताएं पूरी करने हेतु जाने में लगने वाला समय नहीं लगेगा । लगभग दस लाख पर्यटक प्रतिवर्ष हवाई अड्डे पर वीसा सुविधा का लाभ उठायेंगे ।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशन से वीसा लेना सामान्यतया कठिन कार्य है । इसके अलावा यदि विदेशी पर्यटकों को वीसा देने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त किया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी । विदेश मंत्रालय के लिये यह बहुत मुश्किल हो जायेगा कि वह विदेशों में इतनी बड़ी संख्या में अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दे । विदेशों में इतनी बड़ी संख्या में अरिरिक्त कर्मचारियों के न होने से वीसा आवेदकों को परेशानी होगी । यदि हवाई अड्डे पर वीसा देने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तो होटल उद्योग और यात्रा एजेंसियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने 1982-83 में विदेशी पर्यटक बुलाने का आकर्षक लक्ष्य निर्धारित किया है । यदि वर्तमान वीसा प्रणाली को समाप्त किया जाता है तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी हो जायेगी । इस प्रकार देश को करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मांग करती हूं कि हवाई अड्डे पर वीसा देने की प्रणाली को समाप्त न किया जाये ।

(चार) जाली वीसा बनाने का घोटाला

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : देश में जाली वीसा देने वाला बड़ा भारी गिरोह सक्रिय है और उसने रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को धोखा देकर करोड़ों रुपये ले लिये हैं । खाड़ी के देशों से पेट्रो-डालर कमाने के लोभ और विदेश-यात्रा करने की शान के कारण हजारों गरीब और भोले-भाले तथा कम पढ़े-लिखे लोग भारी वित्तीय संकट में फंस गये हैं । ये लोग ऐसे परिवारों के हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जिन्होंने वीसा लेने के लिये अपना सब कुछ बेच दिया है । उनमें से बहुत से लोगों ने तो अत्यधिक ब्याज दरों पर रुपया उधार लिया है और एक मामले में तो ऐसा पता चला है कि एक व्यक्ति को धन उधार लेने के लिये गांव के धनी व्यक्ति के यहां अपनी पत्नी को गिरवी रखना पड़ा ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करे और गिरोह के लोगों की गतिविधियों पर काबू करे ।

(पांच) पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य में खाद्यान्न की सप्लाई की स्थिति के सम्बन्ध में संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है । 5.45 करोड़ की जनसंख्या वाले पश्चिम बंगाल को एक वर्ष में 90 लाख मी० टन खाद्यान्न की जरूरत होती है । खरीफ की फसल के वर्ष अर्थात्, 1-10-81 से 30-9-82 के दौरान गेहूं और धान सहित खाद्यान्न का उत्पादन केवल 63.08 लाख मी० टन था क्योंकि गत सात वर्षों में लगातार सूखे पड़े और कीड़ों ने नुकसान पहुंचाया । फिर भी, उत्पादन के 10 प्रतिशत भाग को बीजों के रूप में रखते हुए उपयोग

के लिये एकल उपलब्धता लगभग 57 लाख मी० टन होगी। अतः कमी लगभग 33 लाख मी० टन की होगी जो चिन्ताजनक रूप से बहुत ज्यादा है और गत पांच वर्षों में हुई कमियों में सबसे अधिक है। मांग की इस स्थिति की तुलना में भारतीय खाद्य निगम ने 1-10-81 से 30-6-82 तक की अवधि के दौरान केवल 19 लाख मी० टन खाद्यान्न सप्लाई किया। अब राज्य की कुल आवश्यकता 14 लाख मी० टन बनती है जो कि केन्द्रीय सरकार के घोषित मानदंड के अनुसार है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 3.30 लाख मी० टन प्रति मास के मासिक नियतन की मांग की है परन्तु मार्च, 1982 से जुलाई, 1982 तक के गत पांच महीनों में वास्तविक नियतन 11 65 लाख मी० टन किया गया है जो वास्तविक आवश्यकता से प्रति मास एक लाख मी० टन कम है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये नियतन की यह स्थिति होने से भारतीय खाद्य निगम को होने वाली परिवहन और ढुलाई सम्बन्धी बाधाओं के कारण वास्तविक सप्लाई बहुत ही असंतोषजनक है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पश्चिम बंगाल, जहां भारी सूखे से वर्तमान खेती के मौसम को गहरा धक्का लगा है, के लोगों के प्रति सद्भावना दिखाये और कम से कम 3 30 लाख मी० टन खाद्यान्न जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1982 के दौरान प्रतिमास आवंटित करे और लोगों को भूख से बचाये।

(छः) हज तीर्थ यात्रियों के समुद्री जहाज के किराये में कथित वृद्धि

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मरकजी हज कमेटी ने बम्बई से ऐलान किया है कि इस साल आजमीन हज के लिए पानी के जहाज के किराए में इजाफा कर दिया गया है। पानी के जहाज से हज को जाने वाले आजमीन हज को पहले ही काफी दिक्कत तादाद की कमी की वजह से उठानी पड़ रही है। इस वक्त जब कि कुरान वगैरह के मराहिल सब तय हो चुके हैं और पहले जहाज से जाने वाले आजमीन जल्द ही बंबई पहुंचने वाले हैं, हज के किराए में इजाफा बे-मौका और गैर जरूरी है। पता नहीं हज कमेटी ने यह फैसला अपने तौर पर लिया है या मरकजी वजारत जहाजरानी ने अपने फैसले को हज कमेटी से मनवाया है। जो भी हो मरकजी हज कमेटी और वजारत जहाज रानी दोनों से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर इस फैसले पर अमल को इस साल के लिए रोक दें।

मरकजी हज कमेटी, वजारत जहाजरानी और वजारत खारजा से दरख्वास्त है कि आइंदा हज के मुताल्लिक जो भी पालिसी उनकी होगी, उसके अहम मुकाद से कम अज कम पार्लियामेंट के सभी मुस्लिम मेंबरान को आगाह करें और उसको आखिरी शक्ल देने से पहले उनकी एक रस्मी या गैर-रस्मी मीटिंग बुलाकर उनसे भी सलाह मशविरा करें। गरीब और मतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले आजमीन हज के लिए समुद्री जहाज की तादाद बढ़ाना अशद जरूरी है। मौजूदा दो जहाज इसके लिए नाकाफी हैं। इसके अलावा बंबई में मुसाफिरखाने में आजमीन हज को मजीद सहूलियतें पहुंचाने की तरफ भी तवज्जह दी जाए। सऊदी अरब में हमारी सरकार को आजमीन हज की देखभाल के इन्तजाम में और चुस्ती लानी चाहिए।

बंबई में हज कमेटी के मौजूदा इंतजाम से और वजारत खारजा की तरफ से सऊदी अरब में आजमीन हज की देखरेख से पिछले सालों में जाने वाले हाजी मुतमैयन नहीं हैं ।

(सात) **मध्य प्रदेश में एशियायी खेल, 1982 को दूरदर्शन पर प्रदर्शित करने की मांग**

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश के अनेक महानगरों में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध है । एशियाड-82 के दौरान रंगीन दूरदर्शन प्रसारण के लिए सरकार अतिरिक्त प्रयास कर रही है । किन्तु मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अनेक प्रमुख नगर इंदौर, उज्जैन, देवास दूरदर्शन से वंचित हैं । संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अक्तूबर 82 तक इंदौर को दूरदर्शन प्रसारण का लाभ मिल सकेगा । किन्तु इस संबंध में स्पष्टतः इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास को दूरदर्शन प्रसारण का लाभ एशियाड-82 तक मिल सकेगा यह घोषणा प्रकट नहीं हुई है । यह आवश्यक है कि भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, देवास को साथ-साथ दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जावे । दूरदर्शन प्रसारण प्रणाली इस प्रकार की स्थापित की जाए कि भोपाल में एक इकाई से तथा दूसरी इकाई इन्दौर-उज्जैन-देवास एक साथ लाभान्वित हो सके ।

अतएव मेरा सूचना प्रसारण मंत्री से आग्रह है कि मध्यप्रदेश में भोपाल को इन्दौर, उज्जैन, देवास को दूरदर्शन प्रसारण का लाभ एशियाड-82 के समय मिल सके । आवश्यक निर्देश तथा तत्संबंधी घोषणा की जाए ।

(आठ) **तमिलनाडु में कन्नाकी (मंगलो देवी) मंदिर की बेहतर रख-रखाव की मांग**

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : कन्नाकी (मंगला देवी) मंदिर तमिलनाडु के मदुरै जिले में गुड़लूर गांव के वन्नतिपराई वन क्षेत्र में स्थित है । यह मंदिर 2000 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण राजा चेरन सेंगुतुवन द्वारा कराया गया था । मंगला देवी प्रसिद्ध तमिल साहित्य 'सीलाघडी इरम' की नायिका है । इसकी मूर्ति के लिये पत्थर प्राचीन काल में हिमालय से लाया गया था । कन्नाकी सतीत्व की प्रति मूर्ति थी । मंदिर समुद्र तल से 5000 फुट ऊपर स्थित है और यह राष्ट्रीय महत्व के खेल अभयाय, ठेक्काडी से 7 किलोमीटर दूर पेरियार विद्युत गृह और सुरुलियर पन बिजली योजना के बीच सुरम्य स्थल पर स्थित है ।

मैसूर विश्वविद्यालय के मुख्य पुरालेखविद् ने वर्ष 1965-66 के लिये भारतीय पुरालेखविद्या के वार्षिक प्रतिवेदन में इस मन्दिर की तारीखों की पुष्टि की है । 1952 में गठित जीर्णोद्धार समिति ने ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया है जिसकी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों द्वारा पुष्टि की गई हो । तमिलनाडु के प्राधिकारियों द्वारा जब अन्य कार्यों के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं तो इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये कुछ धनराशि आवंटित की जा सकती थी ।

मैं अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु की इस प्राचीन धरोहर को क्षीण होने दिये बिना इसके भावी रख-रखाव के लिये केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मन्दिर का अधिग्रहण किया जाये । यहां तक कि इसका रख-रखाव पश्चिमी घाट विकास योजना के अन्तर्गत किया जा सकता

है । इस स्थान पर भक्तगण और पर्यटक आते हैं परन्तु मंदिर के निकट कोई ऐसी सड़क नहीं है जिससे आया-जाया जा सके ।

मेरे सहयोगी स्वर्गीय श्री कुमबुम एन० नटराजन इस मन्दिर के वेहतर रख-रखाव और इस तक सुगम पहुंच के लिये प्राधिकारियों से लड़ते रहे और उन्होंने तमिलों के अधिकारों की बहाली के लिये अनशन भी किया था । यह मामला उनका बहुत प्रिय था । केन्द्रीय सरकार इस मंदिर के वेहतर रख-रखाव के लिये तुरन्त कार्यवाही करे, तमिलों सहित सभी के लिये विना किसी वाधा के इस मन्दिर तक सुगम पहुंच सुलभ कराई जाये ।

(नौ) मथुरा के आस पास स्थित शहरों के लिए भूमिगत कुकिंग गैस पाईप लाइन

श्री दिगम्वर सिंह (मथुरा): मैं पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के माननीय मंत्री से मथुरा तेल शोधक कारखाने, मथुरा से मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नन्दगांव, कोसी और भरतपुर को कुकिंग गैस की भूमिगत लाइन डाल कर कनैक्शन देने का अनुरोध करता हूं । कारखाने में जहां मथुरा को अनेक असुविधायें जैसे वायु और यमुना के पानो का गन्दा होना, पानी का स्तर भूमि में नीचे चला जाना, शुद्ध शाकाहारी जनता में वाहर के मांसाहारी लोगों के आने के कारण मांसाहारी होटल खुलना, ठंडाई पीने वाले वृजवासियों के बीच में शराव पीने वालों का आकर वातावरण खराव करना, राधा कृष्ण की परम्परा के अनुसार वृज की रासलीला और नृत्य के बीच में विदेशी गाने और नृत्य का बढ़ना आदि वुराइयों को सहन करना पड़ रहा है तो उनको कम से कम यह कुकिंग गैस की सुविधा तो प्राप्त होनी ही चाहिए । मेरा माननीय मत्री जी से निवेदन है कि शीघ्र इसकी व्यवस्था करने की वह कृपा करें ।

बिहार में पूर्णिया में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई

श्रीमती मधुरी सिंह (पूर्णिया) : वायुमंडल प्रदूषण, वनों का साफ किया जाना, पेड़ों की कटाई आदि ने आज हमारे देश में गम्भीर समस्या का रूप धारण कर लिया है । प्राकृतिक सौन्दर्य और नैसर्गिक सुषमा में समृद्ध हमारा देश आज प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति घोर उपेक्षा वरत रहा है । आज लोगों को प्राकृतिक सौन्दर्य में आकर्षण नहीं है । कई किस्म के विशाल एवं दुर्लभ वृक्ष साफ किए जा रहे हैं । परम्परागत सौन्दर्य नष्ट हो रहा है । विहार में पूर्णिया जिला इसका प्रमाण है । वहां अस्थायी स्वार्थ की पूर्ति के लिये मनुष्य वृक्षों को कितनी हानि पहुंचा रहा है, यह उसका ज्वलन्त उदाहरण है । पेड़-पौधे हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं । वे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं । हमारे धर्म और संस्कृति से उनका गहरा संबन्ध है । पूर्णिया में वृक्षों की कुछ स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा वेतहाशा कटाई की जा रही है । इससे वातावरण की जो हानि हो रही है उसकी कल्पना भी कठिन है । किसी समय पूर्णिया उपयोगी, मनोहर और आकर्षक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध था और इनसे उत्पन्न पुष्प और फल, जड़ी-बूटियां सुन्दर, मजबूत इमारती लकड़ी आदि जन साधारण के लिए हितकारी और सुख समृद्धि का साधन थीं आज पूर्णिया शुष्क पेड़ पौधों से वंचित वंजर जिला प्रतीत होता है । मैं पूर्णिया में वृक्षों की बिना हिचकिचाहट की जा रही कटाई पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार का सहयोग चाहती हूं । बुद्ध और महावीर की कर्मस्थली, बिहार प्रदेश की प्राकृतिक छटा और नैसर्गिक सौन्दर्य की रक्षा हम सब का पावन कर्तव्य हैं । मैं आशा करती हूं कि भारत सरकार इस दिशा में तुरन्त प्रभावशाली कार्यवाही करेंगी ।

विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक—जारी

सभापति महोदय : अब हम विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक लेते हैं। कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा नियत किये गये समय के अनुसार इस विधेयक के लिये केवल 25 मिनट शेष रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि वे सभी सदस्य, जो बोलना चाहते हैं, संक्षेप में बोलें। बहुत-सी बातों को दोहराया जा रहा है। इससे अन्य सदस्यों को अपने सुझाव और विचार देने का अवसर मिलेगा।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : मैं विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक का समर्थन करता हूं। निरसन के लिये पहले ही अनेक कारण दिये जा चुके हैं। इस अधिनियम के कार्यकरण से पता चल गया है कि इससे लोगों के विश्वास को बल नहीं मिला है।

मैंने यहां अनेक वक्ताओं के भाषण सुने हैं। वे कुछ मानदंड चाहते थे। वे यह जानना चाहते थे कि यह निर्णय करने का क्या मानदंड है "कि इस अधिनियम से पता चला है कि इससे लोगों के विश्वास को बल नहीं मिला है।" मैं उनको बताना चाहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी व्यापक जनपद से सत्ता में आई हैं। न केवल वह ही अपितु उनके सभी समर्थक भी सत्ता में आये हैं। यह तथ्य जान लेने के बाद भी वे तथ्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार लोगों ने विशेष न्यायालयों की संस्था के प्रति अपना विचार व्यक्त किया। यदि कोई आदमी सो रहा है तो हम उसे केवल जगा ही सकते हैं। परन्तु यदि कोई व्यक्ति यह बहाना करे कि वह सो रहा है तो हम उसे नहीं जगा सकते। यही दृष्टिकोण विपक्ष के सदस्यों का है। मुझे केवल उनकी अनभिज्ञता के लिये खेद है। इस विधेयक को श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अनेक समर्थकों को किसी न किसी तरह जेल में डालने के राजनीतिक बदले से लाया गया था।

मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी क्यों बनी ? वर्ष 1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव में हारने के बावजूद यह पार्टी सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार करने में कैसे सफल हुई ? मैं नेशनल हेरल्ड और इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित कुछ लेखों का भी उल्लेख कर सकता हूं। क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी का व्यक्तित्व उन लोगों की तरह साधारण नहीं है जिन लोगों ने गलतियां की हैं उन लोगों की भी क्षमा करने की भी उनके पास एक दैवी शक्ति है। क्या आप देश में शासन चलाने के लिए आए थे ? क्या आपने केवल कानून और नियम बनाने तक ही अपने विचारों को सीमित रखा था या आप समाज में कुछ परिवर्तन भी लाना चाहते थे ? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आप केवल श्रीमती इंदिरा गांधी को दोषी करार दे रहे थे। आप श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुयाइयों को दोषी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी गतिविधियां यहीं तक सीमित थीं। आप कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। यहां तक कि यहां पर बैठे हुए आपके कुछ वरिष्ठ नेता सत्ता पक्ष की सीटों पर इस समय भी गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, राष्ट्र की सेवा करने के लिए वे यहां पर नहीं बैठे हैं; आपका उद्देश्य यहीं तक सीमित है।

आपको जेलों में डालना बहुत आसान काम है। मैं आपके अनेक कारनामों को बता सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं आपको चुनौती देता हूं। आप ऐसा करते क्यों नहीं ? यह खुली चुनौती है। आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री ईरा अनबारासु : आपको मालूम है कितने सोने की नीलामी की गई थी और इसमें कितने लोग शामिल थे।

*जब देश के सोने की नीलामी की गई थी कितने लोगों ने इस लूट में हिस्सा लिया था और पैसा बटोरा था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन सब को माफ कर दिया। क्योंकि आपने लूट की श्रीमती गांधी ने क्षमा कर दिया। आज वह विश्व की सबसे बड़ी नेता हैं।

आज वे विश्व की सबसे बड़ी नेता इसलिए हैं क्योंकि उसने आपके द्वारा किए गए सभी अपराधों को क्षमा कर दिया है, इतना ही नहीं····

**जब ये लोग सत्ता में थे इन्होंने किस तरह हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया था ? क्या हमने कोई कार्यवाही की ?

जब श्री जगजीवन राम सत्ता में थे...

सभापति महोदय : कृपया इतने नामों का उल्लेख न करें। इस प्रकार आरोप लगाना और नामों का उल्लेख करना अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : माननीय सदस्य इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री ईरा अनबारासु : मैं उप प्रधान मंत्री श्री जगजीवन राम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ***यदि हम उनका मामला विशेष न्यायालय में ले गए होते तो उनका भविष्य क्या होता ? उनके साथ क्या हुआ होता ? वे जेल चले गए होते ? केवल इतना ही नहीं।

श्री सुधीर गिरि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : जब श्री ईरा अनबारासु बोल रहे हों उस समय व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न हर समय हो सकता है, व्यवस्था का प्रश्न उचित है या नहीं यही निर्णय करना मेरा काम है। सदस्य के वक्तव्य देते समय भी यदि वह कुछ असंसदीय बात कहता है तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

---

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सुधीर गिरि : वह ऐसा कुछ कह रहे हैं जो इस सदन के सदस्यों के प्रति असम्मानजनक है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के वक्तव्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत की जांच करूंगा और तदनुसार अपना निर्णय लूंगा।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : आपने कहा है कि यदि कोई आपत्तिजनक बात पाई गई तो उसे निकाल दिया जायेगा। यहां पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उस बात को भी हटा देंगे जो बिल्कुल उचित है। इसकी अनुमति आंख मूद कर नहीं दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आंख मूद कर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, मैं देखूगा। मान लिया जाय उन्होंने कुछ कहा हो और मैं उसे उस समय न सुन पाया हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या मोरारजी भाई एक असंसदीय शब्द है ?

सभापति महोदय : जो भी है, मैं कार्यवाही प्रथा की जांच करूंगा, यदि कोई बात असम्मानजनक पाई गई तो उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : आपने कहा है कि यहां पर किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। वह यहां पर किसी के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। यदि इस सदन का कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख करना चाहता है।

सभापति महोदय : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी के नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि नामों से आरोप मत लगाइए।

श्री सी० टी० दंडपाणि : इसे आरोपों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अवश्य। यदि आप आरोप लगाते हैं तो आप इस तरह नाप नहीं ले सकते।

आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

***श्री ईरा अनबारासु** : क्या हम इस मामले को विशेष न्यायालय को नहीं सौंप सकते थे। यदि हमने केवल आपके बनाए हुए कानून को ही लागू किया होता। अपने काफी बदला ले लिया होता। हमने ऐसा नहीं किया। हम ऐसा करना भी नहीं चाहते इसलिए हम इस अधिनियम को बदलना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं है।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जब जनता सरकार सत्ता में थी। तत्कालीन विदेश मंत्री और इस समय इस सदन के सदस्य विदेश गए थे। *आपको यह मालूम है।

(व्यवधान)

श्री ईरा अनबारासु : मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आप इस बात को जानते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें। माननीय सदस्यों को सदन की मर्यादा रखनी चाहिए। वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह सभी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें।

(व्यवधान)

मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूं।

श्री ईरा अनबारासु : यह स्वयं सिद्ध आरोप है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि जब भी आप इस सदन में बोलते हैं तो हर सदस्य को इस सदन की मर्यादा कायम रखनी चाहिए। आपने किसी के नाम का उल्लेख किया हो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार की बातों का उल्लेख कि एक भूतपूर्व मंत्री विदेश गए थे, मेरे विचार से अनुचित है। मैं पुनः कहता हूं कि यह बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जायेगी।

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस प्रकार की बातों का उल्लेख न करें। कृपया विधेयक के बारे में बोलें। अन्यथा आपका समय पूरा हो गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना कथन जारी रखें, अन्यथा मैं किसी अन्य सदस्य का नाम पुकारूंगा।

****श्री ईरा अनबारासु** : वे इस कानून को केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी को जेल में डालने के लिए लाए थे। मुझे उन्हें उनकी असलियत बताने का अवसर मिला है कि उनका इस कानून को लाने का एक मात्र उद्देश्य यही था। शाह आयोग जांच का कार्य नई दिल्ली के पटियाला हाउस के भीतर होता था। मर्यादा का यह तकाजा है कि ऐसी जांच का काम बन्द कमरे में हो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

और इसे सार्वजनिक रूप न दिया जाय। जनता पार्टी ने क्या किया ? उन्होंने पटियाला हाउस के बाहर लाउडस्पीकर और माइक फिट कर दिये थे और वहां से होकर गुजरने वाले हर लोगों को सुनाने के लिए जांच की सारी प्रक्रिया का प्रसारण किया जाता था। उन्होंने केवल श्रीमती गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए लाउडस्पीकर फिट किए थे। उन्होंने शाह आयोग जांच का इतना प्रचार किया था। ऐसा कौन करेगा ? क्या जिसका अपने देश के कानून में विश्वास है वह ऐसा करेगा ?

क्या जिसका सच्चाई और सत्य में विश्वास है वह ऐसा करेगा ? क्या कोई निष्कपट आदमी ऐसा करेगा ? क्या वे कोई जांच कर रहे थे ? नहीं। वे न्याय की खिल्ली उड़ा रहे थे। क्या उन्हें इस देश के उन कानूनों के बारे में पता नहीं था जिनके अनुसार सत्तासीनों को भी अपराध करने पर दण्ड देने का विधान है ? अब वही लोग कह रहे हैं कि यह कानून न्याय और ईमानदारी के हित में लाया गया था। वे यह कहानी किसके लिए गढ़ रहे हैं ? यदि अपराधी लोगों को दण्ड दिया जाना है तो हमारे पास अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता इत्यादि हैं। ऐसे काम के लिए मामले की शीघ्र सुनवाही करने हेतु उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। देश के वर्तमान कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं, इस प्रकार की व्यवस्था में जब ये लोग विशेष न्यायालय की आवश्यकता के बारे में जिरह करते हैं तो हमें उनके मन्सूबों के बारे में शंका होती है। वे श्रीमती इन्दिरा गांधी को दण्ड देना चाहते थे, वे कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहते थे। यही उनकी राजनैतिक विचारधारा थी।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि तमिलनाडु में ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिसने अपराध किया हो उसे क्षमा करना दैवी गुण है, सत्ता में रहते हुए जो अपराधी को क्षमा कर देता है वह महान है, ईश्वरीय है। मेरा कहना यह नहीं है कि सत्ता में रहने वाला व्यक्ति अपराध करे तो उसे क्षमा कर दिया जाय। उन्हें दण्ड देने के लिए देश के सामान्य कानूनों की शरण लेनी चाहिए।

मैं फ्रांसिस बेकन के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

"यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु से बदला न ले तो वह उससे श्रेष्ठ है।"

मैं एक स्पेनिश लोकोक्ति कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि :

"कोई भी बदला उस बदले से अधिक सम्मानजनक नहीं है जो कि नहीं लिया गया है।"

और इसलिए हमारी सरकार निरन्तर सम्माननीय बनी हुई है और श्रीमती इंदिरा गांधी निरन्तर सम्माननीय बनी हुई हैं और उन्हें लोगों का सम्मान प्राप्त है।

इसलिए, विशेष न्यायालय अधिनियम अनावश्यक है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसे रद्द किया जाए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, इसके पहले कि मैं अपने विचार रखूं, मैं स्पेशल कोर्ट ऐक्ट की कुछ धाराओं और प्रीऐम्बल की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके द्वारा यह बताया जा सके कि जो वर्तमान विधेयक विचाराधीन है और जिसके उद्देश्य और कारण बताए गए हैं, साथ-साथ मंत्री महोदय ने बिल को जिस समय मूव किया उस समय जो कारण बताए इस बिल को बनाने और लाने के वह कहां तक सत्य और तर्क के आधार पर खरे उतरते हैं। बार-बार एक बात कही जाती है कि केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी से राजनैतिक बदला लेने की दृष्टि से और उनको अपमानित करने के लिए, सजा देने के लिए वह कानून बनाया गया था, मैं समझता हूं कि यह सत्य से आंख मीचना है। अगर हम स्पेशल कोर्ट ऐक्ट 1979 के प्रीऐम्बल का चौथा भाग पढ़ें तो वह इस प्रकार है।

> "और जबकि सभी अधिकार एक न्यास के रूप में और उच्च सार्वजनिक अथवा राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करने के उन सभी मामलों में दंड के भागी हैं जिनमें जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त जांच आयोग अथवा सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों का पर्दा फाश किया हो।"

इसके पढ़ने के बाद यह कहना कहां तक ठीक है कि केवल श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए ही इस ऐक्ट को बनाया गया था ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आज पोलिटिकल पावर में है जिसके पास देश के हित में निर्णय करने का अधिकार है, सत्ता जिसके पास है, क्या उसको हम छुट्टी दे दें ? अगर किसी प्रकार का कोई अपराध वह करता है और कमीशन आफ एन्क्वायरी उसके लिए बैठायी जाती है या यह सरकार अपनी और एजेंसी के माध्यम से उसके खिलाफ अपराध पाती है तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम फ्री छोड़ देना चाहते हैं ? (व्यवधान) शाह कमीशन की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं जो राजस्थान से आएं हैं और बहुत बोलते हैं, मैं जानना चाहूंगा क्या वह कमीशन आफ एन्क्वायरी ऐक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं ? जब कमीशन आफ एन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 मौजूद है, उसके तहत एन्क्वायरी बैठायी जाती है और उसमें कुछ तथ्य जनता के सामने आते हैं तो क्या केवल आई-वाश करना ही हमारा काम है ?

यह कोई नया इतिहास नहीं है। कमीशन आफ एन्क्वायरी ऐक्ट के तहत अगर हम पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से लें तो उन्होंने स्वयं भी एन्क्वायरी करायी है डाक्टर मेहताब के खिलाफ, प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ, बख्शी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ। देश की जनता जानना चाहती है कि एन्क्वायरी के बाद, इतना खर्चा करने के बाद किसी आधार पर जो एन्क्वायरी बैठी थी, उस एन्क्वायरी के बाद जो तथ्य सामने आए उनके ऊपर सरकार ने क्या किया ? जब यह कहा गया और रेकार्ड किया गया कि ये भ्रष्टाचारी थे तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या केवल जनता की आंख को धोखा देने के लिए ही हम एन्क्वायरी कमीशन बैठाना चाहते हैं ? और यह क्यों भूल जाते हैं कि यही श्रीमती इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने कि सरकारिया कमीशन के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि के खिलाफ एन्क्वायरी बैठायी थी।

उसमें बदले की भावना नहीं थी ? वह एन्क्वायरी केवल इसलिये बैठाई गई थी कि उस समय वहां की रूलिंग पार्टी जो डी० एम० के० थी और जो उसके मुख्य मंत्री करुणानिधि थे, सत्ता दल जो केन्द्र में था उससे उनके सम्बन्ध ठीक नहीं थे। इसलिए आपने एन्क्वायरी बैठायी ....(व्यवधान).. एन्क्वायरी हुई और आप जानते हैं कि उस सरकारिया कमीशन ने दो तथ्यों के अन्दर यह सावित माना कि उसमें भ्रष्टाचार किया गया था। पंजाब और हरियाणा से जो गेहूं की खरीद की गई थी उसके बारे में कमीशन ने माना था और बाम्बे की फर्म को पेस्टिसाइड स्प्रे करने का जो ठेका दिया गया था, किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए—इन दोनों तथ्यों को कमीशन ने माना और इसी आधार पर जनता शासन काल में मुकदमे चलाए गए। फिर आज क्या बात हो गई ? केवल पोलिटिकल गेन के लिए, देश के हित को कोने में रखकर, उन मुकदमों को वापिस ले लिया गया, इसलिए कि डी० एम० के० से समझौता करना था।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मामला केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बाधा न डालिए। उन्होंने तो अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाया भी नहीं है। मैं निर्णय करूंगा।

श्री सी० टी० दंडपाणि : माननीय सदस्य ने कहा कि मामला केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था।

परन्तु यह केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया था।

श्री करुणानिधि पर कुछ आरोप लगाए गए थे। तदनुसार एक जांच आयोग गठित किया गया था। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाये थे वह स्वयं न्यायालय गया था और कहा कि जो कुछ उन्होंने आरोपों में कहा है वह झूठ था। अतः उन लोगों ने श्री करुणानिधि पर लगाए आरोप वापस ले लिए थे। न्यायालय ने उसे अनुमोदित किया था। न्यायालय को विश्वास हो गया था। याचिकादाताओं को मामला वापस लेने की अनुमति दे दी गई थी। केवल याचिकादाताओं ने ही मामला वापस लिया था न कि केन्द्रीय सरकार ने।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय सदस्य की भावनाओं को चोट पहुंची, इसका मुझे अफसोस है लेकिन जो तथ्य है वह देश के सामने है और जनता उनको जानती है।

सभापति जी, इमर्जेन्सी के समय में जबकि प्रेस की आवाज बन्द थी, उसकी कलम तोड़ दी गई थी, कोई भी आजादी के साथ अपने विचार नहीं रख सकता था तब, मैं जानना चाहता हूं राज्य सभा में संविधान संशोधन विधेयक क्यों लाया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया कि

राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री यदि कोई अपराध करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाए ? क्या आप विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जब संविधान में ऐसा संशोधन किया गया हो कि सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को, वह चाहे जो भी अपराध करे, उससे मुक्ति दे दी गई हो कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ?

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन आफ एन्क्वायरी ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत यदि कोई कमीशन विठाया जाता है और उसका जो भी निर्णय निकलता है उसके आधार पर अगर कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है और उससे कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी इसका डिस्पोजल कीजिए तो इसमें क्या अपराध है ? यह कहना कि यह केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये बनाया गया था, गलत है। स्पेशल कोर्टस ऐक्ट की जो धारायें हैं वह बिल्कुल स्पष्ट है। धारा (3) में स्पेशल कोर्ट बनाने का जिक्र किया गया है और धारा (5) में डेक्लेरेशन दिया जायेगा कि अमुक चीज जो पाई गई है उसके आधार पर स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। अतः बिना उपयोग में लाए हुए भी यह कानून सरकार के पास पड़ा रह सकता था। समझ में नहीं आता कि इसको रिपील करने के लिए इतना बड़ा विधेयक क्यों लाना पड़ा। ब्रिटिश काल के बने हुए कई कानून आज भी पड़े हुए हैं। अभी-अभी पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ ऐक्ट के बारे में बात-चीत हो चुकी है। उस समय के एक कानून के अन्तर्गत गांधी टोपी पहनना आज भी अपराध है। लेकिन उनको रिपल करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं जानबूझ कर इमरजेंसी की चर्चा को यहां पर लाने के लिए यह बिल यहां प्रस्तुत किया गया है। जितने भी विचार इस बिल के समर्थन में उस तरफ से रखे गए हैं वह सारे ही वर्बेटिम वही हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में रखे गए थे। मुझे डर है कि शायद आप उस तर्क के आधार पर यह साबित करना चाहते हैं कि इमरजेंसी काल का युग बहुत बढ़िया युग था, बहुत अच्छा युग था। यह डर इसलिए भी पक्का हो जाता है कि कीमतों के मामले में आज यह सरकार असफल है, कानून और व्यवस्था के बारे में असफल है। हरिजनों पर अत्याचार, आज पंजाब भभक रहा है, असम भभक रहा है और सरकार असहाय होकर इसको देख रही है। मुझे डर है कि इस चर्चा के माध्यम से जनमानस की भावना का कोई षड्यन्त्र न रचा जा रहा हो। देश के ऊपर दोबारा इमरजेंसी लादने की कोशिश न की जा रही हो।

सभापति महोदय, अन्त में मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज जीवन का मान्य बिन्दु बदल रहा है। राजनीति में रहने वाले कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ नेता — उनके बारे में किस प्रकार की धारणा जनमानस के अन्दर बन रही है, उस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। सरकार क्या लोकपाल बिल लाने जा रही है—यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ? सत्ता में या विरोध में जो इस प्रकार के लोग हैं, राजनीतिक नेता हैं, जिनके बारे में आरोप लगाते हैं, लगाए जा सकते हैं कि कोई इससे मुक्त नहीं है। इन लोगों को कटघरे में खड़ा करने के लिए, जनता के सामने उनकी असली तस्वीर रखने के लिए आप कौन सा कानून लाने जा रहे हैं ?

मैं इस बिल का विरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन इस बिल में कोई भी संशोधन करना है या कवरेज स्कोप बढ़ाना है तो उसको संशोधन के द्वारा ला सकते थे ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, स्पेशल कोर्ट बिल, 1979 के रिपील के लिये यह बिल जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

इस बिल के अन्दर जो उद्देश्य दिए गए हैं, वे विस्तारपूर्वक नहीं है, परन्तु इसकी भावना से मैं सहमत हूं और मैंने अच्छी तरह से इस बिल का अध्ययन किया है । स्पेशल कोर्ट बिल, 1979 के पैराग्राफ-1, 2, 3 से स्पष्ट है कि प्रोक्लेमशन आफ इमरजेंसी, जो 25 जून, 1975 को जारी किया गया था और उस सम्बन्ध में जितने भी मामले हैं, उनकी जांच करने के लिए विशेष तौर से इसके उद्देश्य हैं । यद्यपि, उद्देश्य के बारे में जैसा कि अभी श्री गोयल ने जो जिक्र किया है, वह भी इसमें प्रोवीजन है । इमरजेंसी के अलावा जो दूसरे सार्वजनिक नेता हैं, उनके विरुद्ध भी इसमें प्रावधान है, लेकिन जो प्रीएम्बल है वह बदले की भावना को लेकर है । और विशेष तौर से इमरजेंसी के मामले की हैं । इसलिये यह कानून डिस्क्रिमिनेटरी है । जब डिस्क्रिमिनेटरी है, पक्षपातपूर्ण है, तो उससे कोई भी न्याय नहीं मिल सकता है । हमारे जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका चरित्र उज्ज्वल हो और वे कोई भी करप्ट प्रेक्टिस करते हों तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये । यह बहुत ही आवश्यक है । इस संबंध में भी श्री योयल ने लोकपाल बिल के बारे में कहा है । हमारे राजस्थान में लोकपाल बिल पास होकर ऐक्ट के रूप में परिवर्तन हो गया है । मैं यह चाहता हूं राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल बिल वापिस आना चाहिए और एक्ट के रूप में परिवर्तित होना चाहिए । 1967 में हमारी कांग्रेस सरकार लोकपाल बिल लाई थी लेकिन वह स्वीकृत नहीं हुआ । 1977 में जनता पार्टी की सरकार लोकपाल बिल लाई वह सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, लेकिन सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत भी नहीं हुई थी कि जनता सरकार चली गई और वह भी स्वीकृत नहीं हुआ । मैं चाहता हूं कि हमारा सार्वजनिक जीवन सच्चा हो, अगर हम भी कोई अनुचित व्यवहार करते हों, हमारा कोई मिसकन्डक्ट हो, हमारा जीवन भ्रष्टाचार से भरा हुआ हो तो उसके लिये हमारे विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिये तथा प्रजातन्त्र में जनता को यह कहने का अवसर नहीं होना चाहिये कि हमारे किसी बड़े पद पर आने से हमारे विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, मुख्य मन्त्री के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, मंत्रियों के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता । पार्लियामेंट के मेम्बरों के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता । मैं चाहता हूं कि इस सदन में अगले बजट सेशन के अवसर पर इस प्रकार का बिल प्रस्तुत किया जाये । हमें हिन्दुस्तान की जनता को बतला देना चाहिये कि हम भी यदि कोई अपराध करेंगे तो हमारे विरुद्ध भी, जैसे किसी साधारण व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही होती है, वैसी ही कार्यवाही हुआ करेगी ।

आज जिस भावना से इस बिल को बनाया गया है कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल हो, मेरी दृष्टि में इस कार्य से कोई स्पीडी ट्रायल नहीं होगा। सबसे पहले तो जज की एप्वाइन्टमेन्ट का मामला ही रिट-पेटीशन में जायेगा और उसमें काफी टाइम लगेगा। उसके बाद जब जज की नियुक्ति हो गई तो उसमें यह स्थिति पैदा हो सकती है कि उस जज की स्थिति क्या होगी। अगर वह ट्रायल करेगा तो सेशन के जज की सी पोजीशन होगी जिसको हाई कोर्ट का जज पसन्द नहीं करेगा। वह नहीं चाहेगा कि सेशन कोर्ट के जज के अनुसार ट्रायल करूं, एविडेन्स लूं और ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का जज इंकार कर सकता है। चूंकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट को जजेज की एप्वाइंटमेंट का अधिकार होगा, तो उसके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें अधिक खर्च करना पड़ेगा। आज भी बहुत से राज्यों में यह स्थिति है कि हाईकोर्ट के जजों की बहुत सी पोस्टें वेकेंट पड़ी हैं और ऐसी स्थिति में जांच करने के लिये जज का प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कानून में प्रावीजन है—"सिटिंग-जज" होना चाहिये, जब पहले ही बहुत सी पोस्टें वेकेन्ट हैं तो सिटिंग-जज कहां से लायेंगे। हाई कोर्ट के जज को मुकर्रिर करने के लिये चीफ जस्टिस की राय चाहिये, चीफ मिनिस्टर की राय चाहिये इन सब बातों को देखते हुए हाई कोर्ट के जज को मुकर्रिर करना बहुत कठिन होगा।

एक कठिनाई यह भी है कि जो एविडेंस होगा वह राज्य की राजधानी में होगा या जहां पर हाईकोर्ट की बेंच होगी वहां होगा या जहां पर हाईकोर्ट स्टैण्ड करती है, सिटिंग है, वहां पर होगा। इसलिये यह जो प्रोसीजर है—किसी भी तरीके से स्वीडी ट्रायल में मदद नहीं कर सकेगा। मेरा सुझाव है कि जो सार्वजनिक नेता हैं, उनके जो भी अपराध हैं उनको आर्डिनरी कोर्ट्स में डिसाइड किया जा सकता है। कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट के अन्दर जांच करने के बाद जो जुर्म साबित होते हैं, वे चाहे कितने बड़े से बड़े आदमी के हों, उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। इमर्जेन्सी में शाह कमीशन मुकर्रर किया गया और दूसरे जो कमीशन मुकर्रर किये गये, वे पक्षपातपूर्ण किये गये और वे जो जांच कर रहे थे वे इस प्रकार की जांच कर रहे थे, जिस से पक्षपात बिलकुल स्पष्ट झलक रहा था। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि इमपार्शल जांच हो, इन्डिपेंडेंट तरीके से जांच हो और जांच होने के बाद जो भी एक्शन हो, बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ एक्शन हो, वह सही तरीके से हो।

इन भावनाओं के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, स्पेशल कोर्ट के प्रावधान को खत्म करने की जो साजिश की जा रही है, मैं इसका विरोध करता हूं।

अभी जो आधार बताए गए, जिनकी बुनियाद पर इनका कहना है कि इस कानून को खत्म होना चाहिए, उनमें पहली बात जो इन्होंने कही है वह यह है कि जनता के बीच इस कानून के प्रति उत्साह नहीं जग सका। आप जानते हैं कि मौजूदा कांग्रेस सरकार का, इस बार जब से गद्दी पर आई है, पहली बार जनता की ओर ध्यान गया है, ऐसा मुझे लगता है। सच्चाई यह है कि ढाई वर्षों की हुकूमत में इन्होंने इस लोक सभा से ऐसे ऐसे कानून पास करवाए हैं,

जिनका हिन्दुस्तान की जनता ने जम कर विरोध किया है। पार्लियामेंट के अन्दर बूट मेजोरटी के आधार पर और खुद अपने मेम्बरों की कान्सेंस को दबा कर, व्हिप जारी कर, आपने ऐसे कानून पास करवाए हैं, जिनका यूनाइटेड अपोजीशन ने जो अपोजीशन पार्टीज के मेम्बर है उन्होंने सख्त विरोध किया। उसको पास करवाने के लिए लोक सभा का ऐतिहासिक सैशन हुआ और इसके बाहर आम जनता ने लाखों-लाखों की तादात मे आकर वोट क्लब के सामने आपके उन घृणित प्रयत्नों का विरोध किया जो जनता के जनवादी अधिकारों को अब कानून के जरिये छीनना चाहते थे। चाहे वह एसमा हो या नेशनल सेक्यूरिटी एक्ट के रूप में हो, पूरे देश के अन्दर आम जनता ने एक मत से उसका विरोध किया और आपने उसकी परवाह नहीं की। आज आप कहते हैं कि जनता ने इस कानून के प्रति उत्साह नहीं दिखाया। बात ऐसी नहीं है। ढाई वर्षों के बाद आप यह सवाल आज उठाते हैं और उसमें पालीटीकल मोटीवेशन की बात आप लाते हैं। आज स्थिति क्या है। यह सही है कि 1980 में आपको हिन्दुस्तान की जनता ने विशाल बहुमत दिया और आपके बहुत से संसद सदस्यों को यहां चुनकर भेजा। यह बात सही है लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। पिछले चुनावों के जो नतीजे आए हैं, हवा बता रही है कि जनता आपके खिलाफ हो रही है। आपके जो कारनामे हैं, शासन चलाने का जो आपने ढंग रखा है, राजनीतिक जीवन में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, आम लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं चाहे वह महाराष्ट्र के पुराने मुख्य मंत्री का सवाल हो, हमारे बिहार राज्य के मुख्य मंत्री का सवाल हो और चाहे दूसरा ऐसा कोई सवाल हो। अभी डीजल के सिलसिले में पार्लियामेंट के अन्दर कई दिनों से जो बहस हो रही है, उसमें जो गोलमाल की बात कही जाती है और आम तौर पर जो भ्रष्टाचार आप बढ़ा रहे हैं, एक से एक कुकर्म किया जा रहा है, आपको इस बात का खतरा है कि इस कानून के रहने से कहीं बाद में आप इसकी जद में न आ जाएं। आप इस कानून के बनने के समय की जो पोलटिकल मोटिवेशन की बात कहते हैं वह बात सही नहीं है। बल्कि आज आप पोलिटिकल्ली मोटिवेटिड हो करके इस कानून को समाप्त करने की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आप लोगों से भी जब प्राइवेट मे, अलग से बात होती है तो आपके दिल में दूसरी बात पायी जाती है। आपके दल में जो गड़बड़ी चल रही है, उसमें किस स्थिति में आपका दल चल रहा है। कांग्रेस के अन्दर जो ईमानदार लोग हैं वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और जो लोग गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करते हैं उनके बारे में जिस तरह से सारे देश में चर्चा चल रही है, उस चर्चा को भी वे सुनते हैं और अलग से उसकी आपस में चर्चा करते हैं (व्यवधान) यह ठीक है कि उसकी चर्चा आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर न करें।

सभापति जी, यह कहा गया कि इन्दिरा गांधी दैवी शक्ति सम्पन्न हैं और उनको राजनीतिक विद्वेष से परेशान करने के लिए यह बिल लाया गया था। अब श्रीमती इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री हैं। आज सवाल यह नहीं है कि यह कानून किस ने बनाया, सवाल यह है कि क्या कानून किसी एक व्यक्ति के लिए बनता है ?

1980 के बाद से हमारे देश के अन्दर मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। चाहे वह असम का सवाल हो, चाहे खालिस्तान का सवाल हो, चाहे देश के अन्दर ला एण्ड आर्डर का सवाल हो, चाहे देश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगों का सवाल हो, चाहे औरतों पर बलात्कार का सवाल हो, हरिजनों पर देश के अन्दर जो जुल्म हो रहे हैं चाहे उसका सवाल हो, ये सारे सवाल और समस्याएं देश के अन्दर विद्यमान हैं। इसके साथ ही देश के अन्दर गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये जो सारी समस्याएं और सवाल हैं, यदि आपकी श्रीमती इन्दिरा गांधी दैवी शक्ति हैं तो आज इन सवालों और समस्याओं को हल करने के लिए उनकी दैवी शक्ति क्यों नहीं काम कर रही है ?

आये दिन राज्यों में तरह-तरह के अपराध होते हैं। उसके लिए जांच कमीशन बहाल होते हैं और उनके बाद जो नतीजे निकलते हैं वे हम सब को अच्छी तरह मालूम हैं। इस कानून के रहने से, निश्चित तौर पर हर तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलती है। आपने इस कानून को कभी इस्तेमाल में लाने की कोशिश नहीं की। आप इसको एक षड्यन्त्र मान कर समाप्त करने की बात कर रहे, इसलिए मैं इसकार विरोध करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर राज्य सभा में बहुत लम्बी चर्चा चली थी और इसे पारित कर दिया गया था। इसलिये, मैं कुछ टिप्पणियों के साथ स्वयं को इस विधेयक की सीमा में ही रखूंगा। महोदय, आपको याद होगा कि मूल विधेयक 1978 में लाया गया था और भारत के राष्ट्रपति ने इस मामले को अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को भेज दिया था और उच्चतम न्यायालय ने समवर्ती सूची 11-क और संविधान के अनुच्छेद 246 (2) के अधीन हमारी न्यायिक प्रणाली और परम्परा में ऐसे न्यायालय की वैधता का अनुमोदन किया था। इसलिए, इस अधिनियम की वैधता का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु हम यहां और राज्य सभा में जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह हमारे देश की न्यायिक प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण और पावन है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए क्या मैं आपका और सभा का ध्यान 1979 के इस अधिनियम के शीर्षक, प्राक्कथन और कारणों और उद्देश्यों के वक्तव्य पर दिला सकता हूं। इसके अनुसार :

> "संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 25 जून, 1975 को जारी की गयी आयात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान उन व्यक्तियों द्वारा, जो देश में ऊंचे सार्वजनिक या राजनैतिक पद धारण किए हुए थे, और अन्य व्यक्ति जो अपराध के किए जाने से संसक्त थे।"

मुझे नहीं पता कि श्री गोयल ने इस पहलू पर अपने दिमाग से काम लिया है कि नहीं कि इस विधेयक में दिए गए अपराध केवल 27 फरवरी 1975 से आपातकाल के समाप्त होने तक की अवधि तक सीमित थे। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हमारी सांविधिक पुस्तक में ऐसा कानून बनाना ठीक और उचित और विवेकपूर्ण है ? मैं कहता हूं नहीं। तब कृपया पैरा 2 को देखिए

जो बहुत स्पष्ट करता है कि तत्कालीन सरकार का अनिष्टकारी और विकृत उद्देश्य संसदीय प्रजातन्त्र के स्वस्थ संचालन को नष्ट करना था। मैं उद्धृत करता हूं :

> "संसदीय प्रजातन्त्र की संस्थाओं का सुचारु रूप से कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे अपराधों के किए जाने के बारे में न्यायालय द्वारा अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक निर्णय हो।"

क्या यह सच नहीं है कि यह विधेयक राजनीतिक दलों और नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए लाया गया था ? इसीलिए हम जोर देते हैं कि उसका उद्देश्य विकृत और अनिष्टकारी था और इसलिए इस अधिनियम को बहुत पहले रद्द कर दिया जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि किन कारणों से वर्तमान विधेयक को पहले नहीं लाया गया था। तत्कालीन सरकार आपातकाल के एकमात्र इस पहलू से ही स्वयं को सीमित क्यों रखती है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्योंकि अपातकाल गैर-कानूनी था।

श्री जेवियर अराकल : यह गैर-कानूनी नहीं था। क्या मैं आपको शाह आयोग के प्रतिवेदन का हवाला दूं ? प्रक्रिया गैर-कानूनी और मनमानी थी और इसीलिए हमने उस प्रकार की प्रक्रिया का विरोध किया था। अब महोदय, आपातकाल का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने यह कहा था :

> "इस उच्च और एक मात्र स्तर से इस विधेयक को नैतिक रूप से असफल हो जाना चाहिए क्योंकि यदि यह गैर आपातकाल के उन अपराधियों को छूट देता है, जिनके बारे में आयोग प्रतिवेदनों से पूर्व, जो अब कार्यालयों में बन्द पड़े हैं, साक्ष्य थे।"

इसलिए, जहां तक न्यायिक प्रणाली का संबंध है, उस अवधि के अपराधों के सम्बन्धों में यह अधिनियम अवांछनीय और गैर-कानूनी है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इस पहलू पर जोर क्यों दे रहा हूं क्योंकि इस निरसन विधेयक के केवल दो खंड है और उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में एक पहलू यह दिया गया है :

> "इसके अतिरिक्त यह अभियोजनों को शीघ्र पूरा करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा।"

इस संबंध में मैं सरकार से एक न्यायिक प्रणाली तैयार करने का आग्रह करता हूं जिसमें किसी भी अपराध की शीघ्र सुनवाई हो सके। जहां तक अपराधों का संबंध है, पुरानी धारणा और प्रक्रिया आश्चर्यजनक ढंग से बदल गई है। हम अभी भी पुरानी प्रक्रिया से चिपके हुए हैं। इसलिए मेरा प्रथम निवेदन यह है कि प्रक्रिया के मामले में हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली के अनुसार सरकार को एक आधुनिक न्यायिक प्रणाली लाने में पहल करनी ही चाहिए। अनेक लोग जेलों में न्याय के लिए तरस रहे हैं। इसलिए, सरकार का प्रथम कर्त्तव्य एक निष्पक्ष

न्यायिक प्रणाली तैयार करना है जो सभी संबंधित व्यक्तियों को न्याय देगी। इसलिए, इस निरसन विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में इस सभा में भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बशर्ते कि आप यह विश्वास दिलाएं कि आप कभी भी पुनः आपातकाल घोषित नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : डा० स्वामी, मैं आपातकाल का समर्थन करता हूं। विपक्ष ने हमारी न्यायिक प्रणाली में ऐसे विकृत कानून की मूर्खता और गलती को महसूस किया है और इसलिए मैं उनसे इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन देने का आग्रह करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, जिन दिनों यह विशेष न्यायालय विधेयक सभा में लाया गया था तब जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया था उनका आज बहुत ही दुःखद अनुभव है। वह उत्तेजना, वह जिज्ञासा, वह रहस्य अब नहीं है। विशेष न्यायालय विधेयक आपातकाल में ज्यादतियां करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए नहीं बनाया गया था। स्वयं आपीतकाल पर पहले ही मुकदमा चला था क्योंकि 1977 में जनता की अदालत ने उसे दण्ड दिया था। विशेष न्यायालय विधेयक कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लाया गया था। यह उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिये लाया गया था जिन्होंने आपातकाल के दौरान राजनैतिक अधिकारों का दुरुपयोग किया था। मैं उस ओर बैठे अनेक माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था। मैं एक बात पूछना चहता हूं। क्या आपने उस समय आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था ? आप मुझे ईमानदारी से बताएं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री ए० के० राय : आपने उसका समर्थन नहीं किया था। अब आप ऐसा केवल अधिकारिक तौर पर कह रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी हां, हमने इसका समर्थन किया था।

श्री ए० के० राय : महोदय, वे ऐसा अधिकारिक तौर पर कह रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है परन्तु निजी तौर पर या वास्तब में नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। यदि आप आपातकाल की कार्यवाहियों को अनुमोदित करते हैं, तो आप 42वें संशोधन विधेयक की उन विशाल धाराओं को पुनः क्यों नहीं ला रहे हैं, जिहोंने प्रधान मंत्री और अन्यों को उन सभी अपराधों से दोष मुक्त कर दिया था ? आप वे चीजें नहीं ला रहे हैं। हमने संविधान में संशोधन किया और संविधान में आपातकाल से संबद्ध उपबन्धों के अधीन कुछ विशेष परिवर्तन किये। आप उसे उलट नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आन्तरिक रूप से आप

भी यह सोचते हैं कि आपने आपातकाल के दौरान कुछ गलत काम किया था। आज आप उसे स्वीकार करने से डरते हैं।

महोदय, जनता सरकार ने विशेष न्यायालय विधेयक लाने में दो वर्ष का समय लिया था और कांग्रेस (इ०) सरकार ने भी निरसन विधेयक लाने में दो वर्ष का समय लिया है। जब विशेष न्यायालय विधेयक लाया गया था उस समय मैं सभा में उपस्थित था और मैं उनमें से था जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। मैंने विशेष न्यायालय विधेयक का समर्थन नहीं किया था। श्री वेंकट सुब्बया को सम्भवत: इस बात की याद हो। परन्तु फिर भी मैं इस निरसन विधेयक का भी समर्थन नहीं करता हूं। मैं इस विधेयक में संशोधन करना चाहता हूं ताकि हम उन सभी लोगों पर मुकदमा चला सकें, जिन्होंने उच्च पदों पर रहते हुए अपने राजनैतिक अधिकारों का दुरुपयोग किया था। हमारा मन्तव्य यह था और हम यही चाहते थे। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे उन अनेक मित्रों, जो अन्यथा तत्कालीन सरकार से यत्री भाव नहीं रखते हैं, का मतव्य और उद्देश्य इसका निरसन करना नहीं है, इसे प्रतिबंधित करना नहीं है, इसे समाप्त करना नहीं है बल्कि इसे विस्तृत बनाने का है, इसे बढ़ाने का है और इसमें परिवर्तन लाने का है और इसे संशोधित करने का है। यह हमारा उद्देश्य था। आप जानते हैं कि किसी भी विधेयक को, चाहे वह सांविधिक पुस्तक में सम्मिलित किया गया हो या नहीं, वो मानदंडों पर निर्भर होना चाहिए।

उन्होंने अनेक संशोधन पेश किए। उच्चतम पदों पर आसीन लोगों पर मुकदमे दायर क्यों नहीं किए जा सकते और उनकी राजनैतिक नैतिकता संदिग्ध क्यों नहीं हो सकती? विशेष न्यायालय अधिनियम का मूल उद्देश्य उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना है।

हम जानते हैं कि आजकल सामान्य न्यायालयों में हर बात में विलम्ब होता है, विशेष रूप से राजनैतिक रूप से शक्तिशाली लोग अपने मामलों में जितना विलम्ब कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा है कि यदि आप कोई मुकदमा चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना उत्तराधिकारी तय कर लें। ताकि आपकी मृत्यु के बाद वह मुकदमे को जारी रख सके, न्याय और कानून के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुयी है, इसलिए हर समय और जब भी आवश्यकता पड़े विशेष न्यायालय गठित किए जाने चाहिए।

इस सम्बन्ध में, जब श्री वेंकटरामन विशेष न्यायालय विधेयक पर बोल रहे थे, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। वह इस समय कार्यकारी गृह मंत्री हैं और श्री वेंकट सुब्बया उनकी सहायता कर रहे हैं। मैं श्री वेंकट सुब्बया से अनुरोध करता हूं कि 9 मार्च 1979 को इस सदन में जब श्री वेंकटरामन विशेष न्यायालय विधेयक पर अपना संशोधन पेश कर रहे थे, उस समय उन्होंने जो कहा था उस पर वह गौर करें।

सबसे पहले इसकी संवैधानिक और कानूनी वैधता का प्रश्न है। जैसा कि अनेक मान-

नीय सदस्यों ने भी कहा है कि धारा 143 (1) के अंतर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था और इसकी संवैधानिक वैधता की जांच की गई थी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उसके बाद संविधान की धारा 14 के अंतर्गत कानून के सामने समानता के बारे में विशेष और मुद्दे की जांच की गयी थी और इसे लाया गया था। इसलिए इस अधिनियम की वैधता और संवैधानिकता पर कभी शंका प्रकट नहीं की गई। वह परखी हुयी थी।

दूसरी बात यह है कि अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई नहीं है, इसे लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है। यह तीन लाइनों का विधेयक है जिसमें दो खण्ड हैं तथा उद्देश्यों और कारणों के बारे में इसके लिए छः लाइनों का वक्तव्य है। उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में यह कहा गया है।

> "विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 को विशेष श्रेणी के अपराधों को तेजी से निबटाने के मूल उद्देश्य से लागू किया गया था। अधिनियम के कार्यकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे जन समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया है.....।"

इसे कहां परखा गया। विशेष न्यायालय स्थायी न्यायालय नहीं है। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जांच आयोग द्वारा कुछ तथ्यों का पता लगाने के बाद सरकार के पास अधिसूचना जारी करके विशेष न्यायालय गठित करने का अधिकार है। विशेष न्यायालय अधिनियम जारी करने के बाद जनता सरकार समाप्त हो गई और जब से यह सरकार सत्ता में आई है वह इस बारे में बहुत सावधानी से काम कर रही है, कि यह सरकार विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी नहीं देगी। इसलिए विशेष न्यायालयों के कार्यकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह अधिनियम के संविधान पुस्तक तक सीमित रह गया है। आखिरकार, जब तक सरकार विशेष न्यायालय गठित नहीं करती, उनके कार्यकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में उल्लिखित कार्यान्वयन सम्बन्धी कठिनाइयां, कार्यकरण संबंधी कठिनाई का प्रश्न बिल्कुल असंगत और असत्य है।

अब मैं इस अधिनियम की राजनैतिक नैतिकता पर बात करता हूं, जब पहली बार इस की राजनैतिक नैतिकता पर चर्चा हुयी थी तब भी इस पर संदेह प्रकट किया गया था और हमने इस पर शंका प्रकट की थी। यहां तक कि उस समय विधेयक के उद्देश्य पर शंका प्रकट की थी और यह कहा गया था कि यह विशेष व्यक्ति के लिए लाया गया है। लेकिन इसके लिए संशोधन रखे गए थे। उस समय वहां पर श्री वेंकट सुब्बया भी थे और दूसरे कांग्रेसी लोग भी थे। उस समय किसी ने भी न्यायालय अधिनियम के मूल उद्देश्यों के बारे में विरोध प्रकट नहीं किया था।

कुछ माननीय सदस्य गण : नहीं, नहीं।

श्री ए० के० राय : वे केवल इतना चाहते थे कि विधेयक में किसी के प्रति भेदभाव न हो। यह किसी विशेष समय, विशेष प्रकार के अपराधों और किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित न रहे। अपना संशोधन रखते समय उन्होंने कहा था :

"यह सबको मालूम है कि अतीत में सार्वजनिक जीवन और उच्च पदों पर काम करने वाले लोगों ने अपराध किए हैं और यह भी हर आदमी जानता है कि सार्वजनिक जीवन में और सरकारी उच्च पदों पर आसीन लोग अपराध करते हैं और कर रहे हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं हैं कि भविष्य में सार्वजनिक जीवन में और सरकारी उच्च पदों पर बैठे लोग इस प्रकार के अपराध करते रहेंगे। इसलिए यदि आप सार्वजनिक जीवन में पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बरती जाए, तो यह जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा कानून हो जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में भी सार्वजनिक जीवन और सरकारी उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यदि प्रथम दृष्ट्या सबूतों से यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार का अपराध किया गया है तो उस समय दोषी पाए गए व्यक्ति की स्थिति का लिहाज किए बिना, इस प्रकार के अपराध के लिए दोषी व्यक्ति, जो इस प्रकार के अपराधों के लिए दोषी पाया गया है, पर अभियोग अवश्य चलाया जाना चाहिए और प्रथम दृष्ट्या सबूत हमेशा जांच के बाद पेश किए जाएँगे। हम इस प्रकार का कानून लाना चाहते हैं।"

महोदय, वह क्या कह रहे हैं ? अब, सदस्यगण मंत्री बन गए हैं और सदस्यगणों के उद्देश्य और विचार भी मंत्री बनने के बाद बदल गए हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : राय साहब, आप कब मंत्री बनेंगे ?

श्री ए० के० राय : महोदय, भगवान का लाख-लाख शुक्रिया। मैं यह कहना चाहता हूं उस दिन आप इस कानून में क्षेत्र का विस्तार करने, बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने और संशोधन करने के बारे में वकालत कर रहे थे और आज आप इस कानून को निरस्त करना चाहते हैं। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को भय क्यों लग रहा है ? महोदय, यह एक मुद्दा है, क्योंकि अभी कल ही हमने इस तेल सम्बन्धी विषय पर चर्चा की थी जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वह निर्णय-त्रुटि थी अथवा कोई घोटाला था, अथवा वह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि गंगोत्री प्रदूषित है तो गंगा पवित्र नहीं रह सकती। अब, गंगोत्री क्या है ?, गंगोत्री क्या है ?

एक माननीय सदस्य : आप दोहरा क्यों रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : हां, मैं दोहरा रहा हूं। गंगोत्री कोई व्यक्ति नहीं है। जनता पार्टी महसूस करेगी कि गंगोत्री से अभिप्राय इंदिरा गांधी है; कांग्रेस महसूस करेगी कि गंगोत्री से अभिप्राय मोरारजी देसाई है और कुछ लोग जैसे कि कुछेक माननीय मित्र व्याख्यान दे रहे थे

चरण सिंह अथवा कई अन्य सदस्य, कह रहे थे कि गंगोत्री राजनैतिक भ्रष्टाचार है। इसी राजनैतिक भ्रष्टाचार से आर्थिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार जन्म लेता है। अतः यदि आप उच्च नैतिकता बनाए रखना चाहते हैं, प्रशासन का स्तर ऊंचा रखना चाहते हैं तो आपको विशेष न्यायालय रखने होंगे। आपके पास विशेष साधन होना चाहिए। अतः महोदय, विशेष न्यायालयों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

जनता पार्टी के लोगों की यह परम्परा थी कि वे उचित कार्यों को अनुचित ढंग से करते थे और कांग्रेस पार्टी के लोगों की यह परम्परा है कि वे अनुचित कार्यों को उचित ढंग से करते हैं। जनता और कांग्रेस में यही अन्तर है। एक उचित कार्य करता है, उनका राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का लक्ष्य अच्छा था। लेकिन इसकी प्राप्ति का उनका ढंग कुछ ऐसा था जिससे यही अर्थ निकलता है कि उन्हें कुछ लोगों को मात्र दंड देना है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस दो पंक्तियों के विधेयक को लाए हैं लेकिन इसका उद्देश्य एक स्थायी लाइसेंस देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ए० के० राय : महोदय, एक मिनट। मैं एक मिनट···को दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकट सुब्बया ?

श्री ए० के० राय : जी, हां। और एक मिनट आपको महोदय। इस विधेयक के निरसन से क्या आप आपातकालीन युग के हर कृत्य को मिटा सकते हैं ? क्या यह संभव है ? मेरे विचार से, यदि कोई व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में अथवा कभी कोई गलत कार्य करता है तो लोग को चाहिये कि वे उसे छिपायें नहीं। लोग उसे मिटायें नहीं। वे वैसे ही रहने चाहिये ताकि भविष्य के लिये वे एक चेतावनी हों। यही कारण है कि यह विधेयक एक चेतावनी के रूप में बना रहना चाहिये—कांग्रेस के लिये भी और जनता के लिये भी—कांग्रेस को आपातकाल लागू करने तथा अपराध करने की चेतावनी के रूप में तथा जनता को भूतपूर्व प्रधान मंत्री को दण्ड देने के सिवाए बाकी हर चीज को छोड़ देने की चेतावनी के रूप में यह प्रावधान उस विशेष न्यायालय विधेयक में था जिसे फिर उस पक्ष से इस पक्ष में लाया गया था। अतः मैं यह चाहता हूं कि विशेष न्यायालय कांग्रेस (इ) तथा जनता पार्टी दोनों के लिए एक चेतावनी के रूप में रहने चाहिएं।

श्री के० टी० कोसल राम (तिरुचेंडूर) : महोदय, मैं विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि सातवीं लोक सभा के प्रथम सत्र में मैंने विशेष न्यायालय अधिनियम को समाप्त करने के लिये एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया था। श्री वेंकट सुब्बया ने उस समय मुझे आश्वासन दिया था कि सरकार इसी तरह का विधेयक प्रस्तुत करेगी। अतः मैंने अपने विधेयक को वापस ले लिया।

जनता पार्टी के मेरे एक मित्र ने कहा कि यह अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है जिसके अधीन किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, आदि, आदि। लेकिन 1979 के

विशेष न्यायालय अधिनियम में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह "संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई दिनांक 25 जून, 1975 की आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन के दौरान किये गए ऐसे अपराधों के लिये है"।

पिछले अधिनियम में केवल एक ही विशिष्ट प्रयोजन था, अर्थात् श्रीमती गांधी को राजनीतिक दृष्टि से समाप्त करना। केवल उसी प्रयोजन के लिये वह विधेयक लाया गया था। उस समय, मैंने इसका जोरदार विरोध किया था। यह कहा गया था कि कांग्रेस की ओर से किसी भी सदस्य ने उस समय इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन मैंने इसका जोरदार विरोध किया था तथा अन्य सदस्यों ने भी इसका विरोध किया था। और मैं जीवित हूं तथा इस सभा में उपस्थित हूं।

उस विधेयक का आशय श्रीमती गांधी को राजनीतिक दृष्टि से समाप्त करना था। उस विधेयक को जनता पार्टी के सदस्यों ने बड़े उल्लास से पारित किया था। विपक्ष की ओर से उस समय मैंने इसका विरोध किया था। जनता पार्टी का यह दुर्भाग्य था, और हमारी पार्टी का सौभाग्य था कि जनता पार्टी उसी कबर में गिरी जो उसने श्रीमती गांधी के लिये खोदी थी। यह उसी अधिनियम का परिणाम है। उस विधेयक को पारित करते समय जनता पार्टी के जितने भी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, सबने श्रीमती गांधी के नाम का एक अथवा दो बार नहीं, बल्कि सौ बार उल्लेख किया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह एक दैवी व्यक्ति है, और इसलिये उन्होंने उसका नाम इतनी अधिक बार लिया।

श्री के० टी० कोसल राम : मेरी नेता श्रीमती गांधी ने कभी किसी व्यक्ति का नामोल्लेख नहीं किया। मेरे मित्र श्री अनवारासु ने कतिपय नामों का उल्लेख किया। मेरी नेता श्रीमती गांधी ने इन ढाई वर्षों के दौरान कभी भी श्री मोरारजी देसाई अथवा श्री चरण सिंह के नामों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवल जनता पार्टी की नीति के बारे में कहा है। लेकिन जनता शासन के कारण राष्ट्र की प्रतिष्ठा पूर्णतः धूमिल हो गई है। मैं इस सब के बारे में अपको स्मरण कराना चाहता हूं।

मेरे मित्र ने एक उदाहरण दिया है। एक न्यायाधीश था और हर व्यक्ति उस न्यायाधीश को जानता है। उसने श्रीमती गांधी की पिछली सरकार की नीति के विरुद्ध एक विनिर्णय दिया था। उस न्यायाधीश को आयोग नियुक्त किया गया था। सभी सड़कों पर लाऊडस्पीकर लगाये गये थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति कार्यवाही को सुने। जनता पार्टी द्वारा की गई यह एक अद्भुत बात है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरन मैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा। अनेक मामले मेरे विरुद्ध दर्ज किये गए थे। सामान्य खण्ड अधिनियम के अधीन मेरे विरुद्ध दो विशेष न्यायालय नियुक्त किये गए थे।

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : क्या उन्होंने आपको श्रीमती गांधी के समतुल्य रखा ?

श्री के० टी० कोशल राम : एक सामान्य खण्ड अधिनियम था। इसके अधीन कोई भी सरकार विशेष न्यायालय नियुक्त कर सकती है। लेकिन इस अधिनियम की क्या जरूरत है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह केवल श्रीमती गांधी को राजनैतिक दृष्टि से समाप्त करने के लिये था। यह चीज जनता पार्टी ने की। अब, विपक्ष के मेरे सभी मित्र वर्तमान विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

कार्यभार छोड़ने के बाद श्री संजीव रेड्डी ने कहा कि एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। हमारे विपक्षी नेता सत्तारूढ़ दल को गालियां देकर मजबूत नहीं बन सकते। हमारे देश में सभी विपक्षी 'दल यह नहीं, यह नहीं" की विचार धारा पर चल रहे हैं। इन तीन दशकों के दौरान उन्होंने कभी समाप्त न होने वाले, बाल की खाल निकालने वाले, तर्क प्रस्तुत किये हैं। और वे केवल अपने ही बालों की खाल उतारने में सफल हुये हैं। उन्होंने अपने ही बालों की खाल उतारना जारी रखा हुआ है। हमने उनके एक नेता को दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाते देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उस समय आप भी दूसरे सदन में थे। दुनिया का हर व्यक्ति यह जानता है कि उनकी सरकार का एक मंत्री दूसरे मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाता था। अतः, यदि इस अधिनियम को जारी रखा गया तो क्या इन तथाकथित नेताओं के उन सभी आरोपों को विशेष न्यायालयों में भेजा जायेगा ? हम यह नहीं चाहते। मेरी नेता यह नहीं चाहती। उन्होंने कभी भी इस विषय को नहीं लिया है।

अतः मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपसे पहले चन्द्रजीत यादव जी जब उस आसन पर थे तो उन्होंने मुझे अनुमति दी थी और कहा था कि आपको समय मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए केवल दो घंटे का समय आबंटित किया गया है और हमने पहले ही साढ़े तीन घंटे खर्च कर दिये हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह, यदि आप अवसर चाहते हैं तो मैं आपको यह अवसर तृतीय पठन में दे दूंगा। अब मंत्री, श्री वेंकट सुब्बया उत्तर देंगे।

गृह मंत्रालय तथा संसद कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गये इस निरसन विधेयक पर बहुत रोचक चर्चा हुई है। मैं पूर्णतया निराश हूं। मुझे आशा थी कि विपक्ष इस विधेयक को पारित करने में तत्परता से समर्थन करेगा और इस घृणित अधिनियम को संविधि-संग्रह से हटाने में हमारी सहायता करेगा। (व्यवधान) मुझे वास्तव में बहुत निराशा हुई है। यह सही नहीं है कि हमने इस संशो-

धनकारी विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने में लम्बा समय ले लिया है। मैंने इस संशोधनकारी विधेयक को 19-8-1981 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया था। राज्य सभा ने भी इस विधेयक के निरसन को अनुमोदित कर दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जो कि इस समय सभा के सदस्य हैं, ने कहा है कि महाभारत और रामायण की तरह हमें कुछ चीजों को प्राय: दौहराने चाहिए ताकि लोग आपातकाल की ज्यादतियों को स्मरण रखें। यही हमें बताया गया था। मुझे महाभारत की एक कहानी याद आती है जिसके अनुसार कंस को हमेशा भगवान कृष्ण का भूत भय रहता था। जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन में श्री दण्डवते जो उस समय सत्तारूढ़ दल में थे, जैसे कुछेक व्यक्तियों को छोड़कर जनता पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने अपने भाषण में श्रीमती गांधी की कड़ी आलोचना की। जो लोग इस समय यहां उपस्थित हैं और उस समय भी थे, यह भली भांति स्मरण होगा। लेकिन हमारी नेता ने इन ढाई वर्षों के दौरान कभी भी स्वयं उनका नाम नहीं लिया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने श्री दण्डवते को जेल में बन्द कराया।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : क्या समूचे इतिहास में आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां किसी व्यक्ति पर, जिसे लोगों ने भारी मत से निर्वाचित किया हो, और जो संसद का सदस्य हो, मुकदमा चलाया गया तथा सभा से निष्कासित किया गया—न केवल निष्कासित किया गया बल्कि जेल भी भेजा गया ?

अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के नेता, जो पददलितों और समाज के कमजोर वर्गों के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आपको विश्व इतिहास में ऐसी कोई घटना मिल जाती है तो मैं क्षमा मांगने के लिये तैयार हूं। यह सरकार का प्रतिशोधी रवैया है। उन्होंने कभी शासन नहीं किया और नहीं उन्होंने कोई कल्याणकारी उपाय किए हैं। इसके बजाय हमारे पास 20 सूत्री कार्यक्रम है और उनके पास केवल एक सूत्री कार्यक्रम था; वह एक सूत्र श्रीमती गांधी के विरुद्ध था।

हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि स्वयं प्राक्कथन इस बात का परिचायक है कि इसके पीछे कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध राजनीतिक बदला लेने की धारणा है। प्राक्कथन तत्कालीन सत्तारूढ़ दल की वास्तविक धारणा को पूरा नहीं करता है। मैंने सोचा था कि इस संशोधनकारी विधेयक के विरोध के संबंध में वे अपने रवैये का औचित्य सिद्ध करने के लिए कुछ बहुत अकाट्य और युक्तियुक्त तर्क देंगे। मैं इस संबंध में तत्कालीन गृह मंत्री, श्री चरण सिंह के वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने सूरज कुंड से, जहां वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, एक वक्तव्य जारी किया था। उन्होंने कहा था, "किसी अन्य देश में भूतपूर्व प्रधान मंत्री न्यूरम्बर्ग किस्म के मुकदमे का सामना कर रहा और अब तक श्रीमती गांधी को जेल भेजने के लिए सरकार की विफलता पर लोगों की भावना की गहनता जानने हेतु भेज दिया होता।" तत्कालीन गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें प्रधान मंत्री भी बना दिया गया था।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : आपकी गलती से, और उनके नेता, जिनके लिए उनके मन में बहुत इज्जत है— श्री चरण सिंह इस भ्रांति में थे कि श्री मोरारजी भाई इस प्रकार के अधिनियम के विरुद्ध थे। अतः, इसने उनको इस प्रकार का वक्तव्य जारी करने के लिए उकसाया। उन दिनों के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के बीच इस प्रकार का सामन्जस्य था। विशेष न्यायालय अधिनियम की संवैधानिकता के विषय में मैं न्यायमूर्ति सिंघल द्वारा की गई टिप्पणी को उद्धृत करना चाहता हूं। न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर जिन्हें उग्र सुधारवादी न्यायाधीश माना जाता है और जो अब सेवा मुक्त हो गए हैं, ने भी, जब इसे उच्चतम न्यायालय भेजा गया था, इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था। मैं उद्धृत करता हूं :

> "मैं समझता हूं कि कतिपय मामलों में यह विधेयक खतरनाक रूप से असंवैधानिकता के आस पास था परन्तु इसे व्यावहारिक सिद्धांतों के क्रियान्वयन ने बचा लिया।"

उन दिनों श्री कृष्ण अय्यर का भी यही विचार था।

हमने समझा था कि इस प्रकार का विधेयक सांविधिक पुस्तक में सम्मिलित करने योग्य नहीं है। ऐसा इसलिये नहीं कि हम डरते हैं कि हम यह आशा करते हैं कि अन्य दल सत्ता में आ जाएगा और हम में से कुछ, जो सरकारी बेंचों पर बैठे हुए हैं, सदस्यों के विरुद्ध जांच करवाएगा। हम जनता पार्टी के उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। हम दृढ़ता से अपनी नेता, हमारी प्रधान मंत्री का समर्थन करते हैं। विशेष न्यायालयों अथवा अन्य कोई न्यायालयों नहीं अपितु जनता की अदालत ने निर्णय देना है। लोगों ने व्यापक रूप से अपना निर्णय दे दिया है और उन्होंने जनता पार्टी को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया है। हम उसका आश्रय नहीं लेना चाहते हैं। मैं उन सब बातों पर नहीं जाना चाहता हूं जो मैंने उठाई थीं। इस अधिनियम में कुछ अशक्तताएं हैं, उसमें विलम्ब हो गया है। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं किया गया है। अनुच्छेद 227, जिसे जून 1979 में संशोधित किया गया था, उच्च न्यायालय के भी क्षेत्राधिकार पुनः वापस देता है। मैं कहता हूं कि वर्तमान कानून और प्रक्रिया स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

यहां पर कुछ सदस्यों द्वारा एक और बात उठाई गई थी कि प्रत्येक न्यायिक अधिनियम में अन्य कई बातें अन्तर्निहित होती हैं। ऐसे कतिपय कारण हैं जिनकी वजह से विलम्ब हुआ है। मैंने पहले ही अपने आरम्भिक टिप्पणियों में कह दिया है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश काम करने से इंकार कर सकता है और दूसरे उच्च न्यायालय का लिखित क्षेत्राधिकार होता है। यह अनुच्छेद 226 के अधीन सांवैधानिक उपबंध है और इसे छुआ नहीं जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति इसका आश्रय लेता है तो देर हो सकती है। मैंने उल्लेख किया था कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

किया यह गया है कि अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के आदेश से उच्चतम न्यायालय को अपील की जाएगी। परन्तु इससे उच्च न्यायालय का इसके क्षेत्राधिकार में न्यायालयों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार छीना नहीं गया है। कल श्री दत्त ने कुछ मुद्दे उठाए थे। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि चवालीसवां संशोधन उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण का पुनः अधिकार देता है। अतः विलम्ब स्वाभाविक है। परन्तु अनेक मित्रों ने कहा कि हमें देश की सामाजिक आर्थिक नीति के अनुरूप एक न्यायिक प्रणाली बनानी चाहिए। यह एक बड़ा प्रश्न है। माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को मैं विधि मंत्री को भेज दूंगा कि क्या हम शीघ्र न्याय के लिए ऐसी प्रणाली या संविधि का निर्माण कर सकते हैं। एक राजनीतिक के लिए, जो सार्वजनिक जीवन जी रहा है, निर्णायक अथवा उच्चतम न्यायालय जनता ही है। हमारी कार्यवाहियों से ही इस बात का निर्णय किया जाएगा कि क्या हम सरकारी पक्ष में बैठें अथवा विपक्ष में, जब चुनाव आते हैं तो जनता निर्णय देगी। हमारी प्रधान मंत्री की धारणा यह है कि हमें प्रतिशोधी राजनीतिक से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी राजनीति भिन्न है। इसका निर्णय लोगों को करना है कि किस दल को सत्ता में लाया जाए। संसदीय प्रजातंत्र में यह राजनीतिक खेल है। और माननीय सदस्यों को मैंने आश्वासन दिया है कि इस अधिनियम का निरसन करने हेतु विधेयक लाने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। हम सार्वजनिक जीवन में शुद्धता के प्रति उतने ही चिन्तित हैं, जितना कि कोई माननीय सदस्य चिंतित है। हम अपने किसी उत्तरदायित्व से भागते नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं—मैं अपने मित्रों से केवल एक बार फिर अपील करता हूं। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आपातकाल के विषय में उल्लेख किया था। वह हमसे एक आश्वासन चाहते है। महोदय···

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप एक दूसरा आपातकाल लगायेंगे ?

श्री पी० वेंकट सुब्बया : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जब अपनी टिप्पणियां की थीं तब सम्भवतः वह गम्भीर नहीं थे। यह हमारी प्रणाली है, संसदीय प्रजातंत्र जैसी इस देश में है और यह निर्णय लोगों को करना है कि किस राजनैतिक दल को सत्ता में आना चाहिए। मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी और उनके विपक्षी मित्रों से पुनः अपील करता हूं। मैं जानता हूं श्री राय, पिछले शासन काल में मैं उनके साथ विपक्ष में बैठा था। मैं जानता हूं उन्होंने इस विधेयक का, जब इसे पुरःस्थापित किया गया था, जोरदार शब्दों में विरोध किया था और उन्होंने वही रवैया अपनाया था। वह सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के प्रति निष्पक्ष हैं। इन कुछ शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को इस संशोधनकारी विधेयक को पारित करने या सर्वसम्मति से समर्थन करने की पुनः अपील करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि वे दूसरा आपातकाल लगाएंगे या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, कृपया। उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है।

प्रश्न यह है :

"कि विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 का निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, चर्चा की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों पर आते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड—1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1981 के स्थान पर" 1982 "प्रतिस्थापित किया जाए।"

(श्री पी० वेंकट सुब्बया)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"बतीसवें" के स्थान पर

"तैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री पी० वेंकट सुब्बया)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो लोग अभी इस बिल के खिलाफ बोले हैं, असल में इस कानून की वजह से ही इनका भट्टा बैठ गया था। यह कानून इन्होंने इन्दिरा जी को कैद करने को बनाया था, जिसका नतीजा यह हुआ इनका बुरा हाल हो गया, ज्यों-ज्यों ये उनको तकलीफ देते थे, लोग बरखिलाफ होते थे। हरिजन रोते थे कि ये इन्दिरा जी को तंग कर रहे हैं। यह जो एक्ट था इसको चरण सिंह के लड़के के खिलाफ इस्तेमाल करें तो पता लग जायेगा . . .

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : करो न।

श्री सुन्दर सिंह : हम तो इस बिल को आपकी बेहतरी के लिए लाये हैं, वरना ये सब अन्दर हो जाते। अभी गोयल बोल रहे थे, बड़े शानदार आदमी हैं। वह आप बेचारे** उनको तो खुश होना चाहिए। कौशल राम ने सच बोला है। उसने कहा है—

सत्य का पालन करो चाहे यह आपको कहीं ले जाए;

चरम युक्ति-युक्त निश्चय के साथ अपने विचारों पर आचरण करो;

कायर और पाखंडी मत बनो;

आपको सफलता अवश्य मिलेगी।

कौशल राम ने जो कहा है—शानदार कहा है। असली बात यह थी कि इसे इन्दिरा जी को कैद करने के लिए किया था। आपने जो बड़े-बड़े लेक्चर दिये—यह तो बड़ी सीधी-सी बात

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

थी, इसको मान लेना चाहिए कि जो हमने किया था, गलत किया था और उसी का यह नतीजा हुआ कि हमारा भट्टा बैठ गया · · ·

श्री मूल चन्द डागा : इन्होंने मान लिया था।

श्री सुन्दर सिंह : अगर मान लिया था तो फिर हाउस का इतना वक्त क्यों जाया किया। जो इतना लम्बा बोले हैं उनके बरखिलाफ इसको इस्तेमाल करना चाहिए · · ·

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप दोबारा एमरजेन्सी लगाना चाहेंगे ?

श्री सुन्दर सिंह : एमरजेन्सी के लिए बाबू जगजीवन राम ने कहा था—एमरजेन्सी चंगी थी, लेकिन गलत इस्तेमाल हुई और उसी वजह से काम खराब हुआ। इसलिए इस बात को रहने दो। आप जब बरसरेइक्तदार आओ इसका इस्तेमाल करो, फिर परिणाम देख लेना, भट्टा बैठ जायेगा। आप नपुंसक हो, आपका कोई लीडर नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं, आपके चार पांच आदमी खड़े हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि आपका भट्टा बैठ जाता है। आप इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते कि एक लीडर बनायें। देवीलाल को निकाल दिया। किसानों के बड़े लीडर बने हुए हैं। किसान ने किसान को निकाल दिया। यह कहता फिरता है कि मैं बहुत ऊंचा आदमी हूं। मैं जानता हूं—यह जो कुछ है। इसी की वजह से सारी जमीनें लोगों ने रखी हुई हैं। जो लैंड-रिफार्म हुआ उसको होने नहीं दिया। गरीबों का नाम लेते हैं। वह एक्ट इनके बरखिलाफ इस्तेमाल होना चाहिये जिन्होंने लैंड रखी हुई है। हरिजनों का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। जब महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना नहीं चाहते तो उसका नाम क्यों लेते हैं। चार-चार सब्जियां खाते हैं और महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। यह एक्ट इन्होंने सिर्फ इन्दिरा गांधी को बदनाम करने के लिए बनाया था। ज्यों-ज्यों आप उन पर ज्यादती करते थे, त्यों-त्यों लोग उनके साथ हो जाते थे और वे यह कहते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने आप से अच्छी तरह से बदला लिया है। इसलिए मैं आपको यह सजेश्चन दूंगा कि यह जो बिल है, इसको रिपील होना चाहिए और इसमें आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। आपके लिए भी यह बेहतर है और हमारे लिए भी इसमें बेहतरी है।

जब कोई ऐसी बात होती है, तो आप बोट क्लब पर जाकर बड़ा शोर मचाते है। यह वोट क्लब आपके लिए ही है। जब कोई आदमी हार जाता है, तो वह वहां पर शोर करता है। वह बोट क्लब आपके लिए है। वह वहां जाए और स्नान कर ले। वहां पर आप कभी हरिजनों को इकट्ठा कर लेते हैं और कभी फलां को इकट्ठा कर लेते हैं। मैं आप को बताऊं कि यह जो कानून बना था, यह बड़ा खराब काम हुआ था और इसको खत्म होना चाहिए।

आप जानते होंगे कि जब सिकन्दर की गवर्नमेंट थी, तो उसके खिलाफ खाकसार उठे थे और उसने 300 आदमी कत्ल करवा दिये थे। इस तरह के काम पहले हुए थे। हमारे यहां भी जब लेहरी सिंह मिनिस्टर थे, तो रोहतक में दो हजार रुपये लेकर बड़े-बड़े

आदमियों को कत्ल करवा दिया जाता था। लेहरी सिंह ने पुलिस आपरेशन करके 200 गुण्डों को मार दिया और सब ठीक हो गया। मैं आपको यह भी बताऊं कि जब प्रताप सिंह की हमारे यहां गवर्नमेंट थी, तो मैं उसमें मिनिस्टर था। उस वक्त फतेह सिंह ने मरण व्रत रखा था। इस पर लोग कहने लगे कि अगर यह मर गया, तो क्या होगा। इस पर प्रताप सिंह ने कहा कि अगर मर जाएगा, तो चार आदमी उठाकर ले जायेंगे, पांचवां देखता हूं कि कौन जाता है? इसलिए बागड़ी जी ने जो कहा कि पंजाब में जो हो रहा है, उसके दबाने के लिए सख्ती की जाए, तो मैं उसकी ताईद करता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। गवर्नमेंट सख्ती से चली है। आज हो क्या रहा है। बदमाश अगर किसी को मार जाता है, तो उसको कहते हैं कि यह तो शहीद हो गया। बड़ा शानदार आदमी था, शहीद हो गया। जो इस तरह की बात कहता है, उसको आप क्यों नहीं पकड़ते?

मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि इसको रिपील करना चाहिए। जो सही बात है, जो अच्छी बात है, उसको मान लेना चाहिए और अपोजीशन सिर्फ अपोजीशन के लिए नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि जो आदमी सच बोलता है, अच्छी बात कहता है, तो दुनिया उसको समझती है कि वह सही है और जो चीप पापूलेरिटी लेना चाहता है, उसको कोई पूछता तक नहीं है। उसका भट्टा बैठ जाता है जैसे आपका बैठ गया। इसलिए इस बिल को रिपील करने का समर्थन करता हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : वह हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

—

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में विचार किया जाये।"

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 जमाखोरों, चोर-बजारी करने वालों आदि के विरुद्ध निवारक नजरबन्दी के लिए बनाया गया था ताकि बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सके और समाज-विरोधी तत्वों की हरकतों पर रोक लगायी जा सके।

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 की धारा 7 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो भाग गया है या नजरबन्दी आदेश के कार्यान्वयन को टालने की दृष्टि से स्वयं को छुपा रहा है, कार्यवाही केवल उपयुक्त सरकार द्वारा ही की जा सकती है। इससे ऐसे मामलों में विलम्ब होता है जहां नजरबन्दी आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा दिया गया हो। दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नजरबन्दी करने के लिए अधिकार-प्राप्त अधिकारियों को भागे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के भी अधिकार हैं।

आज तक विभिन्न राज्यों में ऐसे 45 व्यक्ति हैं जिनको नजरबन्द करने के आदेश तो दे दिये गये हैं परन्तु वे भाग गये हैं। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध नजरबन्दी के आदेश तो निकल चुके हैं परन्तु जो भागे हुए हैं उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में की गई व्यवस्थाओं की भांति कार्यवाही करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को अधिकार देने के लिए चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का भी विचार है। इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रस्ताव को प्रभावी रूप देना है।

महोदय, प्रस्तावित संशोधन मामूली है लेकिन साथ ही इससे उन व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने में मदद मिलेगी जिनकी नजरबन्दी के आदेश निकले हुए हैं परन्तु जो भाग गये हैं। प्रस्तावित संशोधन नये बीस-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र-19 के अनुरूप है जिसमें चोरबाजारियों, जमाखोरों आदि के विरुद्ध कठोर कार्यवाही जारी रखने की व्यवस्था है। राज्य सभा इसे पहले ही पास कर चुकी है।

महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रस्तावित संशोधन पर समूची सभा का समर्थन मिलेगा।

उपसभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

आवंटित समय दो घंटे है। अब श्री सुधीर गिरि भाषण दें।

श्री सुधीर गिरि (कर्नाटक) : महोदय, चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के लिए प्रस्तावित संशोधन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

संशोधन विधेयक का उद्देश्य पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अधिकार देता है जो भाग गये हैं और इस अनिनियम के अन्तर्गत नजरबंदी आदेश के कार्यान्वयन को टालने के लिये छिपे हुए हैं। अतः हम इस संशोधन

पर आपत्ति नहीं कर सकते। जैसा कि इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मंत्री महोदय ने भी कहा है कि इसका उद्देश्य ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे तरीके से कार्यवाईयां करने से रोकना है जो समाज को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में बाधक हो और चूंकि यह उद्देश्य सराहनीय लगता है इसलिये हमें इस संशोधन विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि इसकी प्राप्ति के लिये निष्ठापूर्वक प्रयास किये जा रहे हों।

महोदय, मैं समझता हूं कि जब यह संशोधन विधेयक पास हो जाये और अधिनियम बन जाये तो यह सरकार के अधिकारों में एक और नया अधिकार होगा परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि इस अधिकार का वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा क्योंकि अपने अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि ऐसे अधिकारों का प्रयोग वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध कभी नहीं किया गया है अपितु राजनीतिक नेताओं अथवा मजदूर संघों के विरुद्ध किया गया है।

इस विधेयक के उद्देश्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मुनाफा या धन कमाने के लिये समाज को सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के व्यापार या वाणिज्य में उत्पादन, सप्लाई, वितरण पर बेईमानी से नियन्त्रण करता है तो उसे ऐसा करने से रोका जायेगा ताकि उसके गलत इरादे को विफल किया जा सके।

इस विधेयक का यह उद्देश्य हमारे संविधान के अनुच्छेद 39-ग के उपबन्धों के अनुरूप है। इस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निदेश देगा कि अर्थव्यवस्था के परिचालन से धन तथा उत्पादन के साधन आम हितों में बाधक बनकर कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित न होने पायें। उस उद्देश्य के लिये एम० आर० टी० पी० एक्ट भी बना हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि मैं इसीलिये इस विधेयक और मूल अधिनियम पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मुझे इस सम्बन्ध में सरकार की गतिविधियों की आलोचना करने का मौका भी मिला है।

महोदय, चोरबाजारी की कुरीति हमें द्वितीय विश्व युद्ध से मिली है। पूंजीवादी प्रणाली का यह घृणित परिणाम है। अर्थ-व्यवस्था की सामंतवादी और पूंजीवादी प्रणालियों के मेल की यह एक ऐसी कुरीति है जिसे न तो माफ किया जा सकता है और न टाला ही जा सकता है। अत: जहां कहीं भी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था होती है वहां सामन्तवाद और पूजीवाद होता है। जब अर्थव्यवस्था की ये प्रणालियां चल रही हैं तो हम चोर-बाजारी को हटा नहीं सकते। चोरबाजारी का मतलब है— गैर कानूनी और अनैतिक ढंग से पैसा कमाना। इस प्रकार, बहुत से ऐसे व्यक्ति समाज में ऊंची हैसियत रखते हैं परन्तु फिर भी सरकार ने उनको छुआ तक नहीं है। यदि सरकार इन सिद्धान्तों को दृढ़तापूर्वक लागू करती जो अनुच्छेद 39-ग में निर्दिष्ट हैं और जो मूल अधिनियम तथा एम० आर० टी० पी० एक्ट में है, तो बड़े व्यावसायिक घराने इतना

अधिक धन और आस्तियां बनाने की स्थिति में न होते, परन्तु उन्होंने सरकार की ओर से बरती जाने वाली ढील के कारण इतनी बड़ी आस्तियां बना ली हैं। और मैं उच्च हैसियत और पदों पर आसीन कुछ सरकारी अधिकारियों पर अभियोग लगाता हूं जो चोरबाजारियों के साथ सांठगाँठ किये हुए हैं।

महोदय, यदि सरकार वाकई चोरबाजारी समाप्त करना चाहती है तो कानून से काम नहीं चलेगा। अतः अन्य साधन, आर्थिक साधन अपनाने होंगे। इस सम्बन्ध में पंडित नेहरू ने स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व यह कहा था कि कोई चोरबाजारी करने वाला नहीं रहेगा। किन्तु प्रधान मंत्री बनने के पश्चात् वह चोरबाजारी समाप्त करने के लिये कुछ नहीं कर सके। अपितु उनको उनकी इच्छा के समक्ष समर्पण करना पड़ा।

पंडित जी अब नहीं रहे। श्रीमती इन्दिरा गांधी चोरबाजारी प्रथा या चोरबाजारियों को समाप्त करने की लम्बी-चौड़ी बातें करती हैं परन्तु मैं उनके शासन में देखता हूं कि चोर-बाजारी को समाप्त नहीं किया गया है। इसके विपरीत यह और भी अधिक बढ़ गई है तथा ऊंचे पदों वाले सरकारी अधिकारियों और उच्च पदों वाले राजनीतिक नेताओं में राष्ट्र-विरोधी तथा समाज-विरोधी सभी कुरीतियां भी बढ़ रही हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन के चेयरमैन द्वारा मार्च, 1982 के तीसरे सप्ताह में 10,000 मी. टन चावल निर्यात किया गया। यह कार्य सहकारी और नागरिक पूर्ति मंत्री के बिल्कुल सामने हुआ है। यह निर्यात 800 रुपये प्रति टन के भारी मुनाफे पर किया गया। राज्य सभा के किसी वरिष्ठ सदस्य ने इस बात की ओर मंत्रालय तथा सरकार का ध्यान दिलाया। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस चोरबाजारी के सम्बन्ध में जिस अधि-कारी का हाथ है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

न केवल सरकारी अधिकारी ही, अपितु राजनीतिक नेता और मंत्री भी चोरबाजारी आदि में अन्तर्ग्रस्त हैं। मैं महाराष्ट्र में हुए सीमेंट के सौदे का उल्लेख करूंगा। यहां तक कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का इसमें हाथ था। अतः, जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि मूल अधिनियम में इस संशोधन का उद्देश्य उन व्यक्तियों को ऐसी कार्यवाहियां करने से रोकना है जो समाज को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बाधक हों तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता।

अब विरोधी पक्ष के मेरे माननीय सदस्य कह सकते हैं कि वाम मोर्चे के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने मूल अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चे वाली सरकार ने ऐसा करने से क्यों मना किया है, मैं यहां पर आपको उसका कारण स्पष्ट कर सकता हूं। इसका कारण यह है कि हम मूल रूप से बिना मुक-दमा चलाये किसी व्यक्ति को नजरबंद करने के विरुद्ध हैं। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट माना गया है तो

उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये और उसकी समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये। लेकिन हम सिद्धांत रूप में मुकदमा चलाये बिना किसी व्यक्ति को नजरबंद करने के विरुद्ध हैं। अत: पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने वर्तमान अधिनियम के किसी उपबंध को लागू करने से मना कर दिया है।

मात्र आलोचना से काम नहीं चलेगा। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि सरकार इन सुझावों को स्वीकार कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुझाव देने के अतिरिक्त आलोचना भी कर सकते हैं। आप आलोचना करने के हकदार हैं।

श्री सुधीर गिरि : माननीय मंत्री महोदय ने 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 19 को पढ़ा है। 20-सूत्री कार्यक्रम में जो कुछ कहा गया है उसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में स्पष्ट किया गया है। यह कहा गया है कि सरकार समाज विरोधी तत्वों जैसे सट्टेबाजों, जमाखोरों, कालाबाजारियों और तस्करों के खिलाफ कार्यवाही में तेजी लायेगी।

> "विभिन्न प्रशासनिक और विधायी उपायों जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक सप्लाई अधिनियम आदि की व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी। कर की चोरी और कर अपवचन तथा लेखा बाह्य राशि के प्रयोग को रोकने के लिये कर व्यवस्था को मजबूत बनाया जायेगा।"

जहां तक हम जानते हैं लेखों में दर्ज न की गई राशि की समानांतर अर्थ-व्यवस्था है। यह समानांतर अर्थ-व्यवस्था कालाबाजारियों, जमाखोरों और तस्करों द्वारा चलाई जा रही है। बड़े व्यापार गृहों ने सभी तत्वों को छूट दी हुई है जो जन साधारण का शोषण कर रहे हैं और ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। अत: मैं सुझाव देना चाहता हूं कि केवल विधान से काम नहीं चलेगा। सरकार को प्रभावी आर्थिक नीति अपनानी होगी तथा वित्तीय उपाय भी करने होंगे ताकि काला-बाजारी और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी जैसी समाज विरोधी गतिविधियों को समाप्त किया जा सके।

मेरा पहला सुझाव है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं, जिसकी अधिकांश लोगों को जरूरत होती है, को वास्तविक अधिकार में लेने के लिये उपयुक्त कार्यवाही अवश्य करे और इस प्रयोजन के लिये सरकार आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले। अत: मैं सुझाव देता हूं कि कम से कम आवश्यक वस्तुओं की 14 वस्तुओं का पता लगाया जाना चाहिये और ये 14 वस्तुयें सार्वजनिक वितरण पद्धति द्वारा जन साधारण को सप्लाई की जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये 14 वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये और आवश्यक

वस्तुओं की ये सभी 14 वस्तुयें पूरे देश में निर्धारित मूल्यों पर लोगों को सप्लाई की जानी चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव है कि इस प्रयोजन के लिये दुकानें ,कस्बों और गांवों में होनी चाहिये ताकि अधिकांश लोगों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों द्वारा अपेक्षित आवश्यक वस्तुयें उन्हें सप्लाई हों।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास इन 14 वस्तुओं की एक सूची है तो आप इसे भी सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री सुधीर गिरि : ये चावल, चीनी, खाद्य तेल, साबुन, दाल कागज, मिट्टी का तेल, डीजल तथा औषधियां आदि हैं। ये इस समय न केवल उच्च स्थिति के लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं अपितु ये प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुयें हैं। अत: पूरे देश में निर्धारित मूल्यों पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से जन साधारण को आसानी से ये आवश्यक वस्तुयें सुलभ होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : आवश्यक वस्तुओं को राज सहायता भी मिलनी चाहिये। इसके बिना यदि सरकार बहुत से विधान बनाती है और विभिन्न प्रकार के उपाय करती है तो वह लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल करने की स्थिति में नहीं होगी। अत: ये सभी 14 वस्तुयें कम से कम गरीब लोगों, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, को राज सहायता दरों पर सप्लाई की जानी चाहिये।

इन वस्तुओं की सप्लाई का पर्यवेक्षण करने के लिये लोकप्रिय समितियां होनी चाहियें और इस समिति का प्रत्येक सदस्य चुना जाना चाहिये जैसा केरल में किया गया है क्योंकि ऐसी निर्वाचित समिति इलाके के लोगों की इच्छानुसार इन वस्तुओं के वितरण का पर्यवेक्षण कार्य कर सकेगी।

निष्कर्ष के रूप में मैं सरकार से दोबारा अपील करता हूं कि वह कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोक करके अपने घोषित वायदों के प्रति ईमानदार रहे और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाये। मैं आपसे ईमानदारी से अनुरोध करता हूं क्योंकि यदि सरकार की ओर से ईमानदारी होती तो लोगों की अधिकांश जनसंख्या निश्चित रूप से लाभान्वित होती। इस प्रयोजन के लिये एक सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा और पक्का इरादा जरूरी है। इसके बिना केवल शब्दों अथवा कोरी सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। अत: अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं सरकार से पुन: अनु-

रोध करता हूं कि वह जन साधारण, जिन्होंने उनमें विश्वास व्यक्त किया है, के प्रति अपने कार्य-कलापों में ईमानदार रहे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं जो स्थानीय प्रशासन, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की सुविधा के लिये लाया गया है ताकि ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जा सके जो चोरबाजारी में सम्बद्ध हैं और जो कानून की नजरों में भाग रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप देश में चोरबाजारी की गतिविधियों को बढ़ाने से रोका जा सके। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि यह बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अनुरूप है। चोरबाजारी ऐसी प्रवृत्ति है जो इस देश में द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पनपी है और इसने काले धन को उत्पन्न किया है जो हमारी अर्थ-व्यवस्था के समानांतर चल रही है।

इस संशोधन का समर्थन करते हुए सी० पी० एम० के माननीय सदस्य ने कहा है कि हालांकि वे इसका समर्थन करते हैं तथापि वे अपने राज्य में इस विधेयक को लागू नहीं करेंगे।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : उनके भाषण की एक प्रति पश्चिम बंगाल सरकार को अवश्य भेजी जानी चाहिये।

श्री संतोष मोहन देव : उन्होंने दोबारा अत्यंत परिहासपूर्वक उल्लेख किया है और मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि वह इस विधेयक का उपयोग ट्रेड यूनियन के नेताओं और राजनीतिक नेताओं को परेशान करने में उपयोग न करें। मैं नहीं जानता कि ट्रेड यूनियन के नेता और राजनीतिक नेता चोरबाजारी में किस प्रकार सम्बद्ध हैं और कोई सरकार उन्हें क्यों परेशान करे। तथापि यदि राजनीतिक नेता और ट्रेड यूनियन के नेता चोरबाजारी में सम्बद्ध हैं तो मेरे विचार से यह उपाय उनकी भी देख-रेख करेगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : विगत को देखें तो आप समझेंगे कि हम यह क्यों कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : मैं जानता हूं कि वह इतने भयभीत क्यों हैं। पश्चिम बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम में जहां पंचायत के माध्यम से जोकि मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नियंत्रण में है, जनता को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है वहां बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। मुझे खुशी है कि उनके मुख्य मंत्री उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। शायद श्री चक्रवर्ती और श्री सुधीर गिरि के वहां पंचायत में कुछ समर्थक हैं और इसीलिए उन्हें दुःख है तथा वे इसका वहां कार्यान्वयन नहीं चाहते हैं, हालांकि वे इसका मार्क्स-

वादी साम्यवादी दल के निदेशों पर समर्थन कर रहे हैं। इसलिए यहां इस पर परस्पर विरोधी बातें हैं।

सरकार इस विधेयक को चोरबाजारी रोकने के लिये लाई है। मैं यहां यह कहूंगा कि देश में चोरबाजारी आवश्यक वस्तुओं में हो रही है क्योंकि व्यापारी गड़बड़ी कर रहे हैं। यह सच है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि सामग्री की कमी से भी व्यापारी वर्ग को चोरबाजारी करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

श्री गिरि द्वारा 14 मदें दी गई हैं। मैं उनका पूरी तरह समर्थन करता हूं। यदि सभी 14 मदें नहीं तो भी कुछ मदें ऐसी हैं जिसके वितरण आदि का काम, जो भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। और यदि ये मदें विभिन्न राज्यों को समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जा सकें, तो मैं समझता हूं कि चोरबाजारी के मौके कम हो जाएंगे।

एक अन्य कारण है। सरकार ने भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर ध्यान दिया है। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सरकार ने कहा है कि वे देश के सभी क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ देंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं जहां 2000 परिवारों के पीछे एक उचित दर की दुकान के मानदण्ड का पालन नहीं किया जा सकता। इसलिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व अन्य क्षेत्रों में जहां लोगों को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए पहाड़ों और घाटियों में 2 से 3 मील तक पैदल चलना पड़ता है, के लिए इस मानदण्ड में कुछ छूट होनी चाहिए। और इन्हें भी वहां कुछ श्रेणियों तथा कुछ मात्राओं में सप्ताह में एक बार सप्लाई किया जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह मिजोरम जैसे दूरदराज के क्षेत्र में उचित दर दुकान में चार बार आये। अतः महोदय, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस विशेष मुद्दे की ओर ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकान देते समय चाहे वह किसी व्यक्ति को दी जा रही हो या किसी सहकारी समिति को, सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वहां उस क्षेत्र के लोगों द्वारा गठित एक सतर्कता समिति होनी चाहिए और इन सतर्कता समितियों में गृहणियों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जो कि इन उचित दर दुकानों की ओर ध्यान देंगी ताकि वे चोरबाजारी न कर सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं को खुले बाजार में बेचा जा रहा है। सरकार इन वस्तुओं को उचित दर दुकानों को आबंटित कर रही है किन्तु यह दुकानदार इन वस्तुओं को खुले बाजार में भेज रहे हैं। महोदय, हमारे कस्बे की जनसंख्या 30,000 है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस कस्बे में लगभग 95,000 राशन कार्ड हैं। यह कैसे संभव है ? इसलिए कि इन दुकानदारों ने आपूर्ति विभाग के साथ मिलीभगत करके इन आवश्यक वस्तुओं को अपने हाथ में ले लिया है। श्री गिरि चाहते हैं कि इन आवश्यक

वस्तुओं का विस्तार किया जाये और आपने भी इसमें कुछ वस्तुएं जोड़ने में उनकी मदद की है। इन वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा बाजार में चोरबाजारी की जा रही है। इसलिए सरकार को अधिक कठोर और सतर्क उपाय करने चाहिए। अन्यथा यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमेशा विफल रहेगी क्योंकि हमारे देश में खरीददारों की भी हमेशा यह प्रवृत्ति रही है कि वे वस्तुओं को जमा करें। मैं यहां एक उदाहरण दे सकता हूं। 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक विशेष समाचार, कि दिल्ली में प्याज 8 रु० प्रति किलो ग्राम की दर पर बेचा जा रहा है, ने देश में आतंक पैदा कर दिया और देश में सभी जगह प्याज की कीमतें बढ़ गई। कभी-कभी ऐसे समाचार आतंक पैदा कर देते हैं और लोग वस्तुओं को खरीदते जाते हैं चाहे उन्हे जरूरत है या नहीं और इस प्रकार उन वस्तुओं को जमा करते हैं। महोदय, आप उपाध्यक्ष हैं। आपके पास अपने निवास में 3 या 4 चपड़ासी होंगे। मैं सभा का सदस्य हूं और मेरे पास एक भी नौकर नहीं है, यदि मैं आज यह बात सुनता हूं कि चीनी की कमी होने वाली है तो मैं तुरन्त बाहर जाऊंगा और 5 कि० ग्रा० चीनी खरीद कर रखूंगा क्योंकि मुझे शाम को देर तक सदन में रुकना पड़ेगा—हम कल भी अपनी सरकार के समर्थन के लिए 10 बजे तक बैठे। मैं हर रोज बाहर नहीं जा सकता। इसलिए जमाखोरी की प्रवृत्ति है। इसे कैसे रोका जाए ? इसके लिए समाचार पत्रों और जनता का सहयोग जरूरी है, लेकिन देश में जमाखोरी मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता के कारण होती है। मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण दे सकता हूं, जहां से मैं आया हूं, वह क्षेत्र है—कछार। वहां केवल एक महीने पहले चावल 8 रु० प्रति कि० ग्रा० बेचा गया। इसका कारण यह है कि मेरे जिले में पिछले छः महीनों में, उचित दर दुकानों में आपको अखिल भारतीय मानदण्ड के अनुसार महीने में 8 कि० ग्रा० चावल देना था लेकिन दुर्भाग्यवश वहां लोगों को महीने में 2 कि० ग्रा० से अधिक चावल नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया है ? क्योंकि कृषि विभाग के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम और रेलवे वहां इस सामान को भेजने में असफल रहे हैं। इसलिये वहां पर सामान का रक्षित भंडार नहीं बन पाया। प्रत्येक राज्य में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों में रक्षित भण्डार होना चाहिए। जब सरकार देश की वार्षिक आवश्यकता को जानती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब शीतकाल में अच्छा मौसम होता है और परिवहन में अवरोध नहीं होता है, तो उस समय सरकार इन दूरदराज के क्षेत्रों में रक्षित भंडार रखने में विफल क्यों होती है ? हमें हर समय सरकार से भण्डारों के लिए क्यों अनुरोध करना चाहिए ? सरकार न तो उचित कदम उठा रही है और न ही सरकारी तंत्र ठीक से काम कर रहा है। सरकार की यह देखने की जिम्मेदारी है कि क्या उत्पादों का ठीक से वितरण हो रहा है।

मैं एक अन्य सुझाव दूंगा। हमारे राज्य में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं पर राज्य के संगठन जो कि एक निगम है द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा है। इस निगम को असम सरकार द्वारा चलाया गया है। सरकार चोरबाजारी करने वालों अर्थात व्यापारी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अड़तालिस व्यक्ति क्यों फरार हैं ? कितने मामले लम्बित पड़े हैं ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकारी कर्मचारी शामिल

हैं। यदि आप कोई नियम बनाते हैं तो उसे न केवल व्यापारी लोगों अपितु सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जो इन घोटालों में अंतर्ग्रस्त हैं, क्रियान्वित किया जाना चाहिए। जब तक आप सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध तेजी से कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक उसका आरोप सरकार पर और सत्तारूढ़ दल पर आयेगा।

दुर्भाग्यवश, हमने देखा है कि कुछ विशेष स्थानों में जब भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की सप्लाई करता है तो, जैसे कि कृषि मंत्री ने बताया है, जिला आयुक्त, जिला प्रशासन और भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धक खाद्यान्नों के सरकारी गोदामों में जाने से पहले उसकी जांच करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए जब पंजाब और हरियाणा में खाद्यान्नों की खरीद की जाती है तो उसे असम, बंगाल या त्रिपुरा में गोदामों में रखने के लिए रेल या ट्रक द्वारा ढोया जाता है। जब यह स्थिति है तो अगर खाद्यान्न वहां नहीं पहुंचता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? इसका मतलब है कि या तो यह प्रणाली गलत है या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें अंतर्ग्रस्त हैं। उदाहरण के लिए सरकार की सीमेन्ट की नीति पहले से काफी बेहत्तर है। सरकार ने खुली बिक्री के सीमेन्ट के मूल्य में वृद्धि की है। इसलिए लोगों को यह मिल रही है। कम से कम सरकार को यह तो देखना है कि यह खुले बाजार में उपलब्ध हो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सरकार चावल अथवा गेहूं अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने के लिए निजी व्यापारियों को अनुमति नहीं दे रही है। वे उसे खुले बाजार से लेकर देचते हैं। सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई है ? जब आप यह शर्त लगाते हैं कि कोई भी दुकानदार अपने गोदामों में पचास मन से अधिक चावल नहीं रख सकता है, तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि वे उसकी सप्लाई उचित दर दुकान को करते हैं। एक जगह तो आप खाद्यान्न का वितरण करने में विफल रहे हैं और दूसरी जगह आप इसे रोकते हैं। अंत में लोगों को चीजो को ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर कदम उठाने के लिए आकर्षित कर रहा हूं।

हमारे राज्य में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी असफल रहा है क्योंकि वहां चावल उपलब्ध नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे यह सरकार कहती है कि वह ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए है। सरकार ने कुछ छूट दी है—यह नकद या वस्तु में दी जा सकती है। जब तक इसे कुछ प्रतिशत में उपलब्ध नहीं किया जाता है, आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। संसद सदस्यों और अधिकारियों की बैठक होती है। लेकिन, जब केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न देने में विफल रहती है तब इसका क्या उपयोग है ? हम धन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न दिया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक और प्रवृत्ति है। सरकार हमेशा किसी न किसी कारण से यह निर्देश दे रही है कि असम में अर्थात मेरे निर्वाचन क्षेत्र-सिल्चर और जोरहाट में--जितना भी खाद्यान्न

पहुंचता है उसका 75% मिजोरम को जाना चाहिये और शेष 25% असम को जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप कछार के 22 लाख लोग और त्रिपुरा के 12 लाख लोग प्रभावित होंगे। पांच लाख लोगों के लिये यह एक मानक है और त्रिपुरा तथा कछार के लिए दूसरा मानक। इस प्रकार की विसंगति क्यों रखी जानी चाहिए ? चावल, गेहूं और नमक ऐसी वस्तुएं हैं, जिन्हें मिजो लोग और हम एक समान मात्रा में खाते हैं इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह विसंगति पैदा न करे। यदि आप ऐसी विसंगति पैदा करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप आग में ईंधन दे रहे हैं। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आंदोलन चल रहा था कि खाद्यान्नों को मिजोरम में जाने से रोका जाए, लेकिन हमने यह नहीं होने दिया क्योंकि यह किसी एक विशेष राज्य और किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध होता। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए और मेरे क्षेत्र में कम से कम अखिल भारतीय मानक में उल्लिखित न्यूनतम खाद्यान्नों का वितरण करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, जो प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टिनेन्स आफ सप्लाइज आफ एसेंशियल कमाडिटीज (अमेन्डमेन्ट) बिल माननीय मंत्री जी द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसके समर्थन में मैं कुछ कहूं, उसके पहले कई प्रश्न उठते हैं। इस बिल से एक बात यह साफ है कि सरकार को जो सदन ने अधिकार दिए हैं उसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फर्माया इस बिल का जो आब्जेक्ट है वह यह है कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग को रोका जाए और वितरण प्रणाली को सही रूप में संचालित किया जाये। इस बात पर तो किसी भी माननीय सदस्य को कोई विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि अधिकार तो आप मांगते हैं परन्तु उसका इंप्लीमेन्टेशन भी होता है या नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट या इस प्रकार के जितने दूसरे ऐक्ट बने हुए हैं उनके अन्तर्गत आज तक आपने कितने होर्डर्स और ब्लैक मार्केटीयर्स को पकड़ा है और बन्द किया है ? आप कहते हैं कि कुछ लोग भाग गए। आपने कुछ संख्या भी बताई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वास्तव में कितने अपराधी भागे हैं और कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है ? आप शायद यह कह देंगे कि राज्य सरकारों से यह फीगर्स उपलब्ध नहीं हैं। (व्यवधान) शायद राजस्थान से फीगर्स उपलब्ध हो गई हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : राजस्थान में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है।

श्री राजेश कुमार सिंह : आपने बड़ी अच्छी बात कह दी कि वहां ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है। फिर तो शायद इस बिल को लाने की जरूरत ही नहीं थी।

तो जैसा कि मेरे मित्र बता रहे थे काला धन्धा करने वाले और चोर-बाजारी करने वाले लोगों के पास जो काला धन है उससे इस देश में एक समानान्तर आर्थिक व्यवस्था चल रही है

और उस आर्थिक व्यवस्था के पोषक भी आप ही हैं। अभी पिछले दिनों वेयरर बाण्ड की जो योजना आपने चलाई थी उसको आप भूले नहीं होंगे। उसके द्वारा आपने अरबों रुपये के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना दिया। आपके चीफ मिनिस्टर ने जिस प्रकार से सीमेंट का घोटाला किया उससे ब्लैक मार्केटीयर्स के लिए फाइव स्टार होटल बनाने और ब्लैक मनी को व्हाइट करने का रास्ता खुल गया। यह सारी स्थिति आपने पैदा की।

अब प्रश्न यह है कि जो वितरण प्रणाली है उसकी व्यवस्था सही होनी चाहिए। यह बिल बहुत छोटा है लेकिन इसका मकसद बड़ा है और बड़ा होना भी चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होता है इसको अमली जामा पहनाने का। किस प्रकार से इस पर अमल किया जाएगा—यह एक बड़ा प्रश्न है। आप कहते हैं कि सरकार की बुनियादी नीति है कि वितरण प्रणाली को सही किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि वितरण प्रणाली के साथ-साथ सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि कुछ एसेंशियल कमाडिटीज की होलसेल ट्रेड वह अपने हाथ में ले लेगी। वितरण प्रणाली की व्यवस्था अपने हाथ में ले रही है और जो उत्पादनकर्ता हैं, उसको उसके उत्पादन का वाजिब मूल्य दिया जाए और देने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही हो।

जहां तक निगरानी कमेटी की बात है, इसमें एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था है। प्रश्न यह है कि निगरानी कमेटियां बनाई कैसे जायें। इलैक्टेड बाडी हो या ग्राम पंचायत के द्वारा उसका संचालन हो। इलैक्शन द्वारा आपने कमेटियां बना दीं और नौमिनेट कर दिया तो मेरा ख्याल है कि आपके यहां भीड़ लगी रहेगी। बुनियादी बात यह है कि इन कमेटियों के द्वारा वितरण प्रणाली की व्यवस्था सही रूप से नहीं चल पायेगी, जब तक कि आप निश्चित रूप से होलसेल ट्रेड अपने हाथ में नहीं लेंगे। आप कमेटियां बनाते रहेंगे, निगरानियां होती रहेंगी और भ्रष्टाचार फैलता रहेगा। अधिकारियों में भ्रष्टाचार इतना समा गया है कि आप उसको एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते हैं, यह निश्चित है। ··(व्यवधान)···यह सारी व्यवस्था है।

जहां तक फेयर-प्राइस-शाप्स की बात है, कभी-कभी यह देखने में आता है कि दुकान किसी के नाम है और सामान कोई बेचता है। यह व्यवस्था खुले आम चल रही है। लोग डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज आफिसर के यहां चक्कर लगाते रहते हैं और सब चीजें अपने नाम से कर लेते हैं। इन चीजों के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए और सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फेयर-प्राइस-शाप्स बनती रहेंगी और कुछ ही लोग उसका संचालन करते रहेंगे। क्योंकि सामान्य लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से यह भ्रष्टाचार पनप रहा है।

दूसरी बात मैं ग्रामीण अंचल के बारे में कहना चाहता हूं। ग्रामीण अंचल की व्यवस्था सही बनाने के लिये आपको रचनात्मक तरीके से काम करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि आपने फेयर-प्राइस-शाप खोल दी और कुछ लोग उसे परेशान करने लगें, सरकार को उसकी निगरानी के लिये भी सोचना चाहिये। कुछ लोगों ने कहा है कि ग्राम सेवा कमेटियां उसकी

निगरानी कर सकती हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने वितरण प्रणाली को सही बना दिया तो ब्लैक मार्केटिंग अपने आप बन्द हो सकती है, बहरहाल आप सभी लोग इस बारे में नहीं सोच पा रहे है। एक बात मैं और कहना चाहता हू कि जिस सम्पत्ति अधिग्रहण की बात आप इस बिल में ला रहे हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होगी कि जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनके नाम की सम्पत्ति आपको शायद नाम मात्र को ही मिलेगी।

श्री हरीश रावत : अधिकांश नाम के दिवालिये हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : सही बात आपने कही कि अधिकांश नाम के दिवालिये हैं। और दो नम्बर का

श्री मूल चन्द डागा : उत्तर प्रदेश में अधिक हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : राजस्थान में आपने अपने नाम से कर रखी होगी।

इस कानून का हम इस हद तक समर्थन कर ही रहे हैं. निश्चित रूप से काला-बाजारी के खिलाफ और चोरबाजारी के खिलाफ आपको इस कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिये, लेकिन कानून का इस्तेमाल सही तरीके से हो, इस पर भी सरकार को सचेत रहना बहुत आवश्यक है।

***श्री ईरा अनबाराज़** (विरुगलाट्टू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। यदि वर्तमान कानून में कोई त्रुटि है, जो उन लोगों को पकड़ने में तुरन्त कार्यवाही करने में बाधा बनती है, जिन्होंने अपराध किए हैं और फरार हैं, तो उसे सुधारने का काम इस सभा का है। यह संशोधनकारी कानून इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

मुझे विपक्ष की बेंचें खाली देखकर दुःख होता है जबकि इस प्रकार के विधेयक पर चर्चा यहां की जा रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि पश्चिम बंगाल से मार्क्सवादी साम्यवादी दल के निर्वाचित सदस्य, जिन्होंने पददलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अनधिकृत रूप से ले लिया है, अनुपस्थित हैं विशेषतः जबकि उन तथाकथित पददलितों के सेवार्थ इस कानून पर चर्चा की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने इस विधेयक को क्रियान्वित न करने का अटल निर्णय किया है। इसका कारण क्या है ? क्या इसका अर्थ यह है कि जो पश्चिम बंगाल में अधिकार प्राप्त लोग हैं उनकी चोरबाजारियों और जमाखोरों और तस्करों के साथ सह-अपराधिता है। इसका अर्थ केवल यह हो सकता है कि लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार सार्वजनिक उपयोगिता के इस विधेयक को क्रियान्वित करने से इन्कार करती है।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

एक तर्क यह दिया गया है कि न्यायालयों में एक लाख से भी अधिक मामले विचाराधीन पड़े हैं। यह वास्तव में शर्मनाक बात है कि जन कल्याण का दावा करने वाली सरकार आम आदमी के सुख-दुख को न देखे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार बहुत असभ्य तरीके से कार्य कर रही है। यदि वे यह दावा करते हैं कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल लोगों की भलाई के लिए प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों और आदर्शों के क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध हैं, तो ठीक है फिर उन्हें इस विधेयक को क्रियान्वित करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल और इसकी सरकार यह कहती है कि यह विधेयक राजनीतिज्ञों को फंसा लेगा। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में स्वयं राजनीतिज्ञ आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी, जमाखोरी और तस्करी में लिप्त हैं? इस प्रश्न का उत्तर पश्चिमी बंगाल में सत्तारूढ़ लोगों को देना है। यदि इस बात से इन्कार किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों को लोगों की भलाई के विरुद्ध काम कर रहे समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने का उपबंध करने वाले इस विधेयक को अपना समर्थन देना चाहिए। सम्भवतः उनका उद्देश्य यह नहीं है। सम्भवतः यही कारण है कि आज पश्चिम बंगाल सरकार में सत्ता के लिए संघर्ष और राजनीतिक चर्चा चल रही है।

मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि जब तक पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी दल की सरकार सत्ता में है वे लगातार आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी, जमाखोरी और तस्करी का शिकार होते रहेंगे। मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों को जनता की समस्याओं में रुचि नहीं है उन्होंने उनमें अपना विश्वास पुनः कैसे व्यक्त किया। उन्होंने उन्हें सत्तारूढ़ किया और उनकी सरकार उनकी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में कोई सहायता नहीं कर रही हैं। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से उन्हें सत्ता च्युत करने का अनुरोध करता हूं और जब तक यह जन-विरोधी सरकार हटा नहीं दी जाती तब तक लोगों को संतोष नहीं करना चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और वितरण के लिए मूलतः उत्तरदायी तमिलनाडु की सिविल सप्लाई कारपोरेशन है जो प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रही है। यह तमिलनाडु में भ्रष्टाचार का स्रोत बन गई है। तमिलनाडु में उचित दर की दुकानें अनुचित दर की दुकानें बन गई हैं। ए० आई० ए० डी० एम० के० के लोगों को आवश्यक वस्तुएं काफी मात्रा में मिल जाती हैं। वे उसे बाहर बेच देते हैं और काफी धन कमाते हैं। केन्द्र को स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन का पुनर्गठन करके और इसे सामाजिक भलाई का एक तंत्र बनाने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने चाहिएं। उचित दर की दुकानें ए. आई. ए. डी. एम. के. के कार्यकर्त्ताओं को काफी मात्रा में ताड़ का तेल दे देती हैं और वे इस तेल को काफी बड़े मुनाफे में बेच देते हैं; परन्तु उचित दर की दुकानों को निर्धारित मूल्य ही देते हैं। इस मामले में दल की तिजोरी भरने के लिए ए. आई. ए डी. एम. के. सरकार की व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ है। माननीय कृषि मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं वितरित की जाती हैं, तमिलनाडु में मजाक की बात बन कर रह गया है। निर्धन लोगों और श्रमिकों को अनाज नहीं मिल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले अच्छे किस्म के चावल का दुरुपयोग किया जाता है और खराब किस्म का चावल निर्धन श्रमिकों को दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर किए जा रहे इस कपटाचार को मैं अनेक बार केन्द्र सरकार की ध्यान में ला चुका हूं। मैं पुनः कहता हूं कि तमिलनाडु में इन चीजों को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को अन्धाधुन्ध बढ़ने न दिया जाए। जैसा कि आपातकाल के दौरान होता था, पूरे देश में सभी दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं विशेषकर मूल रूप से आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, दालों, गेहूं, चीनी, तेल आदि मूल्यों की सूची लगाने के तत्काल आदेश दे दिए जाने चाहिए। जो इस मामले में, इनका पालन न करे उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए। व्यापारियों को भोले-भाले लोगों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देश के सभी जिलों में सतर्कता कक्ष स्थापित किए जाने चाहिये ताकि चोरबाजारी, जमाखोरी और तस्करी के मामले को ऐसे कक्षों मे रिपोर्ट की जा सके और तत्काल निवारण कदम और दंडात्मक उपाय किए जा सकें और लोगों की इन लुटेरों से रक्षा की जा सके। इसी प्रकार, सरकार को इन सतर्कता कर्त्ता को उचित दर की दुकानों और अन्य दुकानों के माप-तोल के बाटों की जांच भी करने के अनुदेश दिए जाने चाहिएं। माप-तोल में भारी धोखाधड़ी हो रही है। इसे आगे के लिए बंद किया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि जिला मजिस्ट्रेट और आयुक्त, जिन्हें इस विधेयक के अन्तर्गत अधिकार दिए जा रहे हैं, उन चोरबाजारियों, जमाखोरों और तस्करों को पकड़ेंगे जो समाज के विरुद्ध अपराध करके फरार हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि वे आम आदमी की ऐसे समाज विरोधी तत्वों से रक्षा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

***श्री जगन्नाथ पाटिल** (ठाणे): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सरकार ने चोरबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अब तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियम का प्रयोग किया है। परंतु सरकार चोरबाजारी और जमाखोरी को रोकने में समर्थ नहीं रही है क्योंकि अधिनियम में ऐसी त्रुटियां थीं कि सुकुर नारायण बखिया जैसा तस्कर इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग से आसानी से बच निकला।

*मराठी में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

सरकार गरीब और आम आदमी के हितों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाना चाहत
है। परन्तु ऐसा इसलिए है कि कानून द्वारा जमाखोरों और चोरबाजारियों को दंडित न करने क
विभिन्न कमियां हैं।

सरकार जिला-स्तर के अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन के अधि
कार देने के लिए एक संशोधन लाई है। परन्तु मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्यों
आपातकाल के दौरान ऐसा ही अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था और भोले-भाले लोगों
सताया गया था। आपातकाल के दौरान 'आंसुका' के अन्तर्गत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्त
किया गया था। मैं अनुभव करता हूं कि यदि इस संशोधन को पारित कर दिया तो अधिक
का दुरुपयोग हो सकता है।

हम समाचार-पत्रों में सीमेंट, चीनी आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में पुलिस
छापों के विषय में समाचार पढ़ते हैं। अपराधियों पर अभियोग चलाया जाता है परन्तु साम
आदमी को नहीं पता कि अपराधियों को दंड दिया गया है अथवा नहीं। धनी व्यापारी वक
की सहायता से अधिनियम की कमियों का प्रयोग करके साफ छूट जाते हैं जबकि छोटे व्याप
ऐसा नहीं कर सकते और दंडित किए जाते हैं।

अनेक व्यक्ति, जो कदाचार में लगे हुए हैं, फरार है। मैं माननीय मंत्री से 1-1-82
30-6-82 तक फरार व्यक्तियों की एक सूची सभा-पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं।

जब सरकार उचित दर की नई दुकानें खोलने का निर्णय करती है तो इसका समा
पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है और आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह सरकारी समिति
को प्राथमिकता देने की नीति है परन्तु जब उचित दर की दुकानों का आवंटन किया जाता है,
90% दुकानें कांग्रेस (इ०) कार्यकर्ताओं को आवंटित कर दी जाती हैं। दुकानदार उपभोक्त
को खाद्यान्न का पूरा कोटा न बेचकर चोरबाजारी करने में लग जाते हैं। त्यौहारों पर ची
सूजी आदि वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती हैं। वे न
में ऊंचे दामों पर बेच दी जाती हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता
एक चावल मिल के परिसर में एक उचित दर की दुकान से अवैध रूप से ले जाई गयी दो ब
चीनी पकड़ कर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार के एक मामले का रहस्योद्घाटन कि
था। परन्तु स्थानीय विधायक ने तहसीलदार पर जोर डाला और सामाजिक कार्यकर्ता को
दंडित करवा दिया। उस सामाजिक कार्यकर्ता ने मिट्टी का तेल बेचने के अपने परिमिट के न
करण के लिए पहले आवेदन किया था। उसके परिमिट का नवीकरण करने के बजाय उ
तेल डिपो पर छापा मारा गया और उसे एक झूठे मामले में फंसा दिया गया।

इस तालुके के पाथगांव नामक एक अन्य स्थान पर वहां की जनसंख्या का 60%
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है। इस समुदाय के एक शिक्षित नवयुव

उचित दर की दुकान के लिए आवेदन किया था परन्तु स्थानीय विधायक ने अपने प्रभाव का उपयोग किया और दुकान उसके बजाय एक धनी व्यक्ति को दे दी गयी। इस तालुके के स्टेट बैंक और महाराष्ट्र बैंक ने 400 से 500 व्यक्तियों को बैलगाड़ियां खरीदने के लिए ऋण दिये थे परन्तु कोई भी बैलगाड़ी खरीदी ही नहीं गई। लेन-देन केवल कागजों पर था।

यदि अधिनियम आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी और जमाखोरी तक सीमित है तो व्यापारियों को दंडित किया जायेगा।

राजधानी की उन कालोनियों में जिनमें गरीब और कामगार वर्ग के परिवारों की बहुलता हैं, लोगों को उचित दर की दुकानों से राशन का पूरा कोटा नहीं मिलता है जबकि पोश कालोनियों में सदैव पर्याप्त सप्लाई होती है। 28 फरवरी, 1982 के इन्डियन एक्सप्रेस में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी प्रकार, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे बड़े नगरों और गांवों और छोटे कस्बों में राशन के आवंटित कोटे के बीच असमानता है। राशन का कोटा आवंटित करने में भेद-भाव यह सिद्ध करता है कि सरकार चोरबाजारी को प्रोत्साहित करती है।

उचित दर की दुकानें लोगों को उनकी पूरी जांच करने के बाद आवंटित की जाती थीं परन्तु कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि ऐसी दुकान प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को दस से पन्द्रह हजार रुपये भेंट चढ़ाने पड़ते हैं। जब एक व्यक्ति इतनी बड़ी राशि देता है तो स्वाभाविक ही है कि वह उस राशि को पूरा करने के लिए चोरबाजारी करेगा ही। यदि पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार उचित दर की दुकानें आवंटित की जाती हैं तो आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

बम्बई के एक मराठी साप्ताहिक "विवेक" ने अपने 18-7-82 के अंक में महाराष्ट्र के धूलिया जिले में रोजगार प्रतिभूति योजना के अन्तर्गत 5 से 7 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले को उद्घाटित किया है। समाचार में इस सभा के दो माननीय सदस्यों के नाम का उल्लेख किया गया है, उनमें से एक केन्द्रीय मंत्री हैं। यह कहा गया है कि इस मामले में इन दो सदस्यों के संबंधी सम्मिलित हैं। मैं उन दोनों माननीय सदस्यों से तथ्य बताने का अनुरोध करता हूं ताकि लोगों में उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना न रहे। धूलिया के जिला कलेक्टर श्री अरुण भाटिया, जिन्होंने इस मामले की जांच करने की कोशिश की थी, के अचानक स्थांतरण से इस समाचार पर विश्वास जमने लगता है और लोगों के मन में सन्देह पक्का होता है।

यह कहा गया है कि डी० डी० ए० के गोदाम से कुछ सीमेंट की बोरियां चोरी की गई थीं। यदि चोरी सरकार के गोदाम से की गई थी तो इसके लिए किसे उत्तरदायी होना चाहिए? महाराष्ट्र में भूमि विकास बैंक किसानों को पम्प सेट खरीदने के लिए ऋण देते हैं। वे केवल मार्केटिंग फेडरेशन से ही पम्प सेट खरीद सकते हैं जो बाजार में चल रहे मूल्य से एक हजार

रुपये अधिक वसूल करता है। फेडरेशन पर अधिक मूल्य लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

महाराष्ट्र सरकार की प्याज खरीद योजना में अधिकारियों की गलतियों से सत्रह करोड़ रुपये की हानि हुई थी। अन्ततोगत्वा इस प्रक्रिया में गरीब किसान को हानि उठानी पड़ी।

महाराष्ट्र राज्य को तीन महीने का, अर्थात, मार्च, अप्रैल और मई, 1982, लेवी सीमेंट का कोटा नहीं मिला। उपलब्ध सीमेंट का एक बड़ा भाग श्री अन्तुले द्वारा बनाए गए 'ट्रस्ट' द्वारा ले लिया गया था। उपभोक्ताओं को 20/- रुपये प्रति बोरी अधिक देना पड़ा क्योंकि लेवी सीमेंट उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार उपभोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त मूल्य की दी गई कुल राशि 3,80,8०,000 रुपये के लगभग है।

आवश्यक वस्तुओं के सुचारु वितरण के लिए उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए और उन्हें कुछ अतिरिक्त वस्तुएं भी बेचनी चाहिएं। एक उचित दर की दुकान के लिये राशन कार्डों की संख्या इतनी सीमित होनी चाहिये कि दुकानदार उपभोक्ताओं की उचित ढंग से सेवा कर सके। सभी उचित दर की दुकानों के कार्यचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए सर्वदल सतर्कता समिति होनी चाहिये। इन समितियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण की जांच करने के अधिकार होने चाहिएं।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं यह बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी प्रधान मंत्री जी का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है जो उन्होंने देश को दिया है और जो एक नया कार्यक्रम है, उसको इम्प्लेमेंट करने के लिये यह बहुत जरूरी था कि इस तरह का बिल लाया जाता। जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है इसमें ऐसे लोग हैं जो इल्जाम तो हमारी पार्टी की तरफ लगाते हैं लेकिन ब्लैक मार्केट खुद करते हैं। इस देश में किसानों के पास बहुत कम दुकानें हैं, और गड़बड़ करने वाले गांवों छाये हुए हैं। ज्यादातर बी० जे० पी० और आर० एस० एस० के लोगों को दुकानें मिली हैं। हमारे किसानों की पैदावार ब्लैक मार्केटियर्स के गोदामों में इकट्ठी हो जाती है जो पैसे वाले होते हैं। पल्लेदार गरीब आदमी होते हैं, बोरियां उठाते हैं, जब कि लाला कोई काम हाथ से नहीं करते हैं। उसको मालूम रहता है कि कहां दाल, आटा, अनाज की कमी है। ऐसे ही असामाजिक तत्व अनाज का भंडार कर लेते हैं और समाज में दिक्कत पैदा करते हैं और ब्लैक मार्किट करते हैं। अगर ऐसे लोगों को सजा देने के लिये सख्त कानून न बनाया जाय तो काम नहीं चलेगा। जो गुनाहगार लोग हैं उनको कतई नहीं छोड़ना चाहिये, इस तरह के कानून का होना निहायत जरूरी है।

यहां कहा गया है कि कई गाड़ियां खाली होती हैं और बिल्टी उतर जाती है और कह दिया जाता है कि पंजाब से बंगाल के लिये लाद दिया गया है। लेकिन उसमें कनक नहीं जाता

है, इसमें हमारे कर्मचारी भी गड़बड़ कर जाते हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिये और 20 सूत्री प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिये हमको चोरबाजारी को खत्म करना है जो कि आजकल बढ़ती जा रही है। इसको खत्म करने का एक ही उपाय है कि सख्ती होनी चाहिये। जो गरीब आदमियों को भूखा मारने के लिये पैदा हो गये हैं उनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। हम सब का फर्ज है कि यहां सही बात कहें। यह न कहें कि सभी दुकानें कांग्रेसियों को दी गई हैं, ऐसी बातें केवल बदनाम करने के लिये कही जाती हैं जिसका कोई प्रमाण इनके पास नहीं है।

मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो कि पहाड़ी है और वहां पर अनाज की दिक्कत होती है। हमारे पास पंजाब और हरियाणा का इलाका नजदीक है, जिस वक्त पंजाब में श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री थे, उन्होंने पाबन्दी लगा दी थी कि हिमाचल और कश्मीर को अनाज नहीं जायेगा। जब जनसंघ और अकाली पार्टी की सरकार थी पंजाब में उस वक्त पंजाबी सूबा या खालिस्तान की कोई बात नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही वह सरकार टूटी तो यही लोग आवाज उठा रहे हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा अनाज के मामले में पहाड़ी क्षेत्र को अच्छे ढंग से नहीं देखा गया।

हिमाचल का जो सेव आता है उसमें भी ब्लैक मार्केट होता है। सेव का भाव कुछ होता है लेकिन बेचा महंगे भाव पर जाता है। अगर आप हमारे सेब की पेटी का भाव पता करें तो हमारी पेटी ज्यादा से ज्यादा 26 रु० की पड़ती है जिस पर हमसे बिचौलिया लेता है जिसमें 16 किलो अच्छे किस्म का सेव होता है। इसी तरह से आलू का जो बीज दिया जाता है उसका भी रेट 8 आना किलो है। लेकिन इस्तेमाल करने वाले को अधिक दाम देना पड़ता है। इस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय होता है, और यह ब्लैक मार्केटियर्स और बिचौलिए तथा बड़े-बड़े सेठ गड़बड़ करते हैं। इन्होंने देश का खून चूस लिया है। अगर ऐसे लोगों पर सख्ती से कानून नहीं लागू करते हैं तो और चोर बन जायेंगे। और इस देश का बेड़ा गर्क कर देंगे।

हमने मन में यह सोचा है कि देश को आगे ले जाना है, इसलिये हमको सख्ती से ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, जिन्होंने बड़ी-बड़ी हवेलियां और मकान बना लिये हैं और उन्होंने भगवान शिव की फोटू अपने कमरे में ऊपर लगा ली है। उनसे पूछिये कि परमिट तो कटा नहीं, सीमेंट कहां से आया तो कहेंगे कि यह भगवान कृष्ण की फोटू है, ऊपर से भगवान, परमात्मा दे रहा है। इस तरह के धंधे इन लोगों के हैं। गरीब आदमी को सीमेंट नहीं मिलता है, रजिस्टर भी मेंटेन होता है, लेकिन सारे सीमेंट और अनाज भी ब्लैक मार्किटिंग होती है। यह तभी बन्द हो सकती है, जब इनके अपराधों के लिये इनको छोड़ा न जाये, बख्शा न जाये।

हमारे खिलाफ जो यह बात कही जाती है कि सारे कानून कांग्रेस के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये हैं, जैसे कि हमने देश के लिये कुछ नहीं करना है, सब ठेका विपक्ष के लोगों ने ले रखा है। इन लोगों का काम सिर्फ नुक्ताचीनी करने का है, इनका काम किसानों को फायदा

पहुंचाने के लिये नहीं है। अगर इनका काम उनको फायदा पहुंचाने के लिये हो जाये तो गरीब आदमी एजीटेशन करना बन्द कर दें। इनको चाहिये कि किसानों को कहें कि खेत में काम करो लेकिन यह ऐसा नहीं करते और मजदूरों को हड़ताल के लिये बहकाते हैं। उनसे चन्दा इकट्ठा करते हैं, उनको नारेबाजी करने के लिये शहरों में ले आते हैं। इससे उनका भी नुक्सान करते हैं और हमारे कारखानों में उत्पादन का नुक्सान होता है और अनाज के मामले में फसलों का नुक्सान होता है। हमारे देश की परिवहन सेवाओं में बाधा पड़ती है। हमको इस तरफ भी ध्यान देना होगा। जितना देश को कमजोर करने में लोग लगे हुए हैं, वह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर ईमानदारी के साथ देश को आगे ले जाना है तो आपको यह निर्णय करना होगा, अपने मन में यह बात रखनी होगी कि गरीबों को काम देंगे, तभी देश का कल्याण होगा। ऐसा नहीं करना चाहिये कि हड़ताल के लिये उनको दिल्ली ले आये या दूसरी कैपिटलों में ले गये या गाँव में एजीटेशन शुरू करवा दिये। इससे हमारी तरक्की नहीं होने वाली है।

मंत्री जी जो संशोधन लाये हैं, मैं इसकी पुरजोर ताइद करता हूं और साथ ही साथ यह भी सुझाव है कि गरीब इलाकों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में अनाज को ज्यादा पहुंचाने के लिये सख्ती से इस पर अमल होना चाहिये। उन लोगों का भी ख्याल होना चाहिये जो सेब, सब्जियों, केला, आम तैयार करते हैं। उनके दाम भी किसानों को ठीक मिलने चाहिये तभी हमारा मुल्क आगे जा सकता है और गरीब आदमियों की चीजें जो सस्ते भाव पर खरीद ली जाती हैं, उनमें ब्लैक मार्किट नहीं होना चाहिये, चोर-बाजारी नहीं होनी चाहिये।

जैसा इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा होता है, मैं नहीं जानता कि वहां क्या होता है लेकिन वहां शायद कांग्रेसी एम. एल. ए. होगा इसलिये इन्होंने कांग्रेसियों के खिलाफ बात कहनी है। जहां इनकी पार्टी नहीं जीतती है वहां यह लोग कहते हैं कि काग्रेसी सारा काम कराते हैं। अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो न इसमें कांग्रेसी का सवाल है और न ही किसी और पार्टी का, अगर देश के लिये कुछ करना है, तो सबको ठीक से सोचना चाहिये। यह कानून इसलिये लाया गया है कि अगर इसमें कोई कमी है तो देखें, चोर-बाजारी करने वाले को सख्ती से पकड़ना हमारा काम है। हम सबको यूनेनिमसली इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये और मैं स्वयं इसका समर्थन करता हूं।

***श्री एस. मुरुगैयन** (तिरूपत्तूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक के समर्थन में मैं कुछ सुझाव दूंगा।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

महोदय, यह विधेयक जिला मजिस्ट्रेटों और आयुक्तों को उन चोरबाजारियों, जमाखोरों और तस्करों को पकड़ने का अधिकार देगा जो फरार हो गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुरुगैयन, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

6-00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 30 जुलाई. 1982/8 श्रावण, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

सनलाइट प्रिंटर्स, फव्वारा दिल्ली-6